मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
जुलाई, 2015 सत्र

गुरुवार, दिनाँक 23 जुलाई 2015

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

(वर्ग-4 : लोक निर्माण, नगरीय विकास एवं पर्यावरण, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार, खेल एवं युवा कल्याण, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, वन)

<u>तेंदूपत्ता संग्राहकों को बीमा राशि का भुगतान</u>

1. (*क्र. 834) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** तेंदूपत्ता संग्राहकों को विभाग द्वारा क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा इस संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं, उनकी प्रति दें? **(ख)** रायसेन जिले में 1 जनवरी 13 से 25 जून 2015 तक की अवधि में कितने तेंदूपत्ता संग्राहकों की मृत्यु हुई किन-किन के प्रकरण बीमा कंपनी को भेजे? किन-किन के प्रकरण बीमा कंपनी को नहीं भेजे, प्रकरणवार कारण सहित बतायें? **(ग)** बीमा कंपनी तथा विभाग के पास कितने प्रकरण लंबित हैं? उक्त प्रकरणों का निराकरण कब तक होगा? **(घ)** कहाँ-कहाँ तेंदूपत्ता बोनस का वितरण नहीं हुआ तथा क्यों, कारण बतायें? कब तक बोनस का वितरण होगा? इस संबंध में विभाग को किन-किन के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट एक अनुसार है। **(ख)** एवं **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट दो एवं तीन अनुसार** है। लंबित प्रकरणों का निराकरण निगम की आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति हो जाने पर हो सकेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(घ)** रायसेन जिले में संग्रहण वर्ष 2012 के दो लॉटों में लॉट क्रमांक 295 गढ़ी एवं 312 देवरी बरखंदा के क्रेताओं द्वारा संपूर्ण विक्रय मूल्य जमा नहीं करने के कारण बोनस की गणना नहीं की जा सकी तथा बोनस वितरण नहीं किया गया है। लॉट क्रमांक 316 सियरमऊ का संपूर्ण विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाने से बोनस की गणना की जाकर राशि का आवंटन कर दिया गया है। बोनस वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष दो लॉटों का संपूर्ण विक्रय मूल्य प्राप्त होने पर बोनस वितरण किया जावेगा। बोनस वितरण हेतु माननीय राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश शासन की टीप दिनाँक 09.09.2014 एवं 05.06.2015 प्राप्त हुई थी। संग्रहण वर्ष 2013 के प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण की कार्यवाही भी प्रचलित है।

मुख्यमंत्री अधोसंरचना अंतर्गत कार्यों का लोकार्पण

2. (*क्र. 1103) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सीहोर नगरपालिका द्वारा 01.06.2015 को मुख्यमंत्री के नगर आगमन पर मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के अंतर्गत 103 कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा कराया गया? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** यदि हाँ, तो इनमें से कितने कार्य पूर्ण हुये हैं एवं कितने कार्य आज तक अपूर्ण हैं एवं कितने कार्य आज तक शुरू नहीं हुये? **(ग)** क्या कार्य पूर्ण होने के पहले लोकार्पण होना नियम अंतर्गत है? यदि नहीं, तो इसका दोषी कौन है? दोषियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी? इस योजनांतर्गत पूर्ण कार्य को कितने वर्षों तक निविदाकार द्वारा मेंटेन करना है? **(घ)** मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के अंतर्गत सीहोर नगरपालिका को कितनी राशि दी गयी? यह राशि किन मदों से आवंटित की गयी? क्या सरकार द्वारा इस योजना हेतु लोन लिया गया? यदि लिया गया तो यह राशि किस संस्था को जमा करनी है? इस योजना हेतु कितना लोन लिया गया?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी नहीं। नगर पालिका परिषद सीहोर द्वारा मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के तहत 96 पूर्ण कार्यों का लोकार्पण कराया गया है। **(ख)** 103 स्वीकृत कार्यों में से 98 पूर्ण हैं एवं 5 कार्य प्रारंभ नहीं किये गये। **(ग)** जी नहीं। अपूर्ण कार्यों का लोकार्पण नहीं कराया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। तीन वर्ष। **(घ)** राशि रू. 314.00 लाख मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत आवंटित की गई। म.प्र. शासन के प्रत्याभूति के आधार पर निकाय द्वारा ऋण लिया गया है। जी हाँ। 70% ऋण का 75% शासन एवं 25% निकाय द्वारा। नगर पालिका परिषद सीहोर को मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के तहत राशि रू. 819.00 लाख ऋण स्वीकृत है।

इंदौर-कोटा राजमार्ग का उन्नयन

3. (*क्र. 719) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिंहस्थ 2016 के तारतम्य में इंदौर-कोटा राजमार्ग को फोरलेन में परिवर्तित करने/मार्ग उन्नयनीकरण संबंधी कोई प्रक्रिया चल रही है? यदि हाँ, तो प्रक्रिया किस स्तर पर है? **(ख)** क्या इंदौर-कोटा राजमार्ग पर स्थित नगरीय क्षेत्र सुसनेर एवं सोमतकलां की 2 कि.मी. परिधि में मार्ग उन्नयनीकरण/चौड़ीकरण का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की जा रही है एवं कार्य कब तक प्रारंभ होगा? **(ग)** उज्जैन संभाग अंतर्गत कितने जिलों में कार्यपालन यंत्री प्रभार पर कार्य कर रहे हैं एवं कार्यपालन यंत्री के प्रभार के संबंध में क्या मापदण्ड निर्धारित हैं? **(घ)** क्या आगर जिले में वर्तमान में कार्यपालन यंत्री प्रभार में है? यदि हाँ, तो प्रभार क्या निर्धारित मापदण्ड का पालन करते हुए दिया गया? यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही की जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ, इन्दौर कोटा राजमार्ग का शहरी भाग लंबाई 5.83 कि.मी. लो.नि.वि. के अधिपत्य में है। उक्त भाग के कार्य स्वीकृति होकर प्रगतिरत हैं। **(ख)** नगरीय क्षेत्र सुसनेर एवं सोमतकला लो.नि.वि. (भ/स) के क्षेत्रान्तर्गत नहीं है। **(ग)** उज्जैन संभाग अंतर्गत तीन जिले में प्रभारी कार्यपालन यंत्री कार्य कर रहे हैं। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ)** जी हाँ। जी हाँ। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "एक" (पृष्ठ क्रमांक 15)

बैतूल जिले में खेल सामग्री का प्रदाय

4. (*क्र. 1559) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या विभाग द्वारा विभिन्न खेल सामग्री पंचायतों को स्कूल हेतु भेजी गई है? **(ख)** यदि हाँ, तो बैतूल जिले के अंतर्गत कौन-कौन सी पंचायतों को कितनी-कितनी राशि एवं कौन-कौन सी खेल सामग्री दी है? जिन पंचायतों को खेल सामग्री का वितरण किया गया है? उनका चयन किस आधार पर किया गया है? **(ग)** क्या जो खेल सामग्री जिस पंचायत को भेजी गई है? क्या वहां की शालाओं में इसकी व्यवस्था है? इसका परीक्षण किया गया है? यदि हाँ, तो किसके द्वारा यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** सामग्री का क्रय जिला स्तर पर भी किया जाकर पंचायतों की शालाओं को वहाँ की खेल गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए किया जा सकता था ऐसा न किया जाकर प्रदेश स्तर पर सामग्री का क्रय किए जाने के क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी नहीं, अपितु पायका योजनान्तर्गत चिन्हित पायका क्रीड़ा केन्द्रों के लिये खेल सामग्री पंचायतों के चिन्हित स्थल, पंचायत भवन अथवा विद्यालयों में उपलब्ध कराई गई है। **(ख)** बैतूल जिले की पंचायतों को कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। चिन्हित पंचायतों को उपलब्ध कराई गई खेल सामग्री की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। पायका क्रीड़ा केन्द्रों का चयन भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार जनसंख्या के आधार पर जिला स्तरीय पायका कार्यकारी समिति जिला - बैतूल की बैठक दिनाँक 02.01.2013 में किया गया है। **(ग)** जी हाँ। जी हाँ जिला शिक्षा अधिकारी, जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी द्वारा परीक्षण किया गया, साथ ही विकास खण्डों में पदस्थ ग्रामीण युवा समन्वयकों द्वारा निरंतर निरीक्षण किया जाता है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** खेल सामग्री स्थानीय मांग अनुसार ही क्रय की गई है। मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय पायका कार्यकारी समिति की बैठक दिनाँक 17.10.2014 में लिये गये निर्णयानुसार राज्य स्तर से सामग्री का क्रय गुणवत्ता एवं निर्धारित मापदण्ड अनुसार किया गया है।

विधानसभा क्षेत्र बासौदा अंतर्गत सड़क निर्माण

5. (*क्र. 361) श्री निशंक कुमार जैन : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक 1416 दिनाँक 13.04.15 द्वारा कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग विदिशा को प्रेषित पत्र के साथ ग्रामों की सूची में अंकित मार्गों पर सड़क निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है? किस योजना के तहत सड़क निर्माणाधीन है? किस योजना/कार्ययोजना में प्रस्तावित है, के विषय में जानकारी चाही गई थी या नहीं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** का उत्तर हाँ है तो क्या प्रश्नकर्ता को चाही गई वांछित जानकारी उपलब्ध करा दी गई है या नहीं? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी हैं? जानकारी कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी? **(ग)** प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 3 वर्षों में किस-किस ग्राम में सड़क निर्माण किया गया है, उनके रखरखाव की क्या स्थिति है? वर्तमान में किस-किस ग्राम में कितनी लागत की सड़क का निर्माण किया जा रहा है? निर्मित एवं निर्माणाधीन सड़कों के घटिया निर्माण संबंधी कितनी शिकायतें किस माध्यम से प्राप्त हुईं? शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जानकारी **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब**

अनुसार, प्रपत्र-स अनुसार मार्ग निर्माण संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। बासोदा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गंजबासोदा-त्योंदा मार्ग (लंबाई 37.80 कि.मी.) का निर्माण कार्य बी.ओ.टी. (एन्युटी) परियोजनांतर्गत किया गया है। मार्ग के रख रखाव की जिम्मेदारी मार्ग के निवेशकर्ता की है। मार्ग की स्थिति अच्छी है। वर्तमान में बासोदा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत किसी भी ग्राम में सड़क निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। निर्मित सड़क के घटिया निर्माण संबंधी कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>परिशिष्ट - "दो"</u> (पृष्ठ क्रमांक 17)

<u>टिमरनी अंतर्गत कालोनाईज़र पर कार्यवाही</u>

6. (*क्र. 2763) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या नगरीय क्षेत्र टिमरनी में कॉलोनाईज़र अधिनियम के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टिमरनी के द्वारा विठ्ठल नगर कॉलोनी को विकास की अनुमति दी है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? **(ख)** कॉलोनी विकास की अवधि बतावें? क्या निर्धारित अवधि में कॉलोनाइजर द्वारा विकास कार्य पूर्ण करवा लिया गया है? **(ग)** यदि कॉलोनी का आंतरिक विकास कार्य समय पर कॉलोनाइजर द्वारा नहीं किया गया तो कॉलोनाइजर के विरूद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** क्या कॉलोनी विकास के लिए नगर परिषद (निकाय) में कितनी राशि जमा करने के आदेश दिये गये? क्या राशि जमा करने के कोई प्रावधान कॉलोनाईज़र एक्ट में है? यदि हाँ, तो आदेश/नियम की प्रति उपलब्ध करावें? यदि नहीं, तो नियम आदेश जारीकर्ता अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टिमरनी द्वारा जारी विकास की अनुमति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** म.प्र. नगर पालिका कॉलोनाईजर एवं रजिस्ट्रीकरण (निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998 के नियम 13 अंतर्गत कॉलोनी का आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करने की समयावधि में 03 वर्ष का प्रावधान है। जी नहीं। **(ग)** कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। **(घ)** अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनाँक 08.08.2008 से रू. 15,94,000/- तीन किश्तों में 05-05 लाख एवं 5.94 लाख जमा करने के आदेश दिये गये। जी हाँ। नियम की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>पेयजल संकट के निदान हेतु व्यय राशि</u>

7. (*क्र. 894) श्री सुन्दर लाल तिवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रीवा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत पेयजल संकट दूर करने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत् कितनी राशि खर्च की जा चुकी है? नगर निगम के अंतर्गत फिल्टर प्लांट से शुद्ध पीने का पानी कितने वार्डों में पहुंचाया जा रहा है? **(ख)** रीवा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत कितनी जगह पेयजल की लाईनें टूटी हैं, जिसकी वजह से प्रदूषित पानी का वितरण किया जा रहा है? नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत वितरित किए जा रहे पानी का म.प्र. प्रदूषण निगम द्वारा कितने वर्षों से प्रदत्त पेयजल की शुद्धता की जाँच नहीं की गई है? फिल्टर प्लांट से शुद्ध पेयजल कितने समय में उपलब्ध करा दिया जायेगा? **(ग)** वर्तमान में पानी खींचने के लिये निजी व्यक्तियों द्वारा कितने टुल्लू पंप लगा रखे हैं?

इसकी जानकारी नगर निगम रीवा को है, यदि हाँ, तो इनकी संख्या क्या होगी? **(घ)** क्या रीवा नगर निगम शहर में वितरित किये जा रहे पानी की जाँच राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर (महाराष्ट्र) नीरी से कराकर शहर में बनी हुई सभी टंकियों में फिल्टर प्लांट से पानी डालकर वितरित किया जायेगा?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। **(ख)** नगर निगम द्वारा प्रदाय किये जा रहे जल की शुद्धता की जाँच म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा नहीं की जाती है। नगर निगम में विभागीय प्रयोगशाला से वितरित किये जाने वाले पेयजल की शुद्धता की प्रतिदिन जाँच की जाकर, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** निगम की जानकारी में निजी व्यक्तियों द्वारा पाईप लाईन से पानी खींचने हेतु टुल्लू पम्प नहीं लगाये जाते हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** निगम में विभागीय प्रयोगशाला होने के कारण पानी की जाँच का प्रस्ताव राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर नीरी से कराने की आवश्यकता नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "तीन"</u> (पृष्ठ क्रमांक 20)

<u>औद्योगिक क्षेत्र प्रतापपुरा के मध्य औषधालय की स्थापना</u>

8. (*क्र. 529) श्री अनिल जैन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश के किन-किन औद्योगिक क्षेत्रों के मध्य में निजी औषधालय खोलने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं अथवा भूमि उपांतरण की गई है? यदि हाँ, तो औद्योगिक क्षेत्रवार जानकारी दी जावे? यदि नहीं, तो कारण बताये जावें? **(ख)** क्या ओरछा विकास योजना 2011 में निर्दिष्ट औद्योगिक क्षेत्र प्रतापपुरा के बीचों-बीच स्थित ग्राम बबेड़ी-जंगल की निजी भूमि को औषधालय के लिये उपांतरित किया गया है? यदि हाँ, तो ऐसा किये जाने के पूर्व किन-किन विभागों के अभिमत प्राप्त किये गये? क्या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस औषधालय हेतु कोई अभिमत दिया गया है? यदि हाँ, तो विशेषज्ञ/पदाधिकारी का नाम, पदनाम तथा अभिमत (दिनांक सहित) का विवरण देवें। **(ग)** क्या प्रश्नागत निजी भूमि के चारों ओर तमाम औद्योगिक इकाईयां (प्लास्टिक, डामर, फ्लाई एस पेपर्स, क्रेसर आदि उद्योग) संचालित हैं? तो क्या ऐसी साइट स्वास्थ्य/औषधालय प्रयोजन हेतु उपयुक्त है, यदि नहीं, तो क्या प्रश्नांश **(ख)** अनुसार किया गया उपांतरण निरस्त किया जावेगा? **(घ)** क्या उक्त भूमि के व्यपवर्तन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, यदि नहीं, तो इस पर बिना व्यपवर्तन के किया जा रहा अवैध निर्माण कार्य स्थायी रूप से कब तक हटाया जायेगा?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) केवल ओरछा विकास योजना के प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र प्रतापपुरा में सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक (स्वास्थ्य) भूमि उपयोग उपातंरण की कार्यवाही की गई है। **(ख)** जी हाँ। ग्राम बबेड़ी जंगल के खसरा क्रमांक 27/1अ2, 27/1अ/3, 2/3/1, 2/3/2 कुल क्षेत्रफल 4.319 हैक्टेयर का भूमि उपयोग औद्योगिक से सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक (स्वास्थ्य) में उपातंरण किया गया। उपांतरण किये जाने हेतु निम्नांकित विभागों से अभिमत प्राप्त किये गये :- राज्य नियोजन संस्थान, भोपाल, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सागर, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग टीकमगढ़, वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन मडंल टीकमगढ़, संग्रहाध्यक्ष, पुरातत्व संग्रहालय ओरछा, जिला टीकमगढ़, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद् ओरछा, कार्यपालन अभियंता (स/स) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि. पृथ्वीपुर संभाग, कार्यपालन यंत्री, जल

संसाधन संभाग टीकमगढ़, कार्यपालन यंत्री, म.प्र. गृह निर्माण एंव अधोसंरचना विकास मंडल संभाग-छतरपुर, अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी जिला टीकमगढ़, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र.। जी हाँ। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं के पत्र क्रमांक जी.आई.एस./सेल-7/2013/18, दिनाँक 10.07.2013 द्वारा लेख कर सूचित किया है कि प्रकरण प्रमुख सचिव स्वास्थ्य द्वारा प्रमुख सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग को भू-उपयोग उपांतरण हेतु अनुशंसित किया गया है। पत्र डॉ. अशोक विरांग, स्टेट कोऑर्डिनेटर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सम्मिट (जी.आई.एस. एवं पी.पी.पी) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा जारी किया है। जो **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नाधीन भूमि से लगभग 500 मीटर दूरी पर छतरपुर मार्ग के बाईं ओर औद्योगिक क्षेत्र प्रतापपुरा क्रमांक-1 है। ओरछा तिगेला से ओरछा मार्ग पर लगभग 500 मीटर दूरी पर औद्योगिक क्षेत्र तारा ग्राम स्थित है, जिसमें हस्त निर्मित पेपर, क्रांकीट ब्लॉक, टाईल्स इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। प्रश्नाधीन हॉस्पीटल के निर्माण किए जाने हेतु औद्योगिक क्षेत्र के साथ पर्यावरणीय संतुलन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग 75 के मध्य से 80 मीटर तक निर्माण प्रतिबंधित तथा अस्पताल के निर्माण में ध्वनि तथा वायु प्रदुषण के बचाव का प्रावधान रखने की शर्त लगाई गई है। **(घ)** जी नहीं। आवेदक द्वारा व्यपवर्तन कराये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनाँक 11.10.2012 विकास योजना के अनुरूप भूमि उपयोग न होने से नस्तीबद्ध किया गया था। कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा बिना डायवर्सन के निर्माण कराये जाने के कारण निर्माण कार्य बंद किये जाने का स्थगन आदेश जारी किया गया। प्रकरण में सुनवाई की आगामी दिनाँक 27.07.2015 नियत है। अतः शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>परिशिष्ट - "चार"</u> (पृष्ठ क्रमांक 21)

<u>अनूपपुर जिले में मेन्युअल पद्धति से जारी निविदाएं</u>

9. (*क्र. 1568) श्री रामलाल रौतेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या अनूपपुर जिले में विभाग ने मेन्युअल टेन्डर बुलाया है? यदि हाँ, तो मेन्युअल टेन्डर बुलाने के नियम क्या हैं तथा कितनी राशि तक मेन्युअल टेन्डर और किन परिस्थितियों में बुलाया जा सकता है? **(ख)** वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 तथा 2015-16 में मेन्युअल पद्धति से कितनी संक्षिप्त निविदाएँ जारी की गई हैं, उन कार्यों की लागत कितनी है? मेन्युअल टेन्डर बुलाए जाने का कारण क्या था? क्या विभाग उक्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कराएगा? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। ई-टेण्डरिंग की अनिवार्यता से छूट (मेन्युअल टेण्डर बुलाया जाना) हेतु निर्देश शासन के पत्र दिनाँक 06.11.2012 एवं दिनाँक 26.09.2013 **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ** में विस्तृत विवरण अंकित है संबंधित कार्यों का विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन पूर्व में ही कराये जाने के पश्चात् इनका भुगतान किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>नगर निगम जबलपुर में ठेके से सफाई व्यवस्था</u>

10. (*क्र. 1046) श्री अंचल सोनकर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नगर निगम जबलपुर के अन्तर्गत सफाई व्यवस्था के तहत वर्ष 2014-15 में 70 वार्डों में कुल कितनी राशि का ठेका किन-किन फर्मों को दिया गया था? वार्डवार ठेकेदार का नाम एवं ठेके की राशि सहित बतावें? **(ख)** क्या नगर निगम जबलपुर के द्वारा वर्ष 2015-16 के लिये सफाई व्यवस्था

हेतु प्राईवेट फर्मों को ठेके प्रदाय किये जा चुके हैं? यदि हाँ, तो किन-किन फर्मों को किस-किस वार्ड की सफाई व्यवस्था का ठेका दिया गया है एवं कितनी-कितनी राशि का? पूर्ण विवरण सहित ठेके की राशि वार्डवार बतावें? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** यदि नगर निगम जबलपुर द्वारा वर्तमान में सफाई व्यवस्था हेतु ठेका नहीं दिया गया है तो वर्तमान में सफाई व्यवस्था के क्या इंतजाम किये गये हैं? उनके भुगतान का क्या मापदण्ड अपनाया जा रहा है? प्रत्येक दिवस नगर निगम को कितनी राशि सफाई हेतु खर्च करनी पड़ रही है? वार्डवार विवरण दें? यह भी बताया जावे कि ठेका न दिये जाने का कारण क्या है एवं ठेका कब तक दिया जावेगा?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। **(ख)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** वर्तमान में नगर निगम के 79 वार्डों में से 41 वार्डों की सफाई का कार्य निगम द्वारा स्वयं के नियमित/संविदा सफाई संरक्षकों से कराया जा रहा है, शेष 38 वार्डों की सफाई का कार्य विभिन्न समितियों के माध्यम से कराया जा रहा है। नियमित कर्मचारियों को वेतन एवं संविदा कर्मचारियों को कलेक्टर दर से भुगतान का मापदण्ड अपनाया जा रहा है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। वर्ष 2015-16 में 43 वार्डों की सफाई कार्य हेतु ठेका देने के लिये निविदा जारी की गई है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

नगर पंचायत विजयपुर द्वारा की गई अनियमितताओं की जाँच

11. (*क्र. 1352) श्री रामनिवास रावत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता के परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या-2 (क्र. 171) दिनाँक 10 जुलाई 2014 द्वारा नगर पंचायत विजयपुर में बी.आर.जी.एफ. योजनान्तर्गत जल आवर्धन योजना हेतु स्वीकृत राशि रू. 75.00 लाख के बिना कार्य कराए माप पुस्तिका पर चढ़ाकर अनियमित भुगतान करने के संबंध में किए गए प्रश्न के उत्तर में जाँच कराकर कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया था, तो क्या श्री प्रदीप शर्मा, मुख्य नगर परिषद अधिकारी, श्री ए. गनी, मुख्य नगर परिषद अधिकारी, जल कार्य निरीक्षक एवं सहायक ग्रेड-3 प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितता के दोषी पाए गए? यदि हाँ, तो अभी तक इनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संबंध में किए गए बिना कार्य कराए अनियमित भुगतान एवं अधिक व्यय की वसूली की कार्यवाही एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किस-किस सक्षम अधिकारी द्वारा कब तक की जावेगी? **(ग)** क्या उक्त गंभीर अनियमितताओं की जाँच, कार्य पालन यंत्री, नगरीय प्रशासन द्वारा की गई है जो कि कार्यों का मूल्यांकन करने एवं माप पुस्तिका पर काउंटर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हैं तत्पश्चात ही भुगतान होता था यदि हाँ, क्या ऐसी स्थिति में निष्पक्ष जाँच संभव है? यदि नहीं, तो क्या शासन उक्त अनियमितताओं की जाँच आयुक्त स्तर के वरिष्ठ अधिकारी से कराएगा?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। जी हाँ। दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने के लिये संचालनालय से 28.05.2015 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये हैं। **(ख)** दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का पक्ष सुनने के पश्चात नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही संचालनालय एवं निकाय स्तर से शीघ्र की जायेगी। **(ग)** जी हाँ। प्रकरण में पाया गया है कि निकाय ने कार्यपालन यंत्री द्वारा अनुमोदित देयक राशि से भिन्न भुगतान किया है। प्रकरण की

जाँच किये जाने के लिये संचालनालय के अधिकारी के नेतृत्व में जाँच दल गठित किया गया है। जाँच के परिणामों के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी।

स्टेट हाईवे 50 के निर्माण हेतु वृक्षों की कटाई

12. (*क्र. 1070) श्री राजेन्द्र श्यामलाल (राजू भैया) दादू : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खंडवा-डेढ़तलाई-बुरहानपुर स्टेट हाईवे क्रमांक 50 के निर्माण हेतु कितने हरे वृक्ष काटे गये? जिला खण्डवा एवं जिला बुरहानपुर में काटे गये वृक्षों की संख्या पृथक-पृथक बतावें? **(ख)** उपरोक्त वृक्षों से शासन को कितना राजस्व प्राप्त हुआ? **(ग)** काटे गये वृक्षों से पर्यावरण को जो क्षति हुई, उसकी पूर्ति हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? क्या अन्य स्थानों पर उतने वृक्षों के रोपण हेतु कार्यवाही प्रचलन में है? जानकारी से अवगत करावें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) कुल 1144 वृक्ष। खण्डवा जिले में 471 एवं बुरहानपुर जिले में 673 वृक्ष। **(ख)** बुरहानपुर जिले के 673 वृक्षों को काटने से रू. 19,11,000/- राशि का राजस्व शासन को प्राप्त हुआ है। शेष 85 सागोन के वृक्ष काटे जाकर वन विभाग के पास जमा हैं। खण्डवा जिले के 471 वृक्ष काटे जाकर काटे गये वृक्ष वन विभाग के पास जमा हैं। **(ग)** पर्यावरण की क्षति की पूर्ति हेतु अनुबंध में कन्सेशनायर से काटे गये वृक्षों के विरूद्ध 10 गुना वृक्ष लगाने का प्रावधान है। अभी मार्ग निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माण पूर्ण होने के उपरांत तत्काल 10 गुना वृक्ष कन्सेशनायर द्वारा लगवाये जावेंगे।

शासकीय विभागों हेतु लागू टेंडर्स मेन्युअल

13. (*क्र. 465) श्री रामेश्वर शर्मा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासकीय विभागों एवं निगम-मंडलों द्वारा निविदाएं आमंत्रित करने की प्रक्रिया हेतु कोई नियमावली लोनिवि. ने तय की है और क्या यही नियमावली सभी विभागों और निगम-मंडलों पर लागू है? **(ख)** यदि हाँ, तो बताएं कि क्या सभी निविदा आमंत्रणों में पीक्यूआर की शर्त जोड़ा जाना नियमानुसार है? यदि नहीं है तो किन निविदाओं के आमंत्रण में पीक्यूआर शर्तें जोड़ने की अनुमति है? **(ग)** क्या मप्रपाजकंलि. द्वारा आमंत्रित निविदाओं पर भी यही नियम लागू होता है? यदि हाँ, तो बताएं कि क्या मप्रपाजकंलि. को लोनिवि द्वारा इस नियम की जानकारी कब दी गई है? **(घ)** यदि मप्रपाजकंलि. के सताविगृ. सारनी द्वारा लोनिवि. की नियमावली का उल्लंघन करते हुए निविदाएं आमंत्रित कर शासन को क्षति पहुंचाई जा रही है तो निविदा आमंत्रण के नियमों का उल्लंघन करने पर क्या कार्यवाही होना चाहिए और कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत सक्षम अधिकारी कौन है?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कार्य विभाग एवं कार्य करने वाले विभागों में निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया हेतु नवीन निविदा प्रपत्र दिनाँक 01.01.2014 से लागू किया गया है। **(ख)** जी नहीं। आवश्यकतानुसार प्री क्वालिफिकेशन की शर्तें जोड़ी जाती हैं, वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्यों में 5.00 करोड़ से अधिक के कार्यों के लिये तथा भवन कार्यों में 2.00 करोड़ से अधिक लागत के कार्यों के लिए प्री क्वालिफिकेशन की अनुमति है। **(ग)** जी नहीं, म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा आमंत्रित निविदाओं पर म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के प्रोक्योरमेंट मेन्युअल के अनुसार नियम लागू होते हैं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** उत्तरांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बड़वारा विधानसभा क्षेत्र के मार्गों का निर्माण

14. (*क्र. 1605) श्री मोती कश्यप : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र दिनाँक 14.01.2015 को मा. मुख्यमंत्री व विभागीय मंत्री को वि.स.क्षे. बड़वारा के किन्हीं मार्गों के निर्माण की स्वीकृति हेतु कोई लेख किया है? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** पत्र में विभागीय किसी अभियन्ता के द्वारा किन्हीं मार्गों पर किन्हीं टिप्पणियों का उल्लेख किया गया है और किन्हीं स्तर पर उनका परिपालन व सुधार किया गया है? **(ग)** क्या प्रश्नकर्ता ने किन्हीं अभियन्ताओं से हुई दूरभाष चर्चा उपरान्त किन्हीं मार्गों के संबंध में किन्हीं सुझावों सहित कोई पत्र दिनाँक 26 जून, 2015 को विभाग और विभागीय अभियन्ताओं को प्रेषित किया है? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** से **(ग)** के किन मार्गों को अनुपूरक बजट में प्रावधानित किया गया है?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। **(ख)** विशिष्ट नहीं दर्शायी जाने के कारण कोई टिप्पणी किया जाना संभव नहीं है। **(ग)** जी हाँ प्रश्नकर्ता माननीय विधायक जी द्वारा 26 जून 2015 को मुख्य अभियंता मध्य परिक्षेत्र जबलपुर को पत्र दिया गया था। **(घ)** जी नहीं।

गृह निर्माण मण्डल द्वारा निर्मित भवनों के आवंटन की समय-सीमा

15. (*क्र. 1303) श्री सुदेश राय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** हाउसिंग बोर्ड के नियमों में किसी भी योजना के भवनों को हितग्राहियों को आधिपत्य देने की समय-सीमा क्या है एवं इस विभागीय विलंब के परिणाम स्वरूप बढ़ी कीमत का उत्तर दायित्व किस पर पड़ेगा? **(ख)** क्या हाउसिंग बोर्ड को यह अधिकार है कि वह किसी भी भूमि का ले-आउट प्लान व नक्शा व अनापत्ति प्रमाण पत्र व बंगलों के निर्माण की आवश्यक भूमि का उपयोग विज्ञापन, लॉटरी, प्लाटमेंट व हितग्राहियों से राशि जमा करा सकता है? **(ग)** क्या जिस प्रकार की कार्यवाही उपरोक्त योजना में हितग्राहियों के साथ हाउसिंग बोर्ड ने की है, यदि यही कृत्य किसी निजी भवन निर्माण संस्था करती तो शासन के नियमान्तर्गत क्या कार्यवाही होती? **(घ)** शासन ऐसी क्या प्रक्रिया लागू करेगा ताकि आवेदकों को जल्दी-जल्दी आवास मिल सके वह भी आवंटन के समय निर्धारित मूल्य पर ही देगा? विलंब के क्या कारण हैं? यह आवास कब तक मिलेंगे? क्या शासन मूल रूप से स्वीकृत योजना अनुसार ही भवन निर्मित करवाकर पूर्व पंजीकृत सदस्यों को भवन उपलब्ध कराने हेतु बोर्ड को निर्देशित करेगा? कब तक?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) आधिपत्य देने की समय-सीमा योजना के आकार पर निर्भर करती है। सामान्यतः 1 से 3 वर्ष की अवधि में भवनों का निर्माण पूर्ण कर वास्तविक व्यय के आधार पर निर्धारित मूल्य पर रजिस्ट्री उपरान्त आधिपत्य दिया जाता है। निर्माण की प्रक्रिया में यदि कोई विलम्ब होता है तो आवंटियों की किश्तों की देय दिनाँक को तदनुसार पुनर्निर्धारित किया जाता है तथा आवंटियों के द्वारा निर्धारित दिनाँक से पूर्व जमा राशि पर मण्डल नियमानुसार ब्याज दिया जाता है। **(ख)** आवासीय प्रयोजन हेतु शासन द्वारा आवंटित या मण्डल द्वारा अर्जित भूमि पर प्रस्तावित योजनाओं हेतु वैधानिक अनुमतियां प्राप्त करने के बाद विज्ञापन प्रकाशित कर पंजीयन आमंत्रित किये जाते हैं। पंजीयन स्वीकृति के पश्चात आवंटन के प्रावधान अनुसार मण्डल राशि जमा कराता है। **(ग)** प्रकरण विशेष के तथ्यों के अनुसार प्रभावशील विधिक प्रावधान लागू होंगे। **(घ)** समयावधि में निर्माण कार्य पूर्ण कर नियमानुसार भवन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जावेगा।

नगर पालिका सांरगपुर को राशि का आवंटन

16. (*क्र. 602) श्री कुँवरजी कोठार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नगरपालिका सारंगपुर अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 01/04/2011 से 31/03/2015 तक किस-किस मद से कितनी-कितनी राशि राज्य शासन से आवंटित की गई? मदवार जानकारी उपलब्ध कराएं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार प्राप्त आवंटन में से किस-किस निर्माण कार्य हेतु किन-किन एजेन्सी को कितना-कितना भुगतान किया गया वर्षवार विवरण देवें? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार दर्शायी गयी अवधि में स्थानीय सम्पत्तियों से प्राप्त सम्पति कर, नगर विकास कर, साप्ताहिक हाट-बाजार कर एवं अन्य सम्पत्ति से प्राप्त राशि का विवरण देवे? उक्त वसूली राशि के विरूद्ध नगर में विकास हेतु किस-किस कार्य के लिये कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'ब' एवं 'स' अनुसार** है।

पीपलरावाँ से टाण्डा उमरोद रोड का निर्माण

17. (*क्र. 137) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या पीपलरावाँ से टाण्डा उमरोद रोड स्वीकृत है? **(ख)** यदि स्वीकृत है तो कब तक निर्माण कार्य शुरू होगा यदि स्वीकृत नहीं है तो क्या विभाग द्वारा इसकी स्वीकृति हेतु कोई कार्यवाही प्रचलित है? **(ग)** यदि कार्यवाही प्रचलित है तो जानकारी स्पष्ट करें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी नहीं। **(ख)** प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। जी हाँ, प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। **(ग)** उत्तरांश 'ख' अनुसार।

निर्माण कार्यों के भुगतान में अनियमितता

18. (*क्र. 663) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वर्ष 2013 से प्रश्न दिनाँक तक लोक निर्माण संभाग गुना के अंतर्गत विशेष मरम्मत, अनुरक्षण, एम.ओ.डब्लू, पटरी भराई आदि मरम्मत निर्माण के कार्य भी निधि से कराये हैं? **(ख)** क्या लोक निर्माण संभाग गुना में वर्ष 2013 से प्रश्न दिनाँक तक विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को हेण्ड रिसीप्ट के लिए राशि प्रदान की है यदि हाँ, तो किसे और किन कार्यों के लिए? क्या अन्य तकनीकी विभागों में हेण्ड रिसीप्ट बंद कर दी है इस विभाग में कब से बंद होंगे? **(ग)** क्या लोक निर्माण संभाग गुना में सांसद/विधायक निधि से गत 2 वर्षों में कोई निर्माण या मरम्मत के कार्य कराये हैं यदि हाँ, तो कार्यों एवं उपयोग की गई राशि का विवरण दें? **(घ)** यदि गत दो वर्षों में प्रश्नांश **(क) (ख) (ग)** के अर्न्तगत विभाग द्वारा कार्य कराये हैं तो उनका प्रश्न दिनाँक तक भौतिक सत्यापन किया जाकर की गई अनियमितताओं में दोषियों पर कार्यवाही की है यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही करेगें? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी नहीं। स्वीकृत मद के अनुरूप ही कार्य कराया गया है। **(ख)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। लोक निर्माण विभाग से संबंधित नहीं है। वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(घ)** भौतिक सत्यापन में कोई अनियमितता नहीं होने के कारण कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

महेश्वर से सहस्त्रधरा जलकोटी तक मार्ग का निर्माण

19. (*क्र. 243) श्री मेव राजकुमार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पर्यटन नगरी महेश्वर से सहस्त्रधरा दर्शनीय स्थल ग्राम जलकोटी तक मार्ग निर्माण की स्वीकृति के संबंध में विभाग को प्रश्नकर्ता द्वारा कितनी बार एवं कब-कब पत्र लिखकर स्वीकृति हेतु अवगत कराया गया है? **(ख)** विभाग द्वारा शासन को कब-कब, किन पत्रों के माध्यम से अवगत कराया गया एवं जिला स्तर के कार्यालय द्वारा कब-कब उक्त मार्ग का प्राक्कलन तैयार कर विभाग एवं शासन को प्रस्तुत किया गया? **(ग)** क्या पर्यटन नगरी महेश्वर से सहस्त्रधरा दर्शनीय स्थल ग्राम जलकोटी तक मार्ग काफी खराब होकर जर्जर हो गया है एवं आवागमन बाधित हो रहा है? **(घ)** यदि हाँ, तो वर्ष 2016 में सिंहस्थ पर्व में पर्यटकों के आवागमन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये मार्ग निर्माण हेतु विभाग द्वारा शासन स्तर पर क्या पहल की जा रही है एवं उक्त मार्ग निर्माण की स्वीकृति हेतु कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई है तथा कब तक मार्ग की स्वीकृति प्रदान की जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। शेष प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। जी नहीं। **(घ)** वर्तमान में न ही स्वीकृत है और न हीं प्रस्तावित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

इन्दौर नगर निगम क्षेत्र के ग्रामों से आश्रय शुल्क की वसूली

20. (*क्र. 1160) श्री बाला बच्चन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या इंदौर नगर निगम क्षेत्र से लगे हुए ग्रामों में आश्रय शुल्क वसूल कर "डूडा" कार्यालय इंदौर में राशि जमा की गई है? यदि हाँ, तो कुल राशि तथा उस पर अर्जित ब्याज तथा किन-किन वर्षों से संबंधित राशि है? **(ख)** उक्त आश्रय शुल्क की राशि किस अधिकारी के आदेश से डूडा में जमा की गई है तथा किन नियमों के अंतर्गत जमा की गई? **(ग)** डूडा कार्यालय इंदौर में ग्रामीण पंचायत क्षेत्रों की आश्रय शुल्क की राशि किस प्रयोजन से व्यय की जावेगी?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। आश्रय शुल्क की कुल राशि रू. 57,47,07,737/- जमा की गई है। आश्रय शुल्क की सम्पूर्ण राशि एक ही बैंक खाते में जमा होने से ब्याज राशि की पृथक से गणना संभव नहीं है। **(ख)** अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के आदेश से आश्रय शुल्क की राशि म.प्र. नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन एवं शर्तें) नियम 1998 की धारा-10 में निहित प्रावधान अनुसार निवेश क्षेत्र होने से जमा की गई है। **(ग)** डूडा कार्यालय में जमा राशि का व्यय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भवन निर्माण करने हेतु वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए मार्जिन धन के रूप में करने तथा पुरानी झुग्गी बस्ती क्षेत्र में तथा ऐसे क्षेत्रों में जहां झुग्गी निवासियों को पुनः बसाया जा रहा हो, अधोसंरचना विकास के लिए बुनियादी सेवाओं जैसे मलवहन, पेयजल, सार्वजनिक शौचालयों आदि की व्यवस्था करने के लिए उपयोग में लाई जा सकेगी।

लेबड़-नयागांव फोरलेन पर बायपास का निर्माण

21. (*क्र. 873) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या लेबड़-नयागांव फोरलेन का कार्य विगत वर्षों में पूर्ण होकर इस पर यातायात प्रवाह निरंतर

बढ़ता जा रहा है? **(ख)** क्या उक्त फोरलेन पर एवं निकटस्थ ग्रामों, कस्बों एवं छोटे बड़े नगरों का यातायात भी संलग्न है? **(ग)** क्या फोरलेन के निकटतम संलग्न उल्लेखित स्थानों के यातायात आवागमन से अत्याधिक दुर्घटनाएं होकर जनहानि, धनहानि, जाम जैसी विषमताएं, कठिनाईयों के रूप में बढ़ती जा रही हैं? **(घ)** क्या फोरलेन स्थित बरगढ़ फंटे से व्हाया बरगढ़-हरियाखेड़ा-मामटखेड़ा-डाकनमगरा-मैसाना फंटा स्थित मन्दसौर रोड एवं बरगढ़ फंटे से व्हाया लुहारि-मीमन-नागदी से जावता-भूतेडा फंटा स्थित उज्जैन मार्ग बायपास हेतु विभागीय कार्ययोजना तैयार की जा रही है? यदि हाँ, तो स्पष्ट करें।

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) एवं **(ख)** जी हाँ। **(ग)** जी नहीं। **(घ)** जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>निशातपुरा (पन्नानगर) योजना में बुकिंग मूल्य पर आवास उपलब्ध कराना</u>

22. (*क्र. 979) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** निशातपुरा (पन्नानगर) की मूल योजना किस रूप से स्वीकृत की गई थी इसके तहत किस-किस श्रेणी के कितने-कितने भवन उपलब्ध कराने थे? **(ख)** म.प्र. हाउसिंग बोर्ड द्वारा वर्ष 2008-09 में एवं 2011-2012 निशातपुरा (पन्नानगर) बैरसिया रोड के जूनियर एम.आई.जी. प्रकोष्ठ का विज्ञापन जारी किया गया था? इसके कितने आवेदकों को प्रकोष्ठ आवंटित किये गये हैं इस योजना की वर्तमान में क्या स्थिति है, स्पष्ट करें? **(ग)** क्या इस योजना में अधिकांश आवेदकों द्वारा संपूर्ण राशि हाउसिंग बोर्ड की मांग अनुसार जमा करा दी गई है एवं लगभग 8 वर्षों की अवधि होने के उपरांत भी बोर्ड द्वारा अभी तक कोई भी निर्माण नहीं करवाया गया है? **(घ)** क्या शासन अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशानुसार सभी को आवास उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर जूनियर आवास उपलब्ध करवायेगा? **(ड.)** जिस प्रकार मान. उच्च न्यायालय के आदेशानुसार म.प्र.हाउसिंग बोर्ड द्वारा भोपाल स्थित रिवेयरा टाउन के आवास बुकिंग मूल्य पर आवंटित किये गये ठीक इसी प्रकार न्याय संगत कार्यवाही करते हुए पन्नानगर, देवकी नगर के बुकिंग कर्ताओं को बुकिंग मूल्य पर आवास दिये जावेंगे या नहीं?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) निशातपुरा (पन्ना नगर) में मण्डल द्वारा मूल योजना शहरी गरीबों के आवास निर्माण हेतु नगर एवं ग्राम निवेश विभाग द्वारा दिनाँक 21.09.2005 को स्वीकृत ले-आउट अनुसार प्रस्तावित की गई थी। इस योजना में 1158 ई.डब्ल्यू.एस. प्रकोष्ठ भवन निर्मित करना प्रस्तावित थे। योजना में जन सामान्य द्वारा रूचि प्रदर्शित न करने से यह योजना क्रियान्वित नहीं की जा सकी एवं अनुमोदित ले-आउट व्यपगत हो गया **(ख)** जी नहीं। प्रकोष्ठ आवंटन का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। इस योजना हेतु प्रस्तुत अभिन्यास नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के पत्र क्र. 1755 दिनाँक 22.08.2009 द्वारा मास्टर प्लान के अनुसार योजना की भूमि का उपयोग यातायात होने से निरस्त कर दिया गया। चूंकि तत्समय मास्टर प्लान परिवर्तित नहीं हुआ था तथा उक्त भूमि पर पूर्व से ही नगर एवं ग्राम निवेश विभाग द्वारा दिनाँक 21.09.2005 को आवासीय अभिन्यास स्वीकृत था। अतः मण्डल द्वारा नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 23 (क) में भू-उपयोग परिवर्तन हेतु अपील प्रस्तुत की गयी। उक्त अपील शासन द्वारा दिनाँक 23.08.2013 को स्वीकृत की जा सकी। इस कार्यवाही में चार वर्ष का समय व्यतीत होने के कारण स्वतंत्र भवनों की योजना आर्थिक दृष्टि से हितकारी नहीं होने से प्रकोष्ठ भवनों की योजना बना कर अभिन्यास नगर एवं ग्राम निवेश

विभाग में स्वीकृति हेतु दिनाँक 04.09.2013 को प्रस्तुत किया गया। उक्त अभिन्यास दिनाँक 19.01.2015 को स्वीकृत हो सका। तदोपरान्त आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर 388 प्रकोष्ठ भवनों हेतु पंजीयन आमंत्रित किये जा रहे हैं। 189 आवेदकों को अभिन्यास अनुमोदन न होने के कारण नवम्बर 2012 में उनकी जमा राशि वापस प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया। 131 आवेदकों द्वारा राशि प्राप्त कर ली गयी थी। शेष 58 आवेदकों में से 19 आवेदकों द्वारा वर्तमान योजना में भवन क्रय करने हेतु सहमति प्रदान की गयी है तथा 39 आवेदकों को मय ब्याज राशि 15 दिवस में वापस कर दी जावेगी। **(ग)** जी नहीं, अपितु कुछ आवेदकों द्वारा पंजीयन राशि के अतिरिक्त राशि जमा कराई गयी थी। आवेदकों द्वारा जमा राशि मय ब्याज वर्तमान योजना में समायोजित की गयी है अथवा वापस की जा रही है। योजना में निर्माण प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर के अनुसार प्रारम्भ नहीं हो सका। **(घ)** माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशानुसार मण्डल द्वारा इस योजना एवं भोपाल में प्रस्तावित विभिन्न अन्य योजनाओं में कमजोर आय वर्ग के 852 भवन एवं अल्प आय वर्ग के 1320 भवन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। **(ड.)** रिवेयरा टाउन के 36 आवासों में मूल्य के संबंध में याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। देवकी नगर में मण्डल द्वारा आवेदकों की जमा राशि मय ब्याज वर्तमान योजना में भवनों के मूल्य में समायोजित की जावेगी। चूंकि देवकी नगर पन्ना नगर की स्वतंत्र भवनों की योजना का अभिन्यास निरस्त हो गया था तथा योजना समाप्त की जा चुकी है। अतः बुकिंगकर्ताओं को बुकिंग मूल्य पर आवास दिये जाना संभव नहीं है।

<u>स्टाप डेम के निर्माण में अनियमितता की जाँच</u>

23. (*क्र. 171) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सतना जिले के नगर पंचायत नागौद द्वारा किले के नीचे एवं पुल के पास बनाए गए स्टाप डेम का निर्माण कितनी लागत से बनाया गया था तथा उक्त स्टाप डेम निर्माण के लिये जारी प्रशासनिक स्वीकृत की प्रति उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के स्टाप डेम के निर्माण में जितनी लागत दर्शाई गई उतनी राशि व्यय नहीं की गई। प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा शिकायत करने के बाद भी जाँच नहीं कराई गई। कब तक जाँच कराकर, वास्तविक मूल्यांकन कराकर अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली भुगतानकर्ता से की जाकर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) नगर परिषद नागौद द्वारा जिले के पास में स्टाप डेम की निर्माण लागत राशि रू. 116.14 लाख थी। प्रशासकीय स्वीकृति नहीं ली गई है। **(ख)** जी हाँ। जी नहीं। प्रकरण की जाँच कार्यपालन यंत्री, रीवा संभाग से करवाई गई। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार नगर पालिका परिषद में इस कार्य के लिये 116.14 लाख लागत की तकनीकी स्वीकृति के आधार पर निर्माण कार्य की निविदा आमंत्रित कर बिना सक्षम स्वीकृतियों के संपन्न कराये गये हैं। निर्माण कार्य में अब तक रू. 58.08 लाख का कार्य किया जाना प्रतिवेदित है। इतना कार्य करवाने के उपरांत परिषद ने निर्माण कार्य को इसी स्तर पर बंद किया जाकर अंतिम मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है। इस प्रकरण की गंभीरता की दृष्टिगत अधीक्षण यंत्री की अध्यक्षता में समिति गठित की जाकर विस्तृत जाँच के आदेश किये गये है एवं जाँच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

महाकालेश्वर मंदिर अधिनियम में संशोधन

24. (*क्र. 1014) डॉ. मोहन यादव : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या यह सही है कि जुलाई 2014 सत्र के परिवर्तित तारांकित प्रश्न क्र. 3935 दिनाँक 17.07.2014 के उत्तर में माननीय मंत्री जी द्वारा महाकालेश्वर मंदिर अधिनियम में संशोधन किए जाने एवं मंदिर प्रबंध समिति में सांसद एवं विधायक को सम्मिलित किये जाने के संबंध कार्यवाही किया जाना बताया था? क्या यह भी सही है कि इस संबंध में शासन द्वारा कलेक्टर उज्जैन को पत्र क्र. 8682 दिनाँक 21.08.2014 के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में निर्देशित किया था? **(ख)** क्या यह भी सही है कि बजट सत्र 2015 के दौरान प्रश्नकर्ता को उक्त संबंध में विधानसभा में आश्वासन दिया गया था एवं प्रश्नकर्ता द्वारा बजट सत्र 2015 अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1249 दिनाँक 16 मार्च, 2015 के माध्यम से भी उक्त जानकारी चाही गई थी जिसमें जानकारी एकत्रित की जाना बताया गया था? **(ग)** यदि प्रश्नांश **(क)** व **(ख)** का जवाब हाँ है तो उक्त संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हुए महाकालेश्वर मंदिर अधिनियम में संशोधन नहीं किए जाने के क्या कारण रहे हैं? जानकारी प्रस्तुत करें?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी हाँ। संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 5682 दिनाँक 21/8/14 द्वारा निर्देशित किया गया था। **(ख)** जी हाँ। **(ग)** कार्यवाही विचाराधीन है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

भितरवार विधानसभा क्षेत्र में जर्जर रोडों का निर्माण

25. (*क्र. 488) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय का पत्र क्रं. 698/315/2015/19 दिनाँक 28/01/2015 जो श्री एस.के. कुलकर्णी उप-सचिव म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग भोपाल के हस्ताक्षर से प्रश्नकर्ता विधायक के नाम से भितरवार विधानसभा क्षेत्र में जर्जर मार्गों के संबंध में पत्र लिखा गया था? **(ख)** प्रश्न के अनुसार पत्र में उल्लेखित बिन्दु क्रं. 1 से 11 तक दिनाँक 28 जनवरी, 2015 से प्रश्न दिनाँक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? **(ग)** कब तक प्रश्नांश **(क)** मार्गों का निर्माण करा लिया जावेगा रोडों का नाम तथा निर्माण की समय-सीमा भी स्पष्ट करें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार** है। वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

मार्ग एवं उच्चस्तरीय पुल निर्माण

1. (क्र. 5) श्रीमती सरस्वती सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिंगरौली जिले में वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनाँक तक कितने उच्च स्तरीय पुल निर्माण कराये गये हैं? विवरण दें। **(ख)** क्या विधानसभा क्षेत्र चितरंगी अंतर्गत प्रश्नकर्ता द्वारा ग्राम दिपवा और बहेरी के मध्य भुतहवा नाला और उ.प्र. सीमा के मध्य भुलुहवा नाला तथा कपूरदई और अमलिहवा के मध्य गोतान नाला में उच्च स्तरीय पुल निर्माण कराये जाने का लेख किया गया था? यदि हाँ, तो विवरण दें। **(ग)** क्या मुख्य मार्ग से वंचित ग्राम लोहदा से लेकर खैरहनी तक और लोहदा से लेकर नौडिहवा तक मार्ग निर्माण कराये जायेंगे? यदि हाँ, तो विवरण दें।

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) इस विभाग में कोई पत्र प्राप्त नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** वर्तमान में इनका निर्माण किसी भी योजना में प्रस्तावित नहीं है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "पांच"

आश्रय शुल्क की राशि का व्यय

2. (क्र. 18) श्री विश्वास सारंग : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 में नगर निगम भोपाल में किस-किस ने कितना-कितना आश्रय शुल्क जमा किया है? वर्षवार, एजेंसीवार व जमा शुल्कवार जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** से प्राप्त शुल्क को भोपाल नगर निगम ने प्रश्न दिनाँक तक किस-किस मद में व्यय किया है? वर्षवार, मदवार, व्यय राशिवार जानकरी दें? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** व **(ख)** के तहत क्या आश्रय शुल्क की राशि नियम विरूद्ध किसी और मद में खर्च की गई है? यदि हाँ, तो क्यों? कारण दें। नियम बतायें। कितनी-कितनी राशि कहाँ-कहाँ व्यय की गई है?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं। राशि नियमानुसार व्यय की गई है। नियम की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार** है, व्यय की राशि **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है।

पेट्रोल पंपों के नजदीक हाईराइज बिल्डिंगों की अनुमति

3. (क्र. 19) श्री विश्वास सारंग : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या भोपाल के अयोध्या नगर बायपास पर स्थित भारत पेट्रोलियम और कोलार रोड स्थित एच.पी. ऑटो सेंटर पेट्रोल पंप से सटकर हाईराइज बिल्डिंग, स्कूल व कॉलेज बनाने की अनुमति भोपाल नगर निगम द्वारा दी गई है? यदि हाँ, तो क्यों? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के तहत उक्त पेट्रोल पंप किस वर्ष से संचालित हो रहे हैं और हाईराइज बिल्डिंग, स्कूल व कॉलेज बनाने की अनुमति किस दिनाँक को दी गई है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के तहत ये अनुमति किस पदनाम/नाम के अधिकारी ने दी है? क्या उनके

खिलाफ कोई कार्रवाई की जायेगी? **(घ)** प्रश्नांश **(क)**, **(ख)** व **(ग)** के तहत और कितने पेट्रोल पंप हैं जिनके नजदीक इस प्रकार के निर्माण की अनुमति दी गई है? क्या उक्त सभी अनुमतियां निरस्त की जायेंगी?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। अयोध्या नगर बायपास पर स्थित भारत पेट्रोलियम पंप के समीप हाईराईज बिल्डिंग की अनुमति नगर निगम द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की विकास अनुमति, भूमि विकास नियम 2012 एवं भोपाल विकास योजना 2005 के नियमों/प्रवधानों अंतर्गत जारी की गई है तथा कोलार रोड स्थित एच.पी. ऑटो सेंटर पेट्रोल पंप के समीप मानसरोवर स्कूल बिल्डिंग की अनुमति ग्राम पंचायत अकबरपुर द्वारा प्रदत्त की गई है। **(ख)** अयोध्या नगर बायपास पर स्थित भारत पेट्रोलियम और कोलार रोड स्थित एच.पी.सेंटर. पेट्रोल पंप क्रमशः वर्ष अगस्त 2007 एवं वर्ष जनवरी 2002 से संचालित हो रहे है। अयोध्या नगर बायपास स्थित हाईराईज बिल्डिंग की अनुमति स्वप्निल रियल स्टेट प्राइवेट लि. के नाम से अनुमति क्रं. 091 दिनाँक 03.05.2013 को जारी की गई है एवं कोलार रोड एच.पी.पेट्रोल पंप के समीप स्थित मानसरोवर स्कूल की एम.एस.तिवारी व अन्य के नाम से अनुमति क्रं. 21 दिनाँक 14.12.1999 को जारी की गई थी। **(ग)** अयोध्या नगर बायपास स्थित हाईराईज बिल्डिंग की अनुमति अपर आयुक्त, नगर निगम, भोपाल द्वारा प्रदत्त की गई है तथा कोलार रोड स्थित एच.पी.ऑटो सेंटर पेट्रोल पंप के समीप हाईराईज बिल्डिंग की अनुमति सरपंच, ग्राम पंचायत अकबरपुर द्वारा प्रदत्त की गई है। निर्माण अनुमति नियमानुसार दी गई है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** कुल 6 पेट्रोल पंप है जिनके समीप इस प्रकार के निर्माण की अनुमति दी गई है। जी नहीं। समस्त अनुमतियां वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत जारी की गई है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>लघु उद्योग इकाईयों का कोयला आवंटन</u>

4. (क्र. 34) कुंवर सौरभ सिंह : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** दिनाँक 11.12.2014 में मुद्रित परि.अतां. प्रश्न क्रमांक 404 दिनाँक 11.12.2014 के प्रश्नांश **(ख)** के उत्तर में दिया गया है कि लघु उद्योग इकाईयों को जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित, मात्रा इकाईयों की मांग तथा उपलब्धता के आधार पर आवंटन किया जाता है। कोयला प्राप्तकर्ता इकाईयों से समय-समय पर सुझाव प्राप्त होते हैं तथा कुछ कंपनियों द्वारा विलंब से बिल भेजे गये हैं। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** का उत्तर यदि हाँ, तो जिला स्तरीय समिति कटनी द्वारा कटनी जिले की किन-किन इकाईयों को वर्ष 2012 से प्रश्न दिनाँक तक कब-कब अनुशंसा की गई? **(ग)** कोयला आवंटन के संबंध में कोल हैंडलिंग एजेन्ट के विरूद्ध वर्ष 2013 से प्रश्न दिनाँक तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? **(घ)** लघु उद्योग निगम द्वारा इस विवादित कोल हैण्डलिंग एजेन्ट प्रणाली को समाप्त करते हुये, सीधे इकाईयों को कोयला क्यों आवंटित नहीं किया जाता है? इसके क्या कारण हैं? बतायें। **(ड.)** कंपनी द्वारा इकाईयों को विलंब से बिल भेजने से शासन को कितनी राशि की क्षति हुई? उसका आंकलन कर संबंधित से वसूली की कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी हाँ, प्रश्नांश **ख, ग** एवं **ड़** के उत्तर में उल्लेख है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है**। **(ग)** कोयला अवंटन के सम्बंध में कोल हैण्डलिंग एजेन्ट के विरूद्ध वर्ष 2013 से प्रश्न दिनाँक तक 26 शिकायतें प्राप्त हुई। **(घ)** लघु

उद्योग निगम द्वारा कोल हैण्डलिंग एजेन्ट प्रणाली को समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि निगम को डब्ल्यू.सी.एल. की लगभग 20 तथा एस.ई.सी.एल. की लगभग 10 खदानों से प्रतिमाह कोयला इकाईयों को खदान पर ही कोयला दिया जाता है। प्रत्येक कोलरी पर 1 कुशल कर्मचारी की कोयला उठाने हेतु निरंतर आवश्यकता होती है। खदानें दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित है। जिसके लिए कर्मचारियों को आवागमन हेतु स्वंय के साधन की आवश्यकता होती है। जबकि निगम के पास अमला एवं संसाधन सीमित है। इस कारण शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ड.)** कम्पनी द्वारा इकाईयों को बिल नहीं भेजे जाते है बल्कि कम्पनी द्वारा बिल निगम को भेजे जाते है। बिल विलम्ब से भेजने से शासन को कोई वित्तीय क्षति नहीं हुई। इस कारण शेष प्रश्न उपस्थिति नहीं होता है।

कटनी दमोह मार्ग निर्माण

5. (क्र. 35) कुंवर सौरभ सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कटनी जिले के कटनी से दमोह मार्ग जो एम.पी.आर.डी.सी. के द्वारा बनाया जा रहा है, उसकी क्या लागत है तथा किन प्रावधानों के तहत बनाई जा रही है? प्रावधान की प्रति दें एवं प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक/1125/दिनाँक 15.06.2015 से संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड सागर द्वारा चाही गई बिंदुवार जानकारी प्रदाय करें? **(ख)** क्या यह सही है कि डी.पी.आर. रोड को छोड़कर नयी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है? सिर्फ अतिक्रमण होने से शासन को रीठी से रोड घुमाकर ले जाने में कितना अतिरिक्त खर्च आ रहा है? क्या रोड पर हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जावेगी? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** की रोड निर्माण पूर्ण किये जाने हेतु ठेकेदार को क्या समय-सीमा निर्धारित की गई थी? समय-सीमा में कार्य पूर्ण न कराने पर ठेकेदार के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की जावेगी तथा मार्ग का निर्माण कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? **(घ)** उक्त रोड निर्माण के लिये लाल मिट्टी और चीप पत्थर, गिट्टी का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? प्रावधान किस गिट्टी का है? उक्त रोड निर्माण में हो रही अनियमितताओं की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई, शिकायतवार विवरण दें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) लागत रू. 272.07 करोड़। मार्ग निर्माण भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा अनुमोदित डाक्यूमेंट आधारित पीपीपी पर (टोल+एन्यूटी) योजना में निहित प्रावधानो अन्तर्गत कराया जा रहा है। प्रावधानों की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है**। माननीय विधायक जी द्वारा चाही गई **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार** संभागीय प्रबंधक कार्यालय के पत्र क्रमांक 1077 दिनाँक 10/7/2015 के माध्यम से प्रेषित की गई है। **(ख)** जी नहीं। बी.ओ.टी. (टोल+एन्यूटी) योजना में डी.पी.आर. नहीं बनाया जाता है, अतः डी.पी.आर.रोड छोड़कर नई भूमि के अधिग्रहण का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। सिर्फ अतिक्रमण होने के कारण रीठी में सड़क को नहीं घुमाया गया है बल्कि नये एकरेखण पर बायपास मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। अतः अतिरिक्त व्यय का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। रोड से आवश्यकतानुसार अतिक्रमण हटाकर मार्ग निर्माण कार्य प्रगति पर है। **(ग)** निवेशकर्ता कंपनी के साथ 15 वर्ष का अनुबंध किया गया है जिसमें 2 वर्ष निर्माण अवधि शामिल है। समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं होने पर कंसेशन अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। मार्ग निर्माण का कार्य अनुबंधित अवधि में पूर्ण होने की संभावना है। **(घ)** मार्ग निर्माण के लिए लाल मिट्टी एवं गिट्टी भारतीय सड़क कांग्रेस के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पाई जाने पर उपयोग की जा रही है। भारतीय सड़क

कांग्रेस एवं भारत सरकार के भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सड़क एवं पुल कार्यों के स्पेसीफिकेशन के पंचम संस्करण के अनुसार सामग्री के उपयोग का प्रावधान है। मार्ग निर्माण में अनियमितता की 8 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायत एवं उन पर की गई कार्यवाही का शिकायतवार विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है।**

भोपाल बैरसिया मार्ग का निर्माण

6. (क्र. 75) श्री विष्णु खत्री : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भोपाल-बैरसिया मार्ग के कितने भाग का ट्रॉन्स्ट्राय लिमिटेड द्वारा 30.06.2015 तक निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है? अनुबंध अनुसार कितना कार्य किया जाना था एवं अनुबंधानुसार कंपनी को समय-समय पर शासन द्वारा अनुदान/मोबेलाईजेशन दिया गया है? **(ख)** उपरोक्त मार्ग पर कुल कितने पुल पुलियों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था एवं कितनी पुल / पुलयिा बनकर तैयार हो चुकी हैं, उनके नाम एवं स्थान बतायें और कितनी बनायी जाना शेष हैं एवं कहाँ पर? विभाग द्वारा समय-समय पर इस मार्ग निर्माण कार्य संबंधी किये गये भौतिक सत्यापन की जानकारी प्रति उपलब्ध करायें। **(ग)** क्या ट्रॉन्स्ट्राय लिमिटेड कंपनी अनुबंधानुसार समय पर कार्य कर रही है? यदि नहीं, तो विलंब का क्या कारण है? क्या शासन कंपनी की कार्यप्रणाली से संतुष्ट है, यदि नहीं, तो शासन किसी अन्य कंपनी/निर्माण संस्था से इस मार्ग को पूर्ण करायेगा? **(घ)** भोपाल-बैरसिया मार्ग शीघ्र बने इस हेतु शासन ने क्या कार्य योजना बनाई है यह मार्ग कब तक बनकर तैयार होगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) 5.75 कि.मी. लंबाई में डी.बी.एम. स्तर तक का कार्य किया गया है। अनुबंधानुसार 80 कि.मी. लंबाई में डामरीकरण का कार्य किया जाना था। कंपनी को शासन द्वारा कोई भी अनुदान/मोबेलाईजेशन नहीं दिया गया है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन सुपरविजन कंसल्टेंट द्वारा किया जाता है। **(ग)** जी नहीं। ट्रांसट्राय कंपनी द्वारा विलंब का कारण वित्तीय स्थिति ठीक न होना बताया गया है। जी नहीं। वर्तमान में जी नहीं। **(घ)** कंपनी का वित्तीय संकट कम हुआ है। कार्य की प्रगति की सतत् समीक्षा की जा रही है।

बाबूपुर से गोरइया रोड का गुणवत्ताविहीन कार्य

7. (क्र. 87) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सतना जिले में बाबूपुर से गोरइया रोड, व्हाया रामस्थान एवं रामस्थान मोड से कृपालपुर की रोड कब बनाई गई थी? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** की सड़कों की रिपेयरिंग कब-कब की गई थी, तथा उन सड़कों पर कितनी राशि व्यय की गई है? **(ग)** उक्त सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गई हैं, तथा भारी वाहनों की वजह से उक्त प्रदूषण से यहां के रहवासियों का जीन दूभर हो गया है? इन गुणवत्ता विहीन सड़कों की जाँच कब तक करा ली जावेगी? **(घ)** उक्त सड़कों के गुणवत्ता विहीन कार्य के लिये दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी व कब तक?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) क्रमश: दिनाँक 31.03.2009 एवं 31.03.2008 को। **(ख)** विवरण **परिशिष्ट अनुसार है। (ग)** जी नहीं, जिला मजिस्ट्रेट सतना द्वारा पारित आदेश दिनाँक 08.08.2013 द्वारा रीवा की ओर से सतना शहर में भारी वाहनों के प्रवेश प्रतिबंधित किये जाने के कारण रीवा की ओर से आने वाले सभी भारी वाहनों को कृपालपुर-रामस्थान-बाबूपुर होकर सतना

आवागमन एवं मार्गों पर क्षमता से अधिक भार के वाहनों के चलने के कारण डामरीकृत सतह क्षतिग्रस्त हो गई है। मार्गों के निर्माण के समय गुणवत्ता की जाँच की गई है अतः जाँच कराने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** सड़कों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण किया गया था अतः अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "छः"

सतना-सेमरिया मार्ग का निर्माण

8. (क्र. 88) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सतना जिले में वर्ष 2005 से अब तक सतना-सेमरिया (वाया कोटर) मार्ग कब-कब बनाई गई, किन-किन ठेकेदारों द्वारा कार्य किया गया है, तथा शासन द्वारा कब-कब कितना-कितना व्यय किया गया है? **(ख)** क्या एक वर्ष के भीतर सतना-सेमरिया मार्ग में सड़क चौड़ीकरण एवं डामरीकरण का कार्य कराया गया है, यदि हाँ, तो कितना व्यय आया है? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** यदि सही है तो पूरी तरह से उखड़ चुकी उस सड़क की गुणवत्ता की जाँच करायी जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? **(घ)** सतना-सेमरिया मार्ग का गुणवत्ताविहीन कार्य करने वाले ठेकेदारों से राशि की वसूली एवं ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जावेगी, तथा दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कब तक कर ली जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) सड़क अच्छी स्थिति में है उखड़ी नहीं है। निर्माण के समय गुणवत्ता की जाँच की गई है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रश्नाधीन मार्ग का निर्माण गुणवत्तापूर्ण किया गया है अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "सात"

उज्जैन सिंहस्थ के लिए राशि आवंटन

9. (क्र. 102) श्री सचिन यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन सिंहस्थ महाकुंभ मेले में वर्ष 2004 में कितना बजट किस-किस स्थान पर किस-किस कार्य के लिए दिया गया था कार्यवार कुल राशि विभागवार बतायें? **(ख)** उज्जैन सिंहस्थ महाकुंभ मेले के लिए वर्ष 2015-16 में कुल कितना बजट किस-किस स्थान पर किस-किस कार्य के लिए दिया गया है कार्यवार राशि की कुल संख्या विभागवार बतायें? **(ग)** क्या उज्जैन सिंहस्थ महाकुंभ मेले के लिए केन्द्र सरकार से भी राशि आवंटित की गई है हां, तो कितनी-कितनी और कब-कब? **(घ)** उक्त समयावधि में किये गये निर्माण व अन्य कार्यों के संबंध में क्या कोई शिकायतें प्राप्त हुई है हां, तो की गई जाँच और उस पर क्या कार्यवाही हुई?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट "अ" अनुसार है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। **(ग)** उज्जैन सिंहस्थ महाकुंभ के लिये वर्ष 2015-16 में केन्द्र सरकार से रू. 100.00 करोड़ की राशि आवंटित की गयी है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट "स" अनुसार** है।

निर्माण कार्य की राशि आवंटित

10. (क्र. 103) श्री सचिन यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनाँक 24 फरवरी,2015 के तारांकित प्रश्न संख्या-16 (क्रमांक 383) के परिशिष्ट में दी गई जानकारी में उक्त प्रकरण वित्तीय व्यय समिति की बैठक में प्रस्तावित एवं अनुमोदित होने के उपरांत आज प्रश्न दिनाँक तक सरवर देवला मार्ग की कार्यवाही की वस्तुस्थिति क्या है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में दर्शित जनहित के उक्त प्रकरण की प्रथम कार्यवाही से आज दिनाँक तक कितना समय व्यतीत हुआ और कहाँ-कहाँ विभागीय त्रुटियां हुई इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार है उनके पद नाम सहित जानकारी दें? **(ग)** क्या प्रश्नांश **(ख)** में दर्शित प्रकरण के समान ऐसे कितने प्रकरणों में कार्यवाही पूर्ण कर सड़क मार्गों के कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है उनके नाम सहित जानकारी दें? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** में दर्शित सड़क मार्ग के निर्माण कार्य को कब तक कराया जायेगा हां, तो समय सीमा दे नहीं तो इस जनहित विकास कार्य में हो रहे विलंब की वस्तुस्थिति से अवगत करायें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) उक्त प्रश्न मे उल्लेखित पूर्व प्रश्न क्रमांक 383 के उत्तर में विभाग द्वारा सरवर देवला मार्ग वित्तीय व्यय समिति में प्रस्तावित दर्शाया गया था अनुमोदित नहीं। वर्तमान में किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं और न ही बजट में शामिल है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्न में विशिष्ट टिप्पणी नहीं दर्शायी जाने के कारण जानकारी दी जाना संभव नहीं है। **(घ)** स्वीकृति अपेक्षित वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

ग्राम गंगवाड़ा-अमलाथा के मध्य ब्रिज का निर्माण

11. (क्र. 124) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या बड़वाहा विधानसभा क्षैत्र के ग्राम गंगवाडा से अमलाथा के मध्य आडी नदी पर ब्रिज निर्माण की स्वीकृति हेतु लगभग 20 ग्रामों की जनता को आवागमन एवं विशेषकर स्कूली बच्चो के आवागमन में सुगमता हेतु पहाडी नदी (आडी नदी) पर ब्रिज निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा लगातार दो वर्षों से स्वीकृति की मांग की जा रही है? यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता द्वारा कब-कब प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के अनुसार प्रस्ताव पर विभाग द्वारा वर्तमान तक क्या कार्यवाही की गई है? उक्त ब्रिज निर्माण में कनिष्ठ विभाग द्वारा कितनी राशि का प्राक्कलन स्वीकृति हेतु कब प्रेषित किया गया है तथा वरिष्ठ विभाग द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर वर्तमान तक क्या कार्यवाही की गई है? **(ग)** क्या आगामी वित्त वर्ष 2015-2016 के प्राप्त बजट में उक्त प्रस्ताव को शामिल किया जावेगा यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो उक्त राशि कब तक प्राप्त होकर कार्य प्रारम्भ किया जावेगा? समय सीमा बताई जावे?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। म.प्र. शासन के ज्ञाप दिनाँक 09.05.2013 एवं याचिका क्रमांक 4894 शासन के ज्ञाप दिनाँक 06.05.2015 के माध्यम से। **(ख)** विभाग द्वारा विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया गया। रूपये 219.58 लाख दिनाँक 11.02.2015 द्वारा प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग को एवं दिनाँक 18.06.2015 को स्थायी वित्तीय समिति से अनुमोदित किया गया है। **(ग)** प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। वर्तमान में निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

पुलिया का निर्माण

12. (क्र. 138) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या बुदन गांव से नेवरीफाटा मार्ग के बीच पुलिया की आवश्यकता है यदि है तो पुलिया कब तक बनायी जावेगी? **(ख)** उक्त मार्ग पर पुलिया है यदि है तो कैसी स्थिति में है? यदि जर्जर स्थिति में है तो कब तक उन मार्गों के पुलिया का निर्माण कराया जावेगा? **(ग)** विभाग द्वारा उक्त पुलिया के संबंध में क्या कार्यवाही चल रही है?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी नहीं, अपितु उच्चस्तरीय पुल की आवश्यकता है। स्वीकृति के अभाव में निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं। **(ख)** जी हाँ, बुदन गांव से नेवरीफाटा के मध्य लोधरी नदी पर निम्न स्तरीय वेन्टेड काजवे निर्मित है, जो ठीक है। शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जलमग्नीय वेन्टेड काजवे के स्थान पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण का प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2015-16 के प्रथम अनुपूरक बजट में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रक्रियाधीन है।

फैक्ट्री से हो रहे प्रदूषण पर रोक थाम

13. (क्र. 172) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सतना जिला विकासखण्ड उचेहरा में मेसर्स लक्ष्मीलाल एण्ड संस बॉक्साइड फैक्ट्री एवं इण्डोवाटर कार्बन डाई आक्साइड एवं प्लास्टिक प्लांट के गेरू रामराज की ग्राइडिंग (पिसाई) करने से पूरे गाँव का पानी लाल हो गया है एवं घरों में सांस लेना मुश्किल हो गया है जिससे प्राणघातक बीमारी फैल रही है कई लोगों की मृत्यु तक हो गई है? उक्त फैक्ट्री से तंग आकर ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर सतना एवं S.D.M. उचेहरा को शिकायती पत्र भेजा? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** की फर्म को प्रदूषण विभाग द्वारा कब अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है? उसे कब निरस्त कर फैक्ट्री बंद की जावेगी और अब तक अनापत्ति प्रमाण पत्र क्यों निरस्त नहीं किया गया, कब तक किया जावेगा? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** की शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई शिकायतवार कार्यवाहीवार विवरण दें? **(घ)** क्या शासन उच्च स्तरीय समिति भेजकर गाँव की प्रदूषण से स्थिति का मूल्यांकन कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) इण्डोवाटर कार्बन डाई ऑक्साइड एवं प्लास्टिक प्लांट के नाम से गेरू रामराज की ग्राइडिंग की कोई इकाई उत्पादनरत नहीं है तथापि लक्ष्मीलाल एडं संस बाक्साईट फैक्ट्री गेरू रामराज की ग्राइडिंग की वायु प्रदूषणकारी प्रकृति की इकाई कार्यरत है, जिसमें वायु प्रदूषणरोधी प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित कराई गई है गाँवों में लाल पानी होने व वातावरणीय वायु में मानकों से अधिक प्रदूषण की स्थिति नहीं है। प्राणघातक बीमारी फैलने एवं मृत्यु होने की पुष्टि नहीं होती है। ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर,सतना को शिकायती पत्र भेजा गया है। **(ख)** मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनाँक 20/10-03 को जल एवं वायु अधिनियमों के अंतर्गत सम्मति दी गई है। उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में सम्मति निरस्त करने एवं उद्योग बंद करने जैसी स्थिति नहीं है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग) जानकारी परिशिष्ट-''अ'' अनुसार** है। **(घ)** उत्तरांश ''क'',''ख'' एवं ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में उच्चस्तरीय समिति से जाँच कराने जैसी स्थिति नहीं है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "आठ"

उद्योग की स्थापना हेत कार्यवाही

14. (क्र. 244) श्री मेव राजकुमार : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या महेश्वर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मातमुर में हिन्दुस्तान एग्रो मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव इंट्रीग्रेटेड री ऐडीयसन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स कंपनी द्वारा उद्योग लगाने हेतु कब आवेदन प्रस्तुत किया एवं इसका विस्तृत प्रोजेक्ट क्या है? **(ख)** प्रश्न **(क)** के संदर्भ में उद्योग लगाने हेतु भूमि आवंटन हेतु विभाग को कब आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं विभाग द्वारा भूमि उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** क्या विभाग द्वारा भूमि का चिन्हांकन, सीमांकन एवं भूमि की आवश्यकता तथा उसके हस्तांतरण के संबंध में क्या कार्यवाही की गई एवं किस स्तर पर विचाराधीन है? **(घ)** क्या हिन्दुस्तान एग्रो मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव इंट्रीग्रेटेड री ऐडीयसन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स कंपनी द्वारा विगत एक वर्ष से भूमि उपलब्ध कराने तथा शासन से एल.ओ.आई. जारी कराने की कार्यवाही लंबित है? यदि हाँ, तो कब तक यह कार्यवाही पूर्ण कर कार्य प्रारंभ किये जाने की अनुमति विभाग द्वारा प्रदान की जावेगी?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) आवेदन पत्र दिनाँक 28.11.2012 को कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया जो इस विभाग को दिनाँक 09.04.2013 को प्राप्त हुआ। कंपनी का विस्तृत प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड इरीडिएशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। **(ख)** से **(घ)** कंपनी द्वारा भू-आवंटन हेतु आवेदन कार्यालय को दिनाँक 09.04.2013 को प्रस्तुत किया गया। आवेदन पत्र अपूर्ण होने के कारण जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र खरगोन द्वारा आवेदन पत्र पूर्ण करने हेतु इकाई को पत्र दिनाँक 22.11.2014, 16.02.2015, 22.05.2015 एवं 04.07.2015 से अवगत कराया गया। पूर्ण जानकारी अप्राप्त है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

लेबड़ नयागांव फोरलेन में अनियमितता

15. (क्र. 259) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 1 जनवरी 2010 के पश्चात अनुबंध अनुसार लेबड़ नयागाँव फोरलेन निर्माण कंपनी द्वारा जिन स्थल पर रिपेरिंग, डामकरीकरण, जेबरा कलर पेड़ पौधे, शहरी क्षेत्रों में साईड रोड पाईप आदि को ठीक किया गया तथा इस पर कुल कितना खर्च हुआ वर्षवार जानकारी देवे? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में रिपेरिंग हेतु खर्च सामग्री का विवरण बताये। **(ग)** प्रश्न दिनाँक तक की स्थिति में क्या अनुबंध अनुसार जिन 73 स्थलों पर विद्युत व्यवस्था पूर्ण की जानी थी क्या वहां प्रकाश व्यवस्था पूर्ण कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) लेबड़-नयागांव फोरलेन मार्ग का निर्माण बी.ओ.टी. योजना में निजी निवेश कम्पनी द्वारा किया गया है, जिसकी कन्सेशन अवधि 25 वर्ष है। सम्पूर्ण कन्सेशन अवधि के दौरान रखरखाव का दायित्व निवेशकर्ता कम्पनी का है, जिस पर शासन अथवा निगम द्वारा कोई व्यय नहीं किया जाता है। निवेशकर्ता कम्पनियों को मार्ग के रख-रखाव पर हुए कुल खर्च के संबंध में जावरा-नयागांव मार्ग निर्माण कम्पनी मेसर्स जावरा-नयागांव टोलवेज कम्पनी प्रा.लि. इन्दौर से प्राप्त व्यय का विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**। **(ख)** रिपेरिंग हेतु आवश्यक सामग्री का दायित्व निवेशकर्ता कम्पनी का है। **(ग)** प्रश्न दिनाँक तक कुल 73 स्थलों में से 16 स्थलों पर विद्युत संयोजन पूर्ण किया जा चुका है, शेष पूर्ण करने हेतु निवेशकर्ता को नोटिस दिये गये है।

परिशिष्ट - "नौ"

औद्योगिक प्लाट पर वेयर हाऊस एवं अन्य गैर औद्योगिक गतिविधियां

16. (क्र. 260) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** उज्जैन संभाग में औद्योगिक क्षेत्रों में कितने वेयर हाऊस संचालित किए जा रहे हैं। क्या औद्योगिक विभाग द्वारा औद्योगिक भूमि पर वेयर हाउस चलाने की स्वीकृति दी जा सकती है? यदि हाँ, तो उक्त संभाग में किन-किन फर्म को किस नियम के तहत इसकी इजाजत दी गई है यदि नहीं, तो लगातार औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ते वेयर हाउस के क्या कारण हैं? **(ख)** क्या औद्योगिक अधिकारियों की साठगांठ से उज्जैन संभाग में औद्योगिक प्लाट पर वेयर हाउस का संचालन किया जा रहा है, यदि नहीं, तो विगत एक वर्ष में कब-कब अधिकारियों द्वारा जाँच की गई और क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** उज्जैन संभाग में औद्योगक विभाग द्वारा कितने उद्योगों हेतु प्लाट आंवटित किए गए थे तथा निश्चित प्रायोजन के अलावा कौन-कौन से उद्योग कोई अन्य प्रायोजन हेतु कार्य कर रहे है? ऐसे उद्योगो की संख्या उपलब्ध कराए?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) उज्जैन संभाग में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों के अंतर्गत 6 एवं ए.के.व्ही.एन के अंतर्गत 2 वेयर हाउस संचालित हैं। जी, हाँ। पूर्व में वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के ज्ञाप क्रमांक 15-60/11/डी/90, दिनाँक 21.05.2002 के तहत वेयर हाउस की अनुमति दी गई है। **(ख)** जी नहीं। क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण किया जाता है। **(ग)** उज्जैन संभाग में औद्योगिक क्षेत्र में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों अंतर्गत 2062 एवं ए.के.व्ही.एन अंतर्गत 271 इकाईयों को भूखण्ड आवंटन किया गया है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा आवंटित भूखण्ड में से 18 इकाईयों द्वारा अन्य गतिविधियां संचालित की जा रही है।

भवन निर्माण की अनुमति

17. (क्र. 360) श्री निशंक कुमार जैन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला विदिशा के अंतर्गत नगर पालिका परिषद गंजबासौदा के अंतर्गत कितने वार्ड है? इन वार्डों के प्लाट मालकों द्वारा प्लाट का डायवर्सन कराया गया है एवं परिषद को टैक्स भी दे रहे तो इन प्लाट मालिकों को भवन निर्माण की अनुमति की पात्रता आती है या नहीं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** का उत्तर यदि हाँ, है तो किन-किन वार्डों के प्लाट मालिकों द्वारा भवन निर्माण की अनुमति चाही गई है? अभी तक अनुमति न देने का क्या कारण रहा है? कब तक जारी की जावेगी? नहीं तो क्यों? **(ग)** क्या शासन द्वारा अवैध कालोनी में भवन निर्माण अनुमति के संबंध में नवीन निर्देश जारी किये गये है? यदि हाँ, तो आदेशों की प्रति उपलब्ध करावें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) 24 वार्ड। अवैध कॉलोनी में पात्रता नहीं है। **(ख)** अवैध कॉलोनियों के भूखण्ड धारियों द्वारा भवन अनुज्ञा चाही गई है। पात्रता नहीं होने से अनुमति प्रदाय नहीं की गई है। **(ग)** जी हाँ। जारी निर्देश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

मुरैना नगर पालिका में वर्ष 2011 में हुई वित्तीय अनियमितताओं की जाँच

18. (क्र. 398) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या चंबल आयुक्त कार्यालय मुरैना द्वारा दि. 14.1.2015 को पत्र क्रमांक/विकास/23-4/51ए/2011/259 एवं पत्र क्रं/विकास/23-4/51सी./2011/257 दि. 14.2.15 तथा पत्र क्र./विकास/23-4/ 2011/263 दि. 14.1.15 मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर परिषद मुरैना को अनुशासन कार्यवाही

हेतु भेजा है? **(ख)** क्या कार्यालय कलेक्टर मुरैना द्वारा दि. 02.06.2011 को पत्र क्रं/डूडा/शिकायत2011/407 पर टेण्डर प्रक्रियाओं में हुई अनियमितता, गबन, अधिकारिक क्षमताओं से अधिक कार्यों की स्वीकृति पर वर्ष 2011 में गठित समिति से जाँच कराई गई थी? यदि हाँ, तो जाँच कमेटी का प्रतिवेदन क्या था? **(ग)** क्या उक्त जाँच प्रतिवेदन में अधिकारियों के खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज कराने के निर्देश देकर तीन दिवस में कार्यवाही की जानकारी मांगी गई थी? यदि हाँ, उस पर कार्यवाही क्यों नहीं कराई गई? **(घ)** क्या तत्कालीन जिलाधीश द्वारा कराई गई जाँच को उसी स्तर के अधिकारी (जिलाधीश) द्वारा जाँच कर अमान्य किया गया था, जो पूर्ण रूप से न्याय संगत नहीं थी? क्या शासन दुबारा हुई जाँच रिपोर्ट को अमान्य कर पूर्व की जाँच पर कार्यवाही कर वित्तीय अनियमितता करने वाले अधिकारियों पर अंकुश लगायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। जाँच कमेटी का प्रतिवेदन **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' पर है। (ग)** एवं **(घ)** सच यह है कि जाँच प्रतिवेदन में उत्तरदायी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कलेक्टर, मुरैना के पत्र क्रमांक डूडा/शि/2011/407 दिनाँक 20-06-2011 द्वारा थाना सिटी कोतवाली, मुरैना में एफ.आई.आर. दर्ज कराकर एक प्रति भिजवाने के निर्देश मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद, मुरैना को दिये गये थे। कलेक्टर, मुरैना के निर्देश दिनाँक 02-06-2011 से असंतुष्ट होकर श्री शिवचरण डण्डोतिया एवं अन्य द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 6710/2012 विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य माननीय उच्च न्यायालय, ग्वालियर में दायर की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनाँक 18-09-2012 को आदेश पारित कर कलेक्टर जिला मुरैना को पुनः परीक्षण कर विधि अनुकूल आदेश पारित करने के लिए निर्देश दिए गए थे, इस निर्देश के अनुपालन में कलेक्टर, मुरैना न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 05/2012-13/वी-121 में दिनाँक 31-10-2013 द्वारा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं प्रेसीडेन्ट-इन-कॉउसिल, मुरैना के संकल्प क्रमांक 200 दिनाँक 18-06-2012 द्वारा विचारोपरांत विभागीय जाँच में उक्त शुल्क की कम वसूली में आवेदकगण को दोषी नहीं पाये जाने पर उन्हें बहाल किये जाने का निर्णय लिया गया है और दिनाँक 14-02-2013 को संस्थित विभागीय जाँच समाप्त कर बहाल किया जा चुका है, का उल्लेख करते हुये कलेक्टर, मुरैना द्वारा दिनाँक 31-10-2013 को आदेश पारित किया गया है कि पत्र दिनाँक 02-06-2011 अनुसार बताये गये उत्तरदायी के विरूद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं रह जाता है। प्रश्नांश-घ के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त, राजस्व चंबल संभाग, मुरैना को सम्पूर्ण प्रकरण का परीक्षण कर जाँच करने के लिये एवं जाँच प्रतिवेदन अनुसार गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सी.सी. रोड पर अवैध डामरीकरण

19. (क्र. 411) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भिण्ड जिले के अंतर्गत एम.पी.आर.डी.सी. के अंतर्गत इंदिरा गांधी चौराहा से अटेर रोड की पुलिया तक बम्बा के किनारे सी सी रोड का निर्माण किया गया है? यदि हाँ, तो लंबाई, मोटाई, चौड़ाई कितनी है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अंतर्गत निर्माणाधीन मार्ग पर सी सी रोड कमजोर होने के कारण ध्वस्त हो गई है? यदि हाँ, तो निर्माणाधीन मार्ग के एक माह के पश्चात उस पर डामरीकरण करवाने का क्या आश्य है? क्या डामरीकरण शासन द्वारा निर्धारित तकनीकी प्रतिवेदन में दर्शाया गया था? यदि हाँ, तो कितना भुगतान किया गया? **(ग)** क्या प्रश्नांश **(क)** में वर्णित मार्ग पर प्रयुक्त सामग्री

घटिया एवं गुणवत्ताहीन है? एक माह उपरांत मार्ग ध्वस्त क्यों हो गया? ध्वस्त मार्ग का डामरीकरण क्यों करवाया गया? डामरीकरण की क्यों आवश्यकता पड़ी, किस उपयंत्री सहायक यंत्री की निगरानी में मार्ग का निर्माण हुआ? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** में मार्ग का निर्माण घटिया होने के कारण कौन दोषी है? शासकीय राशि का दुरूपयोग किया गया इसके लिए कौन दोषी है? प्रश्नांश दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। लंबाई-900 मी, चैड़ाई-5.5 मी., मोटाई-300 मि.मी। **(ख)** जी नहीं। उपरोक्त मार्ग में सी.सी. रोड निर्माण के तुरंत बाद बलपूर्वक ट्रेफिक चालू हाने के कारण मार्ग की ऊपरी सतह आंशिक तौर पर क्षतिग्रस्त हुआ, निर्माण कार्य मानक के अनुरूप है। ऊपरी सतह को ठीक करने के लिये डामरीकरण की आवश्यकता हुयी। इस डामरीकरण का तकनीकी प्रतिवेदन में प्रावधान नहीं था एवं इस डामरीकरण के लिये अलग से कोई भुगतान नहीं किया गया। **(ग)** जी नहीं। मार्ग निर्माण के तुरंत बाद बलपूर्वक ट्रेफिक चालू होने के कारण मार्ग की ऊपरी सतह आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई है। मार्ग के क्षतिग्रस्त ऊपरी सतह अर्थात राईडिंग सरफेस को ठीक कराने के लिये डामरीकरण कार्य करवाना पड़ा जो कि आई.आर.सी.- एस.पी.-17 नई दिल्ली 1977 में उल्लेखित प्रावधान के तहत ही करवाया गया है **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। उक्त कार्य अन्तर्राष्ट्रीय कंसलटेंसी, आई.सी.टी. नई दिल्ली की सतत् निगरानी एवं विभाग के सहायक महाप्रबंधक श्री पी.एस. राजपूत के समय-समय पर किये गये निरीक्षण के तहत हुआ है। **(घ)** कोई दोषी नहीं है, मार्ग का निर्माण कार्य आई.आर.सी.-एस.पी.-17 नई दिल्ली 1977 में उल्लेखित प्रावधान के तहत ही करवाया गया है, जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया गया है। अतः शासकीय राशि का कोई दुरूपयोग नहीं हुआ है। कार्यवाही की कोई आवश्यकता नहीं है।

<u>परिशिष्ट - "दस</u>"

<u>मार्गों के किनारे पौधारोपण करने बावत</u>

20. (क्र. 412) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1132 दिनाँक 3 जुलाई, 2014 के उत्तर अनुसार भिण्ड जिले में पौधारोपण, ग्वालियर भिण्ड इटावा मार्ग पर लगाये गये पौधों की संख्या 18490 एवं भिण्ड महोना गोपालपुरा पर लगाये गये पौधों की संख्या 1390 है क्या प्रश्न दिनाँक तक एक भी पौधारोपण नहीं किया गया है? सदन में जानकारी गलत दी गई? **(ख)** क्या भिण्ड जिले में विगत पांच वर्षों में एक भी मार्ग निर्माण के किनारे पौधारोपण नहीं किया गया? भिण्ड प्रवास के दौरान मा. श्री सरताजसिंह मंत्री लोक निर्माण विभाग ने प्रश्नकर्ता और मा.विधायक लहार के समक्ष निरीक्षण अवलोकन किया तथा उमरी टोल टैक्स पर पौधारोपण किया? अवर सचिव, श्री मेहरा लोक निर्माण विभाग को समुचित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया? यदि हाँ, तो प्रश्नांश दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** भिण्ड मिहोना गोपालपुरा मार्ग का निर्माण लहार रोड चौराहा भिण्ड से किया गया है जबकि वर्णित मार्ग का निर्माण किला गेट भिण्ड से होना प्रस्तावित था? वर्णित मार्ग का निर्माण किला गेट भिण्ड से क्यों नहीं किया गया? इसके लिये कौन दोषी है? **(घ)** क्या काटे गये वृक्ष के स्थान पर 5 गुना से 10 गुना तक पौधे सड़क निर्माताओं को लगाना है? यदि हाँ, तो क्यों नहीं लगाये गये, वृक्षारोपण के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किए गए? प्रश्न दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। जी नहीं। जी नहीं। **(ख)** जी नहीं। जी हाँ। जी हाँ। की गई कार्यवाही का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। जी नहीं। निवेशकर्ता के अनुबंध में भिण्ड-मिहोना-गोपालपुर मार्ग किलागेट से प्रस्तावित न होकर लहार रोड चौराहे से प्रस्तावित था। कोई दोषी नहीं। **(घ)** जी हाँ। भिण्ड–मिहोना-गोपालपुर मार्ग पर पांच गुना एवं ग्वालियर भिण्ड-इटावा मार्ग पर दस गुना पौधे संबंधित निवेशकर्ता को लगाने थे। वृक्षारोपण के मापदण्ड (काटे गये वृक्षों के बदले पांच/दस गुना पौधे लगाने) अनुसार समस्त पौधे लगाये जा चुके है। समस्त पौधे लगाये जा चुके है।

भिंड जिले में मास्टर प्लान लागू किया जाना

21. (क्र. 418) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भिण्ड जिले के अन्तर्गत नगर पालिका भिण्ड में वर्ष 2003 में मास्टर प्लान तैयार एवं स्वीकृत किया जा चुका है? **(ख)** भिण्ड नगर पालिका को विकसित करने के लिए नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग की ओर से प्लान तैयार किया गया है? **(ग)** भिण्ड नगर पालिका के अंतर्गत गांधी मार्केट बजरिया से नरसिंहराव दीक्षित की कोठी तक क्या अतिक्रमण है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की जावेगी यदि नहीं, तो अतिक्रमण की कार्यवाही प्रचलित क्यों है क्या मास्टर प्लान लगाकर बजरिया चौड़ीकरण करने का प्रस्ताव है? क्या यातायात के लिए अन्य कोई विकल्प निकाला जा सकता है यदि हाँ, तो कब तक जानकारी दें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) एवं **(ख)** जी हाँ। **(ग)** जी हाँ। मा. उच्च न्यायालय ग्वालियर द्वारा जनहित याचिका में पारित आदेश के अनुपालन में स्थानीय प्रशासन द्वारा संबंधितों को सूचना पत्र जारी कर, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर कार्यवाही प्रचलन में है। प्रश्नाधीन मार्ग की चौड़ाई भिण्ड विकास योजना 2011 में 7.5 मीटर प्रस्तावित है। जी नहीं।

बिना लीज स्वीकृति के अवैध लाइम स्टोन का उत्खनन

22. (क्र. 454) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सतना जिले में दिलीप बिल्डिकान प्रायवेट लिमिटेड म.प्र. द्वारा बिना लीज स्वीकृति के अवैध लाइम स्टोन का खनन किया जा रहा है जबकि लोक निर्माण की सड़कों से परिवहन कर मार्गों को क्षतिग्रस्त होने पर करार किया गया था कि मेंटीनेन्स कराया जायेगा? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या उक्त शर्त का पालन करते हुए क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत संबंधित द्वारा कराई जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** क्या यह भी शर्त रखी गई थी कि स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिया जावेगा लेकिन इस शर्त का पालन भी नहीं किया जा रहा, क्यों? **(घ)** क्या संबंधित लिमिटेड द्वारा अनुमति सीमा से ज्यादा उत्खनन किये जाने से इनकी ब्लास्टिंग से भवन जर्जर हो रहे हैं एवं गहरी खदानें खुली छोड़ देने से जन हानि के खतरों को देखते हुए कार्यवाही अमल में लाई जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार, सतना जिले में दिलीप बिल्डकॉन प्रा.लि. म.प्र. द्वारा लाइम स्टोन का अवैध उत्खनन नहीं किया जा रहा है। जी नहीं इस प्रकार का कोई करार नहीं कराया गया है। दिलीप बिल्डकॉन प्रा.लि. म.प्र. को सतना जिले में स्वीकृत अस्थाई अनुज्ञा पत्र का विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** जी नहीं। उत्तरांश

'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार संबंधित लिमिटेड द्वारा अनुमति सीमा से ज्यादा उत्खनन किये जाने एवं इनकी ब्लास्टिंग से भवन जर्जर होने संबंधी जानकारी प्रकाश में नहीं आयी है। अतः प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता तथा निम्न दर पर टेण्डर की स्वीकृति

23. (क्र. 489) श्री लाखन सिंह यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ग्वालियर नगर निगम में 1 अप्रैल 2013 से प्रश्न दिनाँक तक कितने निर्माण कार्य- कितनी लागत से किस मद से स्वीकृत कर निर्माण कराये गये है तथा कराये जा रहे है कितने कार्य पूर्ण हैं, कितने अपूर्ण एवं मदवार व्यय क्या है? इन स्वीकृत कार्य में से कितने निर्माण कार्य हैं जो कार्य की निर्माण लागत से 10 प्रतिशत या उससे भी निम्न दर पर टेण्डर स्वीकृत किये है? **(ख)** क्या 10 प्रतिशत से लगभग 40 प्रतिशत निम्न दर पर स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता की जाँच (निरीक्षण), मूल्यांकन उन यंत्रियों से ही कराया जाता है जिनके द्वारा पूर्व में प्राक्कलन तैयार कराये गये थे यदि हाँ, तो क्या इन प्राक्कलनों को बनाने के पूर्व इतनी ही गुन्जाईश लेकर प्राक्कलन बनाया जाता है कि 30-40 प्रतिशत निम्न दर पर भी ठेकेदार/ऐजेन्सी प्राक्कलन के गुणवत्ता अनुसार सही काम कर सके? इतनी निम्न दर पर स्वीकृत कार्य अच्छी गुणवत्ता में कैसे किया जा सकता है? **(ग)** प्रश्न **(क)** एवं **(ख)** अनुसार क्या 10 प्रतिशत या अधिक निम्न दर पर स्वीकृत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के लिये जिन यंत्रियों/अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन कर भुगतान कराया गया है उन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जाँच हेतु जाँच कमेटी नियुक्त कर जाँच कराई जा सकती है यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित स्पष्ट करें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। **(ख)** जी हाँ। जी नहीं, निम्न दरों पर भी ठेकेदार को निर्माण कार्य के निर्धारित स्पेसिफिकेशन्स के आधार पर निर्धारित गुणवत्ता से ही कार्य करना होता है। **(ग)** यदि अनियमितता प्रकाश में आती है। तो जाँच कराई जा सकती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "बारह"

गुणवत्ता विहीन सड़कों के दोषियों पर कार्यवाही

24. (क्र. 513) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सागर जिला अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा विगत 06 माह में मुख्य अभियंता सागर के द्वारा कौन-कौन से और कहाँ-कहाँ के कितने मार्गों के निरीक्षण कब-कब किये गये? किये गये निरीक्षणों में कहाँ-कहाँ के, किस-किस मार्ग पर, क्या-क्या अनियमिततायें एवं गुणवत्ता विहीन कार्य पाया गया? **(ख)** क्या प्रश्नांश कंडिका **(क)** के अनुसार मुख्य अभियंता की निरीक्षण टीप के अनुसार जिन मार्गों में गुणवत्ता विहीन कार्य एवं अनियमितताएं पायी गयी थी, उन पर प्रश्न दिनाँक तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है? यदि नहीं, तो मार्गवार पायी गयी अनियमितताओं के लिये किस-किस को दोषी माना गया? क्या दोषियों पर नियमानुसार कार्यवाही की गयी है? यदि हाँ, तो क्या और किस-किस के विरूद्ध कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गयी? **(ग)** यदि मुख्य अभियंता की निरीक्षण टीप के

अनुसार दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई है तो क्यों? कार्यवाही न करने के लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी है? कार्यवाही में विलंब करने वाले अधिकारी के विरूद्ध इस प्रकार अनावश्यक रूप से प्रकरण लंबित रखने के लिये कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी तथा निरीक्षण में पायी गयी अनियमितताओं के लिये ठेकेदारों के विरूद्ध भी कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। ठेकेदार के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

<u>जैसीनगर विकासखण्ड अंतर्गत अम्बेडकर मांगलिक भवन का निर्माण</u>

25. (क्र. 519) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि सागर जिले के जैसीनगर विकासखण्ड अंतर्गत लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. सागर के अधीन स्वीकृत अम्बेडकर मांगलिक भवन का निर्माण कार्यादेश जारी हो गये थे तथा जिस ठेकेदार के नाम से उक्त कार्यादेश जारी हुये थे उसके द्वारा मांगलिक भवन का निर्माण कार्य नहीं किया गया? यदि हाँ, तो कार्यादेश दिनाँक, ठेकेदार का नाम तथा उसके द्वारा निर्माण कार्य न करने का कारण बताया जाये? **(ख)** क्या यह भी सही है कि ठेकेदार द्वारा मांगलिक भवन का निर्माण कार्य न करने के कारण अतिरिक्त परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. जबलपुर द्वारा पद का दुरूपयोग करते हुये किसी अन्य जिले के समाचारपत्र के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर निर्माण कार्य का ठेका अपने किसी परिचित को अनाधिकृत रूप से लाभ पहुंचाने की दृष्टि से दिया है? **(ग)** यदि हाँ, तो प्रश्नांश कंडिका **(क)** के परिप्रेक्ष्य में पुन: निविदा बुलाये जाने के लिये स्थानीय समाचार पत्रों में निविदा हेतु विज्ञप्ति दिये जाने का कोई नियम अथवा निर्देश विभाग में है अथवा नहीं? बिना स्थानीय समाचारपत्रों में विज्ञप्ति देकर अन्य किसी जिले के समाचारपत्र में विज्ञप्ति देकर की गयी कार्यवाही नियम विरूद्ध होने से दिया गया ठेका कब तक निरस्त कर दिया जावेगा और दोषी के विरूद्ध कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी? **(घ)** प्रश्नकर्ता द्वारा दिनाँक 06 जून, 2015 को अतिरिक्त परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. साउथ सिविल लाईन जबलपुर को लिखे गये रजिस्टर्ड पत्र के अनुसार प्रकरण में प्रश्न दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गयी है?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। मेसर्स मिश्रा बन्धु ग्राम खेजरामाफी सागर के पक्ष में स्वीकृति आदेश 1070/सागर/दिनाँक 05.12.2014 को जारी किया गया। नियत समय पर अनुबंध निष्पादित न करने के कारण कार्यादेश जारी नहीं किया गया। **(ख)** जी नहीं निविदा प्रकाशन शासन निर्देशानुसार जन सम्पर्क विभाग द्वारा किया जाकर ऑन-लाईन प्रक्रिया के अधीन निविदा कार्यवाही की गई। **(ग) जानकारी संलग्न परिशिष्टि-'अ' अनुसार** मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-53/16/2012/19/यो/6241 भोपाल, दिनाँक 26.12.2014 द्वारा कार्यवाही की गई है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-ब अनुसार है।**

<u>परिशिष्ट - "तेरह"</u>

<u>मुख्यमंत्री अधोसंरचना अंतर्गत कार्ययोजना की स्वीकृति</u>

26. (क्र. 531) श्री अनिल जैन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना अंतर्गत नगरों के विकास के लिये कार्ययोजनाओं की स्वीकृति नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा प्रदान की जाती है अथवा नहीं? **(ख)** यदि हाँ, तो टीकमगढ़ जिले की निवाड़ी नगर की मुख्यमंत्री अधोसंरचना अंतर्गत कार्ययोजना स्वीकृति हेतु संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग में कब से लंबित है? कार्ययोजना लंबित रहने का क्या कारण है? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** अनुसार लंबित कार्ययोजना की स्वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। **(ख)** नगर परिषद निवाड़ी, जिला टीकमगढ द्वारा मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना का प्रस्ताव संचालनालय नगरीय एवं प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल को दिनाँक 01-10-2013 को प्राप्त हुआ है। योजना के तकनीकी परीक्षण उपरांत जानकारी नगर परिषद से चाही गई है। योजना के प्रथम चरण हेतु प्रावधानित राशि की स्वीकृतियां जारी हो जाने से योजना लंबित रही। **(ग)** मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के व्दितीय चरण में प्रस्तावित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

करैरा भितरवार मार्ग पर अवैध वसूली

27. (क्र. 552) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या करैरा-भितरवार मार्ग में ग्राम सीहोर के पास वाहनों से वसूली हेतु कोई टोलटेक्स बैरियर की स्वीकृति प्रदान की है? यदि हाँ, तो इस हेतु कोई निविदा प्रकाशित की गई थी? यदि हाँ, तो इसकी प्रति उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में वर्णित बैरियर की निविदा के तहत कितने लोगों ने भाग लिया व वसूली हेतु क्या-क्या दरें दी गई थी व उनमें से किस ठेकेदार को ठेका दिया गया? **(ग)** क्या उपरोक्त मार्ग पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से वसूली की जा रही है? व वाहन मालिकों के विरोध करने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार जैसे गाली-गलौच एवं मारपीट शामिल है? यदि हाँ, तो इसकी रोकथाम हेतु शासन प्रशासन ने अभी तक क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों? व अवैध वसूली ठेका कब तक बंद कर दी जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। जी हाँ। निविदा विज्ञप्ति की प्रति **संलग्न परिशिष्ट- अ- 1, 2 एवं 3 अनुसार**। **(ख)** निविदा प्रक्रिया में तीन निविदाकारों ने भाग लिया। वसूली हेतु दरें निम्नानुसार दी गई थी।

स.क्र.	नाम	दर
1.	श्री राजेन्द्र सिंह	16,02,670
2.	श्री दिलीप अग्रवाल	10,65,670
3.	श्री आनंद सिंह	8,78,670

उच्चतम बोलीकर्ता श्री राजेन्द्र सिंह को ठेका दिया गया। **(ग)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "चौदह"

सोनचिरैया अभ्यारण में अग्नि पट्टी एवं निरीक्षण मार्ग हेतु दिशा निर्देश

28. (क्र. 553) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सोनचिरैया अभ्यारण करैरा, जिला शिवपुरी में अग्नि पट्टी सफाई कार्य एवं निरीक्षण मार्ग हेतु, क्या शासन द्वारा कोई मापदण्ड या दिशा निर्देश जारी किये हैं? यदि हाँ, तो उसकी प्रति दी जावें? **(ख)** उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार सोनचिरैया अभ्यारण करैरा, जिला शिवपुरी में विगत 03 वर्षों में कितने किलोमीटर क्षेत्र एवं कहाँ-कहाँ अग्नि पट्टी सफाई कार्य एवं निरीक्षण मार्ग के दोनों ओर कितने-कितने मीटर में कार्य कराया गया है? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** में वर्णित कार्यों हेतु शासन द्वारा कितनी धनराशि आवंटित होकर व्यय की गई की जानकारी मांग संख्या, लेखाशीर्ष, उपशीर्ष, योजना एवं मद आदि सहित वर्षवार दी जावे? **(घ)** क्या उपरोक्त कार्य विभागीय स्तर या ठेका प्रथा से कराये गये? यदि ठेका प्रथा से कराये गये तो उनकी निविदा संबंधित जानकारी भी उपलब्ध करावें?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख)** से **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है।** प्रश्नांकित कार्य विभागीय स्तर से कराये गये हैं। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>दमोह-गैसाबाद-सिमरिया सड़क निर्माण</u>

29. (क्र. 568) श्री लखन पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दमोह-गैसाबाद-सिमरिया सड़क निर्माण में ठेकेदार द्वारा उपयोग में लाई गई गिट्टी किस खदान (पत्थर) के ठेकेदार से क्रय की गई? **(ख)** यदि सड़क निर्माण ठेकेदार के नाम खदान आवंटित है, तो किस तहसील में जिले में है? **(ग)** पूरे सड़क निर्माण में एक किलोमीटर सड़क निर्माण में गिट्टी पत्थर कितना टन लगाया गया? **(घ)** क्या उक्त सड़क में उपयोग में लाई गई गिट्टी की जाँच कराएंगे ताकि यह पता लग सके कि उक्त गिट्टी पत्थर में लाइन स्टोन कितने प्रतिशत है? क्या वह सीमेंट का पत्थर है?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) दमोह गैसाबाद, सिमरिया सड़क निर्माण में ठेकेदार द्वारा अन्य ठेकेदार से क्रय कर उपयोग में लाई गई गिट्टी से संबंधित अभिलेख विभाग में संधारित नहीं है। **(ख)** खनिज विभाग से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** वर्ष 2015 के पूर्व दिनाँक 29.09.2011 से 31.03.2014 के मध्य विभिन्न अवधियों के लिये दमोह जिले की हटा तहसील के अंतर्गत ग्राम पांजी में विभिन्न रकबों पर गौण खनिज पत्थर (गिट्टी) हेतु कार्यालय कलेक्टर, दमोह द्वारा 03 अस्थाई अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये गये थे। ये अस्थाई अनुज्ञा पत्र दमोह-हटा-गैसाबाद सड़क निर्माण कार्य हेतु पत्थर (गिट्टी) हेतु तिरूपति बिल्डकॉन के पक्ष में स्वीकृत किये गये थे। उक्त अस्थाई अनुज्ञा पत्रों की अवधि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** समाप्त हो चुकी है। **(ग)** टीम लीडर यूआरएस स्कॉट विल्सन के अनुसार दिनाँक 13.04.2015 तक पूरे सड़क निर्माण कार्य में 3,03,746.24 घनमीटर गिट्टी का उपयोग ठेकेदार द्वारा किया गया है। मार्ग की कुल लंबाई 62.70 कि.मी. है अतः प्रति कि.मी. उपयोग की गई गिट्टी की औसत मात्रा 4844.44 घनमीटर होती है। **(घ)** खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी उत्तरांश 'ख' में उल्लेखित अनुसार जो 03 अस्थाई अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये गये थे इनकी स्वीकृति से पूर्व क्षेत्रीय प्रमुख संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म जबलपुर से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया था **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' और 'स' अनुसार है।** उक्त प्रतिवेदन अनुसार रासायनिक विश्लेषण कराकर अस्थाई अनुज्ञा स्थलों में पाई गई चट्टान सीमेंट श्रेणी के लाइम स्टोन में नहीं आती है एवं इसका उपयोग

गौण खनिज के रूप में किया जा सकता है, इसलिये सड़क के उपयोग में लाया गया। स्पष्ट है कि जांचोपरांत पत्थर (गिट्टी) के लिये उपरोक्तानुसार अस्थायी अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किए गये थे। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नवीन पुल निर्माण कार्य के प्राक्कलन की स्वीकृति

30. (क्र. 577) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या श्योपुर जिला मुख्यालय पर सीप नदी के सोनघटा पर किले के नीचे से गुजर रही सीप नदी के बाये किनारे पर कई विद्यमान ग्रामों के नागरिकों को हर मौसम में नाव से जर्ये अथवा 10-15 कि.मी. दूरी तय कर जिला मुख्यालय आना-जाना पड़ता हैं? **(ख)** क्या उक्त कारण से नागरिकों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता हैं इस समस्या का समाधान तभी संभव हैं जब उक्त स्थान पर नवीन पुल का निर्माण करा दिया जावें? **(ग)** यदि हाँ, तो क्या शासन उक्त स्थान पर नवीन पुल के निर्माण कार्य की आवश्यकता के मद्देनजर इस कार्य को चालू वित्तीय वर्ष के अनुपूरक बजट अथवा वर्ष 2016-17 के वार्षिक बजट में शामिल करके इस कार्य का प्राक्कलन/डी.पी.आर. सेतु निर्माण निगम से तैयार कराकर शीघ्र इसकी प्रशासकीय स्वीकृति जारी करेगा? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा आपको माह जून 2015 एवं मुख्य अभियंता सेतु म.प्र. भोपाल को प्रेषित पत्र दिनाँक 06.04.2015 पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) एवं **(ख)** जी हाँ। **(ग)** वर्तमान में न तो स्वकृत है और न ही प्रस्तावित है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी हाँ। प्राथमिक प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कटनी शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जाना

31. (क्र. 610) श्री संजय पाठक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश के जबलपुर संभाग का कटनी शहर प्रदेश में इंदौर के बाद राजस्व की दृष्टि से राजस्व देने वाला सबसे संपन्न जिला है? साथ ही खनिज संपदा से परिपूर्ण सभी तरह के मिनरल देने वाला जिला है? इसी तरह पर्यटन की दृष्टि से चारों दिशाओं के पर्यटक स्थलों को जोड़ने वाला जिला है साथ ही रेल्वे की दृष्टि से प्रदेश में जंक्शन के रूप में दूसरा स्थान है एवं रेल्वे यार्ड के रूप में एशिया का दूसरे नम्बर का यार्ड है तथा कटनी शहर में डिफेंस की आयुध निर्माणी फैक्टरी भी स्थापित है? साथ ही क्या यहां चार विधानसभा क्षेत्र, एक नगर निगम तीन नगर परिषद हैं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त कारणों से अन्य शहरों की अपेक्षा कटनी शहर हर दृष्टि से स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किये जाने हेतु स्थान रखता है? **(ग)** क्या प्रश्नाधीन शहर को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किये जाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किया जावेगा? नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। कटनी जिले में 1 नगर निगम तथा 3 नगर परिषदें है। **(ख)** एवं **(ग)** भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी योजना की मार्गदर्शिका दिनाँक 25-06-2015 को जारी की गयी है। जिसमें स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत शहरों का चयन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जायेगा। राज्य शासन द्वारा प्रतियोगिता में कटनी शहर

को सम्मिलित किया गया है। प्रतियोगिता में चयनित होने के उपरांत ही कटनी शहर को स्मार्ट सिटी योजना में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जाना संभव है।

सलैया सिहोरा से बंजर बरेला मार्ग निर्माण

32. (क्र. 614) श्री संजय पाठक : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्र. 111 दिनाँक 22.09.2014 को अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग बरही जिला कटनी को पत्र लिखकर सलैया सिहोरा से बंजर बरेला मार्ग निर्माण हेतु उल्लेख किया गया था? यदि हाँ, तो पत्र की छायाप्रति देते हुए, अभी तक क्या कार्यवाही की गई? पत्रवार विवरण दें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संबंध में यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यो? उसके लिये कौन दोषी है? क्या तत्काल दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए प्रश्नाधीन पत्रों पर कार्यवाही की जायेगी? नहीं तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी नहीं, अपितु मान. विधायक जी द्वारा पत्र क्रं. 101 दिनाँक 22.09.2014 को लेख किया गया था। जानकारी **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** मार्ग लोक निर्माण विभाग अंतर्गत न होने से कार्यवाही किया जाना संभव नहीं। **(ख)** मार्ग लोक निर्माण विभाग अंतर्गत न होने से। शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "पंद्रह"

प्रश्न संख्या 17 (क्रं. 3828) दिनांक 17-7-2014, गाँवों का विकास

33. (क्र. 631) श्री राजेश सोनकर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पूर्व तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 3828) दिनाँक 17/7/2014 को मेरे द्वारा उठाये गये प्रश्न के संदर्भ में 29 गांवों को निगम सीमा में शामिल किया जाकर आज दिनाँक तक प्रश्नकर्ता द्वारा भेजे गये प्रस्तावों में से कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है व कितनों में कार्य प्रारंभ कराया गया है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में क्या 29 गांवों में सांवेर विधानसभा के लगभग 14 गांवों को निगम सीमा में शामिल किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त गांवों को किन वार्डों में व किन जोनल कार्यालयों के अंतर्गत शामिल किया गया है? प्रश्न दिनाँक तक उक्त वार्डों में कितने स्वास्थ्य कर्मचारियों, ड्रेनेज कर्मचारियों को रखा गया है व अन्य संसाधनों को कब तक उपलब्ध कराया जायेगा? क्या वार्डों में स्वास्थ्य एवं ड्रेनेज संबंधी कार्यों हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई है? यदि हाँ, तो कब तक नियुक्तियां की जायेगी? क्या नियुक्ति में स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता दी जायेगी? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में नगर पालिका निगम इंदौर द्वारा 29 गांवों में निर्माण कार्यों हेतु कोई टेण्डर प्रक्रिया की गई थी? यदि हाँ, तो उक्त टेण्डरों को कितने माह में खोले जाने का प्रावधान है? क्या निगम में निर्माण कार्यों हेतु बुलाये गये टेण्डर कई माह तक नहीं खोले गये थे? **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** के संदर्भ में क्या निगम द्वारा बुलाये गये टेण्डरों को जल्द से जल्द खोला जाकर निर्माण कार्य को प्रारंभ कराया जा सकेगा? निगम में शामिल 29 गांवों में कब से विकास कार्य प्रारंभ कराये जा सकेंगे?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) निगम द्वारा कुल 57 कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय कर 12 कार्यों के कार्यादेश जारी किये गये हैं तथा 03 कार्य पूर्ण कराये गये। **(ख)** जी हाँ, **जानकारी परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। निविदा विज्ञप्ति के अनुसार, निविदा प्राप्त करने की अंतिम दिनाँक के पश्चात एक सप्ताह में खोले जाने का प्रावधान है। नगरीय निकाय निर्वाचन 2015

में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील एवं निविदा की समय-सीमा समाप्त होने के कारण नहीं खोले गये। **(घ)** जी नहीं। वर्ष 2015-16 के बजट प्राप्ति उपरांत विकास कार्य प्रारंभ कराये जायेगें।

परिशिष्ट - "सोलह"

दुकान नीलामी में अनियमितता की जाँच

34. (क्र. 695) श्री गिरीश भंडारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता विधायक के परि. अता. प्रश्न संख्या-48 (क्र. 1478) के दिनाँक 03/03/2015 की कंडिका **(ख), (ग) (घ)** में शासन ने यहां बताया कि उप संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल संभाग को प्रश्नाधीन प्रकरण की विस्तृत जाँच के निर्देश दिये गये? तो प्रश्न दिनाँक तक उप संचालक स.प्रा. एवं विकास भोपाल संभाग द्वारा किस-किस दिनाँक को किस-किस बिन्दु पर क्या-क्या जाँच की? **(ख)** यदि प्रश्न दिनाँक तक जाँच पूर्ण नहीं हुई है तो जाँच कब तक पूर्ण हो जायेगी? समय-सीमा बतायें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। जाँच प्रतिवेदन **पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जाँच पूर्ण हो चुकी है।

औद्योगिक इकाई स्थापित करने पर क्षेत्र के विकास में योगदान

35. (क्र. 698) श्री गिरीश भंडारी : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या म.प्र. में कोई भी औद्योगिक इकाई स्थापित करने के नियमों में क्या यह भी नियम है कि उक्त औद्योगिक इकाई जिस क्षेत्र में स्थापित है, उस क्षेत्र के विकास में योगदान देगी? यदि हाँ, तो शासकीय नियम सहित जानकारी दें? **(ख)** प्रश्न की कंडिका **(क)** अनुसार उपलब्ध शासकीय नियमों के आधार पर विगत पांच वर्षों में नरसिंहगढ़ तहसील के पीलूखेडी औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किस-किस औद्योगिक इकाइयों ने स्थानीय क्षेत्र विकास हेतु किस-किस मद से क्या-क्या व्यय किस-किस माध्यम से किया? औद्योगिक इकाइयों का नाम दर्शाते हुये किये गये विकास कार्य किस संस्था/विभाग के माध्यम से किये गये है? जानकारी उपलब्ध करावें?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी नहीं। **(ख)** शासकीय नियमों में प्रश्नांश 'क' अनुसार कोई प्रावधान नहीं है तथापि औद्योगिक क्षेत्र पीलूखेडी तहसील नरसिंहगढ में स्थापित मेसर्स हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरेजेस लिमिटेड तथा मेसर्स ओसवाल बूलन मिल्स लिमिटेड से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त दोनों इकाईयों द्वारा विगत पांच वर्षों में स्थानीय क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न शासकीय विभागों के माध्यम से रूपये 89,94,162=00 का व्यय विभिन्न मदों में किया गया है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट -अनुसार है।**

परिशिष्ट - "सत्रह"

शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डामरीकृत एवं सीमेंट क्रांकीट कार्य का निर्माण

36. (क्र. 712) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सिवनी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शासन/विभाग द्वारा 1 जनवरी 2014 से लेकर प्रश्न दिनाँक तक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में डामरीकृत एवं सीमेंट क्रांकीट की अनेक सड़कों का निर्माण किया गया है? **(ख)** क्या उपरोक्त वर्षों में बनाई गई अनेक सड़के कुछ माहों में ही जर्जर होकर नष्ट सी हो गई है? क्या इनमें से उन्हीं सड़कों पर मरम्मत कर लाखों रूपये के कार्य किये गये है?

(ग) यदि हाँ, तो ऐसी कितनी सड़के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में किन-किन स्थानों पर कुछ ही माह अथवा वर्ष बीतने के पश्चात किस-किस प्रकार के कार्य किये गये सड़कों के नाम एवं व्यय की गई राशि से अवगत करावें? **(घ)** वर्तमान समय में शहरी क्षेत्र की अनेक सड़कें अत्यंत जर्जर हो चुकी है इसके मरम्मत / पुन: निर्माण हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है यदि हाँ, तो कब तक मार्गों की मरम्मत अथवा पुर्ननिर्माण किया जायेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। **(ख)** जी नहीं। जी नहीं। **(ग)** उत्तरांश "ख" अनुसार प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" एवं "ब" अनुसार है।**

<u>परिशिष्ट - "अठारह"</u>

<u>सुसनेर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम लालूखेड़ी में उद्योग की स्थापना</u>

37. (क्र. 724) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** विभाग द्वारा सिंहस्थ 2016 को दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन संभाग में कौन-कौन से कार्य प्रस्तावित किये गये हैं? इन कार्यों की स्वीकृति की क्या स्थिति है? **(ख)** क्या यह सही है कि विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम लालुखेड़ी तहसील नलखेड़ा के निकट विभाग द्वारा भूमि आरक्षित या अधिग्रहित की गई है? यदि हाँ, तो कितनी भूमि किस प्रयोजन से अधिकृत की गई है? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** में उल्लेखित भूमि पर क्या विभाग द्वारा वृहद या लघु उद्योग स्थापित किये जाने की कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कार्यवाही किस स्तर पर प्रचलित है? **(घ)** सिंहस्थ 2016 को दृष्टिगत रखते हुए क्या विभाग शीघ्र कोई उद्योग विधानसभा क्षेत्र में स्थापित करने की पहल करेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार का एवं कब तक?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) विभाग द्वारा सिंहस्थ 2016 को दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन संभाग में कोई कार्य प्रस्तावित नहीं किया गया है। **(ख)** जी हाँ, ग्राम लालूखेड़ी तहसील नलखेड़ा के निकट 82.260 हेक्टेयर शासकीय भूमि औद्योगिक प्रयोजन हेतु विभाग को हस्तांतरित हुई है। **(ग)** विभाग को हस्तांतरित भूमि औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु औद्योगिक केन्द्र विकास निगम,उज्जैन को हस्तांतरित की जा चुकी है। **(घ)** औद्योगिक क्षेत्र के विकास के पश्चात् उद्योगों की स्थापना हेतु नियमानुसार भूमि का आवंटन किया जावेगा।

<u>ऐतिहासिक महत्व के धार्मिक स्थलों का सौन्दर्यीकरण</u>

38. (क्र. 726) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** सुसनेर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कुल कितने धार्मिक स्थल शासन द्वारा पंजीकृत हैं? इनमें से कितने ऐतिहासिक महत्व के अतिप्राचीन धार्मिक स्थल हैं? कृपया सूची उपलब्ध करावें? **(ख)** विधानसभा क्षेत्र में स्थापित धार्मिक स्थलों में से कौन-कौन से धार्मिक स्थल पर्यटन विभाग में सम्मिलित हैं? विभाग द्वारा विगत 02 वर्षों में इन धार्मिक स्थलों में क्या-क्या कार्य कराये गये हैं? **(ग)** धार्मिक स्थलों को पर्यटन विभाग में शामिल किए जाने के मापदण्ड एवं प्रक्रिया क्या हैं? विगत 01 वर्ष में क्षेत्र के किन-किन धार्मिक स्थलों के सौन्दर्यीकरण के प्रस्ताव या मांग प्राप्त हुई हैं एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई है? **(घ)** क्षेत्रान्तर्गत ढोलाखेड़ी बालाजी, पंचदेहरिया महादेव एवं ताखला

स्थित मंदिरों के सौन्दर्यीकरण संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो इस ओर क्या कार्यवाही की जा रही है?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) तहसील सुसनेर मे कुल 171 शासकीय देव-स्थान पंजीबद्ध है। इनमे से श्रीबालाजी हनुमान मंदिर पिपल्याखेड़ा अतिप्राचीन धार्मिक स्थल है। तहसील नलखेड़ा में कुल 177 शासकीय देव-स्थान पंजीबद्ध हैं। इनमें से निम्न मंदिर अतिप्राचीन धार्मिक स्थल हैं:-1. श्री मां बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा 2. श्री गणपति मंदिर नलखेड़ा 3. श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर नलखेड़ा 4. श्री बल्डावदा हनुमान मंदिर नलखेड़ा 5. श्री तारकेश्वर महादेव मंदिर ताखला **(ख)** अनुभाग सुसनेर-नलखेडा मे 348 शासकीय देव-स्थानों में से कोई भी मंदिर पर्यटन विभाग मे सम्मिलित नहीं है। पर्यटन विभाग द्वारा विगत 02 वर्षों मे निम्न कार्य कराये गये:- 1. श्री मोरूखेड़ी शिव मंदिर लटुरी गूर्जर में 20 लाख के विकास कार्य। 2. बरई माता मंदिर मे 30 लाख के पार्किंग, डे-शेल्टर एवं अन्य विकास कार्य। 3. श्री जलेश्वर महादेव मंदिर लालूखेड़ी में 40 लाख के विकास कार्य। 4. श्री मां बगलामुखी मंदिर में 20 लाख के बोटशेड का निर्माण। 5. माता मंदिर नलखेड़ा में 30 लाख के विकास कार्य। **(ग)** धार्मिक स्थलों के पर्यटन विभाग में शामिल किये जाने का संबंध पर्यटन विभाग से है। तहसील सुसनेर अंतर्गत निम्न मंदिरों के जीर्णोद्धार प्रस्ताव आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को प्रेषित किये गये थे। 1. श्री बालाजी हनुमान मंदिर- दो लाख रूपये 2. श्री राम मंदिर ग्राम कडिया – 1.83 लाख रूपये उक्त मंदिरों के जीर्णोद्धार प्रस्ताव संभागीय कोष से स्वीकृत होकर राशि प्राप्त हो चुकी है। जीर्णोद्धार हेतु एजेंसी नियुक्त कर कार्यवाही की जा रही है। **(घ)** उल्लेखित ढोलाखेड़ी बालाजी एवं पंचदेहरिया महादेव मंदिर तहसील सुसनेर मे स्थित है किन्तु उक्त दोनों ही मंदिर शासन संधारित नहीं है। तहसील नलखेड़ा अंतर्गत श्री तारकेश्वर महादेव मंदिर ताखला शासन संधारित है तथा उक्त मंदिर के जीर्णोद्धार के प्रस्ताव प्राप्त नहीं है।

नगर पालिका अध्यक्ष, डबरा जिला ग्वालियर के संबंध में

39. (क्र. 743) श्रीमती इमरती देवी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन विभाग का आदेश क्र.73/2008/18/3 दिनाँक 30.01.15 द्वारा नगर पालिक परिषद, डबरा जिला ग्वालियर की अध्यक्षा श्रीमती सत्यप्रकाशी परसेडिया की म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 33 **(क)** अंतर्गत निर्वाचन हेतु 2 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया गया है? यदि हाँ, तो शासन से अयोग्य घोषित नगर पालिका अध्यक्ष कैसे पद पर आसीन रह सकती है? यदि नहीं, तो दिनाँक 30.01.2015 के उक्त आदेश के पालन में सक्षम अधिकारी द्वारा पद से पृथक करने की कार्यवाही अभी तक क्यों नहीं की गई? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार नगर पालिका परिषद, डबरा जिला ग्वालियर के पूर्व पार्षद श्री हरीमोहन मोदी द्वारा मध्यप्रदेश शासन, नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 38 एक **(ख)** अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु कलेक्टर ग्वालियर को दिनाँक 26.02.2015 को आवेदन दिया है, यदि हाँ, तो नगर पालिका, डबरा की अध्यक्षा श्रीमती सत्यप्रकाशी परसेडिया को पद से पृथक करने में सक्षम अधिकारी द्वारा विलम्ब क्यों किया जा रहा है? स्थिति स्पष्ट करें। अब तक क्या कार्यवाही की गई एवं इन्हें कब तक पद से पृथक किया जावेगा?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। श्रीमती परसेडिया निर्वाचन से निर्हरित होने के आदेश दिनाँक 30/01/2015 को जारी किया गया था। उक्त आदेश जारी होने के पूर्व ही श्रीमती परसेडिया दिनाँक 07/12/2014 को निर्वाचित घोषित हो गई हैं तथा दिनाँक 11/01/2015 को कार्यभार

ग्रहण कर लिया है। उक्त परिपेक्ष्य में आवश्यक अग्रिम कार्यवाही की स्थिति स्पष्ट करने हेतु विधि विभाग से परामर्श किया जा रहा है। **(ख)** जी हाँ। इस संबंध में भी विधि विभाग से परामर्श किया जा रहा है।

पार्षद द्वारा पद का दुरूपयोग

40. (क्र. 754) श्रीमती इमरती देवी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जिला ग्वालियर अंतर्गत नगर पालिका परिषद डबरा के वार्ड क्रमांक 20 के पार्षद के पुत्र तथा नातियों (लड़के के पुत्र) और रिश्तेदारों की नियुक्ति डबरा नगर पालिका में कब से किस पद पर की गई और अब तक कितनी राशि वेतन के रूप में नियम विरूद्ध भुगतान की गई है? **(ख)** क्या यह सही है कि वार्ड क्रमांक 20 के पार्षद के पति के नाम गरीबी रेखा का कार्ड होने से अनैतिक रूप से शासन की योजनाओं का लाभ नियम विरूद्ध लिया जा रहा है? यदि हाँ, तो पार्षद के विरूद्ध नियमानुसार अभी तक क्या कार्यवाही की गई? इस अनियमितता में कौन-कौन कर्मचारी एवं अधिकारी दोषी है तथा दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी और नहीं तो कब तक की जावेगी?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) वार्ड क्रमांक 20 के पार्षद के पुत्र श्री दिनेश कुमार शिवहरे को दिनाँक 22-05-2008 से अंशकालीन संविदा पंप चालक श्रमिक के रूप में रखा गया था। श्री शिवहरे को उनके द्वारा किये गये कार्य के विरूद्ध नियमानुसार रूपये 2,55,116/- पारिश्रमिक के रूप में भुगतान किया गया है। **(ख)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

मुरैना जिले की ए.बी.सी. केनाल रोड की मरम्मत

41. (क्र. 761) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि ए.बी.सी. केनाल रोड मुरैना की स्थिति काफी जर्जर होने से वाहन संचालन में काफी परेशानी हो रही है मार्ग पर चलने वाले यात्री वाहन कभी भी दुर्घटना ग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है? **(ख)** क्या यह भी सही है कि उक्त मार्ग तीन विधान सभाओं सुमावली जौरा सबलगढ़ से गुजरता है जिसमें जिले की अधिकांश जनता यात्रा करती है उक्त मार्ग की स्थिति को कब तक ठीक करा दिया जावेगा? **(ग)** क्या यह भी सही है कि उक्त मार्ग के गड्डे भरने, पेंच रिपेरिंग के वर्ष 2012 से 2014 तक बार टेण्डर किये गये थे लेकिन टेण्डर स्वीकृति के बावजूद कार्य नहीं किया गया? क्यों? ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने का कारण सहित जानकारी दी जावें? **(घ)** क्या उक्त मार्ग के उन्नयन चौड़ीकरण का प्रस्ताव राज्य शासन के विचारार्थ है? यदि हाँ, तो उसकी डी.पी.आर. कब बनाई, अनुमानित राशि कितनी है, शासन द्वारा राशि कब तक स्वीकृत कर कार्य प्रारंभ कराया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी नहीं। **(ख)** जी हाँ। प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जी हाँ। विस्तृत **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ)** जी हाँ। दिनाँक 21.06.2015 को राशि रूपये 9315.00 लाख। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "उन्नीस"

सेवढा बायपास मार्ग निर्माण

42. (क्र. 775) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा क्षेत्र सेंवढ़ा की नगर पंचायत सेंवढ़ा में कोई बायपास मार्ग स्वीकृत है? यदि हाँ, तो निविदा कब निकाली गई निर्माण एजेन्सी कौन है, कार्य की लागत एवं कार्य पूर्ण होने की समय सीमा क्या है? **(ख)** उक्त मार्ग पर निर्माण एजेन्सी द्वारा कितना कार्य कराया गया है एवं कितनी राशि का भुगतान निर्माण एजेन्सी को किया गया है? कौन-कौन से अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये गये उनके क्या प्रतिवेदन रहे? **(ग)** यह कि निर्माण कार्य में जो मिट्टी भराव का कार्य होना था वह मिट्टी कहाँ से डाली जाना थी एवं मिट्टी की क्या गुणवत्ता होनी चाहिये? जाँच किस अधिकारी द्वारा की गई जाँचकर्ता अधिकारी का नाम, पद दें? **(घ)** क्या जो मिट्टी सड़क निर्माण में लगाई गई वह मार्ग के साईडों से उठाई गई है, फलस्वरूप सड़क के दोनों ओर बड़ी-बड़ी खाईयां हो गये है जो निर्माण उपरांत बरसात के दिनों में सड़क को काट देगी तथा दुर्घटनाओं को आमंत्रण देंगी? क्या उक्त कार्य की किसी वरिष्ठ अधिकारी से जाँच कराई जावेगी, ताकि निर्माण कार्य को सही दिशा एवं गति मिल सके?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। निविदाएँ 05.09.2013 को आमंत्रित की गई थी। कार्य मेसर्स तोमर बिल्डर्स एण्ड कॉन्ट्रेक्टर प्रा.लि. ग्वालियर को। लागत रूपये 604.50 लाख है। कार्य पूर्ण होने की समय-सीमा दिनाँक 03.06.2014 थी। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** निर्माण कार्य के लिये मिट्टी बोरो पिट से ली जानी थी। शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ)** आंशिक। कार्य में उपयोग की गई कुछ मिट्टी मार्ग की साइडों से उठाई गयी है। चूंकि मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन किया गया था अर्जित भूमि पर अतिक्रमण न हो सके अत: साईडों से मिट्टी उठाकर सीमाकंन किया गया है। पानी के निकासी हेतु पुल/पुलियां बनाई जाना है। कार्य विभाग द्वारा नियुक्त कंसलटेन्सी के मार्ग दर्शन में किया जा रहा है। नियुक्त कंसलटेन्सी के द्वारा की गई है। अत: कार्य मापदण्ड अनुसार है। जाँच का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "बीस"

जयबाबा कन्स्ट्रक्शन कंपनी द्वारा कराये जा रहे कार्य

43. (क्र. 776) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जय बाबा कन्स्ट्रक्शन कंपनी द्वारा विदिशा जिले में लोक निर्माण विभाग अन्तर्गत कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य कराया गया है, यदि हाँ, तो क्या कराये गये कार्यों में कितनी सीमेंट, सरिया, डामर एवं एमलशन का उपयोग किया गया, उसे कहाँ-कहाँ से क्रय किया गया? **(ख)** यह कि उक्त बिलों का सत्यापन विभाग द्वारा करा लिया गया है या नहीं यदि हाँ, तो किस अधिकारी द्वारा सत्यापन किया गया है व उसकी जाँच रिपोर्ट क्या है? **(ग)** उक्त बिलों का भुगतान ठेकेदार द्वारा नगद किया गया है अथवा चेक द्वारा किया गया है?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** इस प्रकार की जानकारी विभाग द्वारा नहीं रखी जाती है।

सतना जिले के धार्मिक स्थल रामवन में रविदास मंदिर का निर्माण

44. (क्र. 791) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** सतना जिले की तहसील रामपुर बाघेलान अंतर्गत प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रामवन परिसर के अंदर संत शिरोमणि गुरू रविदास जी के मंदिर निर्माण हेतु रामवन के संस्थापक स्व. बाबू शारदा प्रसाद जी द्वारा वर्ष 1978 में 50 X50 जमीन दी गई थी? **(ख)** यदि हाँ, तो विगत 35 वर्ष पूर्व रविदास समाज के लोगों द्वारा रविदास मंदिर का निर्माण कराया गया था जो वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है? किस आराजी क्रमांक से मंदिर बना है? **(ग)** क्या विगत 2007-08 से अब तक रामवन के अंदर बने सभी पुराने मंदिरों का कायाकल्प व भव्य निर्माण म.प्र. शासन के धर्मार्थ मद व अन्य मदों से कराया गया है? यदि हाँ, तो रविदास का कायाकल्प क्यों नहीं कराया जा रहा है, बतायें? क्या मानस संध रामवन के पदाधिकारियों द्वारा कायाकल्प कराने से रोका जा रहा है? **(घ)** क्या उक्त मंदिर के निर्माण में भेदभाव किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्यों? यदि नहीं, तो म.प्र. शासन के धर्मार्थ मद से कब तक मंदिर का कायाकल्प किया जावेगा? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा जुलाई 2014 सत्र के दौरान इस संबंध में प्रश्न के माध्यम से जानकारी चाही गई थी, जिसमें जवाब दिया गया था कि जानकारी एकत्रित की जा रही है? क्या जानकारी प्राप्त हो गई है?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>परासिया विधानसभा क्षेत्र में मार्गों के निर्माण हेतु स्वीकृति के संबंध में</u>

45. (क्र. 821) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या पूर्व में मेरे द्वारा परासिया विधानसभा क्षेत्र में मार्गों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में पत्र (प्रस्ताव) आपको प्रेषित किया गया था? यदि हाँ, तो उसमें से कितने मार्ग निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं? **(ख)** ग्राम अप्तरा से मुजावरमाल तक मार्ग का टेंडर कब तक किया जायेगा और कब तक कार्य पूर्ण होगा? अभी तक टेंडर न किये जाने का क्या कारण है?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। वर्तमान में कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं किया है। **(ख)** ग्राम अप्तरा से मुजावर मार्ग निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही इस कार्य का टेण्डर किया जावेगा। कार्य पूर्ण होने की समय-सीमा बताना संभव नहीं है। प्रश्नांकित मार्ग की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण टेण्डर की कार्यवाही नहीं की गई।

<u>अपूर्ण कार्यों का अंतिम मूल्यांकन एवं सी.सी. जारी होना</u>

46. (क्र. 835) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 25 जून 2015 की स्थिति में रायसेन जिले की नगर पालिका नगर परिषदों में स्वीकृत कौन-कौन से कार्य अपूर्ण तथा अप्रांरभ हैं? कार्यवार कारण बतायें। उक्त कार्य कब तक पूर्ण होंगे? **(ख)** कौन-कौन से पूर्ण कार्यों का अंतिम मूल्यांकन तथा सी.सी. जारी नहीं हुई तथा क्यों? कार्यवार कारण बतायें, तथा उक्त कार्य कब तक होगा? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के संबंध में विभाग को किन-किन जन प्रतिनिधियों के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर आज दिनाँक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** कार्यपालन यंत्री नगरीय प्रशासन ने अपूर्ण कार्यों का पूर्ण कराने, पूर्ण कार्यों का अंतिम मूल्यांकन करने, सी.सी. जारी करने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की? पूर्व विवरण दें।

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट**

'स' अनुसार है। **(घ)** संभागीय कार्यालय में पदस्थ कार्यपालन यंत्री द्वारा कार्यों का अन्तिम मूल्यांकन नहीं किया जाता है। निर्माण कार्य की सी.सी. (कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र) प्रारूप 91 में मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। कार्यपालन यंत्री द्वारा रायसेन जिले की नगरीय निकायों में निर्माण कार्यों के निरीक्षण के दौरान पूर्ण हो चुके कार्यों के अंतिम देयक शीघ्र तैयार करने, सी.सी. जारी करने एवं अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं उपयंत्रियों को निर्देश दिये जाते हैं।

चौपाटी स्थित बस स्टैण्ड का विस्तार एवं शापिंग काम्पलेक्स का निर्माण

47. (क्र. 874) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जावरा नगर चौपाटी स्थित प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी बस स्टैण्ड के विस्तार एवं आसपास की भूमि पर शापिंग काम्पलेक्स निर्माण किये जाने की लगातार जन आवश्यकता होकर मांग की जा रही है? **(ख)** यदि हाँ, तो बस स्टैण्ड स्थित सर्वे नं. 222, 223, 224 एवं सर्वे नं. 225 में रिक्त पड़ी अनुपयोगी भूमि का जनहित में एक पक्षीय अधिग्रहण कर बस स्टेण्ड विस्तार एवं शापिंग काम्पलेक्स निर्माण किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? **(ग)** यदि हाँ, तो बस स्टैण्ड का विस्तार एवं शापिंग काम्पलेक्स का निर्माण किये जाने हेतु नगर पालिका परिषद जावरा द्वारा विगत किन-किन वर्षों में कब-कब प्रस्ताव पारित किये गये? **(घ)** साथ ही शासन/विभाग द्वारा पारित प्रस्तावों पर एवं अग्रेषित जन आवश्यकताओं के मांग पत्रों पर तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा किये गये पत्र व्यवहार के संदर्भ में क्या-क्या कार्यवाहियां की गईं? अवगत कराएं।

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) एवं **(ख)** जी हाँ। **(ग)** वर्ष 2013, दिनाँक 29.05.2013 **(घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

परिशिष्ट - "इक्कीस"

गिरधौरी मंदिर तथा नहदौरा मंदिर का जीर्णोद्धार

48. (क्र. 912) कुँवर विक्रम सिंह : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** विभाग को विधान सभा क्षेत्र-राजनगर अंतर्गत गिरधौरी मंदिर तथा नहदौरा मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु कितनी सूचनाएं प्राप्त हुई, विवरण दें? **(ख)** क्या कलेक्टर छतरपुर द्वारा उक्त मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई? **(ग)** यदि हाँ, तो कार्य प्रारंभ न होने के लिए कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी है, दोषी के विरूद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? **(घ)** क्या उक्त राशि तहसील कार्यालयों में जमा है? यदि हाँ, तो क्यों? लोक निर्माण विभाग को कब दी गई, विवरण सहित बतायें?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) छतरपुर जिले की विधान सभा क्षेत्र राजनगर के अंतर्गत गिरधौरी मंदिर तथा नहदौरा मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु दस सूचनायें प्राप्त हुई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे पशिष्टि अनुसार। (ख)** प्रश्न 'क' में अंकित मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु प्रशासकीय स्वीकृति इस कार्यालय से जारी की गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे पशिष्टि अनुसार। (ग)** प्रशासकीय स्वीकृति जारी होने के पश्चात कार्य प्रारंभ न होने के लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। इस लिये दोषी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है। क्योंकि ग्राम गिरधौरी मंदिर के जीर्णोद्धार की प्रशासकीय स्वीकृति दिनाँक 17/3/15 को जारी होने के पश्चात सर्वर डाउन होने के कारण राशि का आहरण नहीं हो सका है, राशि समर्पित की गई है, तथा नहदौरा के मंदिर के

जीर्णोद्धार का कार्य प्रचलित है, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग छतरपुर को उक्त कार्य हेतु रूपये 3 लाख की चैक क्रमांक 258749 दिनाँक 22/12/2014 को जारी की गई है। **(घ)** उक्त राशि तहसील कार्यालयों में जमा नहीं है, नहदौरा मंदिर की राशि तहसीलदार राजनगर के पत्र क्रमांक 326/नाना/2014 दिनाँक 22/12/14 से चैक क्रमांक 258749 दिनाँक 22/12/2014 के द्वारा कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग छतरपुर को प्रदाय की गई है।

सड़कों के सुधार हेतु कार्य योजना

49. (क्र. 913) कुँवर विक्रम सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** छतरपुर जिले में विभाग को वर्ष, 2013-14, 14-15 एवं 15-16 में किन-किन मदों में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई, तथा कितनी व्यय हुई, विवरण दें? **(ख)** जिले की सड़कों के सुधार एवं आवासों पर कितना व्यय हुआ, विवरण सहित बतावें? **(ग)** क्या यह सही है कि राजनगर से डहरी तक रोड कई वर्षों से खराब है, लोगों का निकलना मुश्किल है। विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई कार्य योजना अब तक क्यों नहीं बनाई, तथा कार्य में सुधार क्यों नहीं कराया गया?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई लोक निर्माण विभाग एवं मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" एवं "अ-1" अनुसार है। (ख)** लोक निर्माण विभाग एवं मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ-1" एवं "ब" अनुसार है। (ग)** प्रश्नाधीन मार्ग दिनाँक 27.09.2014 को जल संसाधन विभाग द्वारा खराब स्थिति में लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया गया है। उक्त मार्ग हेतु कार्य योजना बनाई गयी है। जिसकी अनुमानित लागत राशि रू. 1623.20 लाख है। पेंच मरम्मत से मार्ग का सुधार कार्य विभागीय श्रमिको द्वारा कराया जा रहा है।

कार्यपालन यंत्री की गृह जिलों में पदस्थापना

50. (क्र. 936) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासन द्वारा कार्यपालन यंत्री/प्रभारी कार्यपालन यंत्री पद पर पदस्थ शासकीय सेवक को गृह जिले में पदस्थ किया जा सकता हैं? हां, या नहीं? **(ख)** यदि नहीं, तो विभाग में ऐसे कितने कार्यपालन यंत्री/प्रभारी कार्यपालन यंत्री वर्तमान में गृह जिले में पदस्थ हैं? नाम, पद व पदस्थापना सहित जानकारी देवें। **(ग)** गृह जिले में पदस्थ कार्यपालन यंत्री/प्रभारी कार्यपालन यंत्रियों को गृह जिले से अन्यत्र पदस्थापना करने हेतु कब तक कार्यवाही की जावेगी? समय-सीमा बतावें।

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी नहीं। **(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' एवं प्रपत्र 'ब' अनुसार**। **(ग)** वर्तमान में स्थानांतरण पर प्रतिबंध है। अतः समय सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "बाईस"

सीवर लाईन एवं वाटर सप्लाई लाईन की मरम्मत

51. (क्र. 938) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पं. दीनदयाल नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की सीवर लाईन एवं वाटर सप्लाई लाईन किस वर्ष में बिछाई गई थी? **(ख)** सीवर लाईन की मरम्मत कब-कब की गई? **(ग)** क्या सीवर लाईन एवं वाटर सप्लाई लाईन एक साथ बिछाई गई हैं? यदि हाँ, तो क्यों? कारण बतावें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) प्रश्नाधीन कालोनी में वर्ष 1988 से 1990 की अवधि में सीवर लाईन एवं वाटर सप्लाई लाई बिछाने का कार्य पूर्ण किया गया। **(ख)** सीवर लाईन के विशेष मरम्मत कार्य के अंतर्गत वर्ष 2010-11 में रू. 48,720/- की लागत से कराये गये कार्यों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है।** सीवर लाईन की सामान्य मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य समय-समय पर आवश्यकतानुसार विभागीय स्वीपरों से कराया जाता है। **(ग)** जी हाँ। स्वीकृत योजना के अनुसार कार्य संपादित किया गया है।

परिशिष्ट - "तेईस"

सेमरिया, जिला रीवा द्वारा बिना जिला प्रशासन की स्वीकृति के लोकार्पण

52. (क्र. 943) श्रीमती नीलम अभय मिश्रा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या नगर परिषद सेमरिया, जिला रीवा में मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के अंतर्गत डामरीकरण सड़क का वार्ड क्रमांक 15 में बिना एस.डी.एम./जिला प्रशासन की स्वीकृति के लोकार्पण दिनाँक 12.06.2015 को कराया गया? **(ख)** यदि हाँ, तो श्री अजय शुक्ला अध्यक्ष नगर परिषद के विरूद्ध स्थानीय थाने में प्रशासन द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी या नहीं? **(ग)** यदि हाँ, तो नगर परिषद सेमरिया के अध्यक्ष श्री अजय शुक्ला के द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए परिषद एवं जिला प्रशासन की बिना स्वीकृति के लोकार्पण नियम विरूद्ध कराये जाने पर क्या धारा 41 **(क)** की कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) एवं **(ख)** जी हाँ। **(ग)** लोकार्पण की स्वीकृति का नियमों में प्रावधान नहीं है, जिससे शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

प्रेषित पत्रों पर की गई कार्यवाही

53. (क्र. 948) श्री संजय पाठक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी कैमोर को पत्र क्र. 247 दिनाँक 20.10.2014 से लेकर पत्र क्रं. 776 दिनाँक 11.05.2015 तक कुल 5 पत्र लिखे गये हैं? **(ख)** यदि हाँ, तो प्रश्नांश **(क)** के संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के संबंध में यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? उसके लिये कौन दोषी है, बतायें? क्या तत्काल दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए प्रश्नाधीन पत्रों पर कार्यवाही की जायेगी? नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) माननीय विधायक महोदय से पत्र क्रमांक 503 दिनाँक 18-01-2015 पत्र क्रमांक 533 दिनाँक 06-02-2015 एवं पत्र क्रमांक 776 दिनाँक 11-05-2015 प्राप्त हुए है। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है।** **(ग)** प्रश्नांश 'ख' के उत्तर के परिपेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "चौबीस"

स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी का विकास

54. (क्र. 982) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या केन्द्रीय उद्योग राज्यमंत्री ने घोषणा की है, कि उज्जैन के पास स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी विकसित होगी? तथा प्रदेश में दो विश्व स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र उज्जैन और मुरैना के आसपास

विकसित होंगे? **(ख)** यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? **(ग)** उज्जैन के पास अर्थात किस क्षेत्र का चयन प्रश्नांश **(क)** के उद्देश्य से किया जा रहा है? पूर्ण ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी हाँ। **(ख)** भारत सरकार की दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (डी.एम.आय.सी.) के तहत विक्रम उद्योगपुरी लि. उज्जैन परियोजना स्वीकृत की गई है। परियोजना की लागत 867.1 करोड़ रू. है। यह परियोजना कुल 442.00 हेक्टेयर भूमि पर विकसित की जानी है। जिला मुरैना के पास औद्योगिक क्षेत्र सीतापुर का विकास दो चरणों में किया जा रहा है। प्रथम चरण में 54 हेक्टेयर भूमि पर रू. 20 करोड़ की लागत से आधारभूत संरचनाओं का विकास कार्य पूर्ण हो चुका है। द्वितीय चरण में 155 हेक्टेयर भूमि पर रू. 75 करोड़ की लागत से विकास किया जावेगा। विकास कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी है। द्वितीय चरण के विकास हेतु केन्द्र शासन के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा एम.आई.टी.यू.एस. के तहत रू. 12.75 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया गया है। **(ग)** परियोजना का स्थान उज्जैन देवास एन.एच.-18 से लगभग 8 से 12 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम नरवर, पिपलोदा द्वारकाधीश, मूंजाखेड़ी, गांबडी, कडछा, चैनपुर, हंसक्षेडी, पालखदा का चयन विक्रम उद्योगपुरी हेतु किया गया है।

प्रदेश में एसटीपीएफ गठन विषयक

55. (क्र. 996) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन करने का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है? तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? **(ख)** क्या वर्ष 2008 से केन्द्र सरकार ने प्रदेश में एस.टी.पी.एफ. गठन की स्वीकृति प्रदान की थी? यदि हाँ, तो उक्त में देरी का क्या कारण है? **(ग)** एस.टी.पी.एफ. गठन की रूपरेखा, कार्य, पदस्थापना एवं कार्यप्रणाली का ब्यौरा क्या है?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** एवं **(ग)** जी नहीं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (N.T.C.A) दवारा दिनाँक 11 मई, 2009 एवं 09 जनवरी, 2013 को प्रदेश के पेंच, कान्हा एवं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन हेतु वित्तीय सहायता प्रदाय बाबत लेख किया गया था। फोर्स के गठन संबंधी विधिक बिन्दुओं का परीक्षण किया जा रहा है। विधि के अनुसार फोर्स के गठन, रूपरेखा, कार्य, पदस्थापना एवं कार्य प्रणाली के बारे में निर्णय लिया जायेगा।

अनुविभाग पिपरिया के ग्राम तिगड़ा माछा में कुवजा नदी पर पुल निर्माण

56. (क्र. 1001) श्री विजयपाल सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अनुविभाग पिपरिया जिला होशंगाबाद के अंतर्गत ग्राम तिघड़ा माछा के बीच में कुवजा नदी पर पुल का निर्माण कब किया गया? इसकी निर्माण ऐजेन्सी कौन थी तथा इसकी निर्माण लागत क्या थी? **(ख)** क्या उक्त प्रश्नांकित स्थल पर बना पुल एवं पुल के दोनों तरफ का रास्ता पूर्णतः क्षतिग्रस्त तथा बाढ़ में बह गया? यदि हाँ, तो विभाग इस पर क्या कार्यवाही कर रहा है बतायें? तथा उपरोक्त प्रकरण में कौन अधिकारी जिम्मेदार है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है? क्या उनसे उपरोक्त घटिया निर्माण के संबंध में वसूली की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नवीन पुल का निर्माण कब तक हो पायेगा जिससे आवागमन अवरूद्ध न हो?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) अनुविभाग पिपरिया जिला होशंगाबाद के अंतर्गत तिघड़ा माछा के बीच में कुवजा नदी पर वेंटेड काजवे का निर्माण माह 6/2015 में पूर्ण। ठेकेदार श्री संजय पलिया पिपरिया, लागत रूपये 36.15 लाख थी। **(ख)** जी नहीं। पुल का नहीं, अपितु वेन्टेड काजवे का निर्माण किया गया। मात्र माछा की ओर रिर्टनवाल एवं पहुंच मार्ग अत्याधिक बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण बाढ़ में कटकर बह गया था। उक्त स्थान पर पुल निर्माण का प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। अतः शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। अतः समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

वन ग्रामों का विस्थापन

57. (क्र. 1002) श्री विजयपाल सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** होशंगाबाद जिले के सतपुड़ा टाईगर रिजर्व अंतर्गत कितने वनग्रामों का विस्थापन हुआ है और कितने ग्राम विस्थापन हेतु शेष है? ग्राम के लोगों की सूची सहित नामवार बतायें? **(ख)** क्या जिन ग्रामों का विस्थापन हो चुका है उनमें कई लोगों के नाम सूची में शामिल नहीं हो पाये हैं और नाम विस्थापन सूची से छूट गया है? उक्त विसंगति को दूर करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है विस्तृत जानकारी देवें? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के संबंध में शेष बचे ग्रामों के विस्थापन के संबंध में विभाग की क्या योजना है?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) प्रश्नांकित टाइगर रिजर्व में वर्ष 2004-05 से अब तक 20 वनग्रामों एवं 14 राजस्व ग्रामों का विस्थापन हुआ। 03 वनग्राम एवं 09 राजस्व ग्राम विस्थापन हेतु शेष हैं। एक राजस्व ग्राम सोनपुर का विस्थापन कार्य प्रगति पर है। ग्राम के लोगों की नामवार सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** जी नहीं। पात्रता निर्धारण समिति द्वारा जिन लोगों को अपात्र पाया जाता है वह कलेक्टर होशंगाबाद के समक्ष अपील कर सकते हैं। कलेक्टर, होशंगाबाद द्वारा अपील अमान्य होने पर कमिश्नर, होशंगाबाद के यहां द्वितीय अपील की जा सकती है। **(ग)** शेष बचे ग्रामों हेतु यदि ग्रामीणों द्वारा उनकी ग्राम सभा से सहमति का प्रस्ताव पारित किया जाता है तब संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विस्थापन किया जा सकेगा।

झिंझरी-माधवनगर सड़क निर्माण में अनियमितता

58. (क्र. 1055) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विभाग द्वारा नाबार्ड मद से कटनी नगर में झिंझरी से माधवनगर स्टेशन रोड निर्माण की जुलाई 2012 में स्वीकृति प्रदान की गई थी एवं क्या यह भी सच है कि ठेकेदार कंपनी द्वारा कार्य का वर्क आर्डर प्राप्त होने के लगभग 47 दिन पश्चात ही कार्य प्रारंभ करने के पूर्व ही कार्यपालन यंत्री, कटनी को निर्माण स्थल में अशासकीय भूमि होने एवं अन्य के संबंध में पत्र लिखकर सूचित किया गया था? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के तहत बताये कि नाबार्ड मद से कार्य कराने के क्या प्रावधान है? क्या अशासकीय भूमियों पर नाबार्ड मद से कार्य कराया जा सकता है? यदि नहीं, तो कार्य प्रारंभ होने के पूर्व ही विभागीय अधिकारियों को ज्ञात होने के पश्चात भी सड़क निर्माण कार्य किस आधार पर प्रारंभ किया गया तथा अपूर्ण कार्य का भुगतान किया गया? इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं? **(ग)** क्या यह सही है कि इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय, प्रमुख सचिव महोदय लो.नि.वि. एवं अन्य को नागरिकों द्वारा शिकायतें की गई है, यदि हाँ, तो बतायें कि प्राप्त शिकायतों

की जाँच में क्या पाया गया? जाँच प्रतिवेदन प्रदत्त करते हुए बताये कि दोषियों पर कब तक क्या कार्यवाही की जायेगी? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** से **(ग)** के तहत बताये कि शासन एवं विभाग के नियमों के विपरीत भ्रामक प्रस्ताव तैयार करने, जानबूझकर अनियमिततापूर्ण कार्य करवाने के लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं? इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही कब तक की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। जी हाँ। **(ख)** नाबार्ड मद से प्राप्त स्वीकृतियों के कार्य म.प्र. लोक निर्माण विभाग नियमावली के तहत कराये जाते है। जी नहीं। झिंझरी से माधवनगर वाले भाग में कोई सड़क निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। **(ग)** कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। प्रश्न ही नहीं उठता। **(घ)** राजस्व विभाग की जानकारी के आधार पर नियमानुसार ही प्रस्ताव तैयार किया गया। अतः प्रश्नांश की शेष जानकारी का प्रश्न नहीं उठता।

<u>नगर पालिका निगम कटनी द्वारा एस.एस.एस.एम. आई.डी. जनरेट/अपडेशन किया जाना</u>

59. (क्र. 1056) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन भोपाल के पत्र दिनाँक 11.11.2014 क्रमांक/समग्र/2014/153/583 द्वारा समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एंव आयुक्त, नगर पालिका निगम (उप मिशन लीडर) को वार्ड प्रभारियों/ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से छूटे हुये परिवारों का अस्थायी रजिस्ट्रेशन करने एवं संबंधित स्थानीय निकाय से सत्यापित कर समग्र आई.डी. जनरेट/अपडेशन करने हेतु निर्देशित किया गया था? **(ख)** यदि हाँ, तो नगर निगम कटनी द्वारा नियुक्त किये गये वार्ड प्रभारियों की संपूर्ण सूची प्रदान करें एवं यह भी बतायें कि दिसम्बर 2014 से प्रश्न दिनाँक तक कार्यालय नगरपालिका निगम, कटनी में कितने आवेदन प्राप्त हुये, कितनी नवीन/संशोधित समग्र आई.डी. बनायी गई? **(ग)** क्या प्रश्नांश **(क)** के अंतर्गत नगरपालिका निगम, कटनी द्वारा विगत अनेक महीनों से समग्र आई.डी. बनाने का कार्य बंद कर दिया गया है, जिसके कारण आवेदकों को लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से सशुल्क नवीन/संशोधित आई.डी. बनवाने हेतु बाध्य होना पड़ा है? **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** के अंतर्गत यदि हाँ, तो लोक सेवा केन्द्र एवं कार्यालय ई-गर्वेनेंस के माध्यम से किया गया यह कार्य किन-किन आदेशों एवं नियम के तहत कराया गया है एवं नगर पालिका निगम, कटनी के माध्यम से यह कार्य कब से पुनः प्रारंभ किया जायेगा? **(ड.)** क्या प्रश्नांश **(ग)** में उल्लेखित समस्या बावत विधायक मुड़वारा ने पत्र क्रमांक 449/12/2014-15 दिनाँक 30.08.2014 को आयुक्त नगरपालिका निगम को पत्र लिखा था? यदि हाँ, तो इस पत्र पर क्या कार्यवाही हुई और क्या आयुक्त नगरपालिका निगम द्वारा की गई कार्यवाही से विधायक मुड़वारा को अवगत कराया गया था?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। **(ख)** नगर निगम कटनी में नियुक्त किये गये वार्ड प्रभारियों की **सूची संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। निगम में डाटा अपडेशन का कार्य, संबंधित व्यक्ति द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर पोर्टल में प्रविष्टि की जाती थी तथा समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के अंतर्गत अब तक 64,533 परिवार एवं 2,46,329 सदस्यों की समग्र आई.डी. बनाई गई है। **(ग)** एवं **(घ)** नगर निगम कटनी द्वारा प्रारंभ से अभी तक निरंतर समग्र आई.डी. बनाई जा रही है। बीच में कुछ समय के लिए उक्त कार्य कार्यालय कलेक्टर (जिला ई-गवर्नेस सोसायटी) जिला-कटनी के द्वारा भी किया गया है। **(ड.)** जी हाँ। विधायक महोदय को

संबंधित कार्यवाही की जानकारी निगम के पत्र क्रमांक/2106/1/स्टेनो/आ./2015 दिनाँक 04-07-2015 से अवगत कराया गया है। **संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार**।

परिशिष्ट - "पच्चीस"

जंगली सुअरों द्वारा फसल नुकसान

60. (क्र. 1072) श्री राजेन्द्र श्यामलाल (राजू भैया) दादू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा नेपानगर में वर्ष 2011-12 से आज दिनाँक तक जंगली सुअरों द्वारा खेत की फसल नुकसान की कितनी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई? उनमें से कितने किसानों को क्षतिपूर्ति मुआवज़ा राशि दी गई है? **(ख)** जंगली सुअरों द्वारा फसल नुकसान पर क्षतिपूर्ति मुआवजा प्रदान करने के संबंध में क्या नियम/निर्देश है? कितने प्रतिशत फसल नुकसान पर मुआवजा दिया जाता है? कृपया आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। **(ग)** नित्य जंगली सुअरों द्वारा किसानों की फसल नुकसान की घटनाएं प्रकाश में आ रही है, इसके रोकथाम हेतु विभाग द्वारा क्या कोई कार्यवाही प्रचलन में है? **(घ)** यदि नहीं, तो इसके रोकथाम हेतु कोई ठोस योजना बनाई जावेगी? हां तो कब तक? अवधि बतावें।

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) प्रश्नांकित विधान सभा क्षेत्र में प्रश्नांकित अवधि में कुल 188 शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई। उनमें से 101 किसानों को क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि दी गई। **(ख)** प्रश्नांकित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** '**अ**', '**ब**' **एवं** '**स**' **में है। (ग)** एवं **(घ)** वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-22-285-99-दस-2, दिनाँक 29.10.2003 के द्वारा बनाये गये मध्यप्रदेश वन (जंगली सुअर) उन्मूलन नियम, 2003 के अनुसार जंगली सुअरों के द्वारा फसलहानि करने पर जंगली सुअरों को मारने की अनुमति जारी करने हेतु मध्यप्रदेश के राजस्व जिलों के समस्त उपखण्ड अधिकारियों को उनकी अपनी अधिकारिता के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

पाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत (मुरेठ) पुल निर्माण के संदर्भ में

61. (क्र. 1075) श्री नीलेश अवस्थी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पाटन विधान अंतर्गत क्या ग्राम मुरेठ के पास हिरन नदी पर पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण ग्राम खिन्नी, चनोटा, देवरी, सहेजपुर आदि कई ग्रामों के हजारों ग्रामीणों एवं अध्ययनरत विद्यार्थियों के ब्लॉक मुख्यालय मझौली से आवगमन बाधित है एवं यहां पर पुल निर्माण आवश्यक है? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** के ही संदर्भ में मुरेठ पुल निर्माण के संदर्भ में विधानसभा की बैठक दिनाँक 10 जुलाई, 2014 के ता.प्र.क्रं. 2070 एवं 11 दिसंबर, 2014 को अता.प्र.क्रं. 1016 में प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में पुल निर्माण का आश्वासन दिया गया था तथा 11 मार्च, 2015 के परि.अता. प्रश्न क्रं. 936 के उत्तर 650 लाख के प्रथम स्तरीय प्राक्कलन मुख्य अभियंता सेतु निर्माण द्वारा संप्रेषित किया गया है, बतलाया गया था? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के उत्तर में यदि हाँ, तो तत्संबंध में हुई प्रगति से अवगत करावें एवं यह भी बतलावें की ग्रामीणों को आवागमन में हो रही असुविधा को दूर करने हेतु इस पुल का निर्माण कब तक प्रारंभ कर दिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) एवं **(ख)** जी हाँ। **(ग)** विस्तृत सर्वेक्षण एवं बोरिंग का कार्य पूर्ण कराया गया है, निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।

पाटन विधानसभा अंतर्गत मार्गों का निर्माण

62. (क्र. 1076) श्री नीलेश अवस्थी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पाटन विधान सभा अंतर्गत (1) जबलपुर-पाटन-शहपुरा मार्ग (2) रौंसरा सरोंद, करारी, बेलखाड़ पहुंच मार्ग (3) सरा सुरईयों से खमरिया मार्ग (4) 14 मील से कैमोरी मार्ग का निर्माण कब किस योजना अंतर्गत कितनी लागत से प्रारंभ किया गया? इसकी कार्य एजेंसी कौन थी? अनुबंध की शर्तों के अनुरूप इन मार्गों का निर्माण कब तक पूर्ण होना था? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में वर्णित निर्माण कार्यों की प्रश्न दिनाँक तक अद्यतन स्थिति एवं प्रश्न दिनाँक तक कौन-कौन से मार्गों पर कितनी-कितनी लागत से क्या-क्या निर्माण कार्य कराये गये? सूची देवें। **(ग)** क्या वर्तमान समय में ये मार्ग सुगम यातायात के उपयुक्त नहीं है एवं सम्पूर्ण मार्ग गड्ढों एवं दलदल में परिवर्तित हो चुके हैं? क्षेत्रवासियों द्वारा इनके शीघ्र निर्माण हेतु कई बार आन्दोलन किया जा चुका है एवं प्रश्नकर्ता द्वारा भी इस संबंध में शासन से पत्र व्यवहार किया है? **(घ)** प्रश्नांक **(ग)** के उत्तर में यदि हाँ, तो इसका विवरण देवें एवं यह भी बतलावें कि निर्माण एजेंसी द्वारा निर्माण कार्य बंद करने एवं धीमी गति से निर्माण करने के संबंध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई? कार्यवाही की छायाप्रति देवें एवं यह भी बतलावें की उक्त मार्ग का निर्माण कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा, तथा वर्तमान समय में इन मार्गों को यातायात के लिए सुगम बनाने हेतु शासन क्या कार्यवाही करेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" एवं "अ-1" अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" एवं "अ-1" अनुसार है। (ग) आंशिक रूप से। जी हाँ। जी हाँ। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** मार्ग निर्माण हेतु निविदा कार्यवाही पूर्ण होने के दो वर्ष उपरांत निर्माण कार्य पूर्ण किया जायेगा। यातायात सुगम बनाये रखने हेतु जोनल कॉन्ट्रेक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है।

माँ नर्मदा नदी को स्वच्छ रखने हेतु कार्य योजना

63. (क्र. 1089) श्री तरूण भनोत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जबलपुर में माँ नर्मदा नदी में मिलने वाले गंदे पानी को रोकने हेतु कोई कार्ययोजना तैयार की जा रही है? क्या बार-बार जनशिकायतों के बाद भी माँ नर्मदा नदी में गंदे पानी को बहाया जा रहा है? **(ख)** जबलपुर में माँ नर्मदा तट पर विभिन्न तरह के होने वाले भंडारे हेतु कोई नियत स्थान नियुक्त किये जाने हेतु कोई प्रस्ताव नगर निगम जबलपुर के पास लंबित है? यदि हाँ, तो उसे कब तक क्रियान्वयन में लाया जावेगा? यदि नहीं, तो उक्त प्रस्ताव कब तक जनहित हेतु पारित किया जावेगा? **(ग)** जबलपुर स्थित माँ नर्मदा तट से दूसरी ओर गुरूद्वारा मंगेली तक रोप वे संचालन हेतु कोई प्रस्ताव नगर निगम के पास है? यदि नहीं, तो क्या इसका विधिवत सर्वे करवाते हुये एवं शासन से सामन्जस्य स्थापित कर रोप वे संचालन की कार्यवाही की जावेगी समय-सीमा बतावें? यदि हाँ, तो कब तक?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जबलुपर में नर्मदा नदी में मिलने वाले गंदे पानी को रोकने हेतु सीवरेज योजना अंतर्गत 04 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) प्रस्तावित है। कठौंदा में 50 MLD क्षमता का STP (WSP) निर्माण हो चुका है, शेष 03 STP का निर्माण कार्य कराया जावेगा। सीवरेज योजना पूर्ण हो जाने के पश्चात नर्मदा नदी में गंदे पानी का मिलना बंद हो जायेगा। **(ख)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

मुस्लिम क्लब की भूमि को बिना सूचना दिये बेदखल करना

64. (क्र. 1091) श्री तरूण भनोत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जबलपुर स्थित जहांगीराबाद मुस्लिम क्लब के प्लाट नं. 87 मढ़ाताल के लीज नवीनीकरण करने के संबंध में क्लब के सचिव द्वारा आयुक्त नगर निगम जबलपुर को कितने पत्र लेख किये? क्या उक्त क्लब द्वारा वर्ष 1964 से वर्ष 2006-07 तक भू-भाटक निगम के स्मरण पत्र दिनाँक 22.10.02 के पश्चात् चुकता किया गया पूर्ण जानकारी देवे? **(ख)** क्या वर्णित **(क)** की संस्था के लीज प्रकरण के संबंध में नगर निगम जबलपुर द्वारा लेख किया गया है, कि उनके प्रेषित पत्र क्र./सम्पदा/2012/45 दि. 14.02.12 का कोई जबाव संबंधित संस्था द्वारा नहीं दिये जाने के कारण क्लब की बेदखली की कार्यवाही की जा रही है, जबकि दि. 21.02.12 को वर्णित संस्था द्वारा विधिवत रूप से जबाव प्रस्तुत कर पुनः लीज नवीनीकरण की मांग की गई थी, किन्तु पत्र का समाधान किये बगैर नगर निगम द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही कर क्लब को जमीन से बेदखल कर दिया? **(ग)** नगर निगम जबलपुर की उक्त असंवैधानिक एवं वैधानिक सूचना दिये बगैर उक्त क्लब की बेदखली की कार्यवाही करने वाले निगम के अधिकारियों पर शासन क्या दण्डात्मक कार्यवाही करेगा, जबकि निगम के सम्पदा विभाग की नोटशीट पर कार्यवाही लीज प्राप्त हेतु दि. 20.06.1964 से दि. 21.02.2012 तक नियमित रूप से चली आ रही है? नगर निगम जबलपुर द्वारा क्लब की नजूल भूमि खसरा नं. 5/3 क व 6/1 पर बन्द क्लब की भूमि पर अनाधिकृत प्रवेश कर उद्यान विभाग व दमकल विभाग खुलवा कर गैरकानूनी कब्जा कर लिया है? **(घ)** वर्णित **(क)** की संस्था को कब तक नगर निगम जबलपुर द्वारा लीज उपलब्ध करवा दी जावेगी?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) कुल 8 पत्र लिखे गये, मुस्लिम क्लब जहांगीराबाद द्वारा कुल भूभाटक राशि वर्ष 1964 से वर्ष 2006-07 तक की राशि 23286/- जमा की गई है। **(ख)** जी हाँ। संस्था द्वारा लीज अनुबंध की शर्तों का लगातार उल्लंघन करने के कारण निगम द्वारा पुनः प्रवेश के अधिकार का उपयोग करते हुए अधिपत्य लिया गया। **(ग)** एवं **(घ)** भूखंड की लीज अवधि दिनाँक 21-12-1964 को समाप्त हो चुकी है, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नर्मदा परिक्रमा के मार्ग का चिह्नांकन

65. (क्र. 1104) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** म.प्र. में नर्मदा परिक्रमा के लिये कोई निश्चित मार्ग चिन्हित किया गया है? यदि हाँ, तो कहाँ से कहाँ तक? उक्त मार्ग पर क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध करायी गयी है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** का उत्तर यदि नहीं, तो इस और विभाग की क्या योजना है? उक्त मार्ग पर क्या-क्या सुविधायें दी जायेंगी? इस पर कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

भिण्ड से लहार मार्ग का निर्णय

66. (क्र. 1115) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भिण्ड से लहार बायां भारोली-अमायन मार्ग के निर्माण हेतु निविदा/वर्क आर्डर कब जारी हुए? कितनी लागत से और किस ठेकेदार/एजेंसी द्वारा उक्त मार्ग का निर्माण किया जा रहा है? नाम, पते सहित जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के तहत उक्त सड़क का निर्माण निर्धारित मापदंडों

के तहत किया जा रहा है? प्रश्न दिनाँक तक सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर जिला/शासन को कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? शिकायतों पर क्या-क्या कार्रवाई की गई है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** व **(ख)** के तहत निर्माण एजेंसी को प्रश्न दिनाँक तक कितना भुगतान किया गया है? कार्य कब तक पूर्ण किया जाना है? कितना कार्य शेष है?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) विवरण **संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। निरंक। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** विवरण **संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार** है।

परिशिष्ट - "छब्बीस"

भिण्ड जिले के संभागों/उपसंभागों में एनुअल रिपेयरिंग कार्य का भुगतान

67. (क्र. 1116) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** लोक निर्माण विभाग के भिण्ड जिले में स्थित संभागों/उपसंभागों में वित्तीय वर्ष 2013-14 व 2014-15 के दौरान एनुअल रिपेयरिंग/एस.आर. 2 लाख रूपये या उससे कम लागत से किस-किस स्थान पर कब-कब कितनी राशि व्यय कर करवाया गया? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के तहत संभागों एवं उपसंभागों द्वारा किस-किस एजेन्सी/फर्म/ठेकेदारों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान चेक/वाउचर से किस-किस स्थान के किन-किन कार्यों का किया गया? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** में वर्णित वित्तीय वर्षों एवं जिले के संभागों एवं उप संभागों में ए.आर. व एस.आर. के कार्य किस नाम पते वाले ठेकेदारों/फर्मों/एजेन्सी/अन्य के द्वारा किस-किस स्थान पर कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या कार्य, कब-कब किए गए? किस-किस ठेकेदारों/फर्मों/एजेन्सी/अन्य को कब, कितनी राशि का भुगतान किया गया? विवरण दें? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** में कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन किस नाम, पदनाम के अधिकारी द्वारा किया गया?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** है।

ब्यावरा नगर में वैकल्पिक मार्ग की स्वीकृति

68. (क्र. 1135) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राजगढ़ जिले के नगर ब्यावरा से गुजरने वाले एक मात्र पुराना ए.बी. रोड पर आवागमन का भारी दबाव होने से आए दिन यातायात बाधित रहता है? इस समस्या से निजात पाने हेतु मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजनांतर्गत एक अन्य वैकल्पिक मार्ग (रा.रा. मार्ग क्रमांक 3 से सिविल अस्पताल होते हुये पंचमुखी चौराहे तक) निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव प्रश्नकर्ता एवं अध्यक्ष नगर पालिका ब्यावरा द्वारा दिनाँक 26.05.2015 को राजगढ़ जिले के प्रवास के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सौंपकर आग्रह किया गया था? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या उक्त प्रस्ताव पर प्रश्न दिनाँक तक कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो क्या? **(ग)** उपरोक्तानुसार क्या शासन ब्यावरा नगर जिसकी जनसंख्या लगभग 60 हजार है, की उक्त विकराल समस्या से निजात पाने हेतु मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजनांतर्गत विशेष प्रकरण मानते हुये प्रस्ताव को तत्काल स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। प्रस्तुत डी.पी.आर. के परीक्षण की कार्यवाही की जा रही है। **(ग)** योजना परीक्षण उपरांत ही निर्णय लिया जा सकेगा। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा में उद्योग स्थापना हेतु कार्ययोजना

69. (क्र. 1136) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या राजगढ़ जिला उद्योगों की दृष्टि से पिछड़े जिलों की श्रेणी में आता है, जिसमें विशेषकर ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से उद्योगविहीन है? यदि हाँ, तो क्या शासन द्वारा पिछड़े जिलों में नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु विशेष नीति बनाई गई है? **(ख)** क्या विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत एक हजार हेक्टेयर भूमि लैंडबैंक के रूप चिन्हित की गई है? यदि हाँ, तो क्या उक्त भूमि पर शासन द्वारा अभी तक उद्योग स्थापना हेतु क्या कोई कार्ययोजना बनाई गई है? **(ग)** क्या विगत दिनों एक बड़े औद्योगिक घराने से संबंधित कोई टीम उक्त भूमि का अवलोकन करने के लिये आई थी? यदि हाँ, तो क्या अति शीघ्र उक्त भूमि पर किसी बड़े उद्योग के आकार लेने की संभावना है? **(घ)** क्या ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विगत 06 माह में कोई उद्योग लगाने का एम.ओ.यू. हस्ताक्षर हुआ है? यदि हाँ, तो विवरण देवें।

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी नहीं। उद्योग संवर्धन नीति 2014 में औद्योगिक रूप से पिछडे जिले के वर्गीकरण की व्यवस्था न होकर प्राथमिकता विकासखण्ड का प्रावधान है। इस व्यवस्था अंतर्गत ऐसे विकासखण्ड जहां दिनाँक 01.04.2014 को कोई वृहद उद्योग स्थापित नहीं हो उन्हें प्राथमिकता विकासखण्ड की श्रेणी में रखा गया है। यह सूची प्रति वर्ष परिवर्तनीय होगी। विकासखण्ड व्यावरा उद्योगविहीन विकासखण्ड की श्रेणी में नहीं है क्योकि इस विकासखण्ड में दो वृहद/मध्यम श्रेणी के उद्योग स्थापित हैं। **(ख)** विकासखण्ड व्यावरा में 975 हेक्टेयर शासकीय भूमि औद्योगिक प्रयोजन हेतु चिन्हित की जाकर उद्योग विभाग (जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र राजगढ) को हस्तांतरित की गई है जो कि बडे उद्योगों की स्थापना हेतु निवेशकों को उद्योग स्थापनार्थ हेतु लेण्ड बैंक के रूप में रखी गई है। **(ग)** प्राप्त जानकारी अनुसार अडानी ग्रुप द्वारा उपरोक्त भूमि का अवलोकन किया गया है। उनके द्वारा अभी तक उद्योग स्थापना हेतु कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी नहीं। विगत 06 माह में व्यावरा विकासखण्ड क्षेत्र में उद्योग लगाने हेतु कोई एमओयू हस्ताक्षरित नहीं किया गया है।

टूल रूम इकाई की स्थापना

70. (क्र. 1166) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या अक्टूबर 2014 में इन्दौर इन्वेस्टर्स समिट कार्यक्रम के दौरान माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम द्वारा सम्मेलन में मध्यप्रदेश में टूल रूम की स्थापना किये जाने की घोषणा की गई व यह भी कहा कि इस इकाई की स्थापना हेतु राज्य सरकार जिस शहर की अनुशंसा करेगी उस शहर में संस्थान की स्थापना की जावेगी? **(ख)** यदि हाँ, तो मध्यप्रदेश चैम्बर, ऑफ कॉमर्स एंड इन्डस्ट्री ग्वालियर द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को प्रश्नांश **(क)** में वर्णित टूल रूम की स्थापना हेतु पत्र व्यवहार भी किया था? **(ग)** यदि हाँ, तो इस हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रश्नांश **(ख)** के पत्र से सम्बन्धित अभी तक क्या-क्या गतिविधियां/कार्यक्रम हुए विस्तार से बतावें?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी हाँ। राज्य शासन द्वारा टूल रूम हेतु भोपाल शहर का चयन किया गया है। भारत सरकार के एम.एस.एम.ई. संस्थान, इन्दौर द्वारा की गई भूमि की मांग के दृष्टिगत सचिव स्तरीय भूमि आरक्षण समिति द्वारा ग्राम आचारपुरा की 10.117 हेक्टेयर भूमि आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में प्रकरण कलेक्टर कार्यालय में प्रक्रियाधीन है। **(ख)** एवं **(ग)** पत्र के संदर्भ/दिनाँक का उल्लेख नहीं होने के कारण पत्र उपलब्ध नहीं हो रहा है। प्रश्नांश 'क' के उत्तर अनुसार टूल रूम की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अवैध कालोनाईजरों के विरूद्ध कार्यवाही

71. (क्र. 1195) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या छतरपुर जिले में अवैध कॉलोनियों की संख्या 78 है। यदि हाँ, तो अवैध कॉलोनाइजरों के नाम व विवरण उपलब्ध करायें? **(ख)** क्या अवैध कॉलोनाईजरों के विरूद्ध शासन ने अब तक कोई कार्यवाही की है? यदि नहीं, की है तो कब तक की जायेगी और उनके भूमियों के खसरों में प्रबंधक कलेक्टर एवं विक्रय से प्रतिबंधित की टीप कब तक दर्ज की जावेगी? **(ग)** क्या तत्कालीन एस.डी.ओ. राजस्व, छतरपुर द्वारा कुछ अवैध कॉलोनाइजरों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के आदेश दिए गये थे? यदि हाँ, तो उनके समेत उक्त अवैध कॉलोनाइजरों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण कब तक दर्ज कराए जावेंगे? **(घ)** क्या उक्त समस्त अवैध कालोनाईजरों से कॉलोनियों का विकास शुल्क वसूल कर लिया गया है? यदि नहीं, तो विकास शुल्क कब तक वसूल किया जायेगा?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी हाँ। पुलिस हस्तक्षेप योग्य धारायें नहीं होने से अपराधिक प्रकरण पुलिस द्वारा नहीं दर्ज किया गया है। **(घ)** जी नहीं। विकास शुल्क कालोनी नियमितीकरण करते समय वसूल की जाती है, जिससे राशि वसूली का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

लोकनाथपुरम की अवैध कालोनियों से विकास शुल्क की वसूली

72. (क्र. 1196) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या नगर पालिका छतरपुर सीमा क्षेत्र में स्थित अवैध कालोनियों से विकास शुल्क वसूल किया जाता है? यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में उक्त कॉलानियों से कितना शुल्क वसूल किया गया वर्षवार बतायें? क्या म.प्र. शासन द्वारा विकास दर निर्धारित की गई है? यदि हाँ, तो कितनी? निर्धारित दर के मान से कितने राजस्व की हानि हुई? **(ख)** क्या लोकनाथपुरम की अवैध कॉलोनियों की शिकायतें प्राप्त होने पर कितने प्रकरण दर्ज कराये गये हैं? यदि नहीं, तो कब तक दर्ज कराये जायेंगे? विकास शुल्क निर्धारित किया गया है? यदि हाँ, तो कितना व इसकी वसूली की गई है? यदि हाँ, तो कितनी, यदि नहीं, तो क्यों? कब की जायेगी? **(ग)** क्या विकास शुल्क की राशि निर्धारित नहीं की गई है यदि हाँ, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं, क्या उक्त अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी नहीं। वसूली की वर्षवार जानकारी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी हाँ, राशि रू. 150.00 प्रति वर्गमीटर। कालोनी नियमितीकरण के लिये विकास शुल्क लेने के प्रावधान है। कालोनी का नियमितीकरण नहीं हुआ है, अत: राजस्व हानि का प्रश्न

उपस्थित नहीं होता। **(ख)** एक प्रकरण क्रमांक 345/बी-121/98-99 दर्ज है। सच यह है कि अवैध कालोनी घोषित होने के कारण विकास शुल्क की वसूली नहीं की गई, कालोनी वैध करते समय वसूली की जायेगी। **(ग)** विकास शुल्क की दर निर्धारित है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

खण्डवा जिले के ओंकारेश्वर भगवान की जमीन की स्थिति

73. (क्र. 1205) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या खण्डवा जिले के ओंकारेश्वर भगवान या ओंकारनाथ भगवान के नाम से जिला खण्डवा, खरगोन, धार, झाबुआ, उज्जैन सहित मध्यप्रदेश के किस-किस जिले में कितनी जमीन है? जिलेवार, ग्रामवार सूची दें? **(ख)** ओंकारेश्वर भगवान या ओंकारनाथ भगवान के नाम की जमीनों पर वर्तमान में किनका कब्जा है? जिलेवार कब्जाधारी के नाम सहित सूची दें? **(ग)** क्या ओंकारेश्वर भगवान या ओंकारनाथ भगवान के नाम की जमीन, लीज पर दी जा रही है? यदि हाँ, तो कितने रूपए की लीज पर, किसे दी जा रही है? जिला खण्डवा, खरगोन, धार, झाबुआ, उज्जैन जिले सहित मध्यप्रदेश के किस-किस जिलें में जमीन लीज पर दी है? **(घ)** क्या प्रश्नांश **(ग)** के अनुसार ओंकारेश्वर भगवान या ओंकारनाथ भगवान के नाम की जमीन कौन लीज पर देता है? इनसे प्रतिवर्ष कितनी आय हो रही है? जिलेवार सूची दें?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : **(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

वन भूमि के पात्र काबिजों को भू-अधिकार पट्टा वितरण

74. (क्र. 1215) श्री रामेश्वर शर्मा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग के संदर्भ में बताएं कि वन विभाग द्वारा पिछले पांच वर्षों में मनरेगा के तहत क्या-क्या कार्य किए गए हैं? ऐसे सभी कार्यों की पूरी सूची कार्य के नाम, लागत, कार्य का स्थान और वर्तमान स्थिति का उल्लेख करते हुए उपलब्ध करवाएं। **(ख)** क्या ऐसे सभी पूर्ण कार्यों की वर्तमान स्थिति संतोषजनक है? क्या इन कार्यों का समय-समय पर भौतिक सत्यापन करवाने की कोई व्यवस्था तय की गई है? **(ग)** भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग के तारतम्य में यह भी बताएं कि क्या वन भूमि के सभी पात्र काबिजों को भू-अधिकार पट्टा दिया जा चुका है? यदि दिया जा चुका है तो कितने काबिजों को दिया गया। ऐसे कितने मामले लंबित हैं और क्यों लंबित है? **(घ)** तहसील हुजूर के गढ़मुर्रा टपरा में वन भूमि के काबिजों को कब तक पट्टा वितरण किया जाएगा?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। **(ख)** जी हाँ **(ग)** जी नहीं, वन अधिकार पत्र वितरण की कार्यवाही प्रचलित है। वितरित वन अधिकार पत्र एवं लंबित प्रकरणों की कारण सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार** है। **(घ)** प्रश्नांकित टपरा के किसी भी वन भूमि काबिज का दावा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। फलस्वरूप वन अधिकार पत्र वितरण करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राजगढ़ विधान क्षेत्र में पुलिया निर्माण

75. (क्र. 1220) श्री अमर सिंह यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** लोक निर्माण विभाग द्वारा राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ में जिला मुख्यालय राजगढ़ से राजस्थान राज्य की सीमा को जोड़ने वाले मार्ग पर 11 कि.मी. की दूरी पर स्थित ग्राम कालीपीठ तक सड़क एवं पुलिया का निर्माण करवाया गया है? यदि हाँ, तो कब तथा किस वर्ष किया गया है? **(ख)** क्या सड़क निर्माण के समय राजगढ़ से कालीपीठ के मध्य ग्राम कलीखेड़ा पर अजनार नदी पर निर्मित रपटा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है? **(ग)** क्या बारिस के मौसम में रपटे पर पानी होने से उक्त मार्ग का आवगमन बंद हो जाता है जिससे राजस्थान एवं अन्य आसपास के 30-40 ग्रामों के ग्रामीणजन एवं 40-40 स्कूलों के छात्र-छात्राओं को आने जाने में असुविधा होती है? **(घ)** क्या उक्त समस्या को देखते हुये उक्त रपटे पर नवीन पुलिया का निर्माण किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। सड़क का निर्माण पूर्व के (सही वर्ष नहीं ज्ञात) वर्षों में कराया गया था अजनार नदी पर स्थित रपटे का निर्माण वर्ष 1999 में कराया गया। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** जी हाँ। जी हाँ। **(घ)** वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

केवलारी विधान सभा क्षेत्र की सड़कों का डामरीकरण

76. (क्र. 1232) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता द्वारा केवलारी से छींदा, छींदा से धनौरा मार्ग की स्थिति को देखते हुए माननीय मंत्री जी का ध्यान विधान सभा प्रश्न के माध्यम से आकृष्ट किया गया है? **(ख)** यदि हाँ, तो इस संबंध में विभाग द्वारा कोई भी कार्यवाही क्यों नहीं की गई, कारण स्पष्ट करें? **(ग)** उक्त मार्ग दुरस्तीकरण कब तक किया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। **(ख)** कार्यवाही का **विवरण संलग्न प्रपत्र में दर्शित** है। **(ग)** उत्तरांश ''ख'' अनुसार।

परिशिष्ट - ''सत्ताईस''

छपारा नगर के चमरया नाला पर पुल निर्माण

77. (क्र. 1235) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या छपारा नगर में दो भागों में विभाजित करने वाली चमरया नाला पर पुल निर्माण किये जाने हेतु मांग लंबे समय से विचाराधीन है? **(ख)** क्या चमरया नाला पर अत्यंत संकीर्ण रपटा की स्थिति जर्जर हो गई है यदि हाँ, तो अभी तक पुल का निर्माण क्यों नहीं कराया गया है? **(ग)** चमरया नाला पर पुल का निर्माण कब तक किया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। **(ख)** जी हाँ, नवीन पुल निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। **(ग)** निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।

जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी के विरूद्ध दर्ज शिकायत पर कार्यवाही

78. (क्र. 1275) श्री मुकेश नायक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या श्री श्रीकांत दीक्षित अध्यक्ष भास्कर जन विकास स्वास्थ्य एवं शिक्षा विकास समिति पन्ना द्वारा मुख्यमंत्री महोदय मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग एवं कलेक्टर जिला पन्ना को श्री प्रमोद कुमार पाठक परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण पन्ना के विरूद्ध दिनाँक 31.12.2014 एवं 20.04.2015 को 10 बिंदुओं की शिकायत प्रस्तुत की है? **(ख)** यदि हाँ, तो उसकी जाँच के क्या परिणाम रहे? **(ग)** जाँच परिणामों के आधार पर संबंधितों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो कब तक की जायेगी?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) श्री श्रीकांत दीक्षित, अध्यक्ष, भास्कर जन विकास स्वास्थ्य एवं शिक्षा विकास समिति पन्ना (म.प्र.) के पत्र दिनाँक 31-12-2014 द्वारा आठ बिन्दुओं एवं पत्र दिनाँक 20-04-2015 द्वारा 10 बिन्दुओं की शिकायत कलेक्टर जिला पन्ना को प्राप्त हुई है। **(ख)** एवं **(ग)** कलेक्टर पन्ना के स्तर पर कार्यवाही प्रचलित है। कलेक्टर जिला पन्ना द्वारा जाँच कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष एवं गुणदोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

पुल/पुलिया का निर्माण

79. (क्र. 1284) श्री दिव्यराज सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या भड़रा से चांद कुरैली पुल (टमस नदी) पर, कंचनपुर से जोड़ावरपुर मार्ग कोलहा घाट, भनिगवां बजरहा टोला से खरपटा पहुंच मार्ग महाना नहीं पर, गाढ़ा - 138 से खटिकान टोला पहुंच मार्ग मोहरा नाला का चम्पागढ़ से आदिवासी बस्ती मार्ग में आने जाने का मार्ग चार माह बरसात में बाधित रहता है? **(ख)** यदि प्रश्नांश **(क)** में दर्शाये गये ग्रामों का आवागमन बाधित होता है तो क्या आवागमन की सुविधा मुहैया कराये जाने के लिये पुल/पुलिया का निर्माण कार्य कराया जायेगा? यदि हाँ, तो समय सीमा बतायें? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के ही संदर्भ में क्या उक्त क्षेत्रों के ग्रामवासी पुल/पुलियां निर्माण न होने के कारण मुख्य मार्ग एवं जिला मुख्यालय से आने जाने से क्या वंचित नहीं होते, क्या स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है? यदि हाँ, तो क्या सर्वोच्च प्राथमिकता पर पुल/पुलियां का निर्माण कार्य कराकर आवागमन की समुचित सुविधा मुहैया करायी जायेगी? यदि हाँ, तो समय सीमा बतायें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। **(ख)** वर्तमान में न तो स्वीकृत है और न ही प्रस्तावित है। निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है। **(ग)** जी हाँ। जी हाँ। वर्तमान में न तो स्वीकृत है और न ही प्रस्तावित है। निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।

शास. पी.जी. कॉलेज शिवपुरी में विधि महाविद्यालय का भवन निर्माण

80. (क्र. 1290) श्री प्रहलाद भारती : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी में विधि महाविद्यालय भवन निर्माण स्वीकृत किया जाकर भवन निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग संभाग शिवपुरी को निर्माण एजेन्सी नियुक्त किया गया है? **(ख)** यदि हाँ, तो लोक निर्माण विभाग संभाग शिवपुरी द्वारा विधि महाविद्यालय भवन के निर्माण हेतु निविदा कब जारी की गयी थी एवं कार्य पूर्ण किये जाने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी थी? **(ग)** क्या उक्त भवन निर्माण हेतु संबंधित ठेकेदार को कार्य आदेश प्रदाय

किये जाने के उपरांत एवं समय सीमा समाप्त होने के पश्चात प्रश्न दिनाँक तक कार्य प्रारंभ ही नहीं किया गया है यदि हाँ, तो इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार है व उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है? **(घ)** विधि महाविद्यालय भवन शिवपुरी का निर्माण कार्य कब प्रारंभ कर कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। **(ख)** उक्त कार्य हेतु दो बार क्रमशः प्रथम निविदा दिनाँक 15.01.2014 को द्वितीय निविदा दिनाँक 20.05.2014 को निविदा बुलाई गई थी। उक्त कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु 15 माह का समय निर्धारित किया गया। **(ग)** कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा समाप्त नहीं हुई है। कार्य प्रारंभ भी नहीं हुआ है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार द्वारा स्ट्रक्चरल ड्रांइग एवं डिजाईन अनुमोदन हेतु प्रेषित की गई थी। वह त्रुटिपूर्ण होने के कारण अनुमोदित न होने से ठेकेदार द्वारा पुनः संशोधित ड्राईंग डिजाईन समय पर प्रेषित न कर अनुमोदन नहीं कराने के कारण ठेकेदार पर कार्यवाही प्रचलित है। **(घ)** स्ट्रक्चरल डिजाईन ड्राईंग का अनुमोदन प्राप्त होते ही कार्य प्रारंभ कर लिया जावेगा। कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

धौलागढ़ से मगरौनी सड़क का निर्माण

81. (क्र. 1294) श्री प्रहलाद भारती : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिवपुरी जिले में नरवर प्रवास के दौरान धौलागढ़ से मगरौनी वाया डोंगरी सड़क निर्माण की घोषणा की गयी थी? यदि हाँ, तो इस सड़क निर्माण की अद्यतन स्थिति क्या है? **(ख)** क्या दो वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी उक्त सड़क निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर प्राक्कलन शासन को प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है? उक्त सड़क निर्माण में हो रहे विलंब हेतु कौन-कौन जिम्मेदार है व उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है? **(ग)** माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रमुख घोषणाओं में शामिल उक्त सड़क का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ कर पूर्ण कर लिया जावेगा? समय सीमा बतावें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्राक्कलन परीक्षण उपरांत संशोधन किया जा रहा है। **(ख)** जी हाँ। जी हाँ। वन विभाग से अनुमति दिनाँक 13.04.2015 को प्राप्त हुयी है। उक्त सड़क निर्माण में विलंब हेतु कोई भी जिम्मेदार नहीं है, कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

चौरा घाट का निर्माण

82. (क्र. 1329) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनाँक 16.03.2015 के परि.अता. प्रश्न संख्या-149 (क्रमांक 4633) के उत्तर में पुस्तकालय परिशिष्ट में बताया गया कि हनुमना सोनौरी मार्ग में चौरा घाट के निर्माण में वन मण्डलाधिकारी रीवा द्वारा वनीकरण की राशि जमा कर कार्य विभाग करा सकता है एवं S.D.R. दर में परिवर्तन एवं पुनः प्राक्कलन तैयार कराया जा रहा है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के प्रकाश में क्या मान. मंत्री जी के रीवा भ्रमण दि. 15.06.15 को यह अवगत कराया गया है कि पुनरीक्षित प्राक्कलन बनाकर अधी. यंत्री रीवा को दिनाँक 25.03.15 को प्रेषित किया गया है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के प्रकाश में प्राक्कलन की

स्वीकृति कब तक प्रदाय कर दी जावेगी तथा स्वीकृत कर कब तक कार्य प्रारंभ कराया जावेगा? समय सीमा बतावें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) एवं **(ख)** जी हाँ। **(ग)** प्राक्कलन की स्वीकृति व कार्य प्रारंभ कराने हेतु निश्चित तिथि बताना संभव नहीं।

<u>विधानसभा में गलत जानकारी देने के दोषी के विरूद्ध कार्यवाही करने बाबत्</u>

83. (क्र. 1330) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनाँक 16/03/2015 के तारांकित प्रश्न क्र. 4633 में पुस्तकालय में दी गई जानकारी में बताया गया है कि (1) बी.टी.पैच रिपेयर अन्दर उपसंभाग मऊगंज लम्बाई 47.20 कि.मी. वर्ष 13-14 (1) डब्ल्यू.वी.टी. कन्सालिडेशन ऑफ जेल पहुंच मार्ग कि.मी. 1 से 4 वर्ष 2013-14 का कार्य पूर्ण है? तथा (3) जोनल वर्क फार वी.टी.पैच रिपेयर उप संभाग मऊगंज वर्ष 2014-15 कार्य प्रगति पर है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के प्रकाश में बिन्दु (1) का कार्य कहाँ पर कितने लागत का कराया गया विवरण सहित सूची उपलब्ध करावें तथा कार्य पूर्ण की गुणवत्ता कितने वर्ष की है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के बिन्दु (3) के कार्य कहाँ-कहाँ तथा कितने लागत के कराए गए है? विवरण सहित सूची उपलब्ध करावें? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** के प्रकाश में क्या कार्यों की भौतिक समीक्षा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रश्नकर्त्ता सदस्य की उपस्थिति में कराई जावेगी? यदि हाँ, तो कब, समय सीमा बतावें? यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट बतावें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। **(ख)** विवरण **संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ग)** विवरण **संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है**। **(घ)** जी हाँ। मान. विधायक महोदय से तिथि निश्चित होते ही। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "अट्ठाईस</u>"

<u>शासन संधारित मंदिरों के पुजारियों के मानदेय (नेय नोक)</u>

84. (क्र. 1344) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** शाजापुर जिले में शासन संधारित मंदिर कितने है? इन मंदिरों के देवताओं के नाम से कितनी-कितनी भूमि कहाँ-कहाँ है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित मंदिरों के पुजारियों को क्या मानदेय (नेय नोक) दिया जाता है यदि हाँ, तो वर्ष 2013-2014 व 2014-15 में कितनी राशि किन-किन पुजारियों को कब-कब दी गई? **(ग)** क्या काला पीपल तहसील के शासन संधारित मंदिरों के पुजारियों को मानदेय (नेय नोक) वर्ष 2014-15 का 25 जून तक प्रदान किया जा चुका है यदि नहीं, तो उसके लिए जबावदार कौन है क्या उनके विरूद्ध कार्यवाही कि जावेगी?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) शाजापुर जिले मे 976 शासन संधारित मंदिर है इन मंदिरों के देवताओं के नाम से जिले में 1799.899 हेक्टर भूमि है तथा जिले के बाहर 23.957 हेक्टर भूमि है। कितनी – कितनी भूमि देवताओं के नाम कहा है इसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ यह सही है कि प्रश्नांश 'क' मे उल्लेखित सूची के मंदिरों के पुजारियों को धर्मस्व विभाग द्वारा स्वीकृत निम्न प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया जाता है। (1) भूमिहीन पुजारी को 1,000/- (2) 5 एकड़ तक भूमि वाले पुजारी को 700/- (3) 5 एकड़ से अधिक एवं 10 एकड़ भूमि वाले पुजारीको 520/- (4) 10 एकड़ से अधिक भूमि वाले पुजारी को कोई मानदेय नहीं

दिया जाता है। वर्ष 2013-14 मे तथा वर्ष 2014-15 मे भुगतान किये गये मानदेय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है**। **(ग)** तहसील कालापीपल के शासन संधारित मंदिरों के पुजारियों को वर्ष 2014-15 का मानदेय 25 जून तक प्रदाय नहीं किया गया है। क्यों कि तहसीलदार शुजालपुर जो आहरण वितरण अधिकारी है उनके द्वारा पुजारियों के लिये आवंटित मानदेय की राशि कोषालय से आहरित नहीं की एवं राशि लेप्स कर दी गई। तहसीलदार श्री प्रकाश दुबे (डी.डी.ओ) एवं नायब नाजीर श्री काशीराम माली इसके लिये जवाबदार है। इन दोनों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये है।

केंद्रीय सड़क निधि से निर्मित सड़कें

85. (क्र. 1345) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक म.प्र. में केंद्रीय सड़क निधि (CRF) से वर्षवार कौन-कौन सी सड़कों की स्वीकृति हुई थी एवं कितनी सड़कें बनकर तैयार हो चुकी हैं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित सड़कों में कौन-कौन सी सड़कों की परफॉरमेंस ग्यारंटी की अवधि तीन (3) वर्ष थी, क्या ऐसी सड़कें भी हैं, जिनकी ग्यारन्टी अवधि एक (1) वर्ष की थी, यदि हाँ, तो ऐसी कौन-कौन सी सड़कें हैं? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित सड़कों की परफॉरमेंस ग्यारंटी अवधि निर्धारित केंद्र शासन द्वारा की जाती है या राज्य सरकार द्वारा? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित सड़कों में से जिनकी ग्यारंटी अवधि 1 (एक) वर्ष की है, उन सड़कों के निर्माणकर्ता (ठेकेदार) कौन थे, क्या विभाग एवं कान्ट्रेक्टर के मध्य कोई अनुबंध हुआ था?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। कुल 16 सड़के बनकर तैयार हो चुकी है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** सड़कों की परफारमेंस ग्यारंटी अवधि निर्धारित केन्द्र शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार थी। **(घ)** उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

टेण्डर स्वीकृति के उपरांत मार्ग निर्माण

86. (क्र. 1346) श्रीमती ललिता यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या छतरपुर में ईशानगर से नौगांव तथा कालापानी से परापट्टी होते हुए ईशानगर तक की सड़क के कार्य हेतु टेण्डर स्वीकृत कर लिये गये हैं अगर हां तो कब और कितने दिनों में यह मार्ग बनाने की शर्तों में है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के प्रकाश में अगर टेण्डर स्वीकृत है तो ठेकेदार द्वारा कितना कार्य किस मार्ग पर किया गया है? **(ग)** अगर ठेकेदार द्वारा तय सीमा में कार्य नहीं किया जा रहा है तो ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई? अगर हां तो क्या अगर नहीं तो क्यों नहीं? **(घ)** यह मार्ग कब तक विभाग द्वारा तैयार करा दिया जायेगा? समय सीमा सहित बतायें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ, विस्तृत **जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" के स्तम्भ 13 में दर्शायेनुसार** है। **(ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" के स्तम्भ 14 में दर्शायेनुसार** है। **(घ) जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" के स्तम्भ 15 में दर्शायेनुसार** है।

परिशिष्ट - "उनतीस"

वनों के संरक्षण के नाम पर राशि का बंदरवाट

87. (क्र. 1347) श्रीमती ललिता यादव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** छतरपुर जिले में विभाग द्वारा वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में प्रश्न दिनाँक तक वनों के संरक्षण के लिये क्या-क्या कार्य किये गये विधानसभा क्षेत्रवार कार्य बतायें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के प्रकाश में वनों के संरक्षण के कार्य पर कितनी राशि व्यय की गई? **(ग)** प्रश्नांकित अवधि में विभाग द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण किस-किस अधिकारी द्वारा किया गया और वर्तमान में कार्य किस स्थिति में हैं?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

वन भूमि के पट्टेधारियों को वन अधिकार पत्र प्रदान किया जाना

88. (क्र. 1353) श्री रामनिवास रावत : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील के ग्राम अर्रोद के 36 कृषकों को वर्ष 1979 में वन विभाग द्वारा पट्टे प्रदाय किए गए थे? यदि हाँ, तो कृपया पट्टेधारियों के नाम, पते सहित बतावें कि उक्त भूमि पुनः राजस्व विभाग को ट्रासंफर होने के कारण 1992 में पुनः राजस्व विभाग द्वारा पट्टे प्रदाय किए गए? यदि हाँ, तो किन-किन को कितने-कितने रकबे के? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के पट्टों को 2000-2001 में निरस्त कर दिए गए हैं? प्रश्नकर्ता की ध्यानाकर्षण सूचना दिनाँक 30 मार्च 2007 द्वारा वर्ष 1980 से पूर्व के पट्टों को वन विभाग द्वारा बेदखल नहीं करने की बात तत्कालीन राजस्व मंत्री द्वारा स्वीकार की थी? तो क्या वन विभाग द्वारा उक्त जमीन से बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ, तो क्यों? इसके लिए कौन उत्तरदायी है? बतावें? **(ग)** क्या यह सही है कि वन अधिकार अधिनियम के तहत आदिवासियों के नवम्बर 2005 व अन्य के लिए 75 वर्ष तक का कब्जा सिद्ध होने पर वन अधिकार प्राप्त करने की पात्रता है? यदि हाँ, तो 17 कृषकों के पूर्वज 120 वर्ष पूर्व से काबिज थे व खेती करते चले आ रहे हैं जो संवत 1933 की किस्त बंदी खतौनी से सिद्ध होता है? यदि हाँ, तो क्या उक्त कृषक जो भूमि से बेदखल हैं, को वन अधिकार प्रदान करने के आदेश शासन जारी करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जी नहीं। प्रश्नांकित ग्राम की वन भूमि पर दिनाँक 31.12.1976 के पूर्व 21 पात्र अतिक्रामकों को वर्ष 1979 में वन विभाग द्वारा अस्थाई पट्टे दिये गये थे। पट्टेधारियों के नाम, पते की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार** है। अतिक्रमण व्यवस्थापन योजना अंतर्गत पात्र अतिक्रामकों की वन भूमि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-34 अ की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-60/89/10-3 (13) दिनाँक 04.12.1990 राजपत्र प्रकाशन दिनाँक 5.12.1990 से निर्वनीकृत की गई। राजस्व विभाग द्वारा पुनः वर्ष 1992 में 18 पात्र व्यक्तियों को स्थाई पट्टे प्रदाय किये गये। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। (ख)** जी नहीं। अपितु उत्तरांश 'क' में वर्णित 18 पट्टों में से 9 पट्टे राजस्व विभाग द्वारा निरस्त किये गये। प्रश्नाधीन भूमि का वैधानिक स्वरूप राजस्व होने के फलस्वरूप शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी नहीं। अनुसूचित जन जाति हेतु 13.12.2005 के पूर्व तथा अन्य परंपरागत वन निवासी हेतु 13.12.2005 से पूर्व कम से कम तीन पीढ़ियों तक प्राथमिक रूप से वन या वन भूमि पर निवास करता रहा हो को वन अधिकार पत्र देने को प्रावधान है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 में प्रावधानित

जिला स्तरीय समिति द्वारा विजयपुर तहसील के ग्राम अर्रोद के वन भूमि पर काबिज 4 आदिवासी पात्र दावेदारों को वन भूमि के अधिकार पत्र दिये गये हैं। ग्राम अर्रोद में अन्य दावेदारों को निर्धारित तिथि 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्ष निरन्तर काबिज होने के साक्ष्य प्रस्तुत न होने से दावों को सक्षम समिति द्वारा अमान्य किया गया। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सड़कों की भार वाहन की क्षमता

89. (क्र. 1373) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश में सड़क निर्माण की विभिन्न योजनाओं में बनी सड़के जैसे MPRDC-CRF अन्य योजनाओं में बनी सड़कों की भार वाहन क्षमता क्या है व कितने वजन तक के वाहन गुजर सकते हैं? क्या क्षमता से अधिक वजन या लम्बाई के वाहनों द्वारा परिवहन करने पर कोई विशेष अनुमति लेने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो क्या? पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावे? **(ख)** क्या रतलाम जिले के जावरा एवं पिपलौदा विकासखण्ड की सड़कें व भीमाखेड़ी, कालूखेड़ा की सड़के व गांव की ग्रामीण सड़के एवं जावरा नयागांव लेबड मार्ग पर पवन उर्जा निर्माण कम्पनियों के कई-कई टन भारी एवं कई फीट लम्बे अधिक रेडियस वाले वाहन निकलने से सड़कों में नुकसान हो रहा है? इस नुकसान से बचने हेतु विभाग ने क्या-क्या प्रयास कब-कब किये? इस क्षेत्र में सड़कों की हुई क्षति के लिए शासन द्वारा पवन उर्जा कम्पनियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई व कब ग्रामवार, नामवार विवरण दें? यदि नहीं, तो क्यों व यदि कार्यवाही की जायेगी तो कब तक व क्या? **(ग)** क्या पवन उर्जा कम्पनियों द्वारा भारी वाहन परिवहन हेतु विभाग से अनुमति ली है यदि हाँ, तो अनुमति कर विवरण उपलब्ध करावे? यदि नहीं, तो विभाग ने उक्त कम्पनियों पर क्या कार्यवाही की?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में निर्मित मार्गों हेतु उनकी डिजाइन अवधि (वर्षों) में जितने मिलियन स्टेन्डर्ड एक्सल द्वारा उपयोग किये जाने का प्रावधान है, वह उस मार्ग की भार वाहन क्षमता है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 के कालम 3 व 4 में दर्शित** अधिकतम ग्रोस व्हीकल वेट एवं अधिकतम सैफ व्हीकल वेट दर्शित है। अधिकतम वजन या लंबाई के वाहनो के परिवहन हेतु लोक निर्माण विभाग, नियमावली के सेक्शन-8 पैरा 9.031 में अनुमति लेने का प्रावधान **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र " अ " अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं। संबंधित एजेंसी को नोटिस जारी किये गये है।

रोड़ों के चौड़ीकरण एवं डामरीकरण

90. (क्र. 1375) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ग्वालियर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पहुँच मार्ग मालनपुर, बहादुरपुर, विल्हेटी, सुपावली, जखारा होते हुए बेहर तक पहुँच मार्ग का डामरीकरण कराये जाने हेतु क्या कोई प्रस्ताव दिनाँक 05.07.14 को विभाग को प्राप्त हुआ था? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** उक्त पहुँच मार्ग का चौड़ीकरण एवं शेष डामरीकरण कार्य कब तक किया जावेगा? समय-सीमा बतायें? **(ग)** विभाग द्वारा उक्त पहुँच मार्ग विभागीय बजट में शामिल किया गया है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो कब तक शामिल किया जावेगा? समय-सीमा बतायें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** उक्त मार्ग विभाग के अधीन स्वीकृत नहीं है एवं न ही विभाग के बजट में सम्मिलित है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी नहीं। समयावधि बताया जाना संभव नहीं। समयावधि बताया जाना संभव नहीं।

परिशिष्ट - "तीस"

सीधी-सिंगरौली मार्ग का निर्माण

91. (क्र. 1378) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सीधी-सिंगरौली मार्ग N.H.75 के निर्माण हेतु विगत 2 1/2 वर्ष पूर्व भूमि पूजन हुआ था और निर्माण की गति धीमी होने के कारण इस मार्ग का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है? **(ख)** यदि हाँ, तो मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कराया जा सकेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। जी हाँ। **(ख)** प्रोजेक्ट कन्सेशनायर मेसर्स सीधी-सिंगरौली रोड प्रा.लि. के संशोधित निर्माण कार्य प्रोग्राम के अनुसार फोरलेन मार्ग निर्माण कार्य अगस्त-2016 में पूर्ण होने की संभावना है।

गृह निर्माण समिति को भूमि का आवंटन

92. (क्र. 1385) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भोपाल शहर अन्तर्गत ग्राम शहपुरा जिला-भोपाल के खसरा नं. 266-27 रकवा 9.22 एकड़, खसरा नं. 272 रकवा 14.98 एकड़, खसरा नंबर 278 रकवा 0.42 एकड़, खसरा नं. 279 रकवा 14.98 एकड़, खसरा नं. 270 रकवा 3.51 एकड़, खसरा नं. 267-271 रकवा 33.62 एकड़ में से चार एकड़ जमीन भोपाल स्थित किस अधिकारी गृह निर्माण समिति द्वारा मांग की गई है? यदि हाँ, तो क्या भूमि आवंटित की जा चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों? **(ख)** उक्त प्रकरण कितने वर्षों से शासन के अधीन लम्बित है? आवंटन नहीं हुआ है तो कब तक आवंटित कर दी जावेगी?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) एवं **(ख)** वस्तुस्थिति यह है कि भोपाल शहर अन्तर्गत ग्राम शाहपुरा के खसरा क्रमांक-272, 266-267 में से रकबा 4.00 एकड़ भूमि के आरक्षण करने की मांग म.प्र.विधानसभा सचिवालय अधिकारी गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा की गई थी। उक्त भूमि का आरक्षण करने का प्रस्ताव कलेक्टर, भोपाल से दिनाँक 16.2.10 के पत्र से प्राप्त हुआ था। तत्कालीन आवास एवं पर्यावरण विभाग के पत्र क्रं. एफ 12-6/11/32 दिनाँक 21.4.2011 से ये निर्देश जारी किये गये थे कि व्यक्ति/संस्था के पक्ष में भोपाल निवेश क्षेत्र की भूमि आरक्षण राजस्व विभाग द्वारा सुस्पष्ट नीति बनाने के उपरान्त ही किया जाएगा। अतः उक्त कारण से भूमि का आरक्षण नहीं किया गया है। भोपाल निवेश क्षेत्र में सामान्यतः भूमि आरक्षण के उपरान्त ही भूमि आवंटन की कार्यवाही की जाती है।

निर्धारित मानक के अनुसार निर्माण कार्य कराया जाना

93. (क्र. 1390) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** हटा जिले दमोह से रैपुरा जिला पन्ना व्हाया पटैरा निर्माणाधीन सड़क का निर्माण कार्य कितनी लागत से कब स्वीकृत किया गया? **(ख)** उक्त मार्ग का कार्यादेश किस निर्माण एजेन्सी को किन-

किन शर्तों के साथ कब तक कार्य पूर्ण किया जाना था? क्या ठेकेदार द्वारा उक्त मार्ग पर निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कार्य न कराया जाकर अत्यंत निम्न स्तर का कार्य कराया गया है? **(ग)** क्या उक्त मार्ग पर बनाए गए पुल/पुलिया की ऊंचाई एवं चौड़ाई निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप न कराया जाकर आवश्यकता से अधिक ऊंचाई-चौड़ाई के बनाए गए हैं एवं मार्ग पर निम्न स्तर की मुरम का उपयोग किया जा रहा है मार्ग पर पानी डालकर बायग्रेटर का उपयोग भी नहीं किया गया है तथा पटरी भराई हेतु जो मिट्टी डाली जा रही है वह मार्ग के किनारे आसपास की कृषि भूमि से मिट्टी खोदकर डाली जा रही है जिससे शासन को खनिज के एवज में मिलने वाली रायल्टी का नुकसान भी हो रहा है? **(घ)** क्या उपरोक्त प्रश्नांशों के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2014-15 में प्रश्नकर्ता सहित किन-किन के द्वारा माननीय मंत्री जी को पत्र लिखकर जाँच की मांग की गई है? **(ड.)** यदि हाँ, तो उपरोक्त के संबंध में निष्पक्ष जाँच कराई जाकर जिम्मेदार अधिकारियों/ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है। **(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। जी नहीं, कार्य की गुणवत्ता ठीक है। **(ग)** जी नहीं। जी नहीं, निर्माण कार्य में निर्धारित गुणवत्ता की मिट्टी का उपयोग कर निर्धारित मात्रा में पानी डालकर सोइल कॉम्पैक्टर का उपयोग कर मिट्टी के काम्पेक्सन का कार्य कराया गया है। पटरी भराई हेतु 12 सीबीआर से अधिक की मिट्टी का उपयोग प्रावधानित है। तद्नुसार किया जा रहा है। नियमानुसार देय नहीं। अतः मिटटी की रायल्टी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। **(घ)** जी हाँ। उपरोक्त प्रश्नांशो के परिप्रक्ष्य में वर्ष 2014-15 माननीय विधायक जी के अतिरिक्त श्री नीलेश अवस्थी, माननीय विधायक जी द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना क्र. 291-डी द्वारा विधानसभा में ध्यानाकर्षित किया गया था, जिसकी जानकारी तत्समय शासन को दी जा चुकी थी। **(ड.)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>परिशिष्ट - "इकतीस</u>"

<u>राज्य मंत्रालय स्थित पार्क में राष्ट्रीय ध्वज का फ्लेग कोड का उल्लंघन/अपमान</u>

94. (क्र. 1391) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री आरिफ अकील : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राज्य मंत्रालय भोपाल के वल्लभ भाई पटेल पार्क में दिनाँक 27.05.2015 को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ध्वजारोहण किया था? **(ख)** यदि हाँ, तो उक्त राष्ट्रीय ध्वज की ऊंचाई, आकार एवं गुणा कितने-कितने फीट है एवं इस ध्वज के लिए किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि किस-किस मद से कुल कितनी राशि व्यय की गई? **(ग)** क्या उक्त राष्ट्रीय ध्वज के लिए शासन के अधिकारियों द्वारा अध्ययन दौरा किया गया था? यदि हाँ, तो किन-किन अधिकारियों ने कब-कब, कहाँ-कहाँ दौरा किया एवं उनके यात्रा-भत्ते आदि पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? **(घ)** उक्त राष्ट्रीय ध्वज को कब-कब, किन-किन कारणों से चढ़ाया एवं उतारा गया, इस कार्य पर कितनी राशि व्यय हुई एवं राष्ट्रीय ध्वज कब-कब क्षतिग्रस्त हुआ है तथा इसकी मरम्मत पर कितनी राशि व्यय की गई? **(ड.)** क्या राजधानी परियोजना प्रशासन के अधिकारियों ने उक्त ध्वज में फ्लेग कोड का उल्लंघन करते हुए घटिया सामग्री का उपयोग करने से राष्ट्रीय ध्वज बार-बार क्षतिग्रस्त हुआ है? इस तरह से फ्लेग कोड का उल्लंघन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है? क्या राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले संबंधित दोषियों के विरूद्ध देशद्रोह का प्रकरण पंजीबद्ध

किया जाएगा एवं क्या इस संपूर्ण प्रकरण की जाँच कराई जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। **(ख)** राष्ट्रीय ध्वज का आकार 90×60 फीट है। ध्वजदंड की ऊंचाई 71.50 मीटर है। ध्वज पर व्यय की गई राशि का **विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-ब अनुसार** हैं। **(ड.)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "बत्तीस"

नगर पंचायत मनगवां में बायपास नेशनल हाइवे पर ओवर ब्रिज निर्माण

95. (क्र. 1420) श्रीमती शीला त्यागी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रीवा जिले के एन.एच.-7 एवं एन.एच.-27 वें, फोरलाइन निर्माण में मनगवां कस्बे से बाईपास का निर्माण किया गया है तथा मनगवां बाजार से मनगवां बस्ती व अन्य सैकड़ों गाँवों के आवागमन के लिए ओवरब्रिज का निर्माण बिल्डिकान कम्पनी द्वारा किया जावेगा यदि नहीं, तो क्यों? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में अंकित बाईपास में प्रश्न दिनाँक तक कितनी घटनाएं हुई तथा दुर्घटना में कितने लोगों की मृत्यु हुई दिनाँकवार जानकारी देवे? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में बाईपास निर्माण के लिए स्थानीय स्तर पर कितने धरना, प्रदर्शन व पत्राचार किए गये उनके निराकरण में क्या कार्यवही हुई जानकारी देवे? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** के सन्दर्भ में निर्माण कम्पनी द्वारा कब तक में ओवरब्रिज का निर्माण कराया जायेगा? समय सीमा बताए व ब्रिज निर्माण न होने की स्थिति में उक्त कम्पनी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। जी नहीं। अनुबंध में प्रावधान नहीं। **(ख)** पुलिस विभाग से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार** दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हुई है। **(ग)** धरना प्रदर्शन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्टि "ब" अनुसार** अनुबंध में प्रावधान नहीं है। कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

दुकानों के निर्माण व आंवटन

96. (क्र. 1421) श्रीमती शीला त्यागी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रीवा जिले के नगर निगम रीवा शहर में मिली प्लाज हेमू चौराहे से साई मंदिर रोड के किनारे निर्मित दुकानों का आवंटन आज दिनाँक तक क्यों नहीं किया गया है कब तक आवंटित कर दी जावेंगी? **(ख)** रीवा नगर निगम के अंदर समढडिया बिल्डर्स द्वारा कितनी दुकानों का निर्माण शासकीय भूमि पर किस नियम के तहत व भूमि का आवंटन किस आदेश के तहत किया गया है? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के संदर्भ में बिल्डर्स द्वारा क्या करार किया गया है एवं दुकानों के वितरण किस पद्धति व नियम के तहत किया है? यदि शासन के आदेशों का पालन नहीं किया गया तो क्या कार्यवाही कब तक होगी? **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** के संदर्भ में शासनादेशों के परिपालन में क्या अनु.जाति/जनजाति वर्ग/पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का पालन किया गया है यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) म.प्र. शासन राजस्व विभाग में विचाराधीन है। **(ख)** कुल 54 दुकानों का निर्माण किया गया, एवं पुर्नघनत्वीकरण योजना के अंतर्गत म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के पत्र क्रमांक एफ-23-02/2012/32-1 भोपाल दिनाँक 04.07.2015 के

द्वारा मेसर्स समदडिया बिल्डर्स को स्वीकृति दी गई। **(ग)** कलेक्टर जिला-रीवा एवं मेसर्स समदडिया बिल्डर्स प्रा.लि. जबलपुर के मध्य दिनाँक 05.12.2012 को करार निष्पादित किया गया है, दुकानों का वितरण उक्त शासकीय भूमि पर पूर्व से व्यवसायरत फुटपाथ व्यवसायियों एवं पूर्व में मण्डल द्वारा आवंटित 9 दुकानदारों का किया गया। **(घ)** पुर्नघनत्वीकरण योजना के तहत दुकानों का आवंटन किया गया, अनु.जाति/जनजाति/पिछड़ा वार्ग को आरक्षण देने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मंडला मंदिरों का जिले में रख-रखाव

97. (क्र. 1429) श्री रामप्यारे कुलस्ते : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** मंडला जिले में कितने ऐसे मंदिर है जो सरकार की देख-रेख में है? नाम, स्थान बतायें? **(ख)** उक्त मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु रख-रखाव में पिछले दो वर्षों में कौन-कौन से कार्य कराये गये हैं? **(ग)** नर्मदा-बुढनेर संगम देवागांव स्थित शिव मंदिर तथा दुर्वासा आश्रम डुबटा घाट के उद्धार हेतु कोई कार्य योजना है? **(घ)** अगर कार्य योजना है, तो कब तक जीर्णोद्धार कार्य किया जावेगा?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) मण्डला जिले के अंतर्गत शासन संधारित (प्रबंधक कलेक्टर दर्ज) मंदिरों की संख्या 34 है जिनके नाम स्थान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। **(ख)** उक्त मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु रखरखाव में पिछले दो वर्षों में कार्य कराये जाने की जानकारी निरंक है। **(ग)** जी नहीं। **(घ) (ग)** के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

इंदौर से सोनकच्छ सिटी बस सेवा शुरू की जाना

98. (क्र. 1435) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या इंदौर से सोनकच्छ सिटी बस चलाने हेतु कोई प्रस्ताव है? क्या इंदौर से सोनकच्छ सिटी बस के संबंध में कोई कार्यवाही चल रही है या नहीं? **(ख)** यदि कार्यवाही चल रही है तो कब तक इंदौर से सोनकच्छ सिटी बस चलना शुरू हो जावेगी? यदि नहीं, तो क्या भविष्य में इसकी कोई संभावना है?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी नहीं। जी नहीं **(ख)** उत्तरांश 'क' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

खमारपानी लोधीखेड़ा से खैरी घोराड़ सड़क का निर्माण

99. (क्र. 1447) पं. रमेश दुबे : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला योजना सीमा क्या है, इसकी परिभाषा बताते हुए लोक निर्माण विभाग के द्वारा मध्यप्रदेश में विगत तीन वित्तीय वर्षों में किन-किन सड़कों के निर्माण हेतु कितनी-कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी, सड़कों के निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि की जानकारी जिलेवार दें? **(ख)** क्या शासन ने सड़कों के निर्माण हेतु धनराशि आवंटन के लिए जिलेवार कोई सीमा निर्धारित की हुई है? यदि हाँ, तो किन नियम निर्देशों में यह व्यवस्था है या जिलेवार धनराशि आवंटन हेतु शासन अथवा विभाग ने कोई निर्णय लिया है तो ऐसे लिये गये निर्णय की प्रति सहित जानकारी दें? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** के प्रकाश में मध्यप्रदेश के अन्य जिलों एवं विधानसभा क्षेत्रों की तुलना में विगत तीन वर्षों में सड़कों के निर्माण हेतु छिन्दवाड़ा जिले को आवंटित धनराशि व विधान सभा क्षेत्र चौरई को आवंटित धनराशि की जानकारी देते हुए यह बतावें कि उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नकर्ता के

प्राथमिकता वाली सड़क खमारपानी-लोधीखेड़ा से खैरी-घोराड़ तक सड़क निर्माण के निवेदन पर शासन का यह जवाब कि जिले में योजना सीमा उपलब्ध न होने से वर्तमान बजट में शामिल करना अथवा सड़क निर्माण कराना संभव नहीं है, को कहाँ तक उचित माना जा सकता है? **(घ)** क्या शासन प्रश्नकर्ता विधायक के प्राथमिकता में शामिल उक्त सड़क के निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराकर शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का आदेश देगा यदि हाँ, तो कब तक धनराशि उपलब्ध कराया जाकर निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) प्रत्येक वर्ष राज्य के संसाधनों के आधार पर जिलों की विकास योजनाओं के लिये राज्य योजना मण्डल द्वारा निर्धारित अधिकतम राशि जिला योजना सीमा होती है। वित्त विभाग की केन्द्रीय कृत बजट आहरण प्रणाली के अन्तर्गत विभाग द्वारा आवंटन जिलेवार/कार्यवार न किया जाकर केन्द्रीय कृत व्यवस्था से किया जाता है, इस व्यवस्था में कार्य की प्रगति के आधार पर सम्पूर्ण प्रदेश हेतु उपलब्ध राशि का व्यय अधीनस्त कार्यालयों द्वारा किया जाता है एवं किये गये व्यय को ही आवंटन मान्य किया जाता है। विभाग द्वारा जिला सेक्टर में 3 वर्षों में दिये गये आवंटन/व्यय की स्थिति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार** है। **(ख)** उत्तरांश "क" अनुसार जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** कुल उपलब्ध आवंटन के मान से प्रति जिला औसत योजना सीमा के विरूद्ध संबंधित वर्ष में छिन्दवाड़ा जिले में किया व्यय/आवंटन **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार** है। योजना सीमा विधान सभा क्षोत्रवार नहीं होती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रश्नाधीन कार्य की स्वीकृति की कार्यवाही मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण में प्रचलित है **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार** है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जनप्रतिनिधियों से अभद्र व्यवहार करने वाले कर्मचारी के विरूद्ध जाँच एवं कार्यवाही

100. (क्र. 1448) पं. रमेश दुबे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. के नगरीय क्षेत्रों के भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु किन नियमों/निर्देशों में क्या मापदंड निर्धारित किये गये है? भवन निर्माण की स्वीकृति के समय कौन-कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करने पर निर्माण की स्वीकृति प्रदान किये जाने का प्रावधान है? नियम निर्देश की प्रति सहित यह बतावें कि क्या नगर पालिका चौरई में इन नियमों/निर्देशों का पालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार है? **(ख)** नगरपालिका चौरई जिला छिन्दवाड़ा के लोक निर्माण शाखा का कार्य किस कर्मचारी के द्वारा कब से किया जा रहा है? इस शाखा को विगत दो वर्षों में किस-किस मामले के कितने आवेदन पत्र कब-कब आवक-जावक शाखा से अथवा सीधे प्राप्त हुआ? आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि, सक्षम अधिकारी के समक्ष नस्ती प्रस्तुत करने की तिथि और उसके निराकरण की तिथि बतावें? **(ग)** क्या नगरपालिका चौरई के लोक निर्माण शाखा का कार्य देख रहे कर्मचारी के द्वारा नगरपालिका के निर्वाचित पार्षदों से अभद्र व्यवहार करने, स्वयं की अथवा परिवार के सदस्यों की दुकान से निर्माण सामग्री क्रय करने हेतु बाध्य करने इत्यादि की शिकायत प्रश्नकर्ता को प्राप्त होने पर प्रश्नकर्ता ने पत्र क्रमांक 248 दिनाँक 15.03.2015 मा. मुख्यमंत्री महोदय को पत्र क्रमांक 38 दिनाँक 16.01.2015, क्रमांक 247 दिनाँक 15.03.2015, क्रमांक 326 दिनाँक 04.04.2015 कलेक्टर छिन्दवाड़ा को प्रस्तुत किया है? **(घ)** यदि हाँ, तो क्या शासन संबंधित कर्मचारी को अन्यत्र पदस्थ कर

उसके विरूद्ध शिकायत की जाँच प्रश्नकर्ता द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि के उपस्थिति में कराकर उसके विरूद्ध कार्यवाही करने का आदेश देगा यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार भवन स्वीकृति दी जाती है। भवन निर्माण स्वीकृति हेतु भूमि स्वामित्व दस्तावेज, डायवर्सन खसरा-नक्शा आदि दस्तावेज आवश्यक है। जी हाँ, म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम/निर्देशों का पालन किया जा रहा है। नियम/निर्देशों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" पर** है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" पर** है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" पर** है। **(ग)** जी हाँ। **(घ)** निकाय द्वारा संबंधित कर्मचारी को लोक निर्माण शाखा से हटाकर कार्यालीन आदेश क्रं. 238 दिनाँक 17.06.2015 द्वारा अन्य शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया है। उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, जबलपुर संभाग, जबलपुर को शिकायत की जाँच हेतु निर्देशित किया गया है।

चिचोली बैतूल संभाग (लो.नि.वि.) में सड़क निर्माण

101. (क्र. 1456) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** चिचोली (बैतूल) में कितने मार्ग स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है? **(ख)** कितने मार्गों का सर्वे हुआ है? डी.पी. आर तैयार मार्ग का नाम देवें? **(ग)** क्या कालापत्थर-फोंगरया मार्ग स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कब तक स्वीकृति होगी? **(घ)** उक्त मार्ग को आदिवासी क्षेत्र में म.प्र. शासन प्राथमिकता देगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) कोई भी मार्ग स्वीकृति हेतु प्रस्तावित नहीं है। **(ख)** तीन मार्गों (1) भैंसदेही चिल्कापुर मार्ग लंबाई 10.40 कि.मी. (2) मुलताई आठनेर चिल्कापुर मार्ग लंबाई 72.60 कि.मी. (3) भौरी फोपलिया मार्ग लंबाई 30.40 कि.मी. की डी.पी.आर. तैयार की जा रही है। **(ग)** जी नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(घ)** वर्तमान में किसी भी योजना में प्रस्तावित नहीं है।

उत्तर वन मंडल (सामान्य) बैतूल में अवैध कटाई

102. (क्र. 1457) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उत्तर वन मंडल सामान्य बैतूल में कितने वन अनुभाग है मुख्यालय का नाम बातईये (1) वन परिक्षेत्र भी बताईय? **(ख)** वन परिक्षेत्र शाहपुर में कब आरामशीन बंद हुये है (1) क्या अवैध लकड़ी जब्त हुई थी (2) यदि हाँ, तो लकड़ी की मात्रा देवें? **(ग)** भौरा परिक्षेत्र के कुप्पा सहायक क्षेत्र में वन की कटाई कब रूकेगी? **(घ)** म.प्र. वन विभाग उक्त सहायक परिक्षेत्र अधिकारी कुप्पा की अवैध कटाई की जाँच कर निलंबित करेगा?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) प्रश्नांकित वनमंडल में 03 वन अनुभाग हैं, जिनके मुख्यालय बैतूल, शाहपुर तथा सारणी हैं एवं 05 वन परिक्षेत्र हैं जिनके मुख्यालय बैतूल, शाहपुर, भौरा, सारणी एवं रानीपुर हैं। **(ख)** वन परिक्षेत्र शाहपुर में, अवैध लकड़ी जप्त होने से आरामशीन वर्ष 2004 से बंद है। सागौन इमारती 35 नग बराबर 0.175 घनमीटर एवं सागौन फरदी 50 नग बराबर 28.500 किलोग्राम जप्त हुई थी। **(ग)** एवं **(घ)** भौंरा परिक्षेत्र के कुप्पा सहायक वन परिक्षेत्र में निस्तारी कटाई को छोड़कर वन कटाई जैसी कोई स्थिति नहीं हैं। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कुंभराज नगर पंचायत के निर्माण कार्यों एवं क्रय की गई सामग्री में अनियमितता

103. (क्र. 1479) श्रीमती ममता मीना : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** गुना जिले में कुंभराज नगर पंचायत में वर्ष 2008 से 2014 तक किये गये निर्माण कार्य एवं क्रय की गई सामग्री एवं पेयजल में हुई शिकायतों की जाँच में कौन-कौन दोषी पाये गये? **(ख)** कुंभराज नगर पंचायत में 2008 से 2014 के बीच में किये गये कार्यों में भ्रष्टाचार की जाँच में दोषी पाये गये लोगों पर क्या कार्यवाही की गई है? **(ग)** क्या विभाग दोषी पाये गये अधिकारी, कर्मचारी एवं ठेकेदारों पर कार्यवाही करेगा? क्या आपराधिक प्रकरण दर्ज करेंगा? **(घ)** नगर पंचायत कुंभराज के तत्कालीन अध्यक्ष, सी.एम.ओ. एवं कर्मचारी तथा निर्माण एजेन्सी के विरूद्ध जाँच प्रतिवेदन कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन ग्वालियर के पत्रांक 06/583 ग्वालियर दिनाँक 22-07-2006 के बिल क्रं. 1 लगायत 5 तक में दोषी पाये गये पदाधिकारियों पर कब तक कानूनी कार्यवाही होगी एवं राशि कब तक वसूल होगी?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से **(ग)** नगर परिषद कुम्भराज में वर्ष 2008-09 में किये गये निर्माण कार्य, क्रय की गई सामग्री एवं पेयजल से संबंधित शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष अनुसार गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जिला आर.टी.ओ. कार्यालय भवन का निर्माण

104. (क्र. 1483) श्रीमती ममता मीना : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** गुना जिला आ.टी.ओ. कार्यालय भवन गुना निर्माण कार्य संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. गुना द्वारा कराया जा रहा है जिसका कार्यादेश ठेकेदार को दिनाँक 17.07.2014 को दे दिया गया था? ठेकेदार का प्रथम रनिंग देयक राशि 70.00 लाख (सत्तर लाख) दिनाँक 20.03.2015 से भुगतान हेतु लंबित है तीन माह से भुगतान क्यों नहीं किया गया? कारण बतायें? **(ख)** जब आर.टी.ओ. कार्यालय निर्माण कार्य में राशि विभाग के पास उपलब्ध नहीं थी तो निविदा क्यों लगाई गयी कार्यादेश जारी के 11 माह तक उक्त निर्माण कार्य में राशि क्यों उपलब्ध नहीं कराई गयी? निर्माण कार्य की समय अवधि निकल रही है इसके लिये कौन जवाबदार है?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ, जी हाँ। प्राप्त आवंटन से राशि रू. 21.00 लाख का भुगतान दिनाँक 14.07.2015 को कर दिया गया है। शेष आवंटन उपलब्ध होने पर भुगतान किया जावेगा। **(ख)** कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत निविदा लगाई गई दिनाँक 13.07.2015 को 21.00 लाख आवंटन प्राप्त हुआ है एवं तदानुसार दिनाँक 14.07.2015 को भुगतान कर दिया गया है। शेष आवंटन की मांग की गई है। निर्माण कार्य की अवधि के लिए अनुबंध अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

सड़क निर्माण हेतु वृक्षों की कटाई

105. (क्र. 1510) श्री जितू पटवारी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिंहस्थ 2016 के मद्देनज़र उज्जैन देवास मार्ग एवं कितने अन्य रोडों का चौड़ीकरण एवं सजावट का कार्य किया जाकर हरे वृक्षों को काटा गया है, रोडों के नाम सहित काटे गये वृक्षों की संख्या बतावें? **(ख)** रोड चौड़ीकरण हेतु तैयार की गई डी.पी.आर. में कितने वृक्षों को पुन: लगाने का

प्रावधान रखा गया था एवं कितने वृक्ष लगाये गये है? **(ग)** क्या वृक्षों को काटने के पूर्व वन विभाग से NOC ली जाकर कोई अनुबंध किया गया था? इस हेतु विभाग द्वारा वन विभाग को कितनी राशि भुगतान की गई है? **(घ)** क्या विभाग द्वारा वृक्षों को लगाने की जगह रोड डिवाईडर के मध्य गमले रख कर पौधे लगाये गये है, यदि हाँ, तो क्यों, कितने एवं इस हेतु कितनी राशि व्यय की गई है? **(ड.)** रोड चौड़ीकरण के दौरान रोड के दोनों तरफ पर्याप्त स्थान होने के बावजूद वृक्ष क्यों नहीं लगाये गये हैं, कारण बतावें? (च) क्या रखे गये गमले एवं लगाये गये पौधे सुरक्षित है? विभाग द्वारा इनकी सुरक्षा हेतु क्या व्यवस्था की गई है?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** कोई नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी नहीं। शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ड.)** स्वीकृत प्राक्कलन में प्रावधान न होने से। (च) प्रश्नांश 'घ' एवं 'ड' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

पार्किंग एवं एम.ओ.एस. पर अवैध निर्माण

106. (क्र. 1511) श्री जितू पटवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बहुमंजिला इमारतों, मॉल्स, हॉस्पिटल एवं काम्पलेक्स निर्माण की अनुमति प्रदान करने में पार्किंग एवं एम.ओ.एस. हेतु जगह छोड़ने के क्या प्रावधान या नियम है? **(ख)** विगत तीन वर्ष में नगर निगम इंदौर द्वारा ऐसे मकान मालिकों या भवन निर्माताओं पर क्या कार्यवाही की गई है? इनके द्वारा निर्मित अवैध निर्माण को ध्वस्त क्यों नहीं किया जा रहा है? **(ग)** क्या निगम द्वारा ऐसे मकान मालिकों या भवन निर्माताओं पर कोई पेनल्टी या जुर्माना लगाया गया है? यदि हाँ, तो कितनों पर एवं इनसे कितनी राशि वसूल की गई है? विगत 3 वर्षों का रिकॉर्ड देवें? **(घ)** शहर में मकान मालिकों या भवन निर्माताओं द्वारा खुले आम पार्किंग या एम.ओ.एस. की जगह पर अवैध निर्माण कार्य कर उल्लंघन करने पर निगम के इंजीनियर, ओवरसीयर एवं क्षेत्रीय इंस्सपेक्टर द्वारा ऐसे निर्माणों को क्यों नहीं रोका गया? निगम द्वारा ऐसे इंजीनियर, ओवरसीयर एवं क्षेत्रीय इंस्पेक्टर पर क्या कार्यवाही की गई है या की जावेगी?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से **(घ)** जानकरी एकत्रित की जा रही है।

नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण को प्रोत्साहन

107. (क्र. 1520) श्री मधु भगत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भोपाल नगर निगम के अंतर्गत क्या अवैध कॉलोनी/निर्माण से संबंधित जाँच, पत्राचार निराकरण इत्यादि के लिये किसी प्रकोष्ठ/शाखा का गठन किया गया था? यदि हाँ, तो कब से यह प्रकोष्ठ कार्यरत है? क्या इस प्रकोष्ठ की कुछ नस्तियां गायब हैं? यदि हाँ, तो वे कौन-कौन सी है तथा यदि नहीं, तो पंजी रजिस्टर (वह रजिस्टर जिसमें नई पंजी खोलन पर प्रविष्टि विषय दर्ज किया जाता हो) का विवरण देवें? **(ख)** नगर निगम की जानकारी/संज्ञान में क्या उसकी सीमा के अंतर्गत समस्त कॉलोनी, विकास कार्य बताये गये भवन/फ्लेट वैध है? यदि हाँ, तो प्रमाणित करें? यदि नहीं, तो कौन-कौन सी कॉलोनी, भवन निर्माण कार्य अवैध है? **(ग)** क्या निगम की जानकारी/संज्ञान में यह है कि अनेक कॉलोनी नाईज़र द्वारा स्वीकृत प्लान के अतिरिक्त निर्माण कार्य, भवन अथवा फ्लेट अतिरिक्त मंजिल पर

बनाये हैं? यदि हाँ, तो कौन-कौन से हैं? यदि नहीं, तो बताये कि कक्ष में जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, सेल गठन से प्रश्न दिनाँक तक उनकी जाँच कब-कब की गई?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) अवैध कालोनी प्रकोष्ठ गठित है। वर्ष 1998 से। प्रकोष्ठ का परीक्षण कराये जाने पर दो नस्तियां उपलब्ध नहीं पाई गई है। 1. ग्राम बागसेवनिया के खसरा क्रं. 8, रकबा 8.37 एकड़ अमिन कालोनी। 2. स्व. श्री भरोसे लाल सुहाने, ग्राम नयापुरा लालघाटी, खसरा क्रमांक 6/1, 52, 54, 55, 131, 54/1, 61, 62 कुल रकबा 6.94 एकड़। **(ख)** जी नहीं। अवैध कालोनी की जानकारी निगम में संधारित है। जो कि **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है, अवैध भवन निर्माण कार्य सूचीबद्ध नहीं है। **(ग)** जानकारी एकत्र की जा रही है।

वन भूमि पर काबिज कृषक

108. (क्र. 1521) श्री मधु भगत : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बालाघाट जिले के अंतर्गत ऐसे कितने कृषक हैं जिन्होंने बिजली कनेक्शन लिया है, कुंआ खोद लिया है या पक्का मकान बना लिया है? **(ख)** क्या शासन द्वारा इन्हें वन भूमि का पट्टा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? सरकार की ऐसे कब्जेधारियों के संबंध में क्या नीति, निर्देश, प्लान है? **(ग)** नाजायज़ कब्जे की जानकारी मिलने पर वन विभाग क्या इसे किसी पंजी में दर्ज करता है? यदि हाँ, तो जिले में कहाँ-कहाँ पंजी बनाई गई है?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) प्रश्नाधीन जिले के वनक्षेत्र में काबिज 609 व्यक्तियों द्वारा बिजली कनेक्शन लिया गया है, 31 व्यक्तियों द्वारा कुआँ निर्माण किया गया है तथा 2 व्यक्तियों द्वारा पक्का मकान बनाया गया है। **(ख)** जी नहीं। वर्तमान में वन विभाग में वन भूमि के पट्टे वितरण की कोई योजना प्रचलित नहीं है। वन भूमि पर गैर वानिकी कार्यों हेतु पट्टा भारत शासन से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही दिया जा सकता है। वर्तमान में वनभूमि पर दावा करने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में वन अधिकार समिति के समक्ष वन भूमि पर दावा प्रस्तुत करने तथा पात्र पाये जाने पर दावेदार के अधिकारों की मान्यता दिये जाने का प्रावधान है। **(ग)** जी हाँ। जिले में प्रत्येक वन परिक्षेत्र कार्यालय के मुख्यालय पर पंजी बनाई गई है।

प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात् मूल विभाग में वापसी

109. (क्र. 1538) श्री आरिफ अकील : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रतिनियुक्ति अवधि कितने वर्ष की होती है और प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के कितने समय के पश्चात् पुन: मूल विभाग से उसी विभाग में प्रतिनियुक्ति पर आने का क्या प्रावधान है? **(ख)** क्या भोपाल नगर पालिक निगम में प्रतिनियुक्ति पर प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारी पदस्थ हैं? यदि हाँ, तो कौन-कौन किस-किस मूल पद, विभाग के हैं और निगम में किस-किस पद पर कब-कब से पदस्थ होकर क्या-क्या कार्य संपादित कर रहे हैं? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो पूर्व में भी प्रतिनियुक्ति पर निगम में पदस्थ रहे हैं? यदि हाँ, तो ऐसे कौन-कौन अधिकारी हैं और वह पूर्व में किस-किस पद पर कितनी-कितनी अवधि तक पदस्थ रहे तथा वर्तमान में किस पद पर कब से पदस्थ हैं इनकी शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता सहित बतावें? **(घ)** क्या कई अधिकारी भोपाल नगर पालिक निगम में विगत कई वर्षों से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है और

नियमानुसार समयावधि समाप्त होने के पश्चात् भी मूल विभाग की अपेक्षा निगम में ही पदस्थ है? यदि हाँ, तो कौन-कौन अधिकारी कब-कब कितनी-कितनी अवधि के लिये निगम में प्रतिनियुक्ति पर आये थे और आज भी पदस्थ है, उनके नाम व पद सहित बतावें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) म.प्र. नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा-58 में वर्णित है। सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3-12/91/3/1, दिनाँक 21-06-1991 के अनुसार राज्य शासन किसी अधिकारी/कर्मचारी को अन्य विभाग/निगम में प्रतिनियुक्ति पर अधिकतम 4 वर्ष तक रख सकता है। उक्त अवधि में वृद्धि की जा सकती है। शेषांश के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार।**

जे.एन.एन.यू.आर.एम की कार्यकारी एजेंसियों पर पेनाल्टी

110. (क्र. 1539) श्री आरिफ अकील : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जेएनएनयूआरएम के तहत शहरी गरीबों के लिये निर्मित किये जा रहे आवासों को बना रहीं कार्यकारी एजेंसियों (ठेकेदारों) को प्रश्न दिनाँक तक कितनी-कितनी राशि एस्क्लेशन के रूप में प्रदान की गई है? **(ख)** यदि हाँ, तो प्रश्न दिनाँक तक उक्त एजेंसियों द्वारा कितना-कितना कार्य पूर्ण कर दिया गया है? कितने प्रतिशत कार्य शेष है? क्या कार्यरत ऐजेंसियों पर कार्य विलंब के लिये पेनाल्टी लगाई गई है? यदि हाँ, तो किस पर व कितनी? **(ग)** क्या यह सही है कि जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत 62 उच्च स्तरीय टंकियों का निर्माण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो प्रश्न दिनाँक तक 62 में से कितनी टंकियों से क्षेत्रवासियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है? कारण सहित बतावें। विलंब करने वाली एजेन्सियों के विरूद्ध नगर निगम द्वारा क्या कोई दण्डनात्मक कार्यवाही की गई है? यदि की गई, तो क्या और नहीं की गई तो क्यों? **(घ)** जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत निर्मित की जा रही उच्च स्तरीय पानी की टंकियों को भरने हेतु विभिन्न व्यास के फीडरमैन लाईन बिछाने का तथा इसी परियोजना के अंतर्गत विभिन्न व्यासों की जल वितरण नलिकायें बिछाने का कार्य कितने कि.मी. में किया जाना था तथा प्रश्न दिनाँक तक कितना कार्य पूर्ण हो चुका है व कितना शेष है? कार्यकारी एजेन्सियों को कार्य हेतु दी गई समय सीमा से प्रश्न दिनाँक तक कितना विलंब हुआ है? विलम्ब करने वाली कार्यकारी एजेन्सियों के विरूद्ध क्या कोई कार्यवाही प्रस्तावित की गई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। **(ख)** कार्य पूर्ण एवं शेष कार्य की **जानकारी परिशिष्ट 'अ' के कालम 5-6 के अनुसार** है। जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी नहीं, अपितु जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत 52 एवं गैस राहत विभाग से प्राप्त धनराशि से 10 टंकियों को निर्माण किया जा रहा है। जिन टंकियों से पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उनके कारण सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। जी नहीं, अपितु **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** टंकिया भरने हेतु फीडर मेन 114.41 कि.मी. जल वितरण पाईप बिछाने का किया गया था, जिसमें 108.64 कि.मी. कार्य पूर्ण हो गया है। शेष 5.77 कि.मी. है, अन्य 1066 कि.मी. वितरण नलिका बिछानी थी जिसमें से 790

कि.मी. नलिका बिछा दी गई है, शेष 276 कि.मी. है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार** है।

महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में सडक का निर्माण

111. (क्र. 1548) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** महिदपुर क्षिप्रा तट से नागेश्वर उन्हेल तीर्थ तक स्वीकृत मार्ग जिसकी लागत 546.71 लाख रू., लंबाई 19.9 किमी. है जो 27.06.14 को पूर्ण होना था, नये टेंडर निकालने के बाद भी अभी तक क्यो प्रांरभ नहीं हुआ? कारण बतावें? **(ख)** डोंगला से नारायण एवं डोंगल से मीण मार्ग जिसका कार्यदेश 18.03.2013 को जारी हुआ के भी टमिनेंट होने के बाद नये टेंडर निकलने पर कार्य अभी तक क्यों प्रारंभ नहीं हुआ? **(ग)** जिस फर्म द्वारा पूर्व में उपरोक्त कार्य के टेंडर लिये गये थे, कार्य न करने पर उसकी गांरटी मनी जब्त करने एवं ब्लेक/लिस्टेड करने की कार्यवाही कब तक की जावेगी? **(घ) (क)** व **(ख)** अनुसार नये कार्यादेश कब तक जारी करके उपरोक्त कार्य प्रारंभ किए जावेंगे?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। पूर्व फर्म के हर्जे-खर्चे पर आमंत्रित निविदा दिनाँक 06.07.2015 को खोली गई है। निविदा कार्यवाही प्रचलन में होने से कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। **(ख)** पूर्व फर्म के हर्जे-खर्चे पर आमंत्रित निविदा दिनाँक 04.07.2015 को खोली गई। निविदा कार्यवाही प्रचलन में होने से कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। **(ग)** पूर्व फर्म की धरोहर राशि नगदीकरण हेतु बैंक को भेज दी गई तथा विभाग के पास जमा राशि जब्त कर ली गई है। फर्म का पंजीयन निरस्त करने हेतु मुख्य अभियंता उज्जैन द्वारा दिनाँक 27.06.2015 को फर्म को नोटिस भेजा गया है। उत्तर प्राप्त होने पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकेगी। **(घ)** निविदा स्वीकृति एवं एल.ओ.ए. जारी कर अनुबंध हस्ताक्षर होने पर कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।

महिदपुर नगर में बस स्टैंड निर्माण

112. (क्र. 1549) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या महिदपुर नगर में दिनाँक 24-02-2008 से सर्वे नं. 184 एवं 187/4 पर 1.16 हेक्टेयर पर बस स्टैंड काबिज हैं, से बसों का संचालन हो रहा है? **(ख)** क्या दिनाँक 11.05.2015 को नवीन सर्वसुविधायुक्त बस स्टैण्ड निर्माण हेतु ठेकेदार को वर्क आर्डर जारी किया गया है? क्या कारण है कि कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है? **(ग)** महिदपुर न.पा. सी.एम.ओ द्वारा 27.05.2015 को भेजे पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है? **(घ)** बस स्टैंड प्रारंभ न होने के लिए संबंधित अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क), जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। सर्वे क्रमांक 184 के सीमांकन के अभाव में स्थल पर निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। **(ग)** दिनाँक 27-05-2015 को मु.न.पा. अधिकारी द्वारा कोई पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। **(घ)** सीमांकन न होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया, अत: कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

नागदा जं. में ग्रेसिम उद्योग से उत्सर्जित विषैली गैसों की शिकायत पर कार्यवाही

113. (क्र. 1554) श्री बाला बच्चन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नागदा जं. जिला उज्जैन स्थित ग्रेसिम उद्योग द्वारा फिल्टर प्लांट की सफाई से किन गैसों एवं अन्य पदार्थों का उत्सर्जन हुआ, उसका पूर्ण विवरण देवे? **(ख)** इस उद्योग द्वारा उत्सर्जित गैसों से

संबंधित जो शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई, उन शिकायतों की छायाप्रति एवं उस पर की गई कार्यवाही बतावें? **(ग)** हवा में सांस लेने योग्य परिस्थितियों में गैसों का मानक स्तर क्या है? विगत 3 माह में बिरलाग्राम नागदा जं. में इन गैसो के स्तर की प्रतिदिन की रिपोर्ट प्रश्न दिनाँक तक देवें? **(घ)** हवा में विषैली गैसों के बढ़े हुए स्तर के लिए कंपनी प्रबंधन पर विभाग कब तक कार्यवाही करेगा?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) नागदा जंक्शन जिला उज्जैन स्थित मेसर्स ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लि. के फिल्टर प्लांट की सफाई के दौरान बोर्ड को पूर्व सूचना नहीं होने से मॉनिटरिंग नहीं कराई गई, अतः जानकारी निरंक है। तथापि सफाई के बाद परिसर में एकत्रित स्लंज के डिकम्पोज होने से CH4,Co2,Nh3,H2S गंध इत्यादि गैसे उत्सर्जित होती है। यह हर शटडाउन के पश्चात् की जाने वाली सतत प्रक्रिया है जो पूर्व वर्षों में भी की गई है। **(ख)** विगत एक वर्ष में प्राप्त शिकायतों की छाया प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ"** एवं उस पर की गई कार्यवाही संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार** है। **(ग)** भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानक **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" अनुसार** है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन कार्यक्रम के अतर्गत नागदा में स्थित तीन स्टेशन पर सप्ताह में दो दिन मॉनिटरिंग कार्य संपादित होता है, जिसके विगत तीन माह के परिणाम **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"द" अनुसार** है। (द) पाये गये परिणामों के अनुसार वर्तमान में क्षेत्र की स्थिति सामान्य है, अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

पहुंच मार्गों का डामरीकरण

114. (क्र. 1573) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ग्वालियर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मालनपुर, बहादुरपुर, बिल्हेटी, सुपावली, जरवारा होते हुये बेहट तक पहुँच मार्ग का डामरीकरण कराये जाने हेतु मा. मुख्यमंत्री को प्रस्ताव दिनाँक 05.07.2014 को प्रस्तुत किया गया था? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही हुई? **(ख)** उक्त पहुँच मार्ग का चौड़ीकरण एवं शेष डामरीकरण कार्य कब तक किया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। जानकारी **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**। **(ख)** विभाग के अधीन मार्ग बजट में सम्मिलित होने पर ही कार्य कराया जा सकेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

परिशिष्ट - "तैंतीस"

स्व-रोजगार योजनाओं में ऋणों की स्वीकृति

115. (क्र. 1580) श्री हर्ष यादव : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** सागर व रायसेन जिलान्तर्गत 01 अप्रैल 2012 से प्रश्न दिनाँक तक की अवधि में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा किस-किस बैंक को शासन की किस-किस योजनान्तर्गत कितने हितग्राहियों के ऋण प्रकरण स्वीकृति हेतु वर्षवार भेजे गये? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** वर्णित प्रेषित प्रकरणों में से कितने प्रकरणों में बैंको द्वारा हितग्राहियों को ऋण राशि उपलब्ध करा दी गई है? कितने हितग्राहियों के ऋण प्रकरण किस कारण लंबित है अथवा वापिस किये गये हैं? **(ग)** राज्य शासन द्वारा किन-किन योजनाओं में

ग्यारंटी दी जाती है? उक्त योजनाओं में राज्य शासन की ग्यारंटी के बावजूद भी हितग्राहियों से निजी गांरटी लिये जाने के क्या कारण है? प्रश्नांश **(क)** अंतर्गत कितने प्रकरणों में राज्य सरकार की गारंटी के बाद भी हितग्राहियों की निजी गांरटी के तहत उनके मकान, प्लाट, भूमि आदि अमानत के तौर पर रखे गये है और क्यों? इसके लिए कौन उत्तरदायी हैं?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) सागर जिले की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। रायसेन जिले की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ख)** सागर जिले की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है। रायसेन जिले की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। 9099 हितग्राहियों के ऋण प्रकरण विभिन्न बैंकों द्वारा वापस किये गये हैं अथवा लंबित हैं, जिनमें से 3944 प्रकरण सागर के एवं 5155 प्रकरण रायसेन जिले के है। 9099 प्रकरणों में से 7029 प्रकरण प्रश्न दिनाँक को निष्प्रभावी हो चुके हैं, क्योंकि दीनदयाल स्वरोजगार योजना, रानीदुर्गावती अजा/अजजा स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना गत वर्ष अथवा इसके पूर्व समाप्त हो चुकी हैं। वर्तमान में विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमत्री स्वरोजगार योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के 2070 प्रकरण विभिन्न बैंक शाखाओं में स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही हेतु प्रक्रियाधीन कारणों से लंबित है। **(ग)** राज्य शासन द्वारा स्वरोजगार योजनाओं में सीधे गारंटी देने का प्रावधान नहीं है। उद्योग एवं सेवा संबंधी इकाईयों के लिये गारंटी, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रों एण्ड स्माल इन्टरप्राईजेस (सी.जी.टी.एम.एस.ई.) के माध्यम से दी जाती है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। तथापि कतिपय प्रकरणों में यदि हितग्राही से गारंटी ली गई है तब वह हितग्राही एवं बैंक के मध्य परस्पर सहमति से हुआ होगा जिसकी जानकारी विभाग को नहीं है।

पी.आई.यू. द्वारा प्रचलित निर्माण कार्य

116. (क्र. 1581) श्री हर्ष यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** लोक निर्माण विभाग अंतर्गत पी.आई.यू. द्वारा किन-किन विभागों के क्या-क्या निर्माण कार्य विगत तीन वर्षों में निर्मित किये गये हैं अथवा प्रचलित हैं? 50 लाख से ज्यादा लागत वाले कार्यों का विवरण दें? इन कार्यों की वर्तमान भौतिक स्थिति बतावें? कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं और कौन-कौन से कार्य प्रचलित हैं? कहाँ-कहाँ कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है? **(ख)** प्रदेश में पी.आई.यू. द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता जाँच/निरीक्षण/भौतिक सत्यापन आदि की क्या व्यवस्था है? गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों की रोकथाम हेतु विभाग की क्या योजना है? **(ग)** क्या उक्त निर्माण कार्य पी.आई.यू. द्वारा समय सीमा में पूर्ण नहीं किये जा सके हैं? क्यों? गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों हेतु कौन उत्तरदायी है?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। **(ख)** कार्यों की गुणवत्ता हेतु विभागीय अमले के अतिरिक्त कार्य स्थल पर प्रयोगशाला के अतिरिक्त किये गये कार्य की आवृत्ति के 20% टेस्ट एन.ए.बी.एल. प्रयोगशाला से किया जाता है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु पी.आई.यू. में प्रत्येक जिले के लिये पृथक-पृथक एस.क्यू.सी. एजेन्सी निर्धारित की गई है। **(ग)** जी हाँ, समय-सीमा में कार्य पूर्ण न होने के मुख्य कारण भूमि विलंब से प्राप्त होना, भूमि विवाद, आवंटन का अभाव एवं ठेकेदार द्वारा कार्य के प्रति अरूचि है।

गुणवत्ताहीन कार्य पाये जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है।

मैहर नगर की नगर विकास योजना 2011-2021

117. (क्र. 1586) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियत 1973 की धारा 18 (1) के अंतर्गत मैहर (जिला सतना) नगर की विकास योजना कब तैयार की जाकर, उसका प्रकाशन कब किया गया? इसकी प्रति उपलब्ध करावें? **(ख)** क्या मैहर नगर की विकास योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है? यदि नहीं, तो कब से किस स्तर पर मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 के अनुसार कार्यवाही प्रचलित अथवा लंबित है? **(ग)** क्या मैहर नगर की विकास योजना में इसके धार्मिक, औद्योगिक व पर्यटन महत्व के बिन्दुओं को शामिल किय गया है? यदि नहीं, तो क्या इन्हें शामिल किया जावेगा?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 18 (1) के मैहर (जिला सतना) नगर की विकास योजना 2031 (प्रारूप) दिनाँक 28.02.14 को प्रकाशित की गई। **संलग्न परिशिष्ट-1 पर। (ख)** जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **संलग्न परिशिष्ट-2 पर। (ग)** जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "चौंतीस"

मैहर में रिंग रोड/बायपास का निर्माण

118. (क्र. 1587) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सतना जिलान्तर्गत मैहर नगर में एनएच-7 पर रीवा रोड को कटनी रोड से रिंग रोड बनाकर जोड़ने हेतु क्या कभी कोई प्रस्ताव/योजना अब तक बनाई गई है? यदि हाँ, तो कब, कितनी लागत की और कब से किस स्तर पर लंबित है? **(ख)** क्या मैहर नगर के धार्मिक व पर्यटन महत्व और परिवहन के भारी दबाव को देखते हुए यहां रिंग रोड का निर्माण जरूरी है? लंबे समय से स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधि भी रिंग रोड की मांग करते रहे है? क्या विभाग द्वारा कभी इस मांग पर कोई विचार किया है? **(ग)** क्या मैहर में रिंग रोड निर्माण की कार्य योजना तैयार की जाकर, इसे शीघ्र स्वीकृत किया जाकर इस लंबित मांग को पूरा किया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी नहीं। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी हाँ। जी हाँ। जी नहीं। **(ग)** वर्तमान में न तो प्रस्तावित है और न ही स्वीकृत है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

विधान सक्षा क्षेत्र बड़वारा की नदियों में सेतु निर्माण

119. (क्र. 1608) श्री मोती कश्यप : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र दिनाँक 15.06.2010, 14.01.2015 एवं 16.06.2015 में किन्हें किन नदियों के किन स्थानों में सेतु निर्माण हेतु लेख किया है और उन पर किनके द्वारा अभी तक किन प्रकार की कार्यवाहियां की गई हैं? **(ख)** क्या प्रश्नांश- **(क)** के जिला कटनी से जिला उमरिया व डिंडोरी को मार्ग द्वारा जोड़नें पर कहीं किसी नदी में सेतु निर्माण हेतु किसी अवधि में कोई सर्वेक्षण

व परीक्षण किया गया है? **(ग)** क्या प्रश्नकर्ता के माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय मंत्री जी को प्रेषित पत्र दिनाँक 14.01.2015 एवं 07.05.2015 में विधानसभा क्षेत्र बड़वारा के किन्हीं विकासखण्डों की किन्हीं नदियों नालों में सेतु निर्माण एवं रिटेनिंगबाल निर्माण हेतु लेख किये जाने पर किनके द्वारा कब सर्वेक्षण कर डी.पी.आर बनाकर शासन को प्रस्तुत की है? **(घ)** प्रश्नांश **(ख)** से संबंधित मार्ग के निर्माण को अनुपूरक बजट में सम्मिलित किये जाने की प्रक्रिया के साथ ही सेतु निर्माण का प्रावधान अनुपूरक बजट में किया जा रहा है? **(ड.)** क्या प्रश्नांश **(ग)** सेतुओं में से किनको प्रशासकीय स्वीकृतियां प्रदान कर दी गई हैं?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र**-अ के अनुसार है। **(ख)** जी हाँ। एक पुल बिजापुरी के पास छोटी महानदी का। **(ग)** जी नहीं। **(घ)** जी नहीं। पुलों के निर्माण हेतु परीक्षण कराया जा रहा है। **(ड.)** उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

भाग - 3
अतारांकित प्रश्नोत्तर

अमलतास गृह निर्माण सहकारी संस्था का अभिन्यास अनुमोदन

1. (क्र. 27) श्री विश्वास सारंग : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अतां.प्रश्न क्रमांक 14 (क्र. 96) दिनाँक 3 मार्च 2014 के तहत क्या भोपाल स्थित अमलतास गृह निर्माण सहकारी संस्था आवेदन अभिन्यास अनुमोदन हेतु नगर निगम भोपाल के माध्यम से प्रस्तुत हुआ है? यदि हाँ, तो दिनाँक सहित जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के तहत क्या उक्त आदेश के बिन्दु क्रमांक 4 के तहत सुपर विजन राशि भोपाल नगर निगम में जमा की गई? यदि हाँ, तो कितनी और कब की गई? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** व **(ख)** के तहत क्या उक्त कालोनी का विकास नगर निगम भोपाल द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तों के आधार पर हुआ है? क्या उक्त संस्था ने विकास पूर्णतः का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया है?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ख)** एवं **(ग)** शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अमलतास गृह निर्माण सहकारी संस्था के अवैध निर्माण पर कार्रवाई न होना

2. (क्र. 28) श्री विश्वास सारंग : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अतां.प्रश्न क्रमांक 14 (क्र. 96) दिनाँक 3 मार्च 2014 के तहत क्या विभाग के अभिन्यास अनुमोदन क्र./782/नग्रानि/सी.पी./99 भोपाल दिनाँक 9/3/99 के बिंदु 6 में उल्लेख है कि भूमि स्वामित्व संबंधी किसी भी प्रकार का विवाद होने पर यह अनुमति निरस्त मानी जावेगी अगर हां तो कृषकों से विवाद के चलते यह अनुमति निरस्त क्यों नहीं की गयी? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के तहत यदि पड़ोसी कृषकों द्वारा ओपन क्षेत्र लगभग 50 प्रतिशत से अधिक दबा लिया गया है तो ओपन क्षेत्र और किसानों के बीच की जमीन पर निर्माण कार्य कैसे हो गया? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के तहत विभाग के अभिन्यास अनुमोदन क्र.782/नग्रानि/सी.पी/99 भोपाल दिनाँक 9/3/99 के बिन्दु क्रमांक 4 के तहत सुपर विजन राशि भोपाल के नगर निगम में जमा करवाने तथा कालोनी का विकास नगर निगम द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तों के आधार पर पूर्ण कर विकास पूर्णता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया था?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। इस संबंध में संयुक्त संचालक, जिला कार्यालय भोपाल में अमलतास गृह निर्माण सहकारी संस्था अथवा कृषकों द्वारा कोई आवेदन या शिकायत पूर्व में को प्राप्त नहीं हुई है। **(ख)** संस्था की भूमि के सीमाकंन एंव स्थल निरीक्षण बाबत् कलेक्टर भोपाल, आयुक्त नगर पालिक निगम भोपाल तथा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भोपाल की समिति का गठन दिनाँक 02.07.2015 को किया गया। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण में यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा। **(ग)** जी हाँ

नगर निगम के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के एरियर्स का भुगतान

3. (क्र. 40) कुंवर सौरभ सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या कटनी जिले के नगर पालिक निगम कटनी में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का कलेक्टर

द्वारा अकुशल, कुशल, अर्द्धकुशल श्रमिक दरें निर्धारित की जाती है? उक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु आयुक्त नगर पालिक निगम द्वारा आदेश क्रमांक 1612/मु.स्था./2013-14 दिनाँक 18.06.2013, आदेश क्रमांक 5953/2014-15 दिनाँक 30.01.2015 जारी कर बकाया एरियर्स राशि के देयक पृथक से शीघ्र प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिये थे? **(ख)** नगर निगम कटनी द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम के उल्लंघन करने पर कार्यवाही हेतु कलेक्टर कटनी एवं आयुक्त नगरपालिक निगम कटनी को प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र दिनाँक 24.02.2015 पत्र क्रमांक के-444 दिनाँक 28.03.2015, एवं पत्र क्रमांक के-544 दिनाँक 21.04.2015 आयुक्त नगर पालिक निगम कटनी को बढ़ी हुई दरों के एरियर्स भुगतान हेतु लिखा था? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** यदि जी हाँ तो नगर पालिक निगम कटनी के कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित न करने के लिये उत्तरदायी हैं और उनके विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा? तथा एरियर्स की राशि का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। **(ग)** दैनिक वेतन भोगियों को एरियर्स राशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कटनी नदी पर निर्मित पुल पर टोल टैक्स की वसूली

4. (क्र. 41) कुंवर सौरभ सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनाँक 16.03.2015 में मुद्रित प्रश्न क्रमांक 3688 के प्रश्नांश **(क)** के उत्तर में पुल की लागत 40,34,000/- बताई गई है? तथा प्रश्न दिनाँक तक 49,32,289 की राशि वसूल की जा चुकी है? प्रश्नांश (ड) का उत्तर जी हाँ? उत्तरांश **(ख)** अनुसार है। किसी प्रकार का लाभ ठेकेदार को नहीं पहुँचाया गया है प्रश्नांश (च) का उत्तर जी नहीं उत्तरांश **(ख)** एवं (ड) अनुसार उक्त कार्यवाही शासकीय प्रक्रिया के अनुसार की गई है, इस संबंध में कोई अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं, दिया गया है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** का उत्तर यदि हाँ, तो ठेकेदार से प्रश्नांश **(घ)** के उत्तर अनुसार 31.03.2015 तक ही टोल वसूल किया जाना था, किन्तु ठेकेदार द्वारा प्रश्न दिनाँक 16.03.2015 तक ही क्यों वसूल किया गया? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)**, **(ग)** के परिप्रेक्ष्य में ठेकेदार को लाभ पहुँचाने एवं जनता से राशि अधिक वसूलने पर ठेकेदार के विरूद्ध पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुये, विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों? कारण बताएं?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। ठेकेदार द्वारा दिनाँक 16.03.2015 तक नहीं बल्कि दिनाँक 31.03.2015 तक वसूली की गई है। **(ग)** जी नहीं। शासकीय प्रक्रिया अनुसार ठेका दिनाँक 31.03.2015 तक निर्धारित किया गया था। तदानुसार ही वसूली की गई है। अतः ठेकेदार को किसी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचाया गया। शेष प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता है।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना

5. (क्र. 47) श्री रामलाल रौतेल : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** अनूपपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत कुल कितने हितग्राहियों को दर्शन कराया गया है? विकास खण्ड-अनूपपुर-जैतहरी के हितग्राहियों की नाम, जाति, पता बतावें? **(ख)** क्या यह सच है कि इस योजना का लाभ अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के कुछ लोगों को ही मिल सका है? तथा अन्य वर्ग के कुछ लोग अनेक बार लाभ

उठा चुके हैं? यदि हाँ, तो इस अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? क्या भारसाधक अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही होगी?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) अनूपपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत सम्पूर्ण जिले में कुल 4291 हितग्राहियों को यात्रा हेतु चयनित किया जाकर दर्शन कराया गया है। विकास खण्ड/तहसील अनूपपुर-जैतहरी के चयनित यात्रियों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना नियम 2012 में निर्धारित आवेदन प्रारूप में जाति/वर्ग अंकित करने का कोई प्रावधान नहीं है। जिले के ऐसे व्यक्ति जो एक भी बार यात्रा का लाभ प्राप्त नहीं किये हैं एवं आयकरदाता नहीं है ऐसे हितग्राहियों की तहसीलदार के माध्यम से विकास खण्ड/तहसील स्तर से सूची प्राप्त कर जिला स्तर पर लाटरी सिस्टम के द्वारा यात्रियों का चयन किया जाता है। ऐसी स्थिति में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की वर्गवार संख्या का पृथक से आंकलन किया जाना संभव नहीं है।

मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजनांतर्गत आवंटन

6. (क्र. 48) श्री रामलाल रौतेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वित्तीय वर्ष 2014-15 में नगर पालिका अनूपपुर, पसान, बिजुरी एवं नगर पंचायत जैतहरी को मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजनान्तर्गत कुल कितना आवंटन प्राप्त हुआ था? **(ख)** नगर पालिका अनूपपुर एवं नगर पंचायत जैतहरी को प्राप्त राशि से स्वीकृत कार्य का प्रकार, लागत एवं निर्माण ऐजेन्सी का नाम बतायें? **(ग)** क्या यह सही है कि वर्णित कार्यों के गुणवत्ता को लेकर शिकायतें नगरपालिका को प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो कृत कार्यवाही की नस्तियों से अवगत करावें? **(घ)** क्या विभाग उल्लेखित कार्यों का भौतिक सत्यापन कराएगा? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) कुल राशि रू. 191.92 लाख। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** निर्माण कार्य सम्पादन की नियमित प्रक्रिया में कार्यों का भौतिक सत्यापन करवाया जाना है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "पैंतीस"

लोक निर्माण विभाग के घटिया निर्माण कार्यों की शिकायत

7. (क्र. 83) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अशोकनगर जिले में लोक निर्माण विभाग के कितने निर्माण कार्यों व सड़कों में घटिया निर्माण की शिकायतें शासन को गत 2 वर्षों में मिली? इन सबका नाम देते हुए बताएं कि शासन ने क्या कार्यवाही की? **(ख)** अशोकनगर पिपरई मुंगावली रोड कब स्वीकृत हुई? कितनी धनराशि कब स्वीकृत हुई व कितनी खर्च हुई, कब निर्माण पूरा हुआ, तथा घटिया निर्माण की शिकायतों के बाद शासन ने क्या कार्यवाही की?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'ब' एवं 'स' अनुसार है। (ख) अशोकनगर-पिपरई-मुंगावली मार्ग दिनाँक 22.12.2008 को स्वीकृत हुआ है। राशि रूपये 2224.91 लाख स्वीकृत हुई, उक्त मार्ग पर राशि रूपये 1975.80 लाख का व्यय किया

जा चुका है। मार्ग कार्य दिनाँक 31.12.2013 को पूर्ण किया जा चुका है। ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सड़कों का निर्माण

8. (क्र. 113) श्री सचिन यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सावदा से सनावद व्हाया बोरावां, भनगांव, मुलठान एवं कमोदवाड़ा मार्ग के निर्माण के लिए मु.अ.लो.नि.वि. (प) जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 4527 दिनाँक 30.09.14 मु.अ.लो.नि.वि. (प) जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 5444-45 दिनाँक 26.11.14 एवं पिपरी से मछलगांव मार्ग के संबंध में क्या मु.अ.लो.नि.वि. (प) जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 4527 दिनाँक 30.09.14 के प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि., भोपाल को कब प्राप्त हुआ और उस पर प्रश्न दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में दर्शित कार्य को पूर्ण किये जाने के संबंध में कितने-कितने पत्र प्रश्नकर्ता व अन्य के माध्यम से कब-कब प्राप्त हुए और विभागीय स्तर पर कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** उक्त मार्गों के निर्माण कार्यों के संबंध में विभाग द्वारा बार-बार बजट में शामिल किये जाने की जानकारी लगातार दी जा रही है तो बतायें कि इन जनहित के विकास कार्यों के प्रकरणों में इन मार्गों का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण पूर्ण नहीं किया जायेगा, हां तो स्पष्ट जानकारी दे नहीं तो कौन से वित्तीय बजट में उक्त सभी सड़कों के निर्माण कार्यों को पूर्ण कर लिया जायेगा अंतिम रूप से जानकारी दें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के स्तंभ-2 एवं 3 अनुसार है। (ग) प्रश्नांश "क" में उल्लेखित प्रथम मार्ग डामरीकृत पक्का मार्ग निर्मित है। अतः निर्माण करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। पीपरी से मछलगांव मार्ग लंबाई 4.70 कि.मी. अनुमानित लागत राशि रूपये 652.15 लाख को विभाग की स्थाई वित्तीय समिति की 119वीं बैठक दिनाँक 22.06.2015 में बजट में सम्मिलित कर प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "छत्तीस"

पुलिया का निर्माण

9. (क्र. 139) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या अभयपुर से जलेरिया मार्ग के बीच पुलिया की आवश्यकता है? यदि है तो पुलिया कब तक बनायी जावेगी? **(ख)** क्या उक्त मार्ग पर पुलिया है यदि है तो कैसी स्थिति में है? यदि जर्जर स्थिति में है तो कब तक उन मार्गों के पुलिया का निर्माण कराया जावेगा? **(ग)** यदि उक्त मार्ग पर पुलिया नहीं है तो कब तक निर्माण किया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। **(ख)** जी नहीं। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** वर्तमान में न तो स्वीकृत है, और न ही प्रस्तावित है।

पुलिया का निर्माण

10. (क्र. 140) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सुरजना में पीपलरावा मार्ग के बीच पुलिया की आवश्यकता है? यदि है तो पुलिया कब

तक बनायी जावेगी? **(ख)** उक्त मार्ग पर पुलिया है यदि है तो कैसी स्थिति में है? यदि जर्जर स्थिति में है तो कब तक इस मार्ग पर पुलिया का निर्माण कराया जावेगा? **(ग)** विभाग द्वारा उक्त पुलिया निर्माण के संबंध में क्या कार्यवाही चल रही है?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। स्वीकृति के अभाव में समय-सीमा बताना संभव नहीं है। **(ख)** जी नहीं। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** वर्तमान में न तो स्वीकृत है, और न ही प्रस्तावित है।

पत्रों पर विभागीय कार्यवाही

11. (क्र. 209) श्री संजय पाठक : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि वन संरक्षक अधिकारी, जिला-कटनी (म.प्र.) को पत्र क्रमांक 96 दिनाँक 21.09.2014 से पत्र क्रमांक 922, दिनाँक 12.06.2015 तक कुल 15 पत्र लिखे गये हैं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** पत्रों में क्या-क्या कार्यवाही की गई? जानकारी दें। यदि कार्यवाही नहीं की गई है, तो क्यों? इस हेतु कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** पत्रों में कब तक कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) से **(ग)** प्रश्नांकित पत्रों में से 12 पत्र प्राप्त हुए हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है**। 11 पत्रों में कार्यवाही की गई, एक पत्र में स्थानांतरण अवधि समाप्त हो जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। अतः सभी प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही की गई तथा कोई अधिकारी दोषी नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पी.पी.पी. माडल के तहत डाक बंगलों का संचालन

12. (क्र. 278) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन संभाग के किस-किस जिले में कहां-कहां लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले (विश्राम गृह) स्थित हैं? जिलेवार सूची प्रदान करें। **(ख)** क्या विभाग प्रदेश के डाक बंगलों को पीपीपी माडल पर चलाने का विचार कर रही है? यदि हाँ, तो प्रदेश के कौन-कौन से डाक बंगलों का निजीकरण किया जा रहा है? **(ग)** 1 जनवरी 2013 के पश्चात् उज्जैन संभाग में किस-किस डाक बंगलों में सुविधा, विस्तार एवं रखरखाव के लिए कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई, तथा इन डाक बंगलों से कितनी आय प्राप्त हुई? **(घ)** क्या मन्दसौर में भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के दृष्टिगत एक और डाक बंगले की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो इस संबंध में वर्तमान में क्या कार्यवाही की जा रही है?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। **(ख)** इस संबंध में प्रारंभिक परीक्षण किया जा रहा है। वर्तमान में किसी डाक बंगले का निजीकरण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। **(ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। **(घ)** जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "सैंतीस"

उज्जैन में मंदिरों की जमीनें

13. (क्र. 279) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** उज्जैन संभाग में ऐसे कितने मंदिर हैं जिनमें उनकी सुरक्षा एवं खर्च हेतु जमीन लगी हुई है व ऐसे मंदिरों के भगवान के नाम पर बैंक खाते भी खुले हुए हैं? **(ख)** उक्त मंदिरों की जमीन की 2010

एवं 2015 की स्थिति में जमीन की स्थिति बतायें? क्या उक्त मंदिरों की जमीन को पुजारियों के नाम एवं पुजारियों द्वारा अन्य को बेचने का हक है ? यदि नहीं, तो 2010 एवं 2015 की स्थिति में किन-किन पुजारियों ने मंदिर की भूमि अपने नाम किस नियम के तहत करवाई है? **(ग)** 2010 से प्रश्न दिनाँक तक उक्त मंदिरों को जमीन एवं अन्य प्रकार की कितनी आय प्राप्त हुई? उसे कहां-कहां खर्च किया गया? **(घ)** क्या प्रदेश सरकार राजस्थान सरकार की तर्ज पर मंदिरों के नियमों के अनुसार अपना नियम बनाते हुए मंदिर पुजारियों को लाभान्वित करेगा?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मंदिरों का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत

14. (क्र. 370) श्री निशंक कुमार जैन : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या प्रदेश के प्रत्येक जिले में मंदिरों के निर्माण की योजना धर्मस्व विभाग में बनाई है? यदि हाँ, तो मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिये शासन के पास प्रति वर्ष कितना आवंटन प्राप्त होता है, विगत 3 वर्षों की जानकारी देवें? **(ख)** विदिशा जिले के कितने मंदिरों को सूचीबद्ध किया गया है एवं किया जा रहा है व जिले में मंदिरों के निर्माण मरम्मत जीर्णोद्धार की कितनी राशि खर्च करने की योजना है? **(ग)** विदिशा जिले के मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं मरम्मत के लिये पिछले 3 वर्षों में विभाग/कलेक्टर को प्राप्त आवेदनों पर क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** उपरोक्त अवधि में दी गई राशि की आडिट रिपोर्ट कहाँ-कहाँ की संस्थाओं/धार्मिक स्थलों की पूर्ण हो गई है?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

भ्रमण के दौरान मूलभूत सुविधाओं का निराकरण

15. (क्र. 371) श्री निशंक कुमार जैन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता द्वारा नगरपालिका परिषद गंजबासौदा के वार्डों का भ्रमण माह सितम्बर एवं अक्टूबर 2014 में किया गया था या नहीं? यदि हाँ, तो भ्रमण की तिथि बतावें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** का उत्तर हां है, तो प्रश्नकर्ता को भ्रमण के समय नागरिकों की बुनियादी/मूलभूत सुविधाओं का निराकरण/पूर्ति कराने हेतु पत्र के साथ पृथक-पृथक कार्यों की सूची प्राप्त हुई थी या नहीं? **(ग)** यदि हाँ, तो नागरिकों की कौन-कौन सी समस्याओं का निराकरण कर दिया गया है, कौन-कौन सी नहीं? इस संबंध में प्रश्नकर्ता को निराकरण एवं अनिराकरण की जानकारी उपलब्ध करा दी गई है या नहीं? नहीं, तो क्यों? **(घ)** कब तक नागरिकों की मूलभूत समस्याओं का निराकरण कर सूचीबद्ध निराकरण की स्थिति से प्रश्नकर्ता को अवगत कराया जावेगा या नहीं?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। दिनाँक 26.09.2014 से 06.10.2014 तक भ्रमण किया गया था। **(ख)** जी हाँ। **(ग)** एवं **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है**। इस संबंध में प्रश्नकर्ता को अब तक जानकारी से अवगत नहीं करवाया गया है क्योंकि कुछ निर्माण कार्य निकाय की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण संपन्न नहीं कराए जा सके हैं अतः तदनुसार जानकारी से अवगत नहीं करवाया जा सका।

पन्ना जिले के धार्मिक स्थलों के संधारण, जीर्णोद्धार हेतु आवंटित राशि

16. (क्र. 387) श्री मुकेश नायक : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** सागर संभाग के पन्ना जिले अन्तर्गत विगत पांच वर्षों में कितनी-कितनी राशि धार्मिक स्थलों के

संधारण व जीर्णोद्धार/ अन्य कार्यों हेतु जारी की गई? **(ख)** इस राशि की स्वीकृति व व्यय के क्या-क्या मापदंड निर्धारित हैं? **(ग)** उक्त अवधि में संस्थावार जिलावार, कार्यवार, वर्षवार जारी राशि व उसके व्यय का विवरण एवं कार्य एजेन्सी की जानकारी दें? **(घ)** कितने स्वीकृत कार्यों का कार्य प्रारंभ हो चुका/पूर्ण हो चुका कितना बाकी है अगर कार्य प्रारंभ नहीं हुए तो क्या कारण है ? कार्यवार जानकारी उपलब्ध कराये?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) सागर संभाग के पन्ना जिले के लिये विगत पांच वर्षों में मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु निम्नानुसार राशि जारी की गई। अन्य कार्यों हेतु कोई राशि नहीं की गई। (1) वित्तीय वर्ष 2010-2011 – रूपये 10,00,000/- (2) वित्तीय वर्ष 2011-2012 – रूपये 14,55,000/- (3) वित्तीय वर्ष 2012-2013 आवंटन आप्राप्त (4) वित्तीय वर्ष 2013-2014 आवंटन आप्राप्त (5) वित्तीय वर्ष 2014-2015 - रूपये 8,91,618/- कुल योग रूपये 33,46,618/- **(ख)** राशि की स्वीकृति निर्माण एजेसी के प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति के आधार पर की जाती है। **(ग)** उक्त अवधि में पन्ना जिले का कार्यवार वर्षवार राशि जारी राशि का विवरण परिशिष्ट अ संलग्न है। **(घ)** पन्ना जिले के स्वीकृत कार्यों के अनुसार स्वीकृत कार्यों में वित्तीय वर्ष 2010-11 श्री राम जानकी मंदिर पन्ना परिसर की बाउन्ड्रीबॉल एवं मुख्य प्रवेश द्वारा निर्माण राशि रूपये 8.55 लाख के निर्माण कार्यों में माननीय जबलपुर का स्थगन आदेश होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। वित्तीय वर्ष 2014-2015 में स्वीकृत किये गये कार्य अपूर्ण है। शेष समस्त कार्य पूर्ण हो चुके है।

खातेगांव विधान सभा क्षेत्रांतर्गत पौधारोपण

17. (क्र. 397) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खातेगांव क्षेत्रान्तर्गत वन विभाग से वन विकास निगम को कितनी-कितनी वन भूमि अलाट की गई है एवं कहाँ-कहाँ? **(ख)** खातेगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत किन-किन क्षेत्रों में वन विकास निगम के अंतर्गत पौधरोपण का कार्य चल रहा है? **(ग)** विगत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में पौधरोपण कार्य हेतु कितनी राशि खर्च की गई एवं वर्तमान में पौधों की क्या स्थिति है? **(घ)** क्या उक्त पौधरोपण कार्य में किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अनियमितता की गयी है? अगर हां, तो शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "अड़तीस"

मुरैना नगर पालिका/नगर निगम में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या

18. (क्र. 409) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मुरैना नगर पालिका/नगर निगम में वर्ष 2014 से जून 2015 तक कितने स्थाई, अस्थाई, दैनिक वेतन भोगी, प्रतिदिन मजदूरी वाले कर्मचारियों को नियुक्त किया गया उनके नाम, पता, नियुक्ति दिनाँक सहित पूर्ण जानकारी दी जाये? **(ख)** उक्त अवधि में नियुक्त कर्मचारी, मजदूरों को किस अधिकारी द्वारा कार्य पर रखा गया? अधिकारी का नाम पद सहित जानकारी दी जावें? **(ग)** उक्त स्थाई, अस्थाई, दैनिक वेतनभोगी, दैनिक मजदूरी पर रखे कर्मचारियों पर होने वाले मासिक खर्च की

स्वीकृति किस सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई? **(घ)** वर्ष 2014 से जून 2015 तक कितनी राशि उन कर्मचारियों पर खर्च हुई?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है**।

भिण्ड लहार रोड से विलाव का पुरा मार्ग निर्माण

19. (क्र. 429) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय आर-794/बी/10/2014/812 भोपाल, दिनाँक 13.11.2014 को प्रथम अनुपूरक बजट अनुमान वर्ष 2014-15 में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्ताव मांगे गये थे? यदि हाँ, तो सरल क्रं. 13 भिण्ड लहार रोड से विलाव का पुरा 4 करोड 200 मीटर का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में वर्णित प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग भिण्ड ने नहीं भेजा तो क्यों? संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध प्रश्नांश दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** लोक निर्माण विभाग भिण्ड द्वारा किस-किस मार्ग निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजे गये हैं? प्रश्नांश दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** भिण्ड विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विगत पांच वर्षों में लोक निर्माण विभाग द्वारा कौन से मार्ग स्वीकृत किए गए हैं, उन पर निर्माण का कार्य कितने प्रतिशत पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ है तथा कब तक पूर्ण होंगे?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। जी हाँ। **(ख)** उक्त प्रस्ताव प्रथम अनुपूरक बजट 2015-16 की अनुमोदित सूची में सम्मिलित नहीं होने के कारण प्राक्कलन वापिस किया गया। किसी भी कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार** है। **(घ)** विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार** है।

नगर परिषद निवाड़ी व तरीचरकलां में पेयजल योजना की स्वीकृति

20. (क्र. 532) श्री अनिल जैन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या निवाड़ी विधानसभा अंतर्गत नगर परिषद निवाड़ी एवं नगर परिषद तरीचरकलां में बेतवा नदी से पेयजल लाने हेतु कोई पेयजल योजना स्वीकृत की गई है? यदि हाँ, तो इससे लाभांवित होने वाले नगर एवं गांवों के नाम बताये जायें? **(ख)** क्या इस पेयजल योजना के निर्माण/क्रियान्वयन के लिये शासन द्वारा निविदायें आमंत्रित की जा चुकी हैं? यदि हाँ, तो कितनी निविदायें प्राप्त हुई हैं और किस एजेंसी की निविदा स्वीकृत की गई है? **(ग)** योजना प्रावधान अनुसार इस पेयजल योजना के कार्य पूर्ण करने के लिये कितनी समयावधि निर्धारित है? कार्यवार एवं नगर परिषदवार विवरण दिया जाये तथा यह बताया जाये कि योजना निर्माण कार्य कब से प्रारंभ होकर कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? **(घ)** योजना से लाभांवित होने वाले गांवों व नगरों के वासियों को इस योजना के द्वारा पेयजल कब से प्राप्त हो सकेगा? निश्चित तिथि बतावें।

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। नगर परिषद, निवाड़ी एवं तरीचरकलां के नगरीय क्षेत्र पेयजल योजना से लाभांवित होंगे। **(ख)** एवं **(ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ)** कार्य पूर्णता के निर्धारित दिनाँक से 03 माह में योजना अनुसार रहवासियों को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।

परिशिष्ट - ''उनतालीस''

निवाड़ी एवं ओरछा तहसीलों में पंजीबद्ध एवं संचालित व्यास

21. (क्र. 534) श्री अनिल जैन : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी की ओरछा एवं निवाड़ी तहसीलों में 01.04.1999 से प्रश्न दिनाँक तक कितने प्रकार के कौन-कौन से ट्रस्ट या न्यास पंजीबद्ध हुये हैं, उनके मुख्य न्यासी के नाम तथा पंजीयन के समय विलेखित मुख्य उद्देश्य या प्रयोजन की जानकारी वर्षवार, ग्रामवार एवं तहसीलवार पंजीबद्ध न्यासों के नाम व प्रकार सहित बतायी जावे? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के न्यासों में से प्रश्न दिनाँक को कितने न्यास उनके निर्धारित उद्देश्य अनुरूप संचालित एवं क्रियाशील हैं और कितने अक्रियाशील है तथा इन अक्रियाशील में से कितने न्यास विघटित होकर अस्तित्वहीन हो चुके हैं? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के न्यासों के द्वारा कितनी-कितनी भूमि एवं अन्य संपत्ति किस-किस प्रकार से न्यास के नाम प्राप्त की गई और इसमें से कितनी-कितनी भूमि एवं संपत्ति उनके स्वामित्व में कब तक रही और कितनी-कितनी भूमि एवं संपत्ति इसमें से बिक्री की गई है अथवा उनके स्वामित्व से निकल गई है, उसका कारण बताया जाये? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** के न्यासों में से ही किन-किन को शासन द्वारा शासकीय सहायता अथवा अनुदान दिया गया है, वर्षवार राशि बतायी जावे?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) से **(घ)** जानकार एकत्रित की जा रही है।

नगर पंचायत करैरा/नरवर में निर्माण कार्य

22. (क्र. 562) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नगर पंचायत करैरा/नरवर, जिला शिवपुरी में वर्ष 2009-10 से दिसंबर, 2014 तक कितने निर्माण कार्य कराये गये की जानकारी मांग संख्या, लेखाशीर्ष, उपशीर्ष, योजना मद, सहित वर्षवार दी जावे? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में वर्णित कौन-कौन से निर्माण किस-किस वार्ड में कराये गये? उनकी निविदा की प्रति व स्वीकृत ठेकेदारों के नाम व पते देते हुये निर्माण कार्यों के कार्य आदेश, कार्य पूर्ण होने की दिनाँक की जानकारी भी दी जावे? **(ग)** क्या उपरोक्त सभी कार्य समय-सीमा में व प्रथम प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण हो चुके थे, अथवा पुन: प्राक्कलन द्वारा कराये गए? प्रथम प्राक्कलन व पुन: प्राक्कलन की अंतर राशि भी बताई जावे?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" एवं "ब" अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा किये गये निर्माण कार्यों की जानकारी बाबत्

23. (क्र. 563) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा क्षेत्र-23 करैरा के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा विगत 03 वर्षों में कौन-कौन से निर्माण एवं मरम्मत कार्य कराए गये हैं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में वर्णित कौन-कौन से निर्माण किस-किस मार्ग में कराये गये? **(ग)** क्या उपरोक्त सभी कार्य समय-सीमा में व प्रथम प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण हो चुके थे, अथवा पुन: प्राक्कलन द्वारा कराये गए? प्रथम प्राक्कलन व पुन: प्राक्कलन की अंतर राशि भी बताई जावे?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ, अ-1, अ-2 एवं प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) सतनवाड़ा-नरवर मार्ग का उन्नयन कार्य बी.ओ.टी. (एन्युटी)

योजना में एवं पिछोर दिनारा-दतिया मार्ग का नवीनीकरण कार्य मांग संख्या 3054 एवं **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है**। **(ग)** उत्तरांश 'क' अनुसार।

खेल स्टेडियम हेतु स्वीकृति

24. (क्र. 584) श्री दुर्गालाल विजय : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माह अप्रैल 2013 में श्योपुर जिले के प्रवास के दौरान बड़ौदा जिला श्योपुर में स्टेडियम निर्माण की घोषणा के पालन में म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा 70 लाख का प्राक्कलन मय तकनीकी स्वीकृति के संचालक खेल और युवा कल्याण भोपाल को भेजा था? संचालक ने अपने पत्र क्रमांक/2443 भोपाल दिनाँक 15.04.2015 द्वारा सचिव म.प्र. शासन खेल एवं युवा कल्याण भोपाल को स्वीकृति हेतु भेजा गया हैं? **(ख)** यदि हाँ, तो वर्तमान तक उक्त प्राक्कलन को स्वीकृत न करने के क्या कारण हैं कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी? **(ग)** क्या उक्त प्राक्कलन की स्वीकृति में विलम्ब के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का क्रियान्वयन संभव नहीं हो पा रहा हैं? यदि हाँ, तो क्या शासन स्टेडियम निर्माण कार्य को चालू वित्तीय वर्ष के अनुपूरक बजट में शामिल करके उक्त प्राक्कलन को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करेगा यदि नहीं, तो क्यों?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : प्रश्नांश **(क)** से **(ग)** के संबंध में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कूनो अभ्यारण्य में सिंहों को लाना

25. (क्र. 585) श्री दुर्गालाल विजय : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** श्योपुर जिले में कूनो अभ्यारण्य में सिंहों को बसाने हेतु कार्य प्रारंभ दिनाँक से वर्तमान तक कितनी राशि व्यय की गई? अभ्यारण्य को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने हेतु क्या-क्या कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं? क्या-क्या शेष रह गये हैं कब तक पूर्ण करा लिये जावेगें? **(ख)** अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना था और कितना अब बढ़ाया जाना प्रस्तावित हैं इस हेतु विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार कर क्या विभाग द्वारा शासन/केन्द्र सरकार को भेज दिया गया हैं ? यदि हाँ, तो कब भेजा ? प्रस्ताव वर्तमान में किस स्तर पर लंबित हैं प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत करा लिया जावेगा? **(ग)** माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनाँक 15.04.2013 के पालन में अब तक क्या-क्या वैधानिक कठिनाईयां पूर्ण कर ली गई हैं? क्या-क्या शेष रह गई हैं इनका निराकरण कब तक करा लिया जावेगा तत्पश्चात् कब तक सिंहों को कूनो अभ्यारण्य में स्थानांतरित करवा लिया जावेगा?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) एवं **(ग)** प्रश्नांकित अभ्यारण्य में प्रश्नांकित अवधि में सिंहों को बसाने हेतु रूपये 5636.11 लाख राशि व्यय की गई। कराये गये कार्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है**। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनाँक 15.04.2013 के अनुरूप एशियाई सिंहों के पुनर्स्थापन हेतु भारत शासन द्वारा विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। एक्शन प्लान में दिये गये कार्यों के क्रियान्वयन हेतु राशि रूपये 6899.50 लाख का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। एक्शन प्लान अनुसार कार्यों हेतु आवश्यक राशि प्राप्त होने पर ही शेष रहे कार्य पूर्ण किए जा सकेंगे। शेष कार्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है**। समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है। **(ख)** अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 344.686 वर्ग किलो मीटर है। इसमें 304.596 वर्ग किलो मीटर क्षेत्रफल जोड़ा जाना प्रस्तावित है। कूनो वन्यप्राणी

अभ्यारण्य के क्षेत्रफल विस्तार हेतु प्रस्ताव विभागाध्यक्ष स्तर पर प्रक्रियाधीन है। समय सीमा बताना संभव नहीं है।

प्रेषित पत्रों पर की गई कार्यवाही

26. (क्र. 622) श्री संजय पाठक : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता द्वारा वन संरक्षक वनमण्डल कटनी जिला कटनी को पत्र क्र. 836 दिनाँक 25.05.2015 लिखकर मृतकों के दाह संस्कार हेतु जलाऊ लकड़ी नगर परिषद कैमोर को उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के संबंध में यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? उसके लिये कौन दोषी है? क्या तत्काल दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए प्रश्नाधीन पत्रों पर कार्यवाही की जायेगी? नहीं तो क्यों?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) (ख) एवं **(ग)** जी हाँ। मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद्, कैमोर द्वारा वनमंडलाधिकारी कटनी की मांग अनुसार राशि रूपये 60,976 का भुगतान दिनाँक 26.06.2015 को वनमंडलाधिकारी को करने पर 40 जलाऊ चट्टे नगर परिषद् कैमोर को प्रदाय किया गया। माननीय विधायक को वनमंडलाधिकारी कटनी द्वारा दिनाँक 03.07.2015 को की गई कार्यवाही से अवगत कराया जा चुका है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

इंदौर अंतर्गत 29 गांवों में अवैध निर्माण

27. (क्र. 642) श्री राजेश सोनकर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या इंदौर नगर निगम सीमा में शामिल 29 गांवों एवं सांवेर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम ढाबली, बिज्जुखेड़ी, कैलोद हाला, कुमेंड़ी, भांग्या, भानगढ़, कनाडिया एवं वार्ड क्रमांक 35 लसुडिया मोरी व वार्ड क्रमांक 36 निपानिया में निर्मित भवनों/बहुमंजिला बिल्डिंग के निर्माण की स्वीकृति टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग विभाग एवं ग्राम पंचायत/नगर निगम द्वारा प्रदान की गई है? क्या टी.एन.सी.पी. एवं अन्य विभाग, पंचायतों की परमिशन लेना अनिवार्य है? यदि हाँ, तो कहां-कहां पर पंचायतों एवं अन्यविभागों द्वारा स्वीकृति दी गई है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में क्या टी.एन.सी.पी./पंचायतों को उक्त ग्रामीण क्षेत्रों में कितने मीटर ऊंची बिल्डिंगों/भवनों की स्वीकृति प्रदान करने की पात्रता है? कहां-कहां पर टी.एन.सी.पी. एवं पंचायतों ने क्या-क्या परमिशन प्रदान की है? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के संदर्भ में क्या इंदौर शहर में शामिल किये गये 29 गांवों में पंचायतों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर व टी.एन.सी.पी. ने अपने अधिकारी क्षेत्र से अधिक बहुमंजिला बिल्डिंगों को अनुमति प्रदान की है? क्या सरपंचों को टाउनशिपों, बहुमंजिला बिल्डिंगों के नक्शे पास करने की पात्रता है? **(घ)** यदि हाँ, तो सरपंचों को कितनी उंचाई, लंबाई तथा किस अनुपात तक नक्शे पास करने का अधिकार है? वर्तमान में ग्राम कनाडिया स्थित खसरा नंबर 179/4/2, 178/1, 177/3, 176/1, ग्राम कनाडिया स्थित बिल्डिंग की परमिशन सरपंच व टी.एन.सी.पी. ने प्रदान की है? क्या यह नियमानुसार है? किन-किन अधिकारियों द्वारा उक्त बिल्डिंग की जाँच कब-कब की गई थी? **(ड.)** प्रश्नांश **(ग)** के संदर्भ में क्या टी.एन.सी.पी. व स्थानीय सरपंचों को 12 मीटर से अधिक के भवनों को निर्माण करने की स्वीकृति देने का अधिकार है? यदि नहीं, तो संबंधित बिल्डरों, अधिकारियों/कर्मचारियों, सरपंच, पटवारियों, आर.आई. पर निगम द्वारा तोड़े जा रहे अवैध निर्माण के संबंध में कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? व क्या इन ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में निर्माणाधीन टाउनशिपों में प्रशासन व नगर पालिका निगम द्वारा समय-समय पर निर्माणाधीन इमारतों का निरीक्षण किया जाता है? यदि हाँ, तो

बिल्डरों से सांठ-गांठ कर अवैध निर्माण कराने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों पर कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है? क्या शासन ग्राम पंचायत एवं सरपंचों से नक्शे पास करने व निर्माण अनुमति की शक्तियां वापस लेने पर विचार कर रही है?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। जी हाँ। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है**। **(ख)** इन्दौर विकास योजना 2021 में दिनाँक 01.02.2014 को हुये उपांतरण अनुसार नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय को 30 मीटर ऊँचे भवनों की विकास अनुज्ञा देने का प्रावधान है। नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा प्रदत्त विकास अनुज्ञा के आधार पर ग्राम पंचायतों को पंचायत अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञा देने की पात्रता है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है**। **(ग)** जी नहीं। जी हाँ। **(घ)** नगर ग्राम निवेश विभाग द्वारा जारी किये गये विकास अनुज्ञा के अनुक्रम में उल्लेखनीय मापदण्ड अनुसार पंचायत अधिनियम के अनुपालन में भवन निर्माण के नक्शे पास करने का अधिकार है। जी हाँ। प्रश्नाधीन भूमि पर संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला इन्दौर द्वारा स्थल अनुमोदन किया गया था, तथा भवन निर्माण की अनुज्ञा तत्समय ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान की गई थी। प्रश्नाधीन भवन की जाँच दिनाँक 08.05.2014 को नगर निगम इन्दौर के भवन अधिकारी, भवन निरीक्षक एंव नगर तथा ग्राम निवेश विभाग इन्दौर के सहायक संचालक व मानचित्रकार द्वारा की गई। जाँच के दौरान पाये गये अवैध निर्माण को नगर निगम द्वारा रिमूव्हल की कार्यवाही दिनाँक 06.02.2015 को की गई। **(ड.)** जी हाँ। प्रश्नांश के अंशभाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा अनुमोदित निवेश अनुज्ञा उपरान्त उल्लेखित मापदण्ड अनुसार ग्राम पंचायत/ नगर निगम को भवन स्वीकृति देने का अधिकार है। चूंकि 29 ग्राम म.प्र. शासन के नोटिफिकेशन दिनाँक 20.11.2014 के क्रम में नगरीय सीमा में शामिल हुये हैं। ऐसे क्षेत्रों में भवन निर्माण की अनुमति वर्तमान में नगर निगम द्वारा दी जाती है। नगर निगम द्वारा ऐसे शामिल ग्रामों में निर्मित एंव निर्माणाधीन कुछ भवनों पर कार्यवाही की गई है। जी नहीं।

वित्तीय स्वीकृति हेतु लंबित प्रकरण

28. (क्र. 675) डॉ. मोहन यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिहंस्थ 2016 को दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन शहर एवं आस-पास के क्षेत्रों के कौन-कौन से कार्यों की स्वीकृति हेतु प्रकरण विभाग के पास लंबित हैं? कारण स्पष्ट करें? **(ख)** क्या विभाग द्वारा प्रकरणों को लंबित रखने के कारण स्वीकृती में हो रही देरी से सिहंस्थ 2016 के कार्य प्रभावित हो रहे हैं एवं सिंहस्थ के पूर्व संपन्न नहीं हो सकेगें? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन दोषी है?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) एवं **(ख)** स्वीकृति हेतु विभाग के पास कोई प्रकरण लंबित नहीं है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

बहुमंजिला इमारतों में फायर सेफ्टी हेतु एन.ओ.सी

29. (क्र. 680) श्री राजेश सोनकर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या इंदौर शहर में हॉस्पिटलों, होटलों, टॉकिजों, शापिंग मालों व बहुमंजिला इमारतों आदि जगहों पर फॉयर सेफ्टी की गाईड लाईन तय है? यदि हाँ, तो उसका विस्तृत विवरण देवे? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में क्या उक्त हॉस्पिटलों, मालों, बहुमंजिला इमारतों में भवन निर्माण के समय फायर सेफ्टी एन.ओ.सी लेना अनिवार्य है? यदि हाँ, तो इंदौर जिले व ग्रामीण क्षेत्र में निर्मित किन-किन बहुमंजिला इमारतों,

टाउनशिपों व मल्टीप्लेक्सों में इनकी एन.ओ.सी जारी की गई? क्या इनकी एन.ओ.सी फॉयर विभाग, आबकारी, जिला प्रशासन या नगर निगम द्वारा दिये जाने का प्रावधान है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के संबंध में इंदौर जिले में प्रश्न दिनाँक तक कितने फायर स्टेशनों के निर्माण की योजना है? क्या इसके लिये संबंधित विभागों द्वारा बढ़ते शहर व बस्तियों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक उपकरणों की खरीदी की योजना है? यदि हाँ, तो कब तक? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** के संबंध में इंदौर जिले व ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित हो रहे हॉस्पिटलों, मल्टीप्लेक्सों, मालों व हाईराईज्ड बिल्डिंगों में फायर सेफ्टी ऑफिसर का कोई पद है? यदि है तो उन पदों पर फायर ऑफिसर की नियुक्ति की गई है? यदि हाँ, तो शासकीय एवं गैर शासकीय भवनों में कहाँ-कहाँ नियुक्तियां की गई है? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 87 (3) के तहत नेशनल बिल्डिंग कोड, 2005 के भाग 4 में फायर से सेफ्टी के विस्तृत उपाय प्रावधानित है। **(ख)** जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है**। जी नहीं, "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा एनओसी दी जाती है। **(ग)** इन्दौर जिले में प्रश्न दिनाँक तक फायर स्टेशनों के निर्माण की योजना नहीं है। नगर निगम, इन्दौर में टर्न टेबल लैडर, क्विक रिस्पान्स व्हीकल, काम्बी टूल्स, हाई प्रेशर पम्प एवं एडवान्स वॉटर टेण्डर क्रय की कार्यवाही प्रचलन में है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(घ)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>परिशिष्ट - "चालीस</u>"

<u>अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतने पर पुरस्कार</u>

30. (क्र. 701) श्री गिरीश भंडारी : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** वित्त वर्ष 2013-14 व 2014-15 में म.प्र. के किन-किन खिलाड़ियों ने किन-किन अंर्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया तथा कितने मेंडल जीते? प्रतियोगिता का नाम दर्शाते हुए खिलाड़ी का नाम सहित जानकारी दें। **(ख)** प्रश्न की कंडिका **(क)** अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को म.प्र. शासन द्वारा क्या-क्या सुविधायें व कितना-कितना नगद पुरस्कार दिया है? खिलाड़ी का नाम दर्शाते हुए पुरस्कार की जानकारी देवें तथा खिलाड़ी को क्या-क्या सुविधाएं दी जावेगी? **(ग)** यदि भविष्य में भी किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदेश का खिलाड़ी पदक जीतता है तो क्या उसे भी प्रश्न की कंडिका **(ख)** अनुसार नगद पुरस्कार एवं सुविधाएं दी जावेगी?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने किन-किन अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेकर जितने पदक प्राप्त किए हैं कि जानकारी अखिल भारतीय संघों/फेडरेशन से सम्बन्धित होने के कारण दी जाना सम्भव नहीं है, परन्तु मध्यप्रदेश राज्य खेल अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों द्वारा जिन अधिकृत अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया व पदक अर्जित किया उसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'क' अनुसार है**। **(ख)** अधिकृत अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने वाले जिन खिलाड़ियों ने विभाग में पुरस्कार/सुविधाएं हेतु आवेदन किया उन्हें दिए गए नगद पुरस्कार से सम्बन्धित वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ख' अनुसार है**। अन्य कोई सुविधा देने का अभी कोई प्रावधान नहीं है। **(ग)** जी हाँ। भविष्य में अधिकृत अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्तकर्ता खिलाड़ी को जिन पुरस्कारों/सुविधाओं की पात्रता होगी से सम्बन्धित नियमों के प्रावधानों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ग' अनुसार है**।

प्रश्न क्र. 3436 उत्तर दिनाँक 16.03.2015 पर कार्यवाही

31. (क्र. 702) श्री गिरीश भंडारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता विधायक के प्रश्न क्र. 3436, दिनाँक 16.03.2015 की कंडिका **(ख)** व **(ग)** में शासन ने बताया है कि उक्त प्रकरण में जाँच कराई जा रही है? जाँच के निष्कर्षों के आधार पर आगामी कार्यवाही की जायेगी? क्या प्रश्न दिनाँक तक उक्त प्रकरण की किस अधिकारी द्वारा किस-किस दिनाँक को किस-किस बिंदु पर क्या-क्या जाँच की गई? **(ख)** यदि प्रश्न दिनाँक तक जाँच पूर्ण नहीं हुई है, तो जाँच कब तक पूर्ण हो जायेगी तथा दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ, जाँच पूर्ण हो गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है**। **(ख)** जाँच पूर्ण हो गई है एवं प्रतिवेदन के अनुसार कार्यवाही की जा चुकी है।

वृक्षों की अवैध कटाई एवं छिलाई

32. (क्र. 714) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिवनी जिला सिवनी वनमण्डलों के अंतर्गत वन क्षेत्र में 1 जनवरी 2014 से वर्तमान तक की अवधि में अवैध वृक्षों की कटाई/छिलाई के कितने प्रकरण बनाये गये प्रकरणवार दिनाँक/स्थान वन सम्पदा का मूल्य/मात्रा सहित दोषी वन माफियाओं के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** क्या उक्त वन क्षेत्रों में सभी प्रकार के वृक्षों की अवैध कटाई में काटे गये पेड़ों में कौन-कौन से प्रजाति के ठूंठ पाये गये ठूंठो के एवज में प्रकरण बनाकर उच्च अधिकारियों ने जाँच की है? **(ग)** यदि हाँ, तो इसके लिये कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये है वन विभाग द्वारा अभी तक दोषियों पर कार्यवाही की गई है अथवा नहीं? यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो क्यों, कब तक की जावेगी?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। **(ख)** मुख्य रूप से सागौन एवं सतकठा प्रजाति के ठूंठ पाये गये। उच्चाधिकारियों दवारा जाँच की गई। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है**। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मुरैना-पोरसा सड़क मार्ग की मरम्मत

33. (क्र. 772) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मुरैना-पोरसा-सड़क मार्ग अनेक स्थानों मुडियाखेडा, अम्बाह नगर पेट्रोल पम्प के पास, थरा आदि स्थानों पर जल भराव के कारण नष्ट हो रहा है? **(ख)** क्या उक्त स्थानों पर जल भराव रोकने की स्थाई व्यवस्था नहीं होने से मार्ग निरन्तर खराब होता जा रहा है? गड्ढे होकर वाहन नहीं निकल पा रहे है? शासन उक्त मार्ग को कब तक ठीक करायेगा, समय सीमा बताई जावे? **(ग)** क्या शासन इस प्रकार की उत्कृष्ट मार्गों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) पानी निकासी न होने के कारण मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो रहा है। **(ख)** जी नहीं। मार्ग मोटरेबल है, थरा का क्षतिग्रस्त हिस्सा सीमेंट कांक्रीट द्वारा ठीक कराया जा चुका है। शेष मडियाखेड़ा एवं अम्बाह के क्षतिग्रस्त भाग में सीमेंट कांक्रीट कार्य प्रगतिरत है, जिसे अगस्त-2015 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। **(ग)** जी नहीं, कोई अनदेखी नहीं की जा रही है, कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

सतना जिले में मुख्तियारगंज एवं विरहुली रेल्वे फाटक पर ओवर ब्रिज का निर्माण

34. (क्र. 794) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सतना जिले के अंतर्गत सतना से रीवा रेल्वे लाईन के बीच विरहुली रेल्वे फाटक जो सतना से सेमरिया मार्ग पर स्थित है क्या उस पर ओवर ब्रिज प्रस्तावित है? **(ख)** यदि रेल्वे ओवर ब्रिज प्रस्तावित नहीं है तो क्या आम जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एवं जाम से बचने के लिये सुरक्षा की दृष्टि से ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जावेगा? **(ग)** क्या इसी प्रकार सतना से मानिकपुर रेल्वे लाईन के बीच सतना शहर अन्तर्गत मुख्तियारगंज रेल्वे फाटक में ओवर ब्रिज निर्माण कराये जाने की नितांत आवश्यकता है? **(घ)** यदि प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** का उत्तर हां है तो क्या उक्त दोनों अतिआवश्यक रेल्वे फाटक में ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जावेगा? यदि कराया जावेगा तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित बताएं?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी नहीं। **(ख)** वर्तमान में न तो स्वीकृत है और ना ही प्रस्तावित है। अत: वर्तमान में बतलाया जाना संभव नहीं। **(ग)** जी हाँ। **(घ)** जी नहीं स्वीकृत नहीं है, अत: समयावधि बताना संभव नहीं है।

चीता नस्ल के संरक्षण की योजना

35. (क्र. 816) श्री मुकेश नायक : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भारत और मध्यप्रदेश में विलुप्त वन्यप्राणी चीता को फिर से राज्य के वनों में बसानें के लिये क्या वन विभाग विदेशों से चीता आयात करने के किसी कार्यक्रम पर विचार कर रहा है? यदि हाँ, तो इस बारे में पूर्ण जानकारी दीजिए। **(ख)** मध्यप्रदेश में चीता के विलुप्त होने के क्या कारण रहे है और इस विलुप्त नस्ल के संरक्षण के लिये सरकार की क्या योजना है?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** चीता खुले घास के मैदानों का वन्यप्राणी है। बढ़ती जनसंख्या के कारण उसके रहवास स्थलों का निवास, रहवास स्थलों का कृषि उपयोग में परिवर्तन तथा वर्ष 1950 के दशक से पूर्व शिकार की अनुमति मध्यप्रदेश में चीता के विलुप्त होने के मुख्य कारण रहे हैं। चीता के विलुप्त होने के कारण शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बांस को लघुवनोपज घोषित किया जाना

36. (क्र. 817) श्री मुकेश नायक : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश शासन ने वनाधिकार मान्यता कानून 2006 के अनुसार बास को लघुवनोपज माना है और वनवासियों, आदिवासियों को बांस काटने और बेचने का अधिकार दिया है? यदि नहीं, तो क्या कारण है? **(ख)** क्या भारतीय वन अधिनियम 1927 में बांस को इमारती लकड़ी की श्रेणी में रखा गया है, तथा वनाधिकार मान्यता कानून 2006 के अनुसार बांस लघुवनोपज है फिर क्या कारण है कि मध्यप्रदेश में वन विभाग बांस व्यापार और बांस उद्योग को सरकारी नियंत्रण में लिये हुये है और बांस उद्योग के लिये देशी विदेशी पूंजी निवेशकों के साथ अनुबंध कर रहा है? **(ग)** क्या शासन को जानकारी है कि अप्रैल 2011 में भारत सरकार के वन मंत्री ने मध्यप्रदेश सरकार को पत्र लिखकर वनवासियों को वनोपज बांस पर स्वामित्व अधिकार देने के संबंध में सलाह दी थी? यदि हाँ, तो इस संबंध में शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) मध्यप्रदेश संरक्षित वन नियम, 2015 एवं मध्यप्रदेश ग्राम वन नियम, 2015 के तहत अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 में दिये गये प्रावधान अनुरूप बांस को गौण वन उत्पादन माना जाकर ग्रामवासियों को बांस के विदोहन तथा निर्वर्तन के अधिकार दिये गये हैं। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी हाँ। मध्यप्रदेश राज्य में बांस उद्योग के लिये किसी भी देशी विदेशी पूंजी निवेशक के साथ अनुबन्ध नहीं किया गया है। शेष उत्तरांश **(क)** अनुसार। **(ग)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परासिया में जल आवर्धन योजना के कार्य में अनियमितताएं</u>

37. (क्र. 827) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या परासिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर परिषद चांदामेंटा एवं नगर पालिका परासिया में जल आवर्धन योजना का कार्य प्रारंभ है? यदि हाँ, तो क्या इस कार्य में गंभीर अनियमितताएं बरती जा रही है जो डिजाइन एवं इस्टीमेंट शासन द्वारा स्वीकृत किया गया उसके अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है? **(ख)** क्या इस तरह के अनुचित कार्य पर विभाग की सहमति है? यदि नहीं, तो इस अनुचित कार्यवाही की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाएगी और कब तक जाँच पूर्ण करा ली जायेगी समय सीमा बतायें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>विधानसभा क्षेत्रों में स्टेडियम निर्माण</u>

38. (क्र. 829) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या यह सत्य है कि शासन की योजना अनुसार प्रति विधानसभा क्षेत्र में एक स्टेडियम निर्माण किये जाने संबंधी दिशा निर्देश जारी किये गये थे? इस संबंध में परासिया विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्रीय स्तर पर स्टेडियम निर्माण की कार्यवाही व दस्तावेज शासन को अग्रेषित कर दिये गये हैं? यदि हाँ, तो कब तक स्टेडियम निर्माण किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी? **(ख)** स्टेडियम का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ हो जायेगा?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी नहीं। जी नहीं। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** प्रश्नांश ''क'' के संदर्भ में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>नगरीय निकायों को भूमि का आवंटन</u>

39. (क्र. 842) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रायसेन एवं देवास जिले के किन-किन नगरीय निकायों द्वारा किन-किन कार्यों, योजनाओं हेतु शासन से कितनी भूमि की मांग विगत 5 वर्षों में की? पूर्ण विवरण दें। **(ख)** जून 2015 की स्थिति में उक्त नगरीय निकायों को कितनी भूमि की किन-किन कार्यों-योजनाओं हेतु आवश्यकता है, पूर्ण विवरण दें। **(ग)** उक्त भूमि प्राप्त करने हेतु संबंधित निकायों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही/प्रयास किये गये? **(घ)** उक्त नगरीय निकायों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु जिला प्रशासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? कब तक भूमि आवंटित कर दी जावेगी?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से **(घ)** के संबंध में रायसेन जिले की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है एवं देवास जिले की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है।

झुग्गी बस्तियों का सर्वे

40. (क्र. 843) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रायसेन एवं देवास जिले में नगरीय क्षेत्र में झुग्गी बस्तियां किस-किस स्थान पर है? **(ख)** उक्त झुग्गी बस्तियों का सर्वे कब किया गया तथा कितने व्यक्तियों को पट्टे प्रदान किये गये तथा कितने झुग्गी बस्तियों को पट्टा नहीं दिये गये तथा क्यों? कारण बतायें। **(ग)** झुग्गी वासियों को पट्टा देने तथा पट्टा प्राप्त झुग्गीवासी - झुग्गी बेचने न पाये, इसे रोकने हेतु विभाग तथा शासन क्या-क्या कार्यवाही करेगा? **(घ)** झुग्गी वासियों को पट्टा प्रदान करने के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं? उनकी प्रति दें।

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) एवं **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ग)** एवं **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है।**

जावरा नगर मध्य स्थित रेल्वे फाटक पर फ्लाई/अंडर ब्रिज निर्माण के संबंध में

41. (क्र. 881) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विगत वर्षों में मान. मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणानुसार शासन/विभाग द्वारा जावरा नगर मध्य स्थित फ्लाई/अंडर ब्रिज रेलवे पर निर्माण किये जाने हेतु कार्य योजना प्रस्तावित होकर स्वीकृत है? **(ख)** क्या शासन/विभाग द्वारा समय-समय पर स्थल का सर्वे कार्य किया जाकर प्रोजेक्ट प्लान तैयार किया जा रहा है? **(ग)** क्या केन्द्र सरकार द्वारा रेलवे बजट में इसे सम्मिलित कर कार्य हेतु अनुमोदित किया है? **(घ)** यदि हाँ, तो म.प्र. शासन/विभाग द्वारा मान. मुख्यमंत्री जी घोषणानुसार अब तक इस हेतु क्या-क्या किया गया है? क्या-क्या किया जा रहा है? साथ ही ड्राईंग प्रोजेक्ट प्लान को कब तक पूर्ण किया जाकर कार्य कब प्रारंभ किया जाएगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी नहीं। **(ख)** जी हाँ। **(ग)** जी हाँ। **(घ)** कार्य का विस्तृत सर्वेक्षण तथा रेल्वे के साथ संयुक्त निरीक्षण कर लिया गया है। विस्तृत परियोजना रिर्पोट तैयार की जा रही है कार्य कब तक प्रारंभ होगा वर्तमान में निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।

मंदिरों का जीर्णोद्धार

42. (क्र. 882) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जावरा नगर, जावरा तहसील एवं पिपलौदा तहसील अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में अत्यंत धार्मिक महत्व के प्राचीनतम मंदिर होकर जीर्णशीर्ण स्थिति में है? **(ख)** यदि हाँ, तो शासनाधीन मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु मेरे द्वारा विगत वर्षों में कई पत्रों के माध्यम से इनके जीर्णोद्धार किये जाने की मांग की जा रही है? **(ग)** यदि हाँ, तो शासन/विभाग द्वारा जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2012 13 वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15 के प्रश्न दिनाँक तक किन-किन मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु कितना-कितना बजट स्वीकृत होकर क्या-क्या कार्य किये गये? **(घ)** साथ ही मेरे द्वारा भेजे गये मांग पत्रों पर क्या-क्या कार्य किये जाकर कितने कार्य पूर्ण हुए, अपूर्ण रहे, लंबित रहे अथवा विचाराधीन है? वस्तुस्थिति से अवगत कराएं।

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सिंगरौली जिले में मठ मंदिरों को पुजारियों का मानदेय का भुगतान

43. (क्र. 1008) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि जिला सिंगरौली में स्थित मठ-मंदिरों के पुजारियों को कितने रूपये प्रतिमाह मानदेय राशि का भुगतान किया जा रहा है? इनके नाम सहित दिये जा रहे मानदेय राशि का विवरण देवें?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जीर्णशीर्ण मंदिरों का जीर्णोद्धार

44. (क्र. 1010) डॉ. मोहन यादव : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** उज्जैन जिले में धर्मस्व विभाग में पुराने जीर्ण-शीर्ण मंदिरों की संख्या कितनी हैं? वे कहां-कहां स्थित हैं? क्या आगामी सिंहस्थ को दृष्टिगत रखते हुए उक्त मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए शासन द्वारा अतिरिक्त बजट आवंटित किया जायेगा? हां तो कितनी राशि आवंटित की जायेगी? नहीं तो क्यों कारण बताएं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में दर्शित मंदिरों को बचाने के लिए शासन की क्या कार्य योजना है और इन्हें कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा? किन-किन मंदिरों में पुजारी नियुक्त है और किन-किन मंदिरों में पुजारी की नियुक्ति होना है? जहां पुजारी नहीं हैं वहां पुजारी की नियुक्ति कब की जावेगी? प्रश्नांश **(क)** में दर्शित मंदिरों के जीर्णोद्धार का कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा? **(ग)** यदि प्रश्नांश **(क)** लगायत **(ख)** का जबाव जानकारी एकत्रित की जा रही है, तो क्या यह सही है कि बजट सत्र के दौरान प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्न क्र. 2441 में भी विभाग द्वारा यही जबाव दिया गया था किन्तु प्रश्नकर्ता को आज दिनाँक तक उक्त जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई? उक्त लापरवाही के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी है? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

क्षिप्रा नदी के शुद्धिकरण हेतु ट्रीटमेंट प्लांटों की स्थापना

45. (क्र. 1011) डॉ. मोहन यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा क्षिप्रा शुद्धिकरण को लेकर क्षिप्रा नदी में मिलने वाली नदियों के संबंध में ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो क्षिप्रा नदी में मिलने वाले नालों नदियों के ट्रीटमेंट प्लांटों की क्या स्थिति हैं? इन्हें कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? **(ख)** क्षिप्रा शुद्धिकरण को लेकर विभाग द्वारा कब-कब, किस-किस सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में 01 जनवरी 2013 के पश्चात कहाँ-कहाँ पर बैठकों का आयोजन किया गया? इन बैठकों में कौन-कौन से जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था? **(ग)** यदि प्रश्नांश **(ख)** के उत्तर में कोई भी जनप्रतिनिधि को आमंत्रित नहीं किया गया था। तो उन्हें किस नियम/मापदण्ड के अंतर्गत आमंत्रित नहीं किया गया था? इस संबंध में कौन दोषी है? **(घ)** यदि प्रश्नांश **(क)** लगायत **(ग)** का जवाब जानकारी एकत्रित की जा रही है तो क्या यह सही है कि बजट सत्र के दौरान प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्न क्र. 2417 दिनाँक 16 मार्च, 2015 में भी विभाग द्वारा यही जवाब दिया गया था किन्तु प्रश्नकर्ता को आज दिनाँक तक उक्त जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई, उक्त लापरवाही के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी है? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। क्षिप्रा नदी में मिलने वाले नाले, ट्रीटमेंट प्लांटो एवं थान नदी डायवर्सन की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" पर है**। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" पर है**। बैठको में किसी भी जन प्रतिनिधि को आमंत्रित नहीं किया गया है। **(ग)** विभागीय बैठक होने के कारण जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2417 की जानकारी पृथक से प्रेषित की जा चुकी है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "इकतालीस"

बिगड़े वनों के सुधार हेतु वैकल्पिक पौध रोपण

46. (क्र. 1062) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सामान्य वन मंडल कटनी क्षेत्र में वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनाँक तक विभाग द्वारा बिगड़े वन सुधार हेतु वैकल्पिक वन हेतु पौधा रोपण, सिल्वी पाश्चर माडल कार्य एवं अन्य समस्त विभागीय वृक्षारोपण के कौन-कौन से कार्य, कब-कब, कितनी-कितनी लागत से कराये गये, परिक्षेत्रवार, वृतवार बतायें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के तहत वृक्षारोपण कार्यों हेतु कार्यालय द्वारा तैयार कार्ययोजना, आवंटन प्रस्तावों एवं मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अभिलेखों की जानकारी सहित बतायें कि रोपित किये गये पेड़ो/पौधों की वर्तमान में क्या स्थिति है, वृक्षारोपण कार्यों का भौतिक सत्यापन किन-किन के द्वारा कब-कब, किया गया, क्या प्रतिवेदन दिये गये? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** के तहत क्या वृक्षारोपण की स्वीकृत कार्ययोजना एवं विभागीय स्वीकृति के मापदंडों के अनुरूप जीवित पेड़ो/पौधों की संख्या काफी कम हैं? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार है, इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही कब तक की जायेगी, यदि नहीं, तो क्यों?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) एवं **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है**। **(ग)** जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

स्वरोजगार हेतु लगाये गये आवेदनों का निराकरण

47. (क्र. 1065) श्री राजेन्द्र श्यामलाल (राजू भैया) दादू : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** म.प्र. शासन द्वारा बेरोजगारों को स्वयं रोजगार स्थापित करने हेतु किस-किस विभाग के माध्यम से कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है? **(ख)** उपरोक्त योजनाओं में रोजगार हेतु जिला बुरहानपुर में वर्ष 2012-13 से आज तक कितने-कितने आवेदन बेरोजगार युवाओं द्वारा रोजगार स्थापित किये जाने हेतु विभिन्न विभागों/बैंकों में प्रस्तुत किये गये? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** अनुसार प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदन स्वीकृत, कितने अस्वीकृत, कितने आवेदन किस स्तर पर लंबित हैं?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ **2-6/ 2014/**अ-ग्यारह दिनांक **21.07.2014** से **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** विभिन्न विभागों की स्वरोजगार योजनाओं का युक्तियुक्तकरण कर निम्नानुसार तीन योजनाओं में समाहित किया गया है -**1.** मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना **2.** मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना **3.** मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना **(ख)** से **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है**।

पाटन विधान सभा अंतर्गत मार्गों की मरम्मत

48. (क्र. 1085) श्री नीलेश अवस्थी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पाटन विधान सभा अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के अधीन कौन-कौन से मार्ग हैं? लम्बाई सहित सूची देवें। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित मार्गों की वर्तमान स्थिति क्या है एवं इन मार्गों का निर्माण किस वित्त वर्ष में कितनी लागत से किया गया? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** में उल्लेखित मार्गों में से कितने मार्ग गारंटी अवधि में है? **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** में उल्लेखित मार्गों का मेंटिनेंस वर्तमान वित्त वर्ष में कितनी लागत से, किस ऐजेंसी द्वारा किया गया? सूची देवें।

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) से **(घ)** विभाग के अधीन मार्गो की विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है**।

JNNURM योजना अन्तर्गत जबलपुर शहर में नालों का निर्माण

49. (क्र. 1093) श्री तरूण भनोत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** JNNURM योजना अंतर्गत जबलपुर शहर के लिये वर्षा जल निकासी योजना की लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि एवं निर्मित किये जाने वाले नालों की संख्या क्या थी? **(ख)** वर्णित प्रश्नांश **(क)** की योजना से कितनी राशि व्यय कर कितने नालों का निर्माण समयावधि में पूर्ण हुआ, और कितने नालों का निर्माण अभी शेष है? जानकारी नालों के स्थानवार एवं उनमें व्यय की गई राशिवार पृथक-पृथक रूप से बताई जावे? **(ग)** क्या वर्णित प्रश्नांश **(क)** की योजना के माध्यम से शहर की जनप्लावन की समस्या का समाधान हो गया है? यदि नहीं, तो क्या कारण है? जलप्लावन की दशा में किसका दोष माना जावेगा? **(घ)** यदि वर्णित प्रश्नांश **(क)** की योजना अपूर्ण है और यदि योजना में और भी नाले जोड़े जाना है तो इस संबंध में जानकारी देवें एवं शहर को जलप्लावन से बचाने के लिए यदि कोई तात्कालिक व्यवस्था की गई है, तो इसकी भी जानकारी देवे?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) JNNURM योजना अंतर्गत जबलपुर शहर के लिये वर्षा जल निकासी हेतु नालों के निर्माण की योजना की लागत राशि रू. 374.99 करोड़ है। योजना मार्च 2013 तक पूर्ण करनी थी तथा कुल नालों की संख्या 130 है। **(ख)** योजना अंतर्गत व्यय राशि रू. 347.72 करोड़ है। समस्त नालों का निर्माण एक साथ किया जा रहा है। शत प्रतिशत कार्य पूर्ण किसी नाले का नहीं हुआ है। समग्र रूप से 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है। भुगतान समग्र रूप से मात्रा के अनुसार एक साथ किया गया है। नालेवार अन्य **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट अनुसार है**। **(ग)** योजना अभी अपूर्ण है शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी हाँ। फेस-2 योजना तैयार कराई जा रही है। आपात स्थिति में निगम द्वारा उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप व्यवस्थाएं की जाती है।

जबलपुर स्थित बाल सागर विस्थापित बस्ती में विकास कार्य

50. (क्र. 1094) श्री तरूण भनोत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा जबलपुर प्रवास के दौरान बाल सागर विस्थापितों की बस्ती के विकास हेतु राज्य शासन से पांच करोड़ रुपये की राशि प्रदान करने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो क्या यह राशि नगर निगम जबलपुर को उपलब्ध करा दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों, पूर्ण जानकारी दी जावे? **(ख)** यदि वर्णित **(क)** की राशि उपलब्ध करा दी गई है तो नगर निगम जबलपुर द्वारा उस राशि से

कौन-कौन से कार्य कितनी लागत से पूर्ण करवाये जानकारी कार्य के नामवार व्यय की गई राशि के साथ बताई जावे? **(ग)** क्या बाल सागर विस्थापित बस्ती में समस्त अधोसंरचना कार्य जैसे सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाईट, आदि के कार्य पूर्ण हो चुके है? यदि नहीं, तो इसके लिये क्या कार्य योजना है? जानकारी दी जावे?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। नगर पालिक निगम, जबलपुर द्वारा बाल सागर विस्थापितों की बस्ती के विकास हेतु प्रस्तावित कार्यों की संशोधित कार्य योजना अपेक्षित होने से राशि उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है। **(ख)** उत्तरांश **(क)** के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी नहीं। अपितु नगर पालिक निगम, जबलपुर द्वारा राशि रू. 3,38,04,801/- लागत से डब्ल्यू.बी.एम. सड़क, पुलिया, ट्युबवैल, पाईप लाईन एवं विद्युतीकरण के कार्य कराये गये है। राशि रू. 500.004 लाख की प्रस्तावित कार्य योजना में डब्ल्यू.बी.एम. सड़क, कांक्रीट सड़क, आर.सी.सी. नाली एवं पुलियों के कार्य किये जायेंगे।

सीहोर जिले के मार्गों की मरम्मत पर व्यय राशि

51. (क्र. 1109) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सीहोर जिले की इछावर विधानसभा क्षैत्र में कौन-कौन से मार्ग विभाग के अंतर्गत आते हैं? क्या सभी मार्ग परिवहन हेतु उचित स्थिति में हैं? यदि नहीं, तो इनकी मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कब तक कर लिया जावेगा? **(ख)** सीहोर जिले में वर्ष 2012-13 से 30 जून 15 तक विधानसभावार विभाग द्वारा किन-किन मार्गों पर कितनी-कितनी राशि मरम्मत हेतु व्यय की गयी एवं इन मार्गों की वर्तमान स्थिति क्या हैं? **(ग)** सीहोर जिले में पिछले तीन वर्षों में मस्टर रोल पर कितने कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी? ये कर्मचारी किन कार्यों पर लगे हुए हैं? एवं किस आधार पर यह नियुक्तियाँ की गयी? **(घ)** विभाग द्वारा मरम्मत एवं अन्य मदों से कितने कार्य इछावर विधानसभा क्षेत्र में दो लाख रुपये की राशि से कम के कार्यावंटन कराये गये और कितने कार्य प्रस्तावित हैं?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है एवं म.प्र. सड़क विकास निगम के अंतर्गत एस.एच.-53 आता है। जी हाँ। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है**, एवं नसरूल्लागंज कौसमी मार्ग (लंबाई 20.00 कि.मी.) में मरम्मत कार्य पर वित्तीय वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 10,25,820/- का व्यय किया गया। **(ग)** कोई नहीं। शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(घ)** कोई नहीं।

खेल स्टेडियम निर्माण योजना

52. (क्र. 1110) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** सीहोर, रायसेन, विदिशा जिला अंतर्गत विभाग की विधानसभावार खेल स्टेडियम निर्माण योजनांतर्गत कहाँ-कहाँ निर्माण शुरू हो गए हैं? विधानसभावार कहाँ-कहाँ इनका निर्माण प्रस्तावित हैं? **(ख)** यदि नहीं, तो इस योजनांतर्गत निर्माण कार्य की शुरूआत कब तक कर दी जाएगी? निर्माण कार्य में देरी के क्या कारण रहे? **(ग)** इस योजनांतर्गत कब तक निर्माण कार्य पूरा कर खेल गतिविधियां संचालित होने लगेंगी?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) विभाग की विधानसभावार खेल स्टेडियम निर्माण की कोई योजना नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** ऐसी कोई विभागीय योजना नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** प्रश्नांश ''क'' एवं ''ख'' के संदर्भ में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

थर्मोप्लास्टिक, रोड मार्किंग, पैंट से पट्टे डालने आदि की जानकारी

53. (क्र. 1121) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** लोक निर्माण विभाग ने 1 जनवरी 2013 से प्रश्न दिनाँक तक भिण्ड जिले में स्थित लोक निर्माण के सभी संभागों में थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग, पेंट से पट्टे डालने का काम, सोलर पावर रोड स्टर्ड, स्पीड ब्रेकर प्लास्टिक व रोड साईन बोर्ड के कार्य किन-किन दरों पर किन-किन एजेंसियों से कराये गये हैं एवं उन्हें कितना-कितना भुगतान किया गया? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के तहत वर्णित कार्यों के लिए क्या खुली निविदा आमंत्रित की गयी थी? यदि हाँ, तो क्या निविदा का प्रकाशन समाचार पत्रों मं किया गया था? यदि हाँ, तो प्रकाशित विज्ञापन की छायाप्रति दें? निविदा में भाग लेने वाली एजेंसियों के नाम, पते सहित जानकारी दें? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** में वर्णित कार्यों की गारण्टी कितने वर्ष की थी? गारण्टी पीरियड के बाद किस पदनाम/नाम के अधिकारी ने भौतिक सत्यापन कर भुगतान कराया? भौतिक सत्यापन में क्या पाया गया? जानकारी दें।

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) लोक निर्माण विभाग संभाग भिण्ड के अंतर्गत दिनाँक 01 जनवरी 2013 से प्रश्न दिनाँक तक किसी भी एजेंसी से प्रश्नांकित कार्य नहीं कराये गये है। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नदियों के जल प्रदूषण के उपचार की योजना

54. (क्र. 1122) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ग्वालियर एवं चंबल संभाग में बहने वाली नदियों का जल सबसे ज्यादा और सबसे कम किस-किस नदी का प्रदूषित है? प्रश्न दिनाँक की स्थिति में नदीवार जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के तहत चंबल नदी के दस प्रमुख स्थानों के जल प्रदूषण की जानकारी दें? उक्त में से सबसे ज्यादा और सबसे कम जल प्रदूषण किस-किस स्थान पर है? किस-किस स्थान का जल पीने योग्य और नहाने योग्य नहीं है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** व **(ख)** के तहत किस-किस नदी में कौन-कौन से प्रमुख प्रदूषण वाले स्रोत मिले हुए हैं? जानकारी दें। क्या इन प्रदूषण वाले स्रोतों के पानी के उपचार के लिए कोई योजना बनाई जा रही है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? कारण दें।

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) एवं (ख) ग्वालियर एवं चंबल संभाग में बहने वाली नदियों के जल की गुणवत्ता **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है**। भारतीय मानक 2296 के अनुसार सीप नदी, श्योपुर तथा मुरार नदी, ग्वालियर जडेरूआ ग्राम के पास ई श्रेणी (अपेक्षाकृत प्रदूषित) तथा चबंल नदी श्योपुर ''ए'' श्रेणी (उच्चतम गुणवत्ता) की है । चंबल नदी की गुणवत्ता क्रमशः श्योपुर, मुरैना तथा भिण्ड में जाँची जाती है जो **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है** श्योपुर में ''ए'' श्रेणी (उच्चतम गुणवत्ता) तथा मुरैना एवं भिंड में ''बी'' श्रेणी की है । दोनों स्थानों पर नदी का जल नहाने योग्य है तथा श्योपुर में डिसइनफैक्शन के उपरांत तथा मुरैना एवं भिंड में

परंपरागत उपचार उपरांत पीने योग्य है। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-"ब" अनुसार है**। प्रदूषण का स्त्रोत घरेलू उपचारित/अनुपचारित दूषित जल है । 7 निकायों के नालों का पानी नदी में मिलता है । विभाग द्वारा सभी निकायों को वेस्ट वाटर मेनेजमेंट की कार्ययोजना तैयार करने हेतु निर्देश दिये गये है ।

<u>परिशिष्ट - "बयालीस</u>"

<u>क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत</u>

55. (क्र. 1142) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के आधिपत्य में कौन-कौन से मार्ग हैं एवं उनका निर्माण कार्य कब-कब, कितनी-कितनी लागत से कराया गया, तथा उक्त मार्गों का गारंटी पीरियेड क्या था? **(ख)** क्या यह सही है कि विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत ग्राम कडियाहाट से ग्राम निवारा, ग्राम झरखेड़ा से ग्राम पाडली महाराजा, ग्राम बगवाज से सीलखेड़ा व्हाया पाडलीगुसाई, एन.एच.-12 से पीपलहेला, सुठालिया से घोघराघाट, एन.एच.-12 से ग्राम बारवां, नापानेरा से नेवली, लखनवास से तुमड़िया, ग्राम भाटखेड़ी से भीलवाडिया, ग्राम नरी से हरिपुरा, ग्राम गिन्दौरहाट से ग्राम बैलास वर्तमान में पूर्णतः क्षतिग्रस्त होकर आवागमन योग्य नहीं है? यदि हाँ, तो क्या शासन उक्त सभी मार्गों की अतिशीघ्र मरम्मत कर आवागमन योग्य बनाऐगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>नाले की निस्तारीकरण कार्ययोजना की स्वीकृति</u>

56. (क्र. 1143) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राजगढ़ जिले की नगर पालिका ब्यावरा के अंतर्गत शहर ब्यावरा में पूरे शहर को दो भागों में बाटते हुये एक निस्तारी नाला निकलता है? तथा उक्त नाला बारहों माह गंदगी, सड़ान व शहर में बीमारियों का कारण बना हुआ है? यदि हाँ, तो नगर के आमजन लंबे समय से उक्त नाले को पक्का करने, नाले को ढकने व नगर के बाहर निस्तारण करने की मांग करते आ रहे है? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या शासन द्वारा उक्त नाले को पक्का करने, ढकने तथा उसके निस्तारण हेतु कोई कार्ययोजना बनाई गई है? यदि नहीं, तो क्या उपरोक्तानुसार कार्ययोजना बनाकर आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। जी नहीं, अपितु निकाय द्वारा समय-समय पर सफाई कराई जाती है एवं कीटनाशक दवा का भी छिड़काव किया जाता है। जी हाँ। **(ख)** निकाय द्वारा उक्त नाले को पक्का करने, ढ़कने तथा उसके निस्तारण हेतु कार्य-योजना बनाई जा रही है, समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

<u>भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत आरक्षित वर्ग के उद्यमियों को क्रय आदेश</u>

57. (क्र. 1165) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या भंडार क्रय नियमों में शासकीय क्रय में अ.जा., अ.ज.जा., वर्ग के उद्यमियों एवं प्रदाय कर्ताओं को संरक्षण की दृष्टि से उन्हें क्रय आदेश दिये जाने का प्रावधान है? **(ख)** यदि शासन प्रश्नांश

(क) से सहमत है तो उन्हें कितना-कितना प्रतिशत किन-किन सामग्री में देने का प्रावधान है व इस हेतु क्या नीति व मापदण्ड निर्धारित है? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के परिप्रेक्ष्य में जनवरी 2014 से जून 2015 तक चंबल संभाग में उद्यमियों को क्रय आदेश दिये गये?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी हाँ। **(ख)** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग संबंधी भण्डार क्रय नियम के नियम 17 (अ) एवं 17 (ब) में निम्नानुसार प्रावधान है:-17 (अ) भण्डार क्रय नियम 2 के अन्तर्गत सीमित निविदा द्वारा क्रय की जाने की सीमा तक, जो वर्तमान में रूपये 25 हजार है एवं जो समय-समय पर शासन द्वारा संशोधित की जाए, वस्तुओं के क्रय हेतु कम-से-कम 30 प्रतिशत क्रय ऐसे उद्यमियों/विक्रेताओं/ संस्थानों/ उत्पादकों से किया जाएगा, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों की भागीदारी 50 प्रतिशत से अधिक हो। अगर किन्हीं विशेष परिस्थिति में ऐसे व्यवसायियों से 30 प्रतिशत का क्रय सम्भव न हो तो क्रयकर्ता अधिकारी छूट के कारणों को लिपिबद्ध करते हुए अपने विभागाध्यक्ष की स्वीकृति उपरान्त ही अन्य व्यवसायियों से उक्त खरीदी कर सकेगा। विभागाध्यक्ष, स्वीकृति की प्रति मय, विस्तृत जानकारी के लघु उद्योग निगम को तत्काल उपलब्ध कराएंगे। 17 (ब) भण्डार क्रय नियम 2 के अन्तर्गत खुली निविदा के द्वारा क्रय किये जाने की सीमा में, जो वर्तमान में रूपये 25 हजार से अधिक है, जो समय-समय पर शासन द्वारा संशोधित की जाए, वस्तुओं के क्रय हेतु क्रेता विभाग/क्रयकर्ता अधिकारी द्वारा आमंत्रित की गई निविदाओं में यदि उपरोक्त नियम 17 (अ) में परिभाषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यवसायियों द्वारा पर्याप्त संख्या में भाग नहीं लिया जाता है, तो निविदा के परिणामों के आधार पर अनुमोदित की गई दर पर सामग्री प्रदाय करने हेतु उपरोक्तानुसार परिभाषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के इच्छुक व्यवसायियों को प्रदाय करने में कम-से-कम 30 प्रतिशत की सीमा तक प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। **(ग)** जी हाँ।

<u>भण्डार क्रय नियमों अन्तर्गत लघु इकाइयों को बढ़ावा देना</u>

58. (क्र. 1167) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** भंडार क्रय नियमों में प्रदेश की लघु उद्योग इकाइयों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किन-किन वस्तुओं को निगम के माध्यम से क्रय करने का प्रावधान हैं? **(ख)** यदि उपरोक्त **(क)** से शासन सहमत है तो जनवरी 2014 से जून 2015 तक लघु उद्योग निगम द्वारा किन-किन औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से शासकीय व अर्द्धशासकीय संस्थाओं में चंबल सम्भाग की किन-किन संस्थाओं से क्या-क्या सामग्री कितनी-कितनी राशि की क्रय की गई?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ब अनुसार है।**

<u>महिला नीति के बिन्दु क्र. 227 के अनुसार विशेष सुविधा का प्रावधान</u>

59. (क्र. 1168) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** महिला नीति के बिंदु क्रमांक 227 के अनुसार उद्योग संचनालय द्वारा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार एवं रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से संचालित विभिन्न योजनाओं में महिलाओं को लाभान्वित करने की दृष्टि से आरक्षण/विशेष सुविधा देने का प्रावधान है? **(ख)** यदि उपरोक्त प्रश्नांश

(क) से शासन सहमत है तो योजनाओं में क्या-क्या विशेष सुविधा देने का प्रावधान है, की जानकारी योजना वाइज विस्तार से दी जावे?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) एवं **(ख)** महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी महिला नीति 2015 में बिन्दु क्रमांक 227का उल्लेख नहीं है। विभागीय योजनाओं संबंधी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**।

<u>परिशिष्ट - "तैंतालीस</u>"

<u>मुख्य नगर पालिका अधिकारी के स्थान पर मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की पदस्थापना</u>

60. (क्र. 1230) श्री अमर सिंह यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश की ऐसी कितनी नगरपालिकाएँ एवं नगर परिषद हैं जहाँ स्थाई मुख्य नगरपालिका अधिकारी पदस्थ हैं? **(ख)** मध्यप्रदेश में ऐसी कितनी नगरपालिकाएं एवं नगर परिषद हैं जहाँ प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी पदस्थ हैं? नाम बतावें? क्या प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी बनाये जाने हेतु कोई वरिष्ठता अथवा पद का मापदण्ड निर्धारित है? **(ग)** यदि हाँ, तो मध्यप्रदेश की नगरपालिकाओं एवं नगर परिषद में जहाँ-जहाँ प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी पदस्थ हैं, उनका मूल पद क्या है? **(घ)** यदि नहीं, तो मध्यप्रदेश की नगरपालिकाओं एवं नगर परिषद में जहाँ-जहाँ प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी पदस्थ हैं उनके स्थान पर कब तक स्थाई मुख्य नगर पालिका अधिकारी पदस्थ किये जावेंगे?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) प्रदेश की 70 नगरपालिकाओं एवं 60 नगर परिषदों में स्थायी मुख्य नगरपालिका अधिकारी पदस्थ हैं। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। जी नहीं। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 89 (1) के प्रावधान अनुरूप। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। **(घ)** मुख्य नगरपालिका अधिकारी के सीधी भरती के 'ख' श्रेणी के 33 एवं ग श्रेणी के 61 रिक्त पदों की पूर्ति किए जाने हेतु प्रस्ताव राज्य लोक सेवा को प्रेषित किए गए हैं। राज्य लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2013 तथा 2014 में इन पदों की पूर्ति हेतु चयन की कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर भी कार्यवाही की जा रही है। चयन तथा पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत ही स्थायी मुख्य नगरपालिका अधिकारी पदस्थ हो सकेंगे।

<u>छपारा ग्राम पंचायत को नगर पंचायत घोषित करना</u>

61. (क्र. 1248) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सिवनी जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत छपारा विकासखण्ड छपारा को नगर पंचायत घोषित किये जाने हेतु स्थानीय नागरिक एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा मांग की गई है? **(ख)** यदि हाँ, तो अभी तक नगर पंचायत छपारा को क्यों नहीं बनाया गया है एवं कब तक बनाया जावेगा? **(ग)** उक्त प्रश्नांश के संदर्भ में शासन द्वारा छपारा को नगर पंचायत बनाये जाने की निश्चित तिथि से अवगत करावे?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। **(ख)** एवं **(ग)** कलेक्टर, जिला-सिवनी द्वारा 06 ग्राम सम्मिलित करते हुये संशोधित प्रस्ताव दिनाँक 18.06.2014 को प्रेषित किया गया है, जो विचाराधीन है, समय सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं।

इन्दौर जिले में संचालित मैरिज गार्डन

62. (क्र. 1260) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इन्दौर जिले में कुल कितने मैरिज गार्डन एवं मांगलिक परिसर संचालित हो रहे हैं? सूची उपलब्ध करावे? **(ख)** इनमें से कितने के पास पार्किंग की व्यवस्था मानक स्तर की है और कितने के पास नहीं सूची उपलब्ध करावे? **(ग)** जिनके पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई, अवगत करावे। यदि नहीं, तो क्या? **(घ)** इन्दौर जिले में कुल कितने ऐसे मैरिज गार्डन एवं मांगलिक परिसर संचालित हैं जो आवासीय भूखण्डों पर बने हैं? सूची उपलब्ध करावे?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) एवं **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है।**

इन्दौर नगर पालिक निगम में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी

63. (क्र. 1264) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इन्दौर नगर पालिका निगम में कुल कितने अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं? वर्गवार, विभागवार बतावे? **(ख)** इनमें से कितने अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभागों से आए हैं उनके नाम, विभाग एवं मूल पद सहित सूची उपलब्ध करावे? **(ग)** प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निगम में क्या उपयोगिता है और वे निगम के किस विभाग में कार्यरत है? **(घ)** उक्त अधिकारी एवं कर्मचारी कब से निगम में प्रतिनियुक्ति पर आए है और उनकी प्रतिनियुक्ति कब समाप्त होना है बतावे? क्या ऐसे भी अधिकारी/कर्मचारी हैं जिनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के बाद भी निगम में कार्यरत है?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) नगर पालिक निगम, इंदौर में कुल 4222 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है। प्रथम श्रेणी-23, द्वितीय श्रेणी-39, तृतीय श्रेणी-760, चतुर्थ श्रेणी-1560 एवं सफाई संरक्षक-1840 **(ख)**, **(ग)** एवं **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।**

इंदौर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत अवैध कालोनियों का नियमितीकरण

64. (क्र. 1269) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इंदौर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितनी अवैध कालोनियॉं है? इन अवैध कालोनियों का नियमितिकरण (वैध) कब तक कर लिया जावेगा? **(ख)** इन अवैध कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं एवं अन्य विकास कार्यों हेतु क्या-क्या कार्य किये जा रहे है? **(ग)** इनके लिए कितना बजट रखा गया है? **(घ)** अवैध कालोनियों के रहवासियों को पेयजल, सड़क, ड्रेनेज आदि कब तक उपलब्ध करा दिये जावेंगे?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) नगर पालिक निगम, इंदौर सीमा क्षेत्र अंतर्गत कुल 508 अवैध कालोनी सूचीबद्ध है। अवैध कालोनियों के नियमितीकरण संबंधी कार्यवाही कालोनी के रहवासी संघ/कालोनाइजर द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर म.प्र. नगर पालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम, 1998 के नियम 15 **(क)** के तहत् की जाती है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ख)** इन अवैध कालोनियों में मुलभूत सुविधाओं के अंतर्गत पेयजल, विघुत से संबंधित विकास कार्य किये जा रहे हैं। **(ग)** अवैध कालोनियों के लिये पृथक से

बजट रखे जाने का प्रावधान नहीं है। **(घ)** अवैध कालोनियों में रहवासियों को पेयजल, विघुत से संबंधित कार्य बजट सीमा के अंतर्गत शहर के वार्डों के अनुपात में आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराये जायेंगे।

सिरमौर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत उद्योगों की स्थापना

65. (क्र. 1287) श्री दिव्यराज सिंह : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** सिरमौर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कितने उद्योग (कारखाना) स्थापित किये गये हैं व किन-किन स्थानों पर स्थापित हैं? बतावें। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के ही संदर्भ में यदि नहीं, तो क्या उद्योग (कारखाना) स्थापित न होने की स्थिति में रोजगार व क्षेत्र का व्यावसायिक विकास प्रभावित नहीं हो रहा है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के ही संदर्भ में यदि हाँ, तो क्या उद्योग (कारखाना) स्थापित किये जाने की कोई प्रक्रिया प्रचलन में है? यदि है तो कब तक कार्य रूप में परिणित होगी?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) एवं **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** विभाग द्वारा उद्योग स्थापित नहीं किए जाते हैं। क्षेत्र के लिए उद्योग स्थापना का प्रस्ताव प्राप्त होने पर पात्रता अनुसार सुविधाएं प्रदान की जाएगी।

परिशिष्ट - "चौवालीस"

पट्टे की गुमठियों का विस्थापन

66. (क्र. 1300) श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या भोपाल नगर निगम द्वारा रोड साईड में पट्टे पर स्वरोजगार के तहत गुमठी रखने की अनुमति प्रदान की जाती है? यदि हाँ, तो भोपाल के किन-किन क्षेत्रों में इस प्रकार की अनुमति प्रदान की गई है? विगत तीन वर्षों की क्षेत्रवार जानकारी देवें? **(ख)** क्या इन गुमठियों को समय-समय पर विस्थापित किया जाता है और क्या इन गुमठियों के विस्थापन की नगर निगम, भोपाल ने कोई स्थाई नीति बनाकर इनको विस्थापित किया है? यदि हाँ, तो विस्थापन नीति की प्रति उपलब्ध करावें? **(ग)** निगम के पास इनकी विस्थापन की नीति नहीं है, तो कब तक बनाई जावेगी? **(घ)** प्रश्न **(क)** के परिप्रेक्ष्य में निगम को विगत एक वर्ष में कितनी आय हुई?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी नहीं। **(ख)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(घ)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बी.ओ.टी. सड़क का निर्माण

67. (क्र. 1314) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिहोरा से सिलौण्डी बी.ओ.टी. सड़क निर्माण में किन-किन ग्रामों में प्राक्कलन अनुसार नाली निर्माण एवं क्षतिग्रस्त नल जल योजना का कार्य कराया जाना प्रस्तावित था? सूची उपलब्ध करावें? **(ख)** कंडिका **(क)** अनुसार किन-किन ग्रामों में नाली/नल जल योजना का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है? किन-किन ग्रामों में नाली निर्माण का कार्य शेष है? कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा, समय सीमा बतायें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "पैंतालीस"

गंदे पानी की निकासी

68. (क्र. 1315) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नगर पालिका सिहोरा अंतर्गत गंदे पानी की निकासी की क्या कार्य योजना है? योजना का स्वरूप उपलब्ध करावें? नगर पालिका परिषद सिहोरा द्वारा इस संबंध में कब-कब प्रस्ताव भेजे गये? **(ख)** कंडिका **(क)** योजना अनुरूप कार्य कब आरंभ किया जावेगा?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) योजना अनुरूप कार्य प्रारंभ करने की समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "छियालीस"

कॉलोनाईजर एक्ट के अधीन स्वीकृत कॉलोनियां

69. (क्र. 1316) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नगर पालिका सिहोरा अंतर्गत कितनी कॉलोनियां कॉलोनाईजर एक्ट के अधीन स्वीकृत हैं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** नक्शा अनुसार कॉलोनियों में सड़क, पानी, पार्क आदि का निर्माण संबंधितों के द्वारा कब तक पूर्ण कर लिया जाना था? समयावधि में कार्य पूर्ण हुये या नहीं? यदि नहीं, तो संबंधितों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** क्या सभी मकान से पानी निकासी के लिये नाली निर्माण कराया जा चुका है? यदि हाँ, तो सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम बतावें? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक कार्य कराया जावेगा? कॉलोनियों में कचरा डालने के लिये क्या व्यवस्था की गई है?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) पांच। **(ख)** स्वीकृति दिनाँक से 3 वर्ष। जी नहीं। ले-आउट अनुसार कार्य पूर्ण करने हेतु नगर पालिका परिषद द्वारा कालोनाइजर को समय-समय पर सूचित किया गया, परंतु कालोनाइजरों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। **(ग)** जीं नहीं, एक कालोनी को छोडकर शेष कालोनियों में नाली निर्माण कराया जा चुका है। पूर्ण कार्यों का सत्यापन करवाया गया है, **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**। शेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु कालोनाइजर को नोटिस जारी किया गया है। कालोनियों में कचरा डालने के लिये डस्टबिन रखे गये हैं।

परिशिष्ट - "सैंतालीस"

पत्र पर कार्यवाही

70. (क्र. 1317) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता के पत्र दिनाँक 12.05.2015 के द्वारा वन रक्षक जबलपुर को कर्मचारी के प्रकरण के संबंध में लेख किया गया था? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार क्या कार्यवाही की गई? विधि विभाग के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी प्रश्नकर्ता के पत्र का उत्तर वन रक्षक जबलपुर द्वारा क्यों नहीं दिया गया? क्या यह अधिकारी की स्वेच्छाचारिता का घोतक नहीं है?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) एवं **(ख)** जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

रीवा जिले में धर्मस्व मद में आए बजट की जानकारी

71. (क्र. 1333) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** रीवा जिले के धर्मस्व विभाग को शासन से विगत पांच वर्षों में कितना आवंटन प्राप्त हुआ एवं उनके द्वारा क्या-क्या कार्य कराये गए है? **(ख)** क्या रीवा जिले के शिव मंदिर में प्रबंध समिति का

गठन किया गया है? यदि हाँ, तो प्रबंध समिति के क्या कार्य है? मेंला एवं मेंला के अतिरिक्त समय में कौन-कौन सी राशि प्रबंध समिति द्वारा ली जाती है? यह राशि किन-किन मदों में खर्च की जाती है? **(ग)** क्या शिवमंदिर देवतालाब में अधिमास वर्ष 2015 में मेंला क्षेत्र में पेयजल, साफ-सफाई एवं SAF पुलिस कर्मियों के भोजन की व्यवस्था हेतु सरपंच एवं सचिव के देवतालाब को शिव मंदिर देवतालाब की प्रबंध समिति द्वारा लेख किया गया है? यदि हाँ, तो ग्राम पंचायत यह राशि किस मद से खर्च करेगी एवं उसे इस हेतु वंटन कहां से प्राप्त होगा?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) वर्ष 2010 में रूपये 15,00,000/- (पन्द्रह लाख) मंदिरों की जीर्णोद्धार हेतु। 2. वर्ष - 2011 – निरंक 3. वर्ष – 2012 – निरंक 4. वर्ष – 2013, में रूपये 2,51,000/- (दो लाख इक्कयावन हजार) गोपाल दास बडा मंदिर रीवा के जीर्णोद्धार हेतु एवं रूपये 5,00,000/- (पांच लाख) श्री नित्यराघव शारण मंदिर धोघर रीवा के जीर्णोद्धार हेतु प्रदत्त किये गये। 5. वर्ष – 2014 – निरंक कुल 5 वर्षों में जीर्णोद्धार हेतु राशि रूपये 22,51,000/- (बाईस लाख इक्कयावन हजार) प्रदाय की गई। **(ख)** जी हाँ। देवतालाब मंदिर प्रबंध समिति के कार्य मंदिर का संधारण मरम्मत सुरक्षा एवं पूजा पाठ की व्यवस्था तथा दर्शनार्थियों को सुविधा से दर्शन कराना आदि कार्य है मेंला एवं अन्य समय में प्रबंध समिति द्वारा गठबंधन मुण्डन एवं कथा वाचन हेतु समित द्वारा निर्धारित राशि ली जाती है एवं मंदिर की व्यवस्था में व्यय की जाती है। **(ग)** जी हाँ। सरपंच/सचिव को मेंला में पेयजल साफ सफाई एस.ए.एफ. के लिये भोजन की व्यवस्था हेतु लेख किया गया था किन्तु सरपंच एवं सचिव द्वारा एस.ए.एफ. के भोजन व्यवस्था हेतु राशि किसी भी मद पर उपलब्ध न होने के कारण भोजन व्यवस्था नहीं की गयी। एस.ए.एफ. के जवानों को संबंधित कम्पनी से भोजन व्यवस्था की जाती है। शेष व्यवस्था हेतु मेंला बैठकी अन्य मदों से वसूली राशि से व्यवस्था की जावेगी।

<u>पौध वितरण के दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही</u>

72. (क्र. 1334) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश में 25 मई से 15 जून 2015 तक कृषि महोत्सव के आयोजन में वन विभाग को भी जोड़ा गया था? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या वन विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं के हितग्राहियों को स्वीकृत पत्र दिए जाने का प्रावधान था? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी विभागीय योजनाओं के हितग्राहियों को स्वीकृत पत्र दिए गए है? संपूर्ण रीवा जिले के वन परिक्षेत्रवार सूची उपलब्ध करावें? **(ग)** क्या कृषि क्रांतिरथ से पौधों का सशुल्क वितरण किया जाना था? यदि हाँ, तो रीवा जिले के संपूर्ण वन परिक्षेत्रवार वितरण की सूची उपलब्ध करावें? **(घ)** प्रश्नांश **(ख)** एवं **(ग)** के संदर्भ में वितरण कार्य यदि नहीं हुआ तो इसके लिए कौन दोषी है? दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। प्रश्नांकित अवधि में विभागीय योजनाओं में कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण स्वीकृत पत्र जारी नहीं हुआ है, अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी नहीं। तथापि वन विस्तार इकाई रीवा द्वारा 119 पौधों का शुल्क सहित वितरण किया गया है। सूची **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**। **(घ)** उत्तरांश **(ख)** एवं **(ग)** के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "अड़तालीस</u>"

खेलों के प्रोत्साहन में व्यय राशि

73. (क्र. 1348) श्रीमती ललिता यादव : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** विभाग द्वारा वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में खेलों के प्रोत्साहन के लिये एवं युवा कल्याण के लिये छतरपुर जिले में कौन-कौन से कार्य किये गये? कार्यों की पृथक-पृथक सूची बतायें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के प्रकाश में इन कार्यों पर विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई थी और कितना-कितना व्यय किया गया? कार्यवार, दिनाँकवार, स्थान सहित बतायें? **(ग)** विभाग द्वारा कराये गये कार्यों की प्रश्नांश अवधि में क्या कोई शिकायतें उच्च अधिकारियों को प्राप्त हुई अगर हां तो कौन-कौन सी और उस पर क्या कोई कार्यवाही की गई?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) प्रश्नांकित अवधि में खेलों के प्रोत्साहन एवं युवा कल्याण के लिये छतरपुर जिले में किये गये कार्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग)** जी नहीं। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

छतरपुर जिले में सड़कों का निर्माण

74. (क्र. 1349) श्रीमती ललिता यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में छतरपुर जिले में कौन-कौन सी सड़कें बनाई, विधानसभावार स्थान, ठेकेदार का नाम, लागत राशि एवं भुगतान की राशि निर्माण समय अवधि सहित पृथक-पृथक बतायें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के प्रकाश में ऐसी कौन-कौन सी सड़कें हैं जिनके निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं और कौन सी सड़कें हैं जिनके कार्य अधूरे हैं और कौन-कौन सी सड़कें हैं जो गुणवत्ता विहीन होने के कारण उखड़ गई या जिनमें गड्ढे हो गये हैं? **(ग)** जिन सड़कों के निर्माण कार्य समय-सीमा में पूरे नहीं हुये हैं क्या उन ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्यवाही विभाग द्वारा की गई अगर हां तो क्या-क्या पृथक-पृथक बतायें?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'अ-1', 'अ-2', 'अ-3' एवं 'अ-4' अनुसार है। (ख) उत्तरांश 'क' अनुसार। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है।**

प्रश्नकर्ता द्वारा भेजे गए पत्रों पर कार्यवाही

75. (क्र. 1356) श्री रामनिवास रावत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विगत तीन वर्षों में प्रश्नकर्ता द्वारा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग श्योपुर को कौन-कौन से पत्र भेजे गए? क्या उक्त पत्र सांसद/विधायकों से प्राप्त पंजी में दर्ज किए गए? उक्त पत्रों पर विभाग द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार प्रश्नकर्ता द्वारा भेजे गए पत्रों की अभिस्वीकृति एवं कृत कार्यवाही से अवगत न कराए जाने का क्या कारण है? इसके लिए कौन दोषी है? **(ग)** क्या प्रश्नकर्ता द्वारा विभिन्न सड़कों के निर्माण हेतु भेजे गए प्रस्तावों का स्थल परीक्षण कराया यदि नहीं, तो क्या प्रश्नांश **(क)** अनुसार प्रश्नकर्ता द्वारा भेजे गए सड़क निर्माण के प्रस्तावों का परीक्षण कराकर स्वीकृति की कार्यवाही कर अवगत कराया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) विस्तृत **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**। **(ख)** प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "उन्चास"

निर्माण कार्यों में अनियमितता

76. (क्र. 1357) श्री रामनिवास रावत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता का पत्र क्रमांक 2088 दिनाँक 13.05.2014 प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग, म.प्र. शासन को प्राप्त हुआ? यदि हाँ, तो पत्र में उल्लेखानुसार शिकायतों की जाँच किस अधिकारी से कराई गई? जाँच में क्या तथ्य पाए गए? **(ख)** क्या जाँच में अनुबंधानुसार कार्य स्थल पर कार्य नहीं होना पाये जाने के बावज़ूद ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया? यदि हाँ, तो कार्य का मूल्यांकन करने वाले, भुगतान करने वाले अधिकारियों एवं बिना कार्य कराए भुगतान प्राप्त करने वाले ठेकेदार के विरूद्ध अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? क्या वर्तमान में उक्त ठेकेदार का कोई बिल भुगतान हेतु लंबित है? यदि हाँ, तो बिल का भुगतान रोककर क्या संबंधित ठेकेदार की फर्म को ब्लेक लिस्टेड कर राशि वसूली की कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** क्या प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित कार्य में बगैर कार्य कराए 114.50 लाख रू. का भुगतान फर्जी माप अंकित कर दिया गया? यदि नहीं, तो संबंधित अधिकारियों एवं ठेकेदार के गबन का आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया? यदि नहीं, तो क्यों व क्या राशि की वसूली की जा रही है? यदि हाँ, तो किससे कितनी राशि की? यदि नहीं, तो क्यों व कब तक राशि वसूल की जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**। **(ख)** जी नहीं। मूल्यांकनकर्ता संबंधित प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी एवं उपयंत्री को निलंबित किया गया था। ठेकेदार को ब्लेक लिस्ट किये जाने का कारण बताओं नोटिस जारी किया। जी हाँ। भुगतान नहीं हुआ है। विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्नांश हेतु प्रकरण परीक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन। **(ग)** जी नहीं। जी नहीं। अनुबंध क्र. 84/12-13 में आरोप पत्र जारी एवं अनुबंध क्र. 105/13-14 में आरोप पत्र तैयार किये जा रहे हैं। विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्नांश हेतु प्रकरण परीक्षणाधीन है।

परिशिष्ट - "पचास"

कानीपुरा-तराना सड़क मार्ग निर्माण में अनियमितता

77. (क्र. 1362) डॉ. मोहन यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि प्रश्नांकित मार्ग में अनियमितता के संबंध में दैनिक समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित होने पर प्रश्नकर्ता द्वारा प्रमुख सचिव को पत्र क्र. A-723/उ.द./15 दिनाँक 15.04.2015 को पत्र लिखा जो विभाग को दिनाँक 17.04.2015 को प्राप्त हुआ है? **(ख)** यदि हाँ, तो उक्त पत्र के प्रकाश में विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? कौन दोषी है?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। **(ख)** कार्यपालन यंत्री से इस संबंध में जाँच प्रतिवेदन मुख्य अभियंता को प्राप्त हुआ है। जो परीक्षणाधीन है। अतः शेष प्रश्नांश का वर्तमान में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

भितरवार विकासखंड अंतर्गत डामरीकरण

78. (क्र. 1376) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विकासखण्ड भितरवार जिला ग्वालियर के ग्राम पंचायत बेला के ग्राम मसूदपुर प्रधानमंत्री सड़क से ग्राम पंचायत ईटभा होते हुये ग्राम दौलतपुर तक डामरीकरण का कार्य कराया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? **(ख)** उक्त मार्ग के डामरीकरण हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा पूर्व में की गई? यदि नहीं, की गई तो क्या उक्त मार्ग का डामरीकरण आवश्यक नहीं है? वर्तमान में उक्त मार्ग की क्या स्थिति है? **(ग)** क्या उक्त पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्ताव स्वीकृति हेतु तथा विभागीय बजट में सम्मिलित करने हेतु पृथक से भेजा जा चुका है? यदि हाँ, तो कब? **(घ)** यदि नहीं, तो कब तक बजट में सम्मिलित कर उक्त मार्ग का डामरीकरण कराया जायेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** उक्त मार्ग बजट में शासन के अनुमोदित सूची में सम्मिलित नहीं होने से कार्यवाही संभव नहीं है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। मार्ग की स्थिति संतोषजनक नहीं है। **(ग)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** उत्तरांश "ख" एवं "ग" के परिप्रेक्ष्य में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति का भुगतान

79. (क्र. 1383) श्री सुशील कुमार तिवारी (इंदू भैया) : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** जबलपुर जिले में पिछले 3 वर्षों में कितने खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति दी है? विकास खण्डवार खिलाड़ियों की संख्या एवं राशि बतावें? **(ख)** जबलपुर जिले में विकास खण्डवार गत 3 वर्षों में वितरित की गई खेल सामग्री का विवरण देवें? **(ग)** क्या सामग्री वितरण करने हेतु नियम निर्धारित हैं? यदि हैं तो बतावें?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जबलपुर जिले में विगत 03 वर्षों में वितरित खेलवृत्ति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'क' अनुसार है**। **(ख)** जबलपुर जिले में विकासखण्डवार गत 03 वर्षों में वितरित की गई खेल सामग्री की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ख' अनुसार है**। **(ग)** जी नहीं। खेल सामग्री वितरण करने हेतु कोई नियम निर्धारित नहीं है।

कोयले के कारोबार से निगम को प्राप्त आय

80. (क्र. 1394) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम भोपाल के द्वारा गत तीन वर्षों में कितना कोयला का आवंटन प्राप्त कर चम्बल संभाग में स्थापित कितने उद्योगों को कितना कोयला उपलब्ध करवाया? **(ख)** लघु उद्योग निगम को गत तीन वर्षों में कोयले का आवंटन प्राप्त कर चंबल संभाग के उद्योग को कोयला उपलब्ध करवाए जाने के कार्य के बदले कितनी राशि प्राप्त हुई निगम ने कितनी राशि खर्च की? **(ग)** लघु उद्योग निगम को कोयले का आवंटन प्राप्त कर उद्योग को कोयला उपलब्ध करवाए जाने का अधिकार राज्य शासन ने किस आदेश क्रमांक दिनाँक से दिया, निगम को कोयले की आवश्यकता और कोयले के उपयोग से संबंधित उद्योग की जाँच के क्या-क्या अधिकार प्राप्त हैं? **(घ)** गत तीन वर्षों में निगम को किस-किस उद्योग की शिकायत प्राप्त हुई जाँच के आधार पर किसके विरूद्ध क्या कार्यवाही निगम के द्वारा की गई?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। **(ख)** भारत शासन की नवीन कोल वितरण नीति के प्रावधान के अन्तर्गत कोयला प्राप्तकर्ता इकाईयों से कोयले के बेसिक मूल्य पर **5** प्रतिशत व्यापारिक शुल्क के रूप में लगभग निम्न राशि प्राप्त हुई:-

क्र.	वर्ष	राशि (लाख रू. में.)
1	**2012-13**	**22.94**
2	**2013-14**	**19.35**
3	**2015-16**	**17.27**

म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा उक्त राशि वेतन, भत्ते एवं अन्य मदों में खर्च की गई। **(ग)** वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-**13-3/05/**अ-ग्यारह दिनाँक **16.06.2005** से म.प्र. लघु उद्योग निगम को नामांकित किया गया है। कोयले की आवश्यकता और कोयले के उपयोग से सम्बंधित उद्योग की जाँच के अधिकार जिला स्तरीय समिति एवं महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्राप्त है। इस संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक एफ-**13-3/ 05/**अ-ग्यारह दिनाँक **04.07.2008 पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है**। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है**।

संरक्षित वन नियम 1960 के संबंध में अधिसूचित नियम

81. (क्र. 1397) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 एवं धारा 4 (1) के तहत अधिसूचित की गई भूमियों पर किसी व्यक्ति या किसी समुदाय के प्रचलित अधिकारों के संबंध में वन विभाग ने किस-किस दिनाँक को राजपत्र में नियम अधिसूचित किए हैं? **(ख)** संरक्षित वन नियम 1960 में किन जमीनों के संबंध में क्या-क्या नियम राजपत्र में किस दिनाँक को अधिसूचित किए? इन्हें निरस्त कर फरवरी 2005 में किस दिनाँक को नियम अधिसूचित किए गए? संरक्षित वन नियम 2015 किस दिनाँक को अधिसूचित किए? **(ग)** धारा 4 (1) में आरक्षित वन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित गैर संरक्षित वन भूमि, गैर जंगल मद की भूमि एवं अहस्तानांतरित भूमि और निजी भूमि पर किसी व्यक्ति या समुदाय के प्रचलित अधिकारों के संबंध में वर्तमान में क्या नियम प्रचलित हैं? **(घ)** संरक्षित वन नियम 1960 एवं संरक्षित वन नियम 2015 में क्या-क्या अंतर है? इस अंतर का क्या कारण है?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जी नहीं। उक्त अधिनियम की धारा 29 एवं धारा 4 (1) अन्तर्गत अधिसूचना प्रकाशन मात्र से अधिसूचना में उल्लेखित भूमि पर किसी व्यक्ति या समुदाय के प्रचलित अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है**। संरक्षित वन नियम, 2005 की अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनाँक 18.02.2005 को प्रकाशित की गई। संरक्षित वन नियम, 2015 की अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनाँक 04.06.2015 को प्रकाशित की गई। **(ग)** जी नहीं। मूल अधिनियम अनुसार कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, अत: नियम नहीं बनाये गये हैं। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है**। अन्तर का मुख्य कारण संरक्षित वन नियम, 2015 द्वारा ग्रामवासियों को अतिरिक्त अधिकार प्रदान किया जाना है।

छिन्दवाड़ा जिले में खेल सुविधाओं का विकास

82. (क्र. 1451) पं. रमेंश दुबे : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** छिन्दवाड़ा जिले में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी कब से पदस्थ हैं? वर्ष 2012-13 से जून 2015 के मध्य इस विभाग को कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई? कितनी-कितनी राशि खर्च की गयी? वर्षवार प्राप्त और खर्च राशि की जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के प्रकाश में छिन्दवाड़ा जिले में खेल एवं युवा कल्याण के क्षेत्र में विभाग के द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये है? कौन-कौन सी उपलब्धियां हासिल की गयी है? प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में कोई विशेष उपलब्धि हो तो बतावें? **(ग)** पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान पायका के संदर्भ में पंचायत स्तर पर खेल सुविधाओं का विकास एवं विस्तार की दिशा में उक्त वर्षों में छिन्दवाड़ा जिले के चौरई विधान सभा क्षेत्र के किन-किन ग्राम पंचायतों का चयन किया जाकर किन-किन पंचायतों को कितनी-कितनी राशि उपलब्ध करायी गयी तथा किन-किन खेलों का विकास व विस्तार कराया गया? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** के प्रकाश में अभिनव युवा अभियान के तहत छिन्दवाड़ा जिले के चौरई विधान सभा क्षेत्र में उक्त वर्षों में किन-किन खेलों का कहां-कहां पर आयोजन किया गया? उक्त वर्षों के दौरान विजेता, उपविजेता तथा तृतीय स्थान पर रहे ग्रामों को कब-कब, कितनी-कितनी राशि किसे प्रदाय की गयी तथा इन ग्रामों के सरपंचों को कितनी-कितनी राशि के नगद पुरस्कार दिये गये? क्या यह नगद पुरस्कार व्यक्तिगत होता है अथवा उन ग्रामों के खेल हित पर खर्च की जाती है?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) छिन्दवाड़ा जिले में वर्तमान में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी से सम्बन्धित **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर है**। छिन्दवाड़ा जिले को प्रश्नांकित अवधि में प्राप्त एवं व्यय राशि की वर्षवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर है**। **(ख)** प्रश्नांकित अवधि में छिन्दवाड़ा जिले में समस्त नियमित गतिविधियां संचालित रही। वर्ष 2012-13 में छिन्दवाड़ा जिले की कुमारी नेहा मिश्रा ने पायका राष्ट्रीय प्रतियोगिता भुवनेश्वर (उड़ीसा) में कांस्य पदक अर्जित किया, जो कि अन्य जिले की तुलना में विशेष उपलब्धि है। **(ग)** पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान (पायका) के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में छिन्दवाड़ा जिले के चौरई विधानसभा क्षेत्र की चिजगांव, पल्हारी, परसगांव सर्रा, सिरेगांव, झिलमिली, गुमगांव दावझिरी एवं चिजगांव (हलालखुर्द) ग्राम पंचायत चिन्हित की गई है। ग्राम पंचायतों को राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है। फुटबॉल, व्हॉलीबॉल, बास्केटबल एवं हैण्डबॉल खेलों का विकास व विस्तार किया गया। **(घ)** छिन्दवाड़ा जिले के विधानसभा क्षेत्र चौरई में प्रश्नांकित अवधि में अभिनव युवा अभियान के अन्तर्गत खेलवार प्रतियोगिता के आयोजन की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-स पर है**। इस स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के ग्रामों के सरपंचों को पुरस्कार देने का प्रावधान नहीं होने से शेष जानकारी देने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "इक्यावन"

पुल के अप्रोच सड़क का निर्माण

83. (क्र. 1452) पं. रमेंश दुबे : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या छिन्दवाड़ा जिले के पेंच नदी पर बांसखेड़ा से पिपरियाखाती के मध्य पुल का निर्माण विगत दो वर्ष पूर्व पूर्ण हो चुका है किंतु अप्रोच सड़क का निर्माण नहीं होने से इस पुल का उपयोग

नहीं हो पा रहा है? **(ख)** यदि हाँ, तो विभाग के द्वारा इस पुल के अप्रोच सड़क का निर्माण हेतु क्या सार्थक पहल की गयी है? **(ग)** क्या शासन यह मानता है कि उक्त नदी पर दो वर्ष पूर्व पूर्ण निर्मित पुल अप्रोच सड़क के अभाव में अनुपयोगी है? **(घ)** यदि हाँ, तो कब तक अप्रोच सड़क का निर्माण कराकर विगत दो वर्ष पूर्व निर्मित हुए पुल पर आवागमन प्रारंभ कर दिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ, जी नहीं। **(ख)** प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जी नहीं। **(घ)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

रामपुर भतोड़ी परियोजना बैतूल में अवैध अतिक्रमण

84. (क्र. 1461) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. वन विभाग से रामपुर भतोड़ी परियोजना को वन भूमि कब दी गई है? **(ख)** परियोजना क्षेत्र के अतिक्रमणकर्त्ता कहां के निवासी है (1) क्या इन्हें संरक्षण प्राप्त है? यदि हाँ, तो सक्रिया व्यक्ति / समूह का नाम देवें? **(ग)** वन की अवैध कटाई / अतिक्रमण रोकने की जिम्मेदारी विभाग की है? **(घ)** बाहरी अतिक्रमण, कटाई कर्त्ताओं को शासन रोकेगा?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। **(ख)** परियोजना मण्डल क्षेत्र के अतिक्रमणकर्ता ग्राम हल्दू, माटिया एवं पीपलढाना जिला छिंदवाड़ा तथा सोहागपूरढाना, मरकाढाना एवं सिलपटी कोटमी जिला बैतूल के निवासी हैं। समाजवादी जन परिषद एवं श्रमिक आदिवासी संगठन की क्षेत्र में सक्रियता की सूचना है। **(ग)** जी नहीं। **(घ)** जी हाँ।

परिशिष्ट - ''बावन''

रायसेन जिले के मार्गों को राजमार्ग घोषित किया जाना

85. (क्र. 1469) श्री संजय शर्मा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ग्रामीण मार्ग, अन्य जिला मार्ग, मुख्य जिला मार्ग, राज्यमार्ग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के संबंध में क्या-क्या मापदण्ड शर्ते, निर्देश हैं उनकी प्रति दें? **(ख)** रायसेन जिले में किन-किन मार्गों को मुख्य जिला मार्ग, राज्य मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के प्रस्ताव जनवरी 2013 से प्रश्न दिनाँक तक विभाग को किन-किन माध्यमों से प्राप्त हुए? **(ग)** उक्त प्रस्तावों पर आज दिनाँक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई वर्तमान में उक्त प्रस्ताव किस स्तर पर क्यों लंबित हैं उक्त प्रस्तावों पर कब तक निर्णय लिया जायेगा? **(घ)** प्रस्तावकर्ता सांसद/विधायक को उनके पत्रों के जबाब तथा की गई कार्यवाही से क्यों अवगत नहीं कराया गया कौन जबाबदार है शासन ने क्या कार्यवाही की संबंधित को कब तक अवगत करायेंगे?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 एवं 2 अनुसार है। **(ख)** विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है**। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है**। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। **(घ)** प्रस्ताव परीक्षणाधीन होने के कारण अवगत नहीं कराया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। समय-सीमा बताना संभव नहीं।

किसानों को भूमि का मुजावजा

86. (क्र. 1470) श्री संजय शर्मा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रायसेन जिले के अंतर्गत सिलवानी-सुल्तानगंज-सागर चंदन पिपलिया, प्रतापगढ़, जुनिया-बम्होरी

मार्ग पर किन-किन किसानों की कितनी भूमि का अधिग्रहण सड़क का निर्माण विभाग द्वारा कराया गया? **(ख)** किन-किन किसानों को अभी तक अधिग्रहण की गई भूमि का मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? कारण बतायें तथा कब तक मुआवजा राशि का भुगतान होगा? **(ग)** क्या संबंधित किसानों को नये भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार मुआवजा दिया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक तथा यदि नहीं, तो क्यों कारण बतायें? **(घ)** किसानों को अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा भुगतान हेतु विभाग को किन-किन विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) रायसेन जिले के अंतर्गत सिलवानी सुल्तानगंज, सागर मार्ग निर्माण एवं चंदन पिपलिया, जैथारी, प्रतापगढ मार्ग निर्माण हेतु ली गई भूमि की **जानकारी क्रमश: जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' एवं 'ब' अनुसार** एवं जूनिया-बम्होरी मार्ग निर्माण में भू-अर्जन की कार्यवाही प्रगति पर है। **(ख)** 53 किसानों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार** दर्शित नामों का मुआवजा वितरण की कार्यवाही प्रचलन में है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** भू-अर्जन अधिकारी द्वारा भू-अर्जन कानून के तहत अवार्ड पारित होने के पश्चात् भू- अर्जन अधिकारी द्वारा भुगतान किया जावेगा। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार है**।

पी.आई.यू. गुना के द्वारा ट्रामा सेन्टर का निर्माण

87. (क्र. 1484) श्रीमती ममता मीना : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** गुना जिले में संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. गुना द्वारा जिला अस्पताल गुना में ट्रामा सेंटर निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसका ठेकेदार को तीन माह से एक करोड़ पच्चीस लाख रूपये का भुगतान क्यों नहीं किया गया? भुगतान नहीं होने के कारण जिले के कारण जिले का ट्रामा सेंटर चालू नहीं हो पा रहा है? **(ख)** गुना जिला अस्पताल का ट्रामा सेंटर एवं मेंटरनिटी यूनिट कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? जिले के लोगों को ट्रामा सेंटर एवं मेंटरनिटी यूनिट का लाभ कब तक मिलेगा उक्त निर्माण कार्य में विलंब होने में कौन अधिकारी दोषी है? उन पर क्या कार्यवाही की गई?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ, आवंटन उपलब्ध नहीं होने से। जी हाँ। **(ख)** 99 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है आबंटन उपलब्ध होने पर भुगतान उपरांत 15 दिवस में कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। आवंटन उपलब्ध होने पर। कोई दोषी नहीं है। कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

औद्योगिक संस्थानों द्वारा संपत्तिकर जमा किया जाना

88. (क्र. 1514) श्री जितू पटवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या AKVN से भूमि लीज पर लेने की दशा में प्रापर्टी टैक्स जमा करना होता है अथवा नहीं? **(ख)** सन् 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में धार जिले के पीथमपुर एवं इंदौर जिले में स्थित उद्योगों द्वारा कितना प्रापर्टी टैक्स एवं कितना स्थानीय विकास निधि कर जमा किया गया है? पृथक-पृथक जानकारी देवें? **(ग)** प्रश्न **(क)** के संदर्भ में ऐसे कितने उद्योग है, जिन्होंने उपरोक्त नियम के आड़ में प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं किया है? ऐसे उद्योग के नाम पते सहित जानकारी देवें। **(घ)** जिन उद्योगों द्वारा प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं किया जा रहा है, उनसे टैक्स वसूली कब तक कर ली जावेगी? समय-सीमा बतावें।

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। **(ख)** धार जिले के पीथमपुर क्षेत्र की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है** एवं इंदौर जिले की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है**। **(ग)** संभाग सागर, जबलपुर, ग्वालियर की जानकारी निरंक है एवं संभाग इंदौर, भोपाल, उज्जैन, रीवा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार है**। **(घ)** म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 एवं नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। नगर निगम, रीवा में स्थापित उद्योगों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से दिनाँक 05.04.2006 में सम्पत्तिकर वसूली में स्थगन प्राप्त कर रखा है।

इंदौर नगर पालिका, निगम अंतर्गत पैंट हाउस

89. (क्र. 1515) श्री जितू पटवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इंदौर नगर पालिक निगम द्वारा शहर में कितनी बहुमंजिला इमारतों में पेंट हाउस निर्माण की अनुमति प्रदान की गई है, बहुमंजिला इमारतों में पेंट हाउस निर्माण के क्या नियम एवं उद्देश्य है? **(ख)** इंदौर शहर में ऐसी कितनी बहुमंजिला इमारतें है, जिन पर पेंट हाउस निर्मित है? इनमें से कितने वैध एवं कितने अवैध पेंट हाउस निर्मित है? क्या निगम द्वारा अवैध निर्मित पेंट हाउसों को ध्वस्त करने की कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनाँक तक कौन-कौन सी इमारतों के पेंट हाउस ध्वस्त किये गये हैं? नाम, पते सहित जानकारी देवें? विगत तीन वर्ष की जानकारी दें? **(ग)** क्या अधिकांश बिल्डरों द्वारा पेंट हाउस लोगों को बेच दिये गये हैं, जिनका उपयोग आवासीय अथवा व्यवसायिक रूप में हो रहा है? **(घ)** प्रश्न **(ग)** का उत्तर हां, हो तो निगम द्वारा ऐसे बिल्डरों पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा निगम आगे क्या कार्यवाही करेगा स्पष्ट करें?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जानकारी परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। **(ख) जानकारी परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(ग)** एवं **(घ)** बिल्डरों द्वारा पेंट हाउस विक्रय के संबंध में कोई भी अभिलेख निगम में उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट - "तिरेपन"

राशि के व्यय का औचित्य

90. (क्र. 1523) श्री मधु भगत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बालाघाट जिले के अंतर्गत नगर पालिका तथा नगर परिषद द्वारा 01.04.2011 से 30.03.15 की अवधि में कितनी राशि का भुगतान किस-किस कार्य हेतु किया प्रत्येक संस्था/कार्यालय का वर्षवार तिथि के क्रय में बताये? **(ख)** उक्त निकाय परिषद द्वारा राशि व्यय विकास राशि की आमदनी इत्यादि हेतु कब-कब बैठकें की गई? **(ग)** उक्त निकायों द्वारा उक्त अवधि में कौन-कौन से निर्माण कार्य, मरम्मत कार्य, विकास कार्य, सामग्री इत्यादि का क्रय किया गया था? उसका भुगतान करने की तिथि के क्रम कें, कार्य का नाम, कार्य की मात्रा स्थान, राशि प्राप्त करने वाली एजेंसी का नाम पता राशि बतायें? **(घ)** भंडार क्रय नियमों के प्रकाश में बतायें कि उक्त नियम के प्रावधानुसार कार्य/क्रय की सीमा के अंतर्गत निविदा, सीमित लिफाफा पद्धति और हस्तपावती पर क्या-क्या किस कार्य हेतु भुगतान किया गया?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से **(घ)** जानकरी एकत्रित की जा रही है।

निर्माण कार्यों में गौण खनिज की रायल्टी का भुगतान

91. (क्र. 1524) श्री मधु भगत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बालाघाट जिले के अंतर्गत पिछले 3 वित्तीय वर्षों में विभाग द्वारा जो राशि व्यय की गई, उसमें से कितनी राशि के निर्माण कार्य मरम्मत खरीदी हुई? **(ख)** विभाग द्वारा निर्माण कार्यों/मरम्मत कार्यों के लिये किस-किस फर्म को कार्य का भुगतान किया गया? **(ग)** जिन फर्मों/एजेन्सियों को उपरोक्तानुसार भुगतान किया गया है क्या उनका भुगतान करने से पहले यह पुष्टि एवं परीक्षण किया गया है कि उन्होंने जितनी भी मात्रा में गौण खनिज का इस्तेमाल किया है, उसकी निर्धारित मात्रा एवं दर के अनुसार रायल्टी जमा की गई है?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) बालाघाट जिले में प्रश्नाधीन अवधि में निर्माण कार्यों, मरम्मत खरीदी, पर व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:- (1) निर्माण कार्यों पर व्यय रूपये 200.76 करोड़। (2) मरम्मत कार्यों पर व्यय रूपये 5.71 करोड़। (3) खरीदी पर व्यय 0.81 करोड़। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ, अ-1 एवं प्रपत्र अ-2 अनुसार है। (ग)** फर्म ठेकेदारों को भुगतान सभी औपचारिकता पूर्ण करने के उपरांत ही किया गया है एवं उपयोग की गई गौण खनिज की रायल्टी का परीक्षण किया जाता है, तथा शासन द्वारा जारी दरों के अनुसार राशि की वसूली की जाती है।

नियम विरूद्ध इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से सिविल का कार्य लिया जाना

92. (क्र. 1540) श्री आरिफ अकील : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि भोपाल नगर पालिक निगम में प्रतिनियुक्ति पर आये इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग से सिविल का कार्य लिया जा रहा है और सिविल यंत्री से इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कार्य लिया जा रहा है? यदि हाँ, तो किस नियम के तहत और यह भी अवगत करावें कि भोपाल में करोड़ों रूपये की लागत से विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिनकी गुणवत्ता का आंकलन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर द्वारा कैसे किया जायेगा? **(ख)** क्या यह भी सही है कि भोपाल नगर पालिक निगम विभाग में पदस्थ अधिकांश यंत्रियों के पास तकनीकी रूप से उनकी योग्यता जलकार्य विभाग का कार्य सम्पादित करने की नहीं है? यदि है, तो जलकार्य विभाग में पदस्थ समस्त यंत्रियों की शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता सहित यह अवगत करावें कि जलकार्य विभाग के कार्य सम्पादित करने हेतु क्या-क्या योग्यता होनी चाहिये?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** जी नहीं। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है।**

परिशिष्ट - "चउवन"

राशि स्वीकृत होने के बावजूद रोडों का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जाना

93. (क्र. 1541) श्री आरिफ अकील : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि विगत 03 वर्षों में भोपाल स्थित विभाग के विभिन्न रोड खराब होने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो कौन-कौन से रोड कब-कब से खराब पड़े हैं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि भोपाल उत्तर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विभाग के कौन-

कौन से रोडों के निर्माण हेतु राशि कब-कब स्वीकृत की गई और कार्य प्रारम्भ नहीं करने के क्या कारण हैं तथा कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। वर्तमान में भोपाल स्थित लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी मार्गों की स्थित ठीक है एवं यातायात हेतु सुगम है। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**।

परिशिष्ट - "पचपन"

जिला उद्योग केन्द्र उज्जैन द्वारा उद्योग लगाने हेतु लीज भूमि का आवंटन

94. (क्र. 1552) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** जिला उद्योग केन्द्र उज्जैन द्वारा दिनेश पिता मांगीलाल जैन निवासी महिदपुर रोड, जिला उज्जैन एवं उनके परिवार में सदस्यों को उद्योग हेतु कितनी भूमि कहाँ-कहाँ कब लीज पर दी गई? **(ख)** उपरोक्त लीज भूमि पर कब से कौन-कौन से उद्योग संचालित हैं? **(ग)** यदि लीज भूमि पर कोई उद्योग स्थापित नहीं किया गया है तो यह लीज कब तक निरस्त कर दी जावेगी? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार विभाग की जिन योजनाओं के तहत दिनेश पिता मांगीलाल जैन निवासी महिदपुर रोड जिला उज्जैन एवं उनके परिवार द्वारा लाभ उठाया गया है उनकी सूची देवें?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) से **(घ)** जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र उज्जैन द्वारा श्री दिनेश पिता मांगीलाल जैन निवासी महिदपुर रोड जिला उज्जैन को जिले में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में कोई भूमि लीज पर आवंटित नहीं की गई है तथा उनके परिवार के सदस्यों की जानकारी कार्यालय में संधारित नहीं होने के कारण शेष जानकारी दी जाना संभव नहीं है।

निर्माण लाइसेंस लेने के लिए फर्जी दस्तावेज का उपयोग

95. (क्र. 1553) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनेश पिता मांगीलाल जैन निवासी महिदपुर रोड जिला उज्जैन के स्वामित्व/पार्टनरशिप रूप में कौन सा एवं किस श्रेणी का निर्माण लाइसेंस विभाग द्वारा जारी किया गया? **(ख)** इस लाइसेंस प्राप्ति के लिये दिनेश पिता मांगीलाल जैन निवासी महिदपुर रोड जिला उज्जैन द्वारा जो दस्तावेज लगाए गए उनकी छायाप्रति देवे? **(ग)** लाइसेंस प्राप्ति से प्रश्न दिनाँक तक इनके द्वारा किए गए सभी कार्यों की सूची देवे? **(घ)** फर्जी दस्तावेज लगाकर लाइसेंस लेकर कार्य करने के लिए इनका लाइसेंस कब तक निरस्त कर दिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) दिनेश पिता मांगीलाल जैन निवासी महिदपुर रोड जिला उज्जैन के नाम से केंद्रीय पंजीयन व्यवस्था में कोई व्यक्ति पंजीकृत नहीं है। इसका सत्यापन एम.पी.ऑनलाईन के द्वारा भी किया गया है। **(ख)** उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिये ऋण/अनुदान

96. (क्र. 1555) श्री बाला बच्चन : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** खरगोन, बड़वानी, धार एवं खंडवा जिले में दिनाँक 01.01.15 से 15.06.15 तक कितने युवाओं को

किन योजनाओं के तहत किन कार्यों के लिए ऋण प्रदान किया गया? योजना, हितग्राही नाम, कार्य नाम, ऋण अनुदान राशि सहित जिलावार बतावे? **(ख)** जिन योजनाओं में सरकार ने बैंक गारंटी दी है उनके हितग्राही नाम, कार्य नाम, ऋण राशि, अनुदान राशि सहित जिलावार बतावें? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** अनुसार इनके द्वारा स्थापित उद्योगों एवं अन्य कार्यों की अद्यतन स्थिति से अवगत करावें? क्या इसके लिए भूमि भी लीज पर दी गई? **(घ)** यदि हाँ, तो **(ख)** प्रश्नांश अनुसार ऐसे हितग्राहियों की सूची भी देवें?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। **(ख)** से **(घ)** राज्य शासन द्वारा स्वरोजगार योजनाओं में सीधे गारंटी देने का प्रावधान नहीं है। उद्योग एवं सेवा संबंधी इकाईयों के लिये गारंटी, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्माल इन्टरप्राईजेस (सी.जी.टी.एम.एस.ई.) के माध्यम से दी जाती है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

औद्योगिक इकाइयों की स्थापना

97. (क्र. 1556) श्री बाला बच्चन : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** शासन की वर्ष 2006-07 एवं अन्य औद्योगिक नीति जिसमें नये उद्योग लगाने पर 50% सेल टैक्स में छूट दी जाती है के तहत खरगोन, बड़वानी जिलें में कितनी इकाई (यूनिट) स्थापित की गई? जिलेवार, उद्योगवार, वर्षवार जानकारी देवे? **(ख)** यह भी बतावें कि उद्योगों को कितनी जमीन, कितने वर्ष के लीज पर दी है? चालू एवं बंद उद्योगों के बारे में अलग नामवार लीज भूमि रकवा सहित बतावें? **(ग)** सेल टैक्स में 50% छूट के लिए जिन कंपनियों के सेल टैक्स विभाग फार्म 8 जारी करता है वो किन-किन उद्योगों को विगत पाच वर्ष से अभी तक सेल टैक्स विभाग द्वारा उद्योग विभाग को दिया गया है? उद्योग का नाम, छूट राशि सहित जानकारी देवे?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) वर्ष 2004 की उद्योग संवर्धन नीति जो कि वर्ष 2006-07 में लागू थी तथा उसके पश्चात् लागू उद्योग संवर्धन नीतियों (यथा संशोधित 2007, 2010, यथा संशोधित 2012, 2014) के तहत कुल जमा किये गये कर (मूल्य संवर्धित कर और केन्द्रीय विक्रय कर) पर उद्योग निवेश संवर्धन सहायता दी जाती है। इसके अंतर्गत स्थापित इकाईयों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है**। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है**। **(ग)** वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा इकाईयों को उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना के अंतर्गत प्रकरणों हेतु प्रपत्र-4 उद्योग विभाग को प्रेषित किया जाता है, उद्योगवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है**।

बैतूल जिले में नये मार्ग निर्माण व मरम्मत

98. (क्र. 1562) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बैतूल जिले में विभाग के अधीन कुल कितने मार्ग है? **(ख)** इनमें से विगत 3 वर्षों में कौन-कौन से मार्ग नए बनाए गए हैं, तथा कौन-कौन से मार्गों की मरम्मत की गई है? वर्षवार, मार्गवार पृथक-पृथक बतावें? **(ग)** क्या उपरोक्त मार्गों के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए ठेकेदार से कोई एग्रीमेंट हुआ है? यदि हाँ, तो क्या?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) कुल 68 मार्ग है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" एवं प्रपत्र "ब" अनुसार है**, तथा म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा भी 3 वर्षों में

बैतूल देसली खण्डवा मार्ग, बैतूल आठनेर मार्ग नवीन मार्ग बनाये गये है, तथा बैतूल परसवाड़ा मार्ग की मरम्मत कराई गई है। **(ग)** जी हाँ, प्रतिवर्ष प्राप्त आवंटन के अनुरूप ठेका निर्धारित किया जाता है यह निरंतर प्रक्रिया है, एवं म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा बैतूल परसवाड़ा मार्ग पर मरम्मत का कार्य जोनल अनुबंध के तहत बैतूल आटनेर मार्ग बी.ओ.टी. (एन्युटी) योजना के अंतर्गत मार्ग मरम्मत कार्य संबंधित कंसेशनायर द्वारा किया जा रहा है।

अन्य विभागों के निर्माण कार्य

99. (क्र. 1563) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बैतूल जिले में अन्य विभागों के कौन-कौन से निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग एवं पी.आई.यू. द्वारा कराये जा रहे है? विगत 5 वर्षों की जानकारी देवें? **(ख)** इन निर्माण कार्यों में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा पूर्ण कार्यों में कौन-कौन से कार्य संबंधित विभाग को हस्तांतरित हो चुके हैं? **(ग)** ऐसे कौन से कार्य हैं जो निश्चित समयावधि में पूर्ण नहीं हुए हैं उनके संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई, तथा कार्य कब तक पूर्ण होंगे?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ, ब, एवं अ-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ, ब एवं ब-1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ, ब एवं स अनुसार है।

नगर पालिका बैतूल के निर्माण कार्यों का भुगतान

100. (क्र. 1564) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नगर पालिका बैतूल में विगत 2 वर्षों में कौन-कौन से निर्माण कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत हुए? इनमें से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं? क्या पूर्ण हुए समस्त कार्यों का भुगतान हो चुका है? यदि हाँ, तो कब-कब एवं कितना-कितना? **(ख)** क्या नगरपालिका में अभी भी काफी भुगतान लंबित है? यदि हाँ, तो किस-किस कार्य के कब-कब से? इसके कारण भी बतावें? **(ग)** क्या लंबे समय से पूर्व के कार्यों के भुगतान नहीं किए गए हैं, तथा बाद के भुगतान हो चुके हैं? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट "अ" अनुसार है। (ख) सच यह है कि पूर्ण हो चुके निर्माण कार्य में से केवल 13 निर्माण कार्य के भुगतान लंबित है। **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट "ब" अनुसार है। (ग)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट "ब" अनुसार है।**

उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार

101. (क्र. 1570) श्री रामलाल रौतेल : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** जिला-अनूपपुर में कितने उद्योग स्थापित है? उद्योग का नाम, स्थापित स्थान, उद्योग के प्रकार का सम्पूर्ण विवरण प्रदान करें? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** में वर्णित उद्योगों में कितने स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया गया है? संस्थावार, जानकारी प्रदान करें?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जिला अनूपपुर में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अनूपपुर के अंतर्गत 85 उद्योग पंजीकृत है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।**

(ख) उपरोक्त उद्योगों में कुल 4665 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं। जिनमें 3003 स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**।

परिशिष्ट – "छप्पन"

अनूपपुर जिले में पंजीकृत न्यास

102. (क्र. 1571) श्री रामलाल रौतेल : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** अनूपपुर जिले में कुल कितने न्यास पंजीकृत है? संस्था का नाम, पता न्यासी अध्यक्ष तथा सचिव के नाम का उल्लेख करें? **(ख)** क्या अनूपपुर में अंजूमन समिति का गठन हुआ है? यदि हाँ, तो नाम, पद, पता सहित जानकारी प्रदान करें? **(ग)** अमरकंटक उद्गम स्थल में गठित न्यास में स्थानीय/जिले के विधायक/सांसद को रखने की योजना है? यदि नहीं, तो विभाग इस पर विचार करेगा?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

राजस्व संभाग सागर की नगरीय निकायों की आडिट आपत्तियों का निराकरण

103. (क्र. 1584) श्री हर्ष यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राजस्व संभाग सागर अंतर्गत नगर निगम सागर व नगर पलिकाओं, नगर पंचायतों की आडिट रिपोट क्या क्षेत्रीय उपसंचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा की गई है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** वर्णित आडिट रिपोर्टों में विगत तीन वर्षों में वर्षवार निकायवार क्या-क्या आडिट आपत्तियाँ व आक्षेप किये गये हैं?क्या इन आपत्तियों व अक्षेपो का निराकरण किया गया? **(ग)** आडिट आपत्तियों पर कार्यवाही/निराकरण हेतु शासन के सामान्यत: क्या-क्या निर्देश हैं? प्रश्नांश **(ख)** उल्लेखित आपत्तियों का निराकरण/समाधान क्या नियमानुसार किया गया है, नहीं तो क्यों? **(घ)** क्या निकायों द्वारा परिषद की बैठकों में इन आपत्तियों को प्रस्तुत कर उनका निराकरण किया गया है? नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' पर है**। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' पर है**। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी हाँ। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

औद्योगिक इकाईयों व फैक्ट्रियों का निरीक्षण

104. (क्र. 1585) श्री हर्ष यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सतना जिलान्तर्गत स्थित किन-किन औद्योगिक इकाइयों व फैक्ट्रियों का जनवरी 2013 से प्रश्न दिनाँक तक म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया? इकाईवार जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के परिप्रेक्ष्य में किन-किन इकाइयों/फैक्ट्रियों के विरूद्ध प्रदूषण, पर्यावरण नियमों का उल्लघंन आदि की शिकायतें कब-कब किन-किन के द्वारा शासन/विभाग/ कलेक्टर/बोर्ड आदि को की है? प्राप्त शिकायतों पर किन-किन अधिकारियों द्वारा किस-किस के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही विगत तीन वर्षों में की है? **(ग)** क्या यह सही है कि प्रदूषण और पर्यावरण संबंधी गंभीर शिकायतों के बावजूद अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई? क्यों? क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा पुन: इन शिकायतों का परीक्षण/पुनरावलोकन कराया जावेगा? नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) एवं **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार है**। **(ग)** जी नहीं। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

स्वरोजगार योजनाओं में ऋणों की स्वीकृति

105. (क्र. 1589) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** सतना जिला अंतर्गत 01 अप्रैल 2012 से प्रश्न दिनाँक तक की अवधि में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा किस-किस बैंक को शासन की कौन-कौन सी स्वरोजगार योजनांतर्गत किन-किन हितग्राहियों के प्रकरण ऋण स्वीकृति हेतु भेजे गये? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** वर्णित प्रेषित प्रकरणों में से किन-किन प्रकरणों में बैंकों द्वारा हितग्राहियों को ऋण राशि उपलब्ध करा दी गई है? कितने हितग्राहियों के प्रकरण किस कारण लंबित है अथवा वापिस किये गये है? **(ग)** शासन की किन-किन स्वरोजगार याजनाओं में राज्य शासन द्वारा गारंटी दी जाती है? प्रश्नांश **(ख)** वर्णित स्वीकृत प्रकरणों में किन-किन में राज्य शासन की गांरटी व किन-किन में हितग्राही की निजी गारंटी पर बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किय गया है? **(घ)** क्या बैंक द्वारा राज्य सरकार की गारंटी को महत्व न देकर निजी ग्यारंटी में ही ऋण स्वीकृत किये गये हैं? यदि हाँ, तो क्यों? इस हेतु क्या कार्यवाही की जावेगी?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) से **(ख)** जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। **(ग)** मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत ऋण गारंटी निधि योजना (सी.जी.टी.एम.एस.ई.) अंतर्गत मान्य है। सी.जी.टी.एम.एस.ई. अंतर्गत हितग्राहियों को लगने वाले गारंटी शुल्क का भुगतान राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है। **(घ)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सतना जिले में उद्योगों का विकास

106. (क्र. 1590) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** सतना जिले में उद्योग स्थापित किये जाने हेतु जिला उद्योग व व्यापार केन्द्र में किन-किन इकाइयों/समूहों द्वारा अब तक मेंमोरेण्डम फाइल किये गये हैं? विभाग द्वारा उद्योग लगाये जाने हेतु जिले में कहां-कहां, कितनी-कितनी भूमि चिन्हित कर आरक्षित की गई है? वर्ष 2007 से प्रश्न दिनाँक तक की जानकारी व विवरण दें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** वर्णित इकाइयों द्वारा वर्तमान में कहाँ-कहाँ उघोग कार्य संचालित किया जा रहा है? किन्होनें उद्योग स्थापित ही नहीं किया? ऐसी कौन-कौन सी इकाईयाँ हैं जिन्होनें भूमि आवंटित कराने के बावजूद कोई कार्य आरंभ नहीं किया? क्यों? इस संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** मैहर विकासखंड में औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा हरनामपुर व अन्य कहां कितनी भूमि आरक्षित कर उद्योगों हेतु अधोसंरचना विकसित की है? किन-किन इकाइयों को यहां भूखण्ड आवंटित किये गये और किनके द्वारा यहां उद्योग स्थापित ही नहीं किये गये? यहां उद्योगों को स्थापित किये जाने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के उत्तर में वर्णित इकाईयों में से 16 इकाईयों को छोड़कर शेष इकाईयों द्वारा निजी भूमि पर इकाई का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2007 से अब तक इस कार्यालय द्वारा कुल 16 इकाईयों को औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आंवटित की गई है। जिसमें से 12 इकाईयों द्वारा उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है। तथा 3 इकाईयां उत्पादन प्रारंभ करने हेतु निर्धारित समय-सीमा के भीतर हैं। समयावधि व्यतीत होने के उपरांत 01 इकाई द्वारा उत्पादन कार्य प्रारंभ नहीं किया गया, जिसका भूमि आवंटन निरस्त कर दिया गया है। विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।** **(ग)** मैहर विकासखण्ड में औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा हरनामपुर में

34.267 हेक्टेयर एवं बाबूपुर में 180.364 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की है जिनमें अधोसंरचना विकसित करने की कार्यवाही चल रही है। ग्राम हरनामपुर में 26 इकाईयों को उद्योग स्थापित करने हेतु भूखण्ड आवंटित किए गए हैं। विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है**।

आरक्षित वनों में मार्गों के निर्माण में अनापत्ति

107. (क्र. 1599) श्री मोती कश्यप : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जिला कटनी के वि.स.क्षे. बड़वारा के किन विकासखण्डों के आरक्षित व संरक्षित वनक्षेत्रों में लोक निर्माण, प्र.मं.ग्रा.स.यो. एवं मनरेगा के किन मार्गों के निर्माण हेतु वर्ष 2011-12 से 2014-15 की अवधि में किस स्तरीय वन अधिकारी के द्वारा अनापत्तियां प्रदान की गई हैं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के मार्गों में से कौन-कौन से मार्ग प्रचलित और अप्रचलित रहे हैं? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** में से कौन से मार्ग विभाग तथा अन्य किन्हीं निर्माण एजेन्सियों द्वारा बनाये गये हैं और उनकी लम्बाई कितने कि.मी. की है? **(घ)** वनसंरक्षक कटनी के पास किन मार्गों की अनापत्तियों के प्रस्ताव लम्बित हैं?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) एवं **(ग)** प्रश्नाधीन क्षेत्र के ढीमरखेड़ा एवं बड़वारा विकासखण्डों में प्रश्नाधीन अवधि में वनमंडलाधिकारी द्वारा मार्गों में उन्नयन कार्य की अनुमति का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ'** अनुसार है। विकासखंड ढीमरखेड़ा में वनविभाग द्वारा **03** मार्गों का उन्नयन कार्य **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब'** में दिए विवरण अनुसार मनरेगा अंतर्गत किया जा रहा है। **(ख)** समस्त मार्ग प्रचलित मार्ग रहे हैं। **(घ)** वन संरक्षक, कटनी के पास पी.डब्ल्यू.डी. रोड से भदावर एवं एन.एच. 78 से चपहनी मार्ग की अनुमति के प्रस्ताव लंबित हैं।

सिंगरौली से जबलपुर इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर में कटनी को शामिल करना

108. (क्र. 1600) श्री मोती कश्यप : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या विभाग द्वारा किसी आधार पर सिंगरौली से जबलपुर तक औद्योगिक कॉरीडोर घोषित किया है? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** योजना में किन जिलों और उनके किन मार्गों को सम्मिलित किया गया है और किन स्थानों में किन प्रकार के उद्योगों को स्थापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है? **(ग)** क्या प्रश्नांश **(क)** में खनिज सम्पदा से युक्त कटनी जिला को सम्मिलित किया गया है और वहां किन प्रकार के उद्योगों की योजना बनायी गई है? **(घ)** क्या जिला कटनी की तहसील ढीमरखेड़ा में नेशनल मेंन्युफेक्चरिंग इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक जोन (NMIEZ) की स्थापना हेतु चिन्हित 23.026 एकड़ भूमि में किन्हीं प्रकार के उद्योगों की योजनायें विचाराधीन हैं? **(ड.)** क्या प्रश्नांश **(ग)** व **(घ)** को प्रश्नांश **(क)** कॉरीडोर में सम्मिलित किया गया है?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जबलपुर – कटनी – सतना - सिंगरौली को इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। **(ख)** जबलपुर – कटनी – सतना - सिंगरौली इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर में जबलपुर, कटनी, सतना, रीवा, पन्ना, सीधी एवं सिंगरौली जिलों एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-7 (जबलपुर-रीवा) एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-75ए (रीवा-बेढन) को सम्मिलित किया गया है। उक्त इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर में सिटी सेंटर,मढोंताल, जबलपुर, इंजीनियरिंग एण्ड रिफेक्ट्री पार्क,

जिला कटनी, मल्टी प्रोडक्ट इण्डस्ट्रियल पार्क, जिला सतना, वेयर हाउसिंग हब, जिला सतना, एग्रो एण्ड हार्टिकल्चर प्रोसेसिंग पार्क, जिला रीवा, इण्डस्ट्रियल पार्क/कोल बेस्ड पेट्रो केमीकल पार्क, जिला सिंगरौली आदि परियोजनायें चिन्हित की गई हैं। **(ग)** जी हाँ। परियोजनाओं का उल्लेख प्रश्नांश **(ख)** के उत्तर के अनुसार है। **(घ)** जी नहीं। **(ड.)** जी हाँ।